राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ४] विधान सभा के चतुर्थ सत्र का सत्ताइसवां दिवस [संख्या २०

शनिवार, दिनांक २२ मार्च, १९६९

विधान सभा की बैठक म० पू० ११-०१ को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[गृह, राजस्व, चिकित्सा, पंचायत, कृषि, सार्वजनिक निर्माण, यातायात विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न !

प्रश्न संख्या ४६४

श्री रामानन्द अग्रवाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४६५

श्री सुवालाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४६६

श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४६७

श्री सोमदत्त भाटी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४६८

श्री दौलतराम सारण !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४६९

श्री रामकुमार !

(विराम)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : रामकुमार जी आ गये।

करणपुर की घाटी का निर्माण कार्य

४६९. श्री रामकुमार (सपोटरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) करौली सब-डिविजन में करणपुर की घाटी का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया और कितना काम किया गया व कितना और क्या कार्य अभी शेष है ?

(२) क्या उपरोक्त कार्य विभाग द्वारा किया गया है ?

(३) उक्त घाटी के निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य कब तक का था और क्या कार्य लक्ष्य के मुताबिक हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) क्या इस घाटी के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई रिपोर्ट

Page No 2

(श्री रामकुमार)

दी गई है? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है?

(५) जिन अधिकारियों की लापरवाही से उपरोक्त घाटी का निर्माण कार्य पूरा न हो सका, क्या सरकार ने उनके खिलाफ किसी प्रकार का एक्शन लिया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार अब इस सम्बन्ध में पूरी विभागीय जांच कराने को तैयार है?

(६) क्या यह बात सरकार के ध्यान में है कि करणपुर घाटी के चारों तरफ का एरिया डांग क्षेत्र व पिछड़ा हुआ एरिया है व सड़क यातायात न होने से वहां के निवासी राज्य के अन्य जगहों से पिछड़े हुए हैं?

(७) क्या सरकार अब निश्चित रूप से बता सकेगी कि उपरोक्त करणपुर की घाटी के बचे हुए निर्माण कार्य को अब कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा?

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (१) कानपुर घाटी का कार्य फरवरी ६७ में शुरू कराया गया था केवल १२५००) रु० का अर्थ वर्क हुआ है। बाकी कार्य शेष है।

(२) जी हां।

(३) अर्थाभाव के कारण लक्ष्य निर्धारित नहीं था।

(४) जी नहीं।

(५) अर्थाभाव के कारण कार्य नहीं हुआ है, विभागीय जांच आवश्यक नहीं है।

(६) सड़क के अभाव में कठिनाई स्वाभाविक है।

(७) अर्थाभाव के कारण निश्चित अवधि तय करना सम्भव नहीं है।

श्री रामकुमार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे क्वेश्चन का उत्तर दिया है, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह संतोषजनक उत्तर नहीं है। मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि आपने क्वेश्चन के उत्तर में सन् १९६७ में काम शुरू होना बताया है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि १२५००) रुपये में से सिर्फ पांच हजार का कार्य १९६७ में हुआ है। शेष काम को करवाने में दस साल हो गये हैं, लेकिन दस साल में भी इस घाटी का काम पूरा नहीं हुआ है। हम बार बार इस विषय में निवेदन करते रहे हैं और श्री माणिक्य लाल वर्मा जब वहां पधारे थे तो उन्होंने वहां से पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टिर को एक पत्र लिखा था कि यह घाटी का काम पूरा नहीं हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि आपने १२५००) रुपया खर्च होना बताया है, यह भी गलत है। यह काम सिर्फ वहां पर दस हजार का हुआ है। मैंने वहां के मजदूरों से बात की थी, वहां पर जो अकाउन्ट्स जिसने रखे हैं उससे बात की थी। उसके आधार पर आपकी बात गलत है कि बारह हजार पांच सौ का काम हुआ है। यह गलत है इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो बारह हजार पांच सौ रुपये का खर्च हुआ है, इस पैसे का दुरुपयोग किया गया है पैसे का सदुपयोग नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये, माननीय सदस्य, भाषण न दीजिये। प्रश्न पूछिये।

Page No 3

श्री रघुनाथ विश्नोई : प्रश्न पूछ लिये हैं अनेक।

श्री रामकुमार : मैं मंत्री महोदय से निवेदन कर देना चाहता हूं १२५००) रुपये का जो आपने काम बताया है, वह काम कितना है और क्या सरकार उस काम को पूरा कराने का कोई आश्वासन देगी ?

श्री माधोसिंह : शेष काम दो लाख का है। आश्वासन तो मैं देने में असमर्थ हूं, लेकिन जो चौथा प्लान है उसमें इसका पूरा ख्याल रखा जायगा और जितनी धनराशि उपलब्ध होगी, उसके अनुसार काम किया जायगा।

श्री रामकुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि क्या विभाग की तरफ से रिपोर्ट आई है कि कब कब काम हुआ है, कब कब नहीं हुआ है ? रिपोर्ट आई है तो वह सदन के सामने पढ़ कर सुनायें।

श्री माधोसिंह : मैंने आपको निवेदन किया, कुल काम दो लाख का है, १९६७ में १२५००) रुपये का काम हुआ है। यह मैंने निवेदन किया है, प्रश्न के उत्तर मैंने कहा है। उसके अलावा और कोई खर्च हुआ नहीं है। मैंने निवेदन कर दिया कि चौथे प्लान में, जो सुझाव आपने दिया है, उसको ध्यान में रखेंगे और जितना सम्भव होगा, उतना कार्य रूप में बनाने की कोशिश करेंगे, और जो धनराशि उपलब्ध होगी उसके अनुसार इसके लिए प्रावधान रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

प्रश्न संख्या ४७०

श्री कृष्ण कुमार गोयल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४७१

श्री हरजीराम बुरडक !

श्री रामसिंह कुड़ी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४७२

श्री मूलचन्द डागा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री नाथूराम !

ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र गढ़ी

४७३. **श्री नाथूराम (बागीडोरा)** : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र गढ़ी में भर्ती के लिये इस सत्र में कितने प्रार्थियों ने प्रार्थना पत्र दिये तथा उनमें डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले के कितने थे ?

(२) क्या यह सत्य है कि इस सत्र में बांसवाड़ा से आदिवासियों में से एक भी प्रशिक्षणार्थी नहीं लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? और यदि नहीं, तो कब लिया गया ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय के पास भी सूचना प्रेषित की गई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

Page No 4

उप मंत्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) ग्रामसेवक प्रशिक्षणार्थियों का चयन प्रशिक्षण केन्द्रवार नहीं किया जाता। डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों के २१३ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए।

(२) बांसवाड़ा जिले से एक प्रत्याशी अनुसूचित जाति का चयन किया गया है।

(३) जी हां, उत्तर दिनांक १८-१-६९ को दे दिया गया।

श्री नाथूराम : क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का एक से अधिक ग्राम सेवक नहीं लिया गया ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी हां, मैंने अपने उत्तर में बताया है कि एक लिया गया है।

श्री नाथूराम : इसका कारण क्या ? आदिवासियों की अधिक संख्या होते हुए एक भी नहीं लिया गया ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जितने चयन किये गये, उनमें से लिया गया।

श्री नाथूराम : कितने लिये गये ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने बताया न, एक लिया गया है।

श्री नाथूराम : क्या यह पर्सेन्टेज के अनुसार लिया गया है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी हां, जो सरकार का पर्सेन्टेज है, उसके अनुसार लिया गया है।

श्री नाथूराम : जो सेन्टर खोला गया है वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति को फायदा पहुंचाने के लिए खोला गया है, हर साल उसमें पचास ग्राम सेवक ट्रेनिंग में लिये जाते हैं लेकिन इसमें एक ही व्यक्ति लिया गया है। मैं आपके द्वारा, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सेन्टर खोला गया है, यह ट्राइब्स के फायदे के लिए है, इसलिए अधिक लेने चाहिए थे। क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि चयन कमेटी के मेम्बर कौन कौन हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : केन्डिडेट के सलेक्शन के लिए, जो ट्रेनिंग के लिए जाने वाले होते हैं, पंचायत समिति और जिला परिषद् सर्विस सलेक्शन कमीशन है और वह कमीशन फाइनल सलेक्शन करता है इसलिए उसके सलेक्शन के अन्दर राज्य सरकार इन्टरफियरेन्स नहीं कर सकती। माननीय सदस्य ने पत्र लिखा था, उसका उत्तर भी मैंने दिया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि मैं प्रिन्सिपल को कोई डाइरेक्शन नहीं दे सकता क्योंकि यह जो कमीशन है, जिला परिषद् और पंचायत समिति सर्विस सलेक्शन कमीशन, इस कमीशन के सलेक्शन फाइनल होते हैं। हालांकि पी. एस. सी. जो है वह सलेक्शन के बाद में जो केन्डीडेट्स की मेरिट लिस्ट बना कर गवर्नमेंट के पास भेजती है तो उसमें फाइनल गवर्नमेंट का डिस्क्रीशन होता है कि उसकी रिकमन्डेशन्स को रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे, लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद् सर्विस सलेक्शन कमीशन है उसके सलेक्शन के अन्दर गवर्नमेंट के पास

Page No 5

(श्री परसराम मदेरणा)

डिस्क्रीशन नहीं है, उसका सलेक्शन फाइनल होता है । आपके जिले के अन्दर सात उम्मीदवारों के चयन करने का प्रश्न था, उसमें एक का हुआ है, मतलब जो नियम है साढ़े बारह पर्सेन्ट सुरक्षित है उस पर्सेन्टेज से एक आ जाता है और एक का सलेक्शन कर लिया । उसके बाद जिन सात को सलेक्ट किया, उन सातों ने जॉइन कर लिया इसलिए यह प्रश्न पैदा नहीं होता है कि प्रिन्सीपल को किसी प्रकार का डाइरेक्शन देता, या, अगर मैं डाइरेक्शन देता, तो न तो मुझे इस प्रकार के अख्तियारात थे और न प्रिन्सिपल को अख्तियारात थे कि बिना सलेक्ट किये हुए आदमी को वह एडमिट करता । जिन चार आदिवासियों के नाम आपने दिये थे उनका पचायत समिति और जिला परिषद् सर्विस सलेक्शन के द्वारा सिलेक्ट हुए आदमियों में नम्बर नहीं था इसलिए मेरी मजबूरी थी ।

श्री नाथूराम : प्रिन्सीपल को चयन कमेटी का मेम्बर क्यों नहीं रखा ?

श्री परसराम मदेरणा : कहीं पर भी नहीं रख रहे हैं । दूसरे जो कमीशन हैं, उनमें भी नहीं हैं । इसलिए सलेक्शन कमीशन में प्रिन्सिपल या रीडर को रखने का प्रश्न खड़ा नहीं होता ।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, यह सेन्टर है यह आदिवासियों को ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए है, इसलिए आपके द्वारा मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूँ कि जो केवल पिछड़े क्षेत्र के लोग हैं उनका चयन करना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : आपके इस पंचायत समिति और जिला परिषद् सर्विस सलेक्शन कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या फर्क है सलेक्शन का ?

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक पंचायत समिति और जिला परिषद् सर्विस सलेक्शन कमीशन का प्रश्न है व किसी का चयन करता है तो वह राज्य सरकार के पास नहीं भेजता है कि राज्य सरकार फाइनली उसकी रिकमन्डेशन को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे । जहां तक इस पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रश्न है, वह जो लिस्ट बना कर, मेरिट लिस्ट बना कर भेजता है, इस मेरिट लिस्ट के सम्बन्ध में गवर्नमेंट के पास फाइनल डिस्क्रीशन है कि गवर्नमेंट अगर सेटिसफाइड हो जाय तो एक्सेप्ट कर ले, हालांकि गवर्नमेंट ९९.९ पर्सेन्ट केसेज के अन्दर एक्सेप्ट करती है, यह कन्वेन्शन है, यह अलग बात है कि गवर्नमेंट को डिस्क्रीशन दे रखा है । लेकिन इस सलेक्शन में गवर्नमेंट के पास कतई डिस्क्रीशन नहीं है ऐसी सूरत में पंचायत समिति और जिला परिषद् सर्विस सलेक्शन कमीशन जिन उम्मीदवारों का चयन करता है कि उनके अन्दर कोई हेर फेर करने के अख्तियारात या पावर गवर्नमेंट के पास नहीं हैं । जब गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो माननीय सदस्य ने जो पत्र दिया, उस पत्र के सम्बन्ध में मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता था और न किसी प्रकार का आदेश प्रिन्सिपल को दे सकता था । यह बात मैंने आपके पत्र के उत्तर में अपने पत्र द्वारा सूचित कर दी है ।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : चयन कमेटी के और भी मेम्बर बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे, क्या यह आश्वासन दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : पत्र में इन्होंने सलाह तो दी होगी, इन्होंने बतला दिया होगा कि इस तरह किया जाना चाहिये ।

श्री परसराम मदेरणा : प्रश्न के पार्ट (३) में पत्र का दिया है । मैंने इनको लिखा था :

श्री नाथूरामजी,

उपरोक्त संदर्भ में निवेदन है कि ग्राम सेवकों का चयन राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा चयन आयोग द्वारा किया जाता है, आयोग द्वारा चयनित प्रत्याषितों को दो वर्ष के लिये ट्रेनिंग में भेजा जाता है । किन. प्रत्याषितों का आपने अपने पत्र में उल्लेख किया है, उनका चयन आयोग द्वारा किया गया है, अत: उसमें हेरफेर करने का कानून के अन्तर्गत मुझे कोई अधिकार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : इनके पत्र में सुझाव है ?

श्री परसराम मदेरणा : उनके पत्र में कहा है कि ४ उम्मीदवार हैं ये बेकार हैं, आप प्रिन्सिपल को आदेश दीजिये कि इनको प्रशिक्षण के लिये ले लें । इस बात को एग्जामिन किया तो कानून में मैं प्रिन्सिपल को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता ।

श्री नाथूराम : साइन्स सैकिन्ड डिविजन के प्रत्याषी बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के थे, उनका भी चयन नहीं किया गया था । तो क्या आश्वासन देंगे कि चयन कमेटी में और सदस्यों को लिया जायगा ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं माननीय सदस्य की भावनाओं की कद्र करता हूं पर चयन कमीशन सर्विस कमीशन है, उसके रूल्स के अन्तर्गत परमानेन्ट सदस्य हैं, इसलिये परमानेन्ट सदस्यों की हेराफेरी में मैं कानून के अन्तर्गत कुछ नहीं कर सकता । रहा सवाल आदिवासियों का । जो मेरिट पर आते हैं, १२॥ परसेंट स्थान उनके लिये सुरक्षित है, उन पर उनको अवश्य लिया जाना चाहिये । ट्रेनीज उतने ही लेते हैं जितनी कि वेकेन्सीज होती हैं, ट्रेनीज में रिजर्व नहीं रख सकते । ४ ट्रेनिंग सेन्टर आपके यहां हैं, उदयपुर में जितने केन्डीडेट्स की वेकेन्सी एक होने वाली है, उतने ही लेंगे ।

श्री नाथूराम : इस साल जो संख्या ली गई, उसके हिसाब से १२॥ परसेंट नहीं लिया, क्या सारे जिले में साढ़े बारह परसेंट के हिसाब से एक ही आता है ?

श्री परसराम मदेरणा : ७ में से एक लिया, ६ दूसरे लिये ।

श्री नाथूराम : ७ लेने का कारण क्या है जब कि ५० आते हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : वह कमिशन जानता है, कमिशन का क्या आधार था उसके बारे में मैं न तो कुछ कह सकता हूं और न कहना पसन्द ही करता हूं ।

श्री नाथूराम : भीलवाड़ा और दूर दूर के आते हैं, उनके लिये भी असुविधा रहती है और वहां के रहने वाले भी रह जाते हैं । इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा व्यवस्था चाहूंगा कि बांसवाड़ा को प्राथमिकता दी जाय और १२॥ परसेंट के हिसाब से लिया जाय ।

श्री परसराम मदेरणा : आपके डिस्ट्रिक्ट में ७ में से एक शिड्यूल्ड ट्राइब्स का है, आदिवासी है इसका मतलब यह है कि परसेंटेज ७ में १४ परसेंट पड़ रहा है। मैरिट पर दूसरे आते हैं तो दूसरों को भी लिया जाना चाहिये। कोई मेरिट कमीशन करता है, उसमें मैं इन्टरफीयर नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रघुनाथ बिश्नोई।

सांचोर तहसील में सुरक्षा सड़क में आई भूमि का मुआवजा

४७४. **श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि सांचोर तहसील में सैकड़ों काश्तकारों की कृषि भूमि सुरक्षा सड़क के नीचे आ गई थी? अगर हां, तो कितने काश्तकारों की कितनी भूमि सड़क के नीचे आई?

(२) क्या यह सत्य है कि ऐसे काश्तकारों को अपनी काश्त की भूमि, जो सड़क के नीचे आ गई, अभी तक मुआवजा नहीं मिला है? अगर हां, तो क्यों? उनको मुआवजा अब कब तक मिल जावेगा?

(३) क्या जिस दर से गुजरात सरकार ने इसी सड़क के नीचे आई हुई भूमि का मुआवजा काश्तकारों को दिया है उसी दर से राजस्थान सरकार भी देने का विचार रखती है? अगर नहीं, तो क्यों नहीं।

(४) क्या कुछ काश्तकारों को उनकी भूमि के मुआवजा के एवज में दूसरी भूमि भी अलॉट की गई है? अगर हां, तो कितने किसानों को कितनी भूमि? सूची सदन की की मेज पर रखने की कृपा करें।

उपमंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना प्राप्त नहीं हुई है इसलिये इसको स्थगित किया जाय।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मैंने एक साल पहले पूछा था। कुछ को दे दिया गया कुछ को नहीं दिया गया, आधों को दिया गया और आधों को नहीं दिया, यह क्या है?

श्री सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) : इस पर जल्दी ही एक्शन ले लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष :

प्रश्न संख्या ४७५

श्री सुमेरसिंह

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४७६

श्री गंगासहाय

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४७७

श्री देवीलाल

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४७८

श्री रामनारायण चौधरी

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४७९

श्री फूलचन्द बापना

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

Page No 8

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ४८०

श्री जयनारायण सालोदिया

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४८१

श्री केशरीसिंह हाडा

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४८२

श्री राम प्रसाद बोहरा

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४८३

श्री दिग्विजयसिंह

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री महेन्द्रकुमार !

आदिवासियों को भूमि आवंटन

४८४. **श्री महेन्द्रकुमार** (पाड़वा–सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि आदिवासियों को भूमि आवंटन के लिये कोई अधिकतम सीमा का निर्धारण किया हुआ है ? यदि हां, तो भूमि प्रति बालिग व्यक्ति के आधार पर आवंटित की जाती है अथवा प्रति परिवार के आधार पर और किस आधार पर अधिकतम कितनी भूमि आवंटित की जा सकती है ?

(२) क्या यह भी सही है कि कई परिवार जिनमें कि वयस्क व्यक्तियों की संख्या अधिक है इस सीमा निर्धारण से प्रभावित हो रहे हैं ? यदि हां, तो आदिवासियों के पुनरुत्थान के लिये क्या सरकार इस नियम में परिवर्तन करने का विचार करती है ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक संशोधन हो जायेंगे ?

उप मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) जी नहीं ।

(२) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष :

प्रश्न संख्या ४८५

श्री रामचन्द आर्य

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४८६

श्री प्रेमसिंह सिंघवी

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४८७

श्री लक्ष्मण तानीवाला

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४८८

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४८९

श्री हरिवल्लभ शर्मा

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४९०

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

Page No 9

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ४९१

श्रीमती शिवकुमारी

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

ये जो प्रश्न माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं उन प्रश्नों के उत्तर माननीय सदस्यों के पास पहुंच जाय।

स्थगित प्रश्न !

प्रश्न संख्या १००

श्री श्रवणलाल

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ११७

श्री गंगासहाय

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १७५

श्री श्रवणलाल

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, ये उत्तर आपके ऑफिस के मार्फत चले जायेंगे। हमने तो दे दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑफिस की मार्फत चले जायेंगे।

जो माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं, उनके पास उत्तर भेजे जायं।

समय काफी बच गया है, इसलिये मैं सदन की अनुमति से आगे का कार्य लेता हूं।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम बहरोड़ा में डिस्पेन्सरी निर्माण के लिए जमा राशि

४६४. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत बहरोड़ जाट, पंचायत समिति मुंडावर ने सन् १९५९-६० में ११,००० रु० पंचायत समिति के प्रस्ताव के अनुसार प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के लिये जमा कराये थे? और उस ग्राम में एक डिस्पेन्सरी बनाना मंजूर कर लिया गया था?

(२) क्या यह सही है कि इस ग्राम में तत्कालीन पी. एम. एच. ओ. अलवर व एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर पी. डब्ल्यू. डी. की सलाह के अनुसार १९६१-६२ में ग्राम के उत्तर की तरफ कोटपूतली-रेवाड़ी रूट पर डिस्पेन्सरी के लिये नींव खोद दी गई थी?

(३) क्या यह सही है कि ग्राम के कुछ आदमियों द्वारा दक्षिण की तरफ डिस्पेन्सरी बनाने की राय देने पर यह निर्माण कार्य रुकवा दिया गया?

(४) क्या यह सही है की ग्राम पंचायत ने अपने प्रस्ताव द्वारा २ वोट के मुकाबले ९ के बहुमत से यह डिस्पेन्सरी उत्तर की तरफ बनाना ही तय किया?

(५) क्या यह सही है कि पी. एम. एच. ओ. और एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर की

Page No 10

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दुबारा भी राय ली गई है और उनकी राय अभी भी यह है कि यह डिस्पेन्सरी उत्तर की ओर ही बननी चाहिये ?

(६) क्या यह सही है कि इस डिस्पेन्सरी का निर्माण हो गया है।

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) जी हां।

(५) जी हां।

(६) जाट बहरोड़ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चयनित स्थान पर करीब ५७६५) रु० का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। अब केवल दरवाजे आदि ही लगाने शेष हैं।

कृषि कार्यों के लिए ट्रैक्टर

४६५. श्री सुवालाल चौधरी (दूदू):— क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में कितने प्रकार के ट्रैक्टर कृषि उपयोग हेतु राजस्थान के बाहर से कम्पनियों द्वारा मंगाये गये हैं और किसानों को बेचे गये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि अधिकतर ट्रैक्टर किसान को कृषि उपयोग के लिए नहीं दिये जाकर अन्य धन्धों हेतु पूंजीपतियों को बेचे गये हैं ?

(३) क्या सरकार ट्रैक्टर्स के क्रय-विक्रय का कार्य अपनी देख-रेख में कराने का विचार रखती है ? अगर हां, तो इसके सम्बन्ध में क्या नीति है ?

उत्तर

(१) निम्न ट्रैक्टर्स राजस्थान के बाहर से कम्पनियों द्वारा मंगाये गये हैं और किसानों को बेचे गये हैं:—

(१) हिन्दुस्तान।

(२) फरगुसन।

(३) एसकार्टस।

(४) डी० टी०—१४ रशीयन।

(५) इन्टरनेशनल ट्रैक्टर।

(६) एम० जे०—२ रशीयन।

(२) राज्य सरकार का इस सम्बन्ध में प्राईवेट कम्पनियों पर कोई नियंत्रण न होने की वजह से ऐसी कोई सूचना प्राप्त करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(३) आयातित ट्रैक्टरों के क्रय-विक्रय का कार्य अब राजस्थान कृषि अभियांत्रिक मण्डल द्वारा हो रहा है। भविष्य में यह कार्य कृषि उद्योग निगम द्वारा किया जायेगा जिसकी स्थापना शीघ्र ही की जा रही है। वैसे निजी क्षेत्र द्वारा भी ट्रैक्टरों का बेचान किया जाता रहेगा।

थाना सिविल लाइन्स अजमेर में दर्ज मामला

४६६. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि अजमेर के थाना सिविल लाइन्स में गोपाल दास के

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

विरुद्ध जेर दफा ३०२, ३२८, ४२० भा. द. स. के तहत मुकदमा संख्या ८५।६७ ता० ५-९-६७ को दर्ज हुआ ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त गोपाल दास के कई बैंकों में खाते व नकद २२,०००), सोने चांदी के जेवर, कागजात व नकली दवाईयां भी बरामद हुईं ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त मुकदमें का चालान आज दिन तक नहीं हुआ ?

(४) यदि हां, तो चालान न होने का क्या कारण है ? व इस मुकदमें में क्या कार्यवाही हो रही है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) श्री गोपाल दास के खाते पंजाब नेशनल बैंक एवं सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया में मिले हैं व सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया में लोकेर भी मिला है। रकम व जेवर वगैरा नहीं मिले। कुछ दवाइयां मिली थीं वे सील कर कब्जे पुलिस ली गईं थीं।

(३) जी हां।

(४) साबित नहीं होने से इस अभियोग में अन्तिम प्रतिवेदन अदम सबूत में दिया गया है, जो न्यायालय से दिनांक ३-१-६९ को स्वीकृत हो चुका है।

उम्मेद अस्पताल, जोधपुर

४६७. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जोधपुर नगर के उम्मेद अस्पताल में कितनी शय्या हैं ?

(२) क्या उम्मेद अस्पताल में छोटे व बड़े यानी सभी प्रकार के ऑपरेशन वर्तमान में किये जाते हैं ?

(३) क्या उम्मेद अस्पताल में निश्चेतक (प्रवीण) हैं ?

(४) क्या उम्मेद अस्पताल में आधुनिक Anaesthesia apparatus हैं ? अगर हां, तो Apparatus के नाम बतायें ?

(५) क्या यह सत्य है कि गत दो-तीन वर्षों में आधुनिक गैसेज जैसे Nitrous Oxide, Gyolopropane व Halothane Anaesthesia काम में नहीं लिये गये ? अगर लिये गये तो गत वर्ष में हर एक की कितनी मात्रा (quantity) व कितने Cylinders काम में आये ?

(६) क्या पेनलेस (सुविधापूर्ण ढंग) प्रसव हेतु आधुनिक प्रणाली के साधन उपलब्ध हैं ? अगर हां, तो उसकी क्या प्रणाली है ? अगर नहीं है तो आधुनिक व्यवस्था कब तक संभव होगी ?

उत्तर

(१) ३००।

(२) केवल स्त्री रोग एवं प्रसूती सम्बन्धी सभी प्रकार के छोटे व बड़े ऑपरेशन किये जाते हैं।

(३) नहीं।

(४) दो ऑयल एपेरेटस उपलब्ध हैं।

Page No 12

(चिकित्सा मंत्री)

(५) नाइट्रस ऑक्साइड गैस गत एक साल से काम में ली जा रही है।

(६) आधुनिक प्रणाली के साधन उपलब्ध नहीं हैं। प्रबन्ध किया जा रहा है। आशा है अगले वित्त साल में उपलब्ध कर लिये जायेंगे।

अकाल पीड़ित क्षेत्रों के पशुओं पर चराई-कर

४६८. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान के अकाल पीड़ित क्षेत्रों से कितने पशु प्रदेश से बाहर कहां कहां गये हैं? उनके लिये वहां क्या व्यवस्था की गई है?

(२) क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश सरकार गायों व बैलों को छोड़कर अन्य पशुओं पर चराई कर ले रही है? और इससे अकाल पीड़ित किसान बड़ी परेशानी में हैं? क्या उन्होंने राजस्थान सरकार की इसमें मदद मांगी है?

(३) राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है? क्या सहयोग देने का इरादा रखती है?

उत्तर

(१) राजस्थान के अभावग्रस्त क्षेत्रों से ३,५०,७०० पशुओं ने निष्क्रमण किया जिनमें से मध्य प्रदेश, पंजाब व अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों में २,४४,६०० मवेशी गये हैं। यह संख्या केवल गौवंश की है। अन्य पशुओं के विषय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(२) जी हां। मध्य प्रदेश सरकार ने गौवंश को छोड़कर अन्य पशुओं पर चराई कर लगाया है। पशुपालकों ने इस सबंध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया था।

(३) राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश से यह शुल्क माफ करने के लिए पत्र-व्यवहार जारी है।

सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म ग्राम नीमड़ी को ऋण

४७०. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम नीमड़ी, तहसील भैंसरोड़गढ़, जिला चित्तौडगढ़ में सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म के लिए ऋण दिया गया है? अगर हां, तो किस किस को, कब कब व कितना कितना?

(२) उपरोक्त ऋण कितनी कितनी भूमि के लिए दिया गया है? कृपया सूची में खेत के खसरा नंबर व रकबा बताने का कष्ट करें?

(२) क्या इस ऋण की सुरक्षा के लिए किसी प्रकार का रहन रखाया गया है? अगर हां, तो क्या?

उत्तर

(१) जी नहीं।

Page No 13

(कृषि मंत्री)

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नागौर जिले के अभावग्रस्त ग्राम

४७१. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं)

श्री रामसिंह कुडी (जायल) :

क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) नागौर जिले की किस किस तहसील में कितने कितने गांव अकालग्रस्त घोषित हैं एवं प्रत्येक तहसील में कितनी कितनी आबादी अकालग्रस्त गांवों एवं कस्बों में है ?

(२) नागौर जिले में इस वर्ष अकाल की घोषणा होने के बाद किस किस तहसील में कौन कौन से अकाल राहत कार्य चालू किये गये एव प्रत्येक कार्य पर ता. ३१-१-६९ तक कितना कितना रुपया व्यय हुआ है ?

(३) राजस्थान के दूसरे जिलों में कितनी कितनी आबादी अकालग्रस्त इलाकों में है ? जिलेवार आंकड़े बताते हुए बताइये कि ता. ३१-१-६९ तक इन जिलों में अकालग्रस्त कार्यों में कितना कितना रुपया किस किस जिले में व्यय हुआ है ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(२) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(३) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रख दी गई)

ग्राम खेतावास में भूमि का आवंटन

४७२. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) वर्तमान ग्राम पंचायत खेतावास ने जो पाली पंचायत समिति में है, अपने अवधिकाल में किन किन को कितनी कितनी भूमि किस किस साल एलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा आवंटन करवाई ? पूरी सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त सभी एलॉटमेन्ट नियमों के विरुद्ध हैं व जिन्हें भूमि दी गई है वे भूमिहीन नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवा कर उक्त एलॉटमेन्ट रद्द करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) वर्तमान ग्राम पंचायत, खेतावाल, पंचायत समिति पाली के अधीनस्थ आई हुई है । जिसका कार्यकाल सम्वत् २०२२ से आरम्भ हुआ है । इस पंचायत के अवधि काल में सम्वत् २०२२ से २०२४ तक जिन जिन व्यक्तियों को जितनी जितनी भूमि आवंटन कमेटी द्वारा इस पंचायत ने भूमि आवंटित करवाई है उसकी सूची

Page No 14

(राजस्व मंत्री)

सदन की मेज पर रख दी गई है। सम्वत् २०२५ में इस पंचायत क्षेत्र में कोई भूमि आवंटन नहीं हुआ।

(२) जो भूमि आवंटन इस क्षेत्र में मौजूदा पंचायत के कार्य काल में हुआ वह नियम विरुद्ध हुआ अथवा नहीं इस बाबत सम्पूर्ण जांच के लिए जिलाधीश को लिख दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

ग्राम नाश्रीदा में भूमि का अलाटमेन्ट

४७७. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि टोंक जिले की देवली तहसील के ग्राम नाश्रीदा में दिनांक १९-४-६८ को अलॉटमेन्ट कमेटी की मीटिंग हुई ? अगर हां, तो कौन-कौन सदस्य उपस्थित थे ?

(२) कितने फार्म पेश हुए और कितने आसामियों को भूमि कितने-कितने बीघा अलॉट की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि उसी ग्राम में दिनांक ३०-४-६८ को फिर दुबारा तहसीलदार व सरपंच द्वारा भूमि अलॉट की गई ? अगर हां, तो दुबारा क्यों की गई और किस आधार और इस दिन कितने आसामियों को कितने-कितने बीघा जमीन अलॉट की गई ?

(४) ऐसे कितने आसामी हैं जो भूमिहीन नहीं होते हुए भी उनको भूमि अलॉट की गई और क्यों और किस आधार पर ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) जी हां। तारीख १९-४-६८ को ग्राम नाश्रीदा में आवंटन समिति की बैठक की गई। उसमें श्री धर्मचन्द, प्रधान पंचायत समिति, श्री रतन लाल जोशी सरपंच ग्राम पंचायत नाश्रीदा, श्री जगन्नाथ सदस्य विधान सभा, सर्व श्री श्रीकृष्ण शर्मा तहसीलदार देवली ने भाग लिया। श्री मानवेन्द्र विकास अधिकारी पंचायत समिति देवली भी इसमें शरीक थे परन्तु वे बीच में ही उठ कर दौरे में चले गये।

(२) तारीख १९-४-६८ को १५४ प्रार्थना-पत्रों पर विचार हुआ परन्तु सदस्यों में मतभेद होने से आवंटन की कार्यवाही स्थगित की गई।

(३) जी हां। दिनांक ३०-४-६८ को समिति की दुबारा बैठक हुई। क्योंकि दिनांक १९-४-६८ को समिति के सदस्य आवंटन से सहमत नहीं हुये इसलिये यह बैठक दुबारा की गई इस दिन १९० व्यक्तियों को आवंटन हुआ। वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) भूमिहीन व्यक्तियों को ही आवंटन किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

पुलिस थाना मंडावा में दर्ज चोरी का मामला

४७८. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या दिनांक ९-६-६७ को रात्रि में श्री रामकुमार कौम ब्राह्मण निवासी महणसर पुलिस थाना मंडावा जिला झुंझुनु के यहां चोरी हो गई थी और उसकी रिपोर्ट भी थाने में करदी गई थी ? यदि हां, तो पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

(२) क्या यह सही है कि चोरी गये सामान का कुछ हिस्सा रास्ते में ही चोरों का पीछा करते हुए ही बरामद कर लिया गया था ? यदि हां, तो उस सामान का क्या हुआ ?

(३) क्या यह सही है कि जितना सामान रास्ते में बरामद हुआ था वह पुलिस चौकी बिसाऊ में संभला दिया गया था परन्तु पूरा सामान वहां पर मौजूद नहीं है ? पुलिस थाने में कितना सामान जमा है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या यह सही है कि श्री राम कुमार ने गृह मंत्री, डी. आई. जी. रेन्ज आदि को अनेक पत्र लिखे परन्तु फिर भी कोई बरामदगी नहीं हुई ? जिला सुपरिन्टेन्डेन्ट ने गृह मंत्री तथा डी. आई. जी. के पत्रों के क्या उत्तर भेजे ?

(५) क्या श्री रामकुमार ने इस चोरी की तफतीश किसी दूसरे अधिकारी से करवाने की राज्य सरकार से मांग की थी ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(६) क्या यह सही है कि इस चोरी की तफतीश के सिलसिले में श्री रामकुमार शर्मा के जीप गाड़ी आदि के किराये को मिलाकर करीब १५०० रुपये खर्च होगये ?

(७) पुलिस ने किन नियमों के अन्तर्गत श्री रामकुमार से जीप गाड़ी की व्यवस्था करने के लिये कहा तथा उसके पैसे खर्च करवाये ?

उत्तर

(१) जी हां। रिपोर्ट होने पर मुकदमा दर्ज कर तफतीश प्रारम्भ की गई।

(२) जी हां। वह सामान श्री राम कुमार को सिविल जज झुन्झुनू के आदेश से सुपुर्दगीनामे पर दिया गया है।

(३) घटना के तुरन्त बाद जितना सामान रास्ते में बरामद हुआ था, वह पुलिस चौकी बिसाऊ में जमा किया गया था। तत्पश्चात पूरा सामान दिनांक ११-६-६७ को थाना मंडावा के मालखाने में जमा किया गया था तथा न्यायालय के दिनांक १८-२-६९ के आदेश से उक्त सामान श्री रामकुमार को सुपुर्दगीनामे पर दिया गया। सूचि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) जी हां। प्राप्त प्रार्थना-पत्र सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस झुनझुनू को उचित कार्यवाही हेतु भेजे गये थे, किन्तु बावजूद प्रयास कोई माल बरामद नहीं हो सका, राज्य सरकार द्वारा जिला पुलिस से कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई थी अतः उत्तर प्राप्त होने का प्रश्न नहीं उठता।

(गृह मंत्री)

(५) जी हां। दरख्वास्त पर गृह मंत्रीजी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस झुनझुनू को संबंधित मामले को देखने व उपयुक्त कार्य-वाही करने के आदेश दिये थे। सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस झुनझुनू नें तफतीश एस. एच. ओ. से बदलकर सी. ओ. नवलगढ़ के सुपुर्द करदी गई।

(६) जी नहीं।

(७) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

पाली जिले की पंचायत समितियों के अध्यापकों के बकाया वेतन का भुगतान

४७९. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर): क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पाली जिले की कौन कौन सी पंचायत समितियों में कितने कितने अध्यापकों की कितने कितने महिनों की तनख्वाह, जनवरी ६९ तक का भुगतान नहीं किया गया है ?

(२) उपर्युक्त बकाया वेतन कुल कितने रुपयों का है और उसे चुकाने के संबंध में सरकार क्या विचार रखती है ? इस बकाया वेतन को कब तक चुका दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) सभी पंचायत समितियों में अध्यापकों को जनवरी, ६९ तक के वेतन का भुगतान कर दिया गया है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

सब-इन्सपेक्टर के पद पर नियुक्तियां

४८०. **श्री जयनारायण सानोदिया** (निवाई-सु.): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९६६-६७ व ६७-६८ में अनुसूचित जाति के कितने उम्मीदवारों ने सब-इन्सपेक्टर के लिये प्रार्थना-पत्र दिये और उनमें से कितनों को सब-इन्सपेक्टर बनाया गया ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) उक्त वर्षों में कुल कितने नये सब-इन्सपेक्टरों की नियुक्ति की गई और उनमें से कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) राज्य में कुल कितने थानेदार व सेकिन्ड थानेदार हैं ? उनमें कितने थानेदार व सेकिन्ड थानेदार अनुसूचित जाति के हैं ?

उत्तर

(१) कुल १९१ उम्मीदवारों ने प्रार्थना पत्र दिये उनमें से ९ उम्मीदवारों का चयन किया गया। इन उम्मीदवारों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) १४१ सब-इन्सपेक्टरों की नियुक्ति की गई। सिविल पुलिस में अनुसूचित जाति के ८ प्रतिशत व उप-अभियोजक पुलिस में ४ प्रतिशत लिये गये। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(३) पुलिस विभाग में सिविल पुलिस में १३०० उप-निरीक्षक पुलिस के पद स्वीकृत हैं। सेकिन्ड थानेदार भी उप-निरीक्षक

Page No 17

(गृह मंत्री)

ही होते हैं। इसके लिये उनके कोई अलग से पद स्वीकृत नहीं हैं। जिनमें १९ अनुसूचित जाति व १५ अनुसूचित जन जाति के थानेदार हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मेज नदी तीर ग्राम बड़ा खेड़ा

४८१. श्री केशरीसिंह हाडा (हिण्डौली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील पाटन जिला बूंदी में मेज नदी तीर ग्राम बड़ा खेड़ा में कुल कितने बीघा पड़ा करती है ?

(२) इस साल कितना बीघा पड़ी थी ?

(३) इस तीर पर खातेदार कौन कौन हैं और कुल कितना बीघा खातेदारों के खाते में है और बेशी तीर कितनी पड़ी ?

(४) क्या तहसीलदार पाटन ने बेशी तीर को भूमिहीनों को आवंटन की ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(५) क्या यह सत्य है कि जितनी तीर बढ़ती है उस पर खातेदार कब्जा कर लेता है और बेशी तीर पर अब तक कोई लगाना भी सरकार में अदा नहीं किया गया है ?

उत्तर

(१) तहसील केशोराय पाटन, जिला-बूंदी मेज नदी में तीर ग्राम बड़ा खेड़ा में कुल १६५ बीघा १२ विस्वा पड़ा करती है।

(२) इस साल १६५ बीघा १२ विस्वा में सारा पड़ा था।

(३) इस तौर पर रेकार्ड के आधार पर श्री पृथवी सिंह वल्द करण सिंह खातेदार है और कुल रकबा १६५ बीघा १२ विस्वा खातेदार के खाते में है और बेशी तीर नहीं पड़ी हैं।

(४) जी नहीं। क्योंकि सिवाय चक में ऐसी कोई तीर आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं थी।

(५) जी, नहीं। तीर कोई बेशी नहीं हुई है। इसलिए कब्जा करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है और न लगान अदा करने का सवाल ही पैदा होता हैं।

सहकारी समिति हेमड़ा के चुनाव

४८२. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरा पाटन) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सहकारी समिति हेमड़ा र. न. ३४५ पंचायत समिति पीड़ावा जिला झालावाड़ का चुनाव हो चुका है और क्या कार्यकारिणी का चुनाव ता० ५-८-६८ को हुआ था।

(२) क्या यह सही है कि अब तक पिछले पदाधिकारियों द्वारा चार्ज सहकारी समिति का नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या चार्ज न देने के कारण पिछले २ माह की शक्कर का कोटा लैप्स हो गया है ? समय पर किसानों को ऋण न मिलने से बड़ी परेशानी है और ६

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

पंचायतों को शक्कर न मिलने से बड़ी परेशानी रही ?

(४) क्या यह सही है कि सह. रजिस्ट्रार झालावाड़ को चार्ज न देने के बारे में ता० १७-८-६८ को लिखा गया था ? यदि हां, तो कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

(१) जी हां।

(२) समिति की बकाया रोशन एवं वर्ष १९६३-६४ के पूर्व के रेकार्ड का चार्ज भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा नही संभलाया गया है। उक्त रेकार्ड सुपुर्द कराने हेतु राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम, १९६५ की धारा ३७ के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।

(३) जी नही, हेमड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा ग्राम पंचायत हेमड़ा की शक्कर वितरण की जाती रही है, एवं उक्त पंचायत की शक्कर का कोटा लैप्स नहीं हुआ है, परन्तु धनाभाव के कारण अन्य पंचायतों की शक्कर का कोटा माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर, ६८ का लैप्स हुआ है किसानों को ऋण समिति पर बकाया ऋण अवधिपार होने से उपलब्ध नहीं हो सका है।

(४) जी हां, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, झालावाड़ ने प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम, ६५ की धारा ३७ के अन्तर्गत जिलाधीश एवं सब डिविजन मजिस्ट्रेट, झालावाड़ को समिति का चार्ज दिलाने को लिखा। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, झालावाड़ द्वारा दिनांक २६-२-६९ को सब इन्सपेक्टर पुलिस सुनेल को धारा ३७ के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए अधिकृत कर दिया है।

पंचायत समिति उनियारा को कृषि कार्य के लिए ऋण

४८३. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति उनियारा, जिला टोंक को १९६६-६७, १९६८-६९ में कृषि के लिये कोई ऋण नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो कितना ऋण दिया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या यह सही है कि इस ऋण का अधिकतर सही उपयोग नहीं किया गया है ? ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(३) क्या यह सही है कि ऐसे व्यक्तियों को दुबारा ऋण स्वीकृत किया गया है जिनमें पहले से ही वसूली होना संभव नहीं हुआ है ?

(४) जो ऋण दिया गया उसमें से कितना वसूल हो गया है और कितना बाकी है ?

उत्तर

(१) जी नहीं। सूची सदन की मेज पर रखी गयी है।

(पंचायत मंत्री)

(२) जी नहीं । केवल ७ काश्तकारों ने वास्तविक उपयोग नहीं किया जिनसे दण्डित ब्याज सहित ऋण वसूली की कार्यवाही की जा रही हैं ।

(३) ६ काश्तकारों को दुबारा ऋण दिया गया था जो पुरानी वसूली की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिया गया ।

(४) सूची में वसूली व बकाया राशि का उल्लेख किया गया है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

खादी बोर्ड और खादी की बिक्री

४८५. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या खादी तथा ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में खादी बोर्ड में कुल कितने कर्मचारी हैं ? खादी घर कितने हैं और कहां-कहां पर हैं ?

(२) क्या यह सही है कि खादी बोर्ड में बड़ा घोटाला है ? यदि हां, तो क्यों ? इस खादी बोर्ड पर सरकार कितना रुपया खर्च कर रही है ? इसमें सालाना घाटा कितना होता है ?

(३) क्या यह सही है कि आजकल खादीघरों में मील के बने हैण्डलूम के कपड़े भी बेचे जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि राजस्थान में खादी की बिक्री बिल्कुल मामूली है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर में कुल १५९ अधिकारी व कर्मचारी हैं । राजस्थान में प्रमाणित खादी भण्डारों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है जिसमें दो बोर्ड द्वारा संगति तथा २८७ सस्था समिति के द्वारा ।

(२) जी नहीं । राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के प्रशासनिक व्यय के लिये ७,०८,-०००) रु० स्वीकृत किया गया है । बोर्ड के प्रधान कार्यालय में हानि लाभ का प्रश्न नहीं है ।

(३) जी, नहीं ।

(४) जी नहीं, बिक्री के गत पांच वर्षों के अंक निम्न प्रकार हैं :—

सन्	बिक्री रुपयों में
१९६३-६४	९७,३४,२८९-००
१९६४-६५	८९,५२,१०६-००
१९६५-६६	९७,०१,६५०-००
१९६६-६७	९४,१०,०००-००
१९६७-६८	१,३०,८६,०००-००

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

सालपुरा-छीपाबड़ोद-अकलेरा सड़क पर डामर कार्य

४८६. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 20

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

क्या यह सही है कि छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में सालपुरा से छीपा बड़ोद होकर इकलेरा की ओर जाने वाली सड़क के मील नं० ६, ५, ४, की कुटाई वर्ष १९६७ में हुई थी ? अगर हां, तो सरकार सड़क के इस भाग पर डामर करवाने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो डामर कब तक हो जायेगी ?

उत्तर

सालपुरा से छीपा बड़ोद वाया अकलेरा के मील ४, ५ तथा ६ पर कोई कार्य नहीं हुआ है। कवाई से छबड़ा रोड के उक्त मीलों में कार्य किया गया है। डामर कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

मल्हारसिंह बाग से आय

४८७. **श्री लक्ष्मण तानोवाल** (डग-सु.) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिला कृषि विभाग के अन्तर्गत चलने वाला एक मल्हारसिंह का बाग है जिसकी आमदनी ६३-६४ में ५००६) थी ६४-६५ में ६१४०) रु. थी जो अब घट कर ६५-६६ में २०८८) व ६६-६७ में २७४६) रु. रह गई ? अगर हां, तो इसका कारण क्या रहा ?

(२) उक्त बाग में गत पांच वर्षों से सरकार का सालाना खर्च क्या रहा है तथा आय के क्या क्या साधन हैं ? किन किन चीजों से कितनी आय होती है व खर्च उक्त अवधि में किन मुद्दों पर प्रत्येक वर्ष किया गया ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त बाग में सब्जी भी बोई जाती रही है व इसके बीज का परचेज किया जाता रहा है ? सब्जी को बेचने से कितना लाभ हुआ व किसको बेची गई ?

(४) क्या यह सही है कि इस बाग में ५ बीघा में मैक्सिीकन गेहूं भी बोया गया था ? यदि हां, तो कितना गेहूं पैदा हुआ व इसके बोने से काटने तक खर्च तथा लाभ कितना हुआ ?

(५) क्या इस बाग में ऐसे पेड़ भी हैं जिनका ठेका दिया जाना चाहिये ? यदि हां, तो किस किस किस्म के कितने कितने व प्रति वर्ष कितनी रकम का ठेका दिया जाता रहा है ?

(६) क्या उप संचालक कृषि विभाग का एक आदेश उक्त बाग में एक असिस्टेन्ट को रखने का था तथा झालावाड़ में ८-१० असिस्टेन्ट होते हुए भी वहां पर श्री राम गोपाल कपास वाले को रखा गया था ? अगर हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां। वर्षा की कमी के कारण कुए में पानी कम रहा।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(३) केवल बीज पैदा करने के लिए सब्जी बोयी गयी थी जिसका बीज इकट्ठा किया गया है तथा उसे किसानों को बेचा जावेगा। थोड़े से रकबे की सब्जी का ठेका श्री हीरा झालावाड को ३६) में दिया गया था।

(कृषि मंत्री)

(४) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(५) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(६) जी नहीं ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

पंचायत समिति मनोहरथाना का पोल्ट्री फार्म

४८८. विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) मनोहरथाना पंचायत समिति में गत तीन वर्षों में कितने मुर्गे मुर्गी खरीदे गये थे ?

(२) उक्त पोल्ट्री फार्म पर कुल कितनी राशि व्यय हुई थी ?

(३) उक्त पोल्ट्री फार्म अभी चालू है अथवा बन्द हो गया ?

(४) उक्त कार्य में समिति को कितना लाभ हानि रहा ? आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(१) ३१२ मुर्गे मुर्गी खरीदे गये ।

(२) रु० ५६८७) ३८ पैसे व्यय हुए ।

(३) दिसम्बर ६७ से बन्द है ।

(४) रु० २४६८) ६८ पैसे की हानी हुई ।

कस्बा सवाई माधोपुर में दुर्घटनाएं

४८९. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सीमेन्ट फैक्ट्री सवाई माधोपुर में बजराखो की खान से पत्थर ट्रकों के द्वारा लाया जाता है ? यदि हां, तो कितने ट्रक प्रति दिन इस काम में लगे हुए हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इन ट्रकों का रूट कस्बे सवाई माधोपुर में होकर है ? यदि हां, तो फैक्ट्री और कस्बे के बीच में गये आठ महिनों में अब तक कितने एक्सीडेन्ट हो चुके हैं और उनमें मनुष्य अथवा पशु कितने हताहत हुए हैं ?

(३) क्या इन ट्रकों को तेज रफ्तार से चलाने के कारण एक्सीडेन्ट होने की शिकायत आम जनता को है ? यदि हां, तो ये दुर्घटनायें रोकने हेतु अब तक पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

(४) क्या बजराखो से सवाई माधोपुर इन्दरगढ़ रोड होकर पत्थर के ट्रकों का मार्ग तय किये जाने में कोई कठिनाई है ? यदि हां, तो क्या ? और नहीं, तो इन ट्रकों का रूट बजराखो से इन्दरगढ़ सवाई माधोपुर रोड क्यों नहीं तय किया जाता ?

उत्तर

(१) जी हां । २२ ट्रक प्रति दिन

(गृह मंत्री)

बजरा खो की खान से सीमेन्ट फैक्ट्री सवाई-माधोपुर में पत्थर लाने के लिये लगे हुए हैं जो प्रतिदिन २ या तीन चक्कर करते हैं।

(२) जी हां इन ट्रकों का रूट कस्बा सवाई माधोपुर में होकर है। गत आठ महिनों में कुल १० दुर्घटनायें हुई जिनमें एक आदमी व एक पशु मरा है व ७ आदमी घायल हुए हैं।

(३) जी हां। दुर्घटनाएं रोकने के लिए यातायात पुलिस के कर्मचारियों को विशेष हिदायत की गई और इसी समय में इन ट्रकों के खिलाफ ७८ चालान एम. वी. एक्ट में पेश किये गये।

(४) ट्रकों का रूट बजराखो से सवाई माधोपुर वाया इन्दरगढ़ रोड होकर तय करने के लिए जिलाधीश सवाई माधोपुर द्वारा विचार किया जारहा है।

नाथद्वारा मंदिर बोर्ड द्वारा दर्शनार्थियों से टैक्स की वसूली

४९०. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) नाथद्वारा मंदिर बोर्ड का गठन सर्व प्रथम जब किया गया, तब से लेकर आज तक इसको कितने रुपये का घाटा हुआ है ?

(२) क्या यह सही है कि इस घाटे की पूर्ति के लिये दर्शनार्थियों पर २) रु. प्रति व्यक्ति टैक्स लगाया गया ? यदि हां, तो इससे कितनी आमदनी होने का अनुमान लगाया गया था ?

(३) क्या राजस्थान में अन्य किसी मन्दिर में दर्शनार्थ आने वालों पर कहीं भी कोई टैक्स या टिकट लगा हुआ है ?

(४) क्या मन्दिर बोर्ड द्वारा इस संबंध में राज्य सरकार से स्वीकृति ली गई थी ?

उत्तर

(१) मंदिर मण्डल का गठन सर्व प्रथम सन् १९५९ में हुआ, अब तक मंदिर मण्डल को कुल ११,७२,३१९) रु. ३८ पैसे का घाटा रहा है।

(२) घाटे की पूर्ति की मंशा से दर्शनों पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया, न जन साधारण से ऐसा कोई टैक्स लिया जाता है। हां, उन वैष्णवों से जो न्यौछावर देकर दर्शनों की सुविधा चाहते है दो रुपये लेकर एक कक्ष की सुविधा टेम्पिल बोर्ड ने ४-१-६९ से चालू की है।

(३) जी नहीं।

(४) टेम्पिल बोर्ड एक स्वायत्त संस्था है जिसे नाथद्वारा मंदिर अधिनियम सन् १९५९ के अन्तर्गत व्यवस्था संबंधी निर्णय लेने का अधिकार है। किन्तु राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को यह सलाह दी गई है कि इस प्रकार की व्यवस्था ठीक नहीं है और राज्य सरकार इसे पसन्द नहीं करती।

रातादेवी के तालाब की पेटा काश्त भूमि

४९१. श्रीमती शिव कुमारी : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती शिव कुमारी)

(१) क्या यह सही है कि ग्राम बाडिया व गोवर्धनपुरा पंचायत लावासल तहसील झालरापाटन के कुछ काश्तकार पिछले कई सालों से साल दर साल राता देवी के तालाब पेटा में काश्त करते आते हैं और उन पर साल दर साल पेनल्टी व जुर्माने किये जा रहे हैं? यदि हां, तो कृपया पिछले तीन साल में काश्त करने वाले व्यक्तियों की मय जुर्माना सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि सरकार साल दर साल इस भूमि को नीलाम करती है और समय पर नीलाम नहीं करने के कारण सदैव से काश्त करते आये लोग उक्त भूमि पर काश्त कर लेते हैं और उन्हें ट्रेसपासर्स घोषित करके उन पर जुर्माने किये जाते हैं? कृपया पिछले तीन साल की नीलामी की तारीखें बताने का कष्ट करें।

(३) क्या सरकार गांव के ऐसे भूमिहीन काश्तकारों को जो इस क्षेत्र में कदीमी काश्त करते आये हैं उनकी काश्त के आधार पर खातेदारी हकूक देने को तैयार हैं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(१) हां यह सही है, कि ग्राम बाडिया गोर्धनपुरा में कुछ काश्तकार प्रति वर्ष राता देवी के तालाब पेटा में काश्त नाजायज करते आ रहे हैं और उन पर नियमानुसार राज० लै० र० एक्ट १९५६ की धारा ९१ के तहत तहसील पाटन द्वारा कार्यवाही की जाकर पेनल्टी (जुर्माना) जप्ती फसल कायम की जाती है। विगत तीन वर्षों में नाजायत काश्त करने वालों की सूची मय जुर्माना संलग्न है।

(२) सरकार द्वारा प्रति वर्ष इस भूमि को नीलाम नहीं किया जाता है बल्कि यह भूमि तालाब के पेटा भूमि काश्त नियम १९५९ के तहत नियमानुसार भूमिहीनों को अस्थाई तौर पर प्रतिवर्ष आवंटन की जाती है। आवंटन समय पर ही किया जाता है। जो व्यक्ति भूमिहीन की तारीफ में नहीं आते हैं उन्हें भूमि आवंटन नहीं की जाती है। उनके अतिक्रमण कर लेने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। तालाब की भूमि पानी से खाली होने पर ही एलाटमेन्ट किया जाता है। जैसा कि पेटा तालाब भूमि आवंटन नियम १९५९ धारा १ में उल्लेख है पिछले तीन सालों में दिनांक २४-११-६६, १५-११-६७ व १३-११-६८ को पेटा तालाब की भूमि का वास्ते काश्त एलॉटमेन्ट हुआ।

(३) नियमानुसार खातेदारी हकूक नहीं दिये जा सकते।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

स्थगित प्रश्न
(दि. ५-३-६९)

मंत्रियों व उपमंत्रियों के बंगलों की मरम्मत पर व्यय

१००. श्री श्रवण लाल (हिन्डोन-सु.): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री श्रवण लाल)

(१) क्या यह सच है कि मंत्री व उप-मंत्रियों के बंगलों की मरम्मत का प्रावधान है ?

(२) यदि हां, तो सन् १९५७ से १९६७ तक किस किस वर्ष में किस किस मंत्री व उप मंत्री के द्वारा खर्च कराया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) जी हां।

(२) मंत्रीयों व उप मंत्रीयों द्वारा कोई धनराशि खर्च नहीं कराई गई है। वर्ष ५६-५७ से ६६-६७ के खर्च की गई धन राशि के आंकड़े प्रस्तुत हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

स्थगित प्रश्न
(दि. ६-३-६९)

अलवर जिले की सड़कों की मरम्मत पर व्यय

११७. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अलवर जिले में सड़कों की मरम्मत व निर्माण हेतु कुल कितना रुपया गत दो वर्षों में व्यय किया गया ? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

अलवर जिले में वर्ष ६६-६७ तथा ६७ ६८ में १९,५१,९८३) रुपये मरम्मत पर खर्च हुआ है। सूची 'अ' प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

स्थगित प्रश्न
(दि. १५-३-६९)

स्थायी किये गये असिस्टेन्ट इन्जीनियर एवं एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर

१७५. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) वर्ष १९६२ से १९६८ की अवधि में सार्वजनिक निर्माण विभाग में कितने असिस्टेन्ट इंजीनियर व कितने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे हैं ? नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) उक्त अधिकारियों में से कितनों को स्थायी किया गया है और कितनों को नहीं और क्यों ? स्थायी किये गये अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) वर्ष १९६२ से १९६८ की अवधि में सार्वजनिक निर्माण विभाग में जो सहायक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता रहे हैं उनकी सूची 'अ' व 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जिन अधिकारियों को स्थायी किया गया है उनकी सूची 'स' सदन की

(मुख्यमंत्री)

मेज पर रख दी गई है। जिन अधिकारियों का स्थायीकरण नहीं हो रहा है, उसकी वजह डी० पी० सी० मिटिंग न होने की है। डी० पी० सी० की मीटिंग बुलाने के पहले कुछ प्रशासनिक मुद्दों पर निर्णय लेना बाकी है जो सरकार के विचाराधीन है। निर्णय होने पर आगे की कार्यवाही होना सम्भव होगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला जालौर में चोरियां, लूट, डकेतियां एवं कत्ल के मामले

३२६. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोरे) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) पिछले तीन सालों में जिला जालौर में कितनी चोरियां, लूट, डकेती एवं कत्ल के मामले पुलिस द्वारा दर्ज किये गये ? उनमें से कितनों में फाइनल रिपोर्ट दी गई एवं कितनों में पुलिस द्वारा अदालतों में चालान पेश किए गये ? फाइनल रिपोर्ट देने के क्या क्या कारण थे ?

(२) चालानसुदा मुकदमात में से कितने फैसले हुए एवं कितने अदालत में किस किस जगह पर जेर तजवीज हैं। फैसले हुए मुकदमात में से कितनों में क्या सजाए हुई एवं कितने मुकदमात में मुलजिमान बरी या रिहा किये गये ? बरी या रिहा होने के क्या कारण थे ?

(३) उपरोक्त मामलों में से कितनों में पुलिस द्वारा कितना माल बरामद किया गया कितने मामलों में माल बरामद नहीं हो सका एवं दूसरे क्या कारण थे ? अब तक कितने मामलों में माल बरामद होने की पुलिस को आशा है ?

(४) क्या यह सत्य है कि मुलजिमान की पैरोकारी के मुकाबले पुलिस की पैरोकारी शाखा अनुभवी न होने के कारण पुलिस के बहुत संगीन केसेज अदालतों में असफल होते हैं ? क्या यह भी सत्य है कि ऐसा होने से संगीन जुर्म भी ज्यादा बढ़ते है ? अगर हां, तो इस बारे में सरकार इस शाखा के सुधार के बारे में क्या विचार रखती हैं ? ऐसा सुधार कब तक कर दिया जावेगा ?

(५) क्या यह भी सत्य है कि वर्तमान समय में आपसी पार्टीबन्दी होने से संगीन जुर्मों में लोगों की झूंठे मुलजिमान रिपोर्टों में दर्ज करने की आदतें ज्यादा पड़ गई हैं ? क्या यह भी सत्य है कि इससे संगीन जुर्मों में मुलजिमान ज्यादा बरी होते हैं, और मुकदमे आगे जाकर अदालतों में ज्यादा असफल होते हैं ? अगर हां, तो इसको रोकने के लिए सरकार क्या सोच रही है ?

उत्तर

१. पिछले तीन सालों में मण्डल जालौर में हत्या, डकैती, लूट व चोरियों के अभियोग पंजिबद्ध हुये व उनमें कितनों का चालान हुआ व एफ. आर. दी है। समस्त सूचना सलग्न तालिका में दर्ज करदी गई है। अब किसी मुकदमें में माल मूलविभाग का पता नहीं चलता है या किसी मुकदमें में सबूत का अभाव होता है तो ऐसी परिस्थितियों में

(गृह मंत्री)

एफ. आर. अदम सबूत व अदम पता में दी जाती है या मुकदमा झूठा साबित होता है तो एफ. आर अदम में दी जाती है। जितने मुकदमों में एफ. आर. दी गई है मूल उनके यही मुख्य कारण हैं।

२. चालान सुदा मुकदमात में से जिन जिन में फैसले हो गये हैं एवं जो अभी तक न्यायालय में विचाराधीन हैं उनकी तालिका संलग्न है। जिन जिन में सजा हुई या बरी व रिहा हुये हैं वो भी तालिका में दर्ज किये गये हैं। बरी व रिहा होने के निम्न कारण हैं।

१. न्यायालयों में विचारधीन मुकदमात का काफी समय तक निपटारा न होने से गवाहान तंग हो जाते हैं जिससे वो होस्टाइल हो जाते हैं या मुलजिम व फरियादी राजीनामा कर लेते हैं जिसके फलस्वरूप मुलजिम बरी हो जाते हैं।

२. क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा गवाहान एवं मुलजिमों पर अनुचित दबाव डालते हैं।

३. जनता का सहयोग पूर्ण रूप से पुलिस को उपलब्ध न होने के कारण मुकदमा सच्चा होते हुये भी शहादत कम होने से मुलजिम रिहा हो जाता है। हालांकि पुलिस मुलजिम को दंडित करवाने हेतु काफी प्रयत्नशील रहती है।

३. जिन जिन अपराधों में जो माल बरामद हुआ हैं तालिका संलग्न है बावजूद कोशिश पुलिस के मुलज़मान का पता नहीं चलता या माल का सुराग नहीं लगता है तो बरामदगी नहीं हो सकती है। भविष्य में जितने मामलों में माल बरामदगी का आया है इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन पुलिस बरामदगी के लिये प्रयत्न शील रहती हैं।

४. जी नहीं। मण्डल जालौर में पैरोकारी शाखा में चार अधिकारी हैं जिनमें से तीन Law graduate हैं जिनका कार्य मण्डल के वकीलों के समकक्ष ही नहीं है बल्कि उनसे अच्छा है। अभियोजक उप निरीक्षक हालांकि Law graduate नहीं हैं किन्तु उनका इस कार्य का अनुभव संतोष जनक है। आइन्दा जो भी P.S.I. भर्ती किये जाते हैं वे Law graduate ही किये जाते हैं।

५. जी हां। यह सत्य है कि वर्तमान समय में आपसी पार्टीबाजी होने के कारण संगीन जुर्मों की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने की आदतें ज्यादा पड़ गई है किन्तु इस प्रकार की परिपाटी को रोकने के लिये धारा १८२/२११ ता. हि. के अन्तर्गत कार्यवाही अधिक तादाद में की गई है। फलस्वरूप कुछ सुधार दृष्टिगोचर हो रहा है। यह सत्य नहीं है कि गंभीर अभियोगों में मुलजिमान ज्यादा बरी हो रहे हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्कालय में रखी गई)

तहसील झाड़ोल के ग्राम कोलारी में बनवासियों द्वारा दुकानों की लूटपाट

३२७. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि दिनांक १४-९-६८ को ग्राम कोलारी, तहसील झाड़ोल में बनवासियों एवं दुकानदारों में झगड़ा हुआ व दुकानों की लूटपाट हुई ?

(२) इस झगड़े का कारण क्या था ?

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

(३) इस झगड़े में किन किन लोगों की दुकानों में कितना कितना नुकसान हुआ ?

(४) झगड़े के आरोप में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया व कितने मुकदमे बने ? उनका अब तक क्या हुआ ?

(५) जिन लोगों का इस लूटपाट से माली नुकसान हुआ उन्हें मुआवजा व ऋण आदि देने के संबंध में क्या योजना है ?

उत्तर

(१) जी हां। यह सत्य है कि दिनांक २४-९-६८ को ग्राम कोलारी तहसील झाड़ोल में दुकानों की लूटपाट हुई और आदिवासियों ने दुकानों एवं मकानों की लूटपाट की एवं नुकसान पंहुचाया परन्तु आदिवासियों एवं दुकानदारों में परस्पर झगड़ा नहीं हुआ।

(२) झगड़े का कारण आदिवासियों में व्याप्त यह अंधविश्वास था कि जावरिया कौम के महाजन जो ग्राम बिछीपाड़ा कोलारी आदि स्थानों पर रहते हैं व वस्तुओं के भाव बढ़ाने के गर्ज से जादू करके वर्षा बांध देते हैं जिससे वर्षा नहीं होती है।

(३) इस झगड़े में निम्नलिखित दुकानदारों को अनुमानतः उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि की हानि होना बताया गया है :—

(१) श्री दिनेशचन्द्र ७ या ८ हजार
(२) श्री फतेहलाल २ या ४ हजार
(३) श्री दयालाल ४ हजार
(४) श्री बरदीचन्द १ हजार
(५) श्री मगनलाल ५००) रु०
(६) श्री बिरदीचन्द २२०) रु०
(७) श्री गणेशलाल ५ हजार
(८) श्री दयालाल ५०)
(९) श्री रोशनलाल ५ हजार
(१०) श्री अम्बालाल २५) रु०
(११) श्री दीपचन्द ५०) रु०
(१२) श्री गणेशलाल १५) रु०
(१३) श्री सोहनलाल २ हजार
(१४) श्री नाथूलाल ५ हजार

(४) कोलारी में घटित घटना से सम्बन्धित एक अपराध संख्या १३।६८ धारा १४७, १४८, १४९, ३९५, ३०७, ४२७. ता० हि० के अन्तर्गत आरक्षी केन्द्र फलासियां में पंजिबद्ध हुआ जिसका अभी अनुसंधान हो रहा है एवं अब तक २३ अपराधी पकड़े जा चुके हैं तथा शेष २५ जो नामजद हैं। गिरफ्तार नहीं हो सके हैं।

(५) किसी व्यक्ति को मुआवजा या ऋण नहीं दिया गया है न ऐसी कोई योजना ही है।

जिला सवाई माधोपुर के अकाल सहायता सेन्टर को दी गई आर्थिक सहायता

३२८. श्री पृथ्वीराज (बामनवास) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) इस साल जिला सवाई माधोपुर

Page No 28

(श्री पृथ्वीराज)

के अकाल सहायता सेन्टर के लिए कितना रुपया मन्जूर हुआ है ?

(२) यह रुपया जिले की कौन कौन सी तहसील को दिया गया है और तहसील वाइज कितना कितना रुपया दिया गया है ?

(३) तहसीलों के कौन कौन से गांवों को रुपया किस किस काम के लिए दिया गया है ?

उत्तर

(१) इस साल जिला सवाई माधोपुर को सहायता कार्यों के लिये ३,५०,०००) रु. की स्वीकृति दी गई है ।

(२) यह रुपया सभी अभावग्रस्त तहसीलों के लिये आवश्यकतानुसार व्यय किये जाने को दिया गया है । जिसमें से तहसीलवार आवंटन फिलहाल इस प्रकार किया गया हैं :—

तहसील	आवंटन राशि
बामनवास	५,०००)
नादौती	२५,०००)
करोली	५,०००)
सपोटरा	२६,०००)

(३) स्वीकृत सहायता कार्यों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है । इनसे आस पास के लोगों को रोजगार मिलेगा ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

मोठ की निकासी

३२९. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गत एक-दो वर्ष में राज्य सरकार ने मोठ की निकासी के सम्बन्ध में किस किस तारीखों में आदेश जारी किये ? आदेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) राजस्थान में किस किस पार्टी ने कितने कितने बोरी के परमिट लेकर मोठ को राजस्थान से बाहर भेजा और उससे राज्य सरकार के खजाने में कितने रुपयों की आय हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(३) क्या सरकार ने मोठ को पशुओं का चारा की श्रेणी से निकाल कर दालों की श्रेणी में ले लिया है ? यदि हां, तो किस कारण से और पहले क्यों नहीं लिया ?

(४) क्या सरकार ने मोठ की निकासी खोलने पर प्रति क्विन्टल दस रुपया प्रशासनिक खर्चा जो लगाया था उसको बाद में हटा लिया था ? यदि हां, तो पहिले क्यों लगाया था और अब क्यों हटाया गया ?

उत्तर

(१) मोठ की निकासी के सम्बन्ध में दि० ७-१०-६७ को आदेश जारी किया गया था । आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(२) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(खाद्यमंत्री)

(३) मोठ को अब भी पशु चारे की श्रेणी में लिया हुआ है।

(४) मोठ की निकासी उस समय की स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक खर्चा १०) रु० प्रति क्विन्टल की दर पर बेची थी। दि० ३१-१०-६७ को राजस्थान केटल फोडर (टेल आफ स्टाक्स एण्ड प्रोहिबिशन आफ एक्सपोर्ट) ओर्डर १९६६ के समाप्त हो जाने के कारण मोठ की निकासी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

बीकानेर जिले के फेमिन कैम्पस्

३३०. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बीकानेर जिले में १ नवम्बर १९६८ से आज तक कुल कितने फेमिन कैम्प किस किस तारीख को कहां कहां खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि सरकार की मंजूरी देने के बावजूद भी फेमिन कैम्प समय पर स्टार्ट नहीं किये गये ? यदि हां, तो क्यों

(३) बीकानेर जिले में किन किन कैम्पों में कितने कितने मजदूर किस किस माह में काम पर लगते रहे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या यह सही है कि फेमिन कैम्पों पर लगने वाले मजदूरों की मजदूरी की दर बढ़ाने के बावजूद भी भुगतान नहीं किया गया है ? अगर हां, तो किन किन कैम्पों पर पूरा भुगतान किया गया है, व किन किन कैम्पों पर मजदूरों की मजदूरी का पूरा भुगतान नहीं किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(२) यह सही नहीं है कि सरकार द्वारा मंजूरी होने के बाद फेमिन कैम्प खोलने में विलम्ब इसमें किया गया। स्वीकृति के बाद कैम्प खोलने की व्यवस्था करने में जो समय लगता है उससे अधिक समय नहीं लिया गया।

(३) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(४) वह सही नहीं है कि फेमिन कैम्प पर लगने वाले श्रमिकों की मजदूरी की दर बढाने के बावजूद भी पूरा भुगतान नहीं किया गया श्रमिकों द्वारा किए गये कार्य को निर्धारित कार्य के अनुपात में कम करने पर उसी के हिसाब से मजदूरी दी गई।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

बनास नदी से फसलों को नुकसान

३३१. श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 30

(श्री जगन्नाथ)

(१) दिनांक ४-८-६८ व ५-८-६८ को तहसील देवली के कौन कौन से गांवों की फसलों को बनास नदी से नुकसान हुआ ?

(२) जिन काश्तकारों की फसलें नष्ट हुईं उनको सरकार द्वारा क्या क्या रियायतें दी गयी हैं ?

उत्तर

(१) दिनांक ४-८-६८ व ५-८-६८ को तहसील देवली के ग्राम बनथली, सतवाड़ा, सरोली, जलसेना, सनाली, बिसलपुर, सांडला, बोपेड़ा के कुल ५४५ एकड़ क्षेत्र में नुकसान हुआ ।

(२) किसी कृषक को कोई रियायत नहीं दी गई, क्योंकि बाद में पानी का बहाव कम होने पर पानी निकल गया और नुकसान का असर नहीं रहा तथा इस रकबे में फसल पैदा हुई ।

पचायत समितियों की जीप गाड़ियां

३३२. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान राज्य में कुल कितनी पचायत समितियां हैं ?

(२) क्या सभी पंचायत समितियों में जीप गाड़ियां हैं ?

(३) यदि हां, तो उन सब जीपों पर सरकार को कितने रुपये खर्च करने पड़े ?

(४) वर्ष भर में सब, जीपों के लिए ड्राइवर, पेट्रोल, टूट-फूट आदि कुल खर्च कितना होता है ? हर पंचायत समिति के अलग अलग खर्च की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

(१) २३२

(२) जी हां ।

(३) जीपों की कीमत रु. ६६,४०,०००

(४) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

पंचायत समिति छीपाबड़ौद द्वारा लगाया गया शिक्षा कर

३३३. श्री प्रेमसिह सिंघवी (छबड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि छीपाबड़ौद पंचायत समिति ने इस क्षेत्र में शिक्षा कर लगा रखा है ? अगर हां, तो इस कर से पंचायत समिति को कितनी आमदनी है ?

(२) पंचायत समिति उक्त कर का किन किन कामों में उपयोग कर सकती है ?

(३) अब तक कितना कर प्रति वर्ष वसूल हुआ है और उसका किस किस प्रकार उपयोग किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(पंचायत मंत्री)

उत्तर

(१) जी हां । जनवरी ६९ तक ३१६७५) रुपये की आय हुई ।

(२) कर की आय का उपयोग स्कूल भवन निर्माण, स्कूलों में शिक्षा सम्बन्धी अन्य व्यय, छात्रों के अध्ययन भ्रमण, छात्रों की क्रीड़ा प्रतियोगिता आदि शिक्षा प्रसार कार्यों पर व्यय कर सकती है ।

(३) शिक्षा कर की आय और व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखा गया है ।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

बकरियों की नस्ल सुधारने हेतु बीजू बकरों की खरीद

३३४. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि छीपा बड़ौद, जिला कोटा की पंचायत ने बकरियों की नस्ल सुधारने के लिए कुछ समय पहले बीजू बकरे खरीद किये थे ? अगर हां, तो इन बकरों की खरीद किसने की थी, और कितने बकरे कितनी कीमत में खरीद किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या यह सही है कि यह सब बकरे नाकारा साबित हुए ? अगर हां, तो इस तरह जनता के धन का दुरुपयोग करने का उत्तरदायित्व किस पर है ?

उत्तर

(१) विवरण सदन की मेज पर रखा गया है ।

(२) जी नहीं ।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

मोकाला की ढाणी का सार्वजनिक कुआ

३३५. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : क्या पचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि मोकाला सरपंच श्री जसाराम ने मोकाला की ढाणी से सार्वजनिक कुए के निर्माण के लिए पंचायत समिति, मेड़ता से लगभग २ साल पूर्व रकम उठाई थी ? यदि हां, तो रकम कितनी थी ?

(२) क्या यह सही है कि सरपंच ने उस रकम का उपयोग निजी कार्य के लिए किया है और कुए पर नहीं लगाया है ?

(३) क्या यह सही है कि ढाणी में कुआ वहां के रहने वालों ने सरपंच के आश्वासन से खोद दिया है परन्तु उन्हें एक पैसा भी मजदूरी का नहीं चुकाया गया ?

(४) क्या यह सही है कि खुदे हुए कुए को बन्धवाना जरूरी है, वर्ना उसके वापिस ढह जाने का डर है, एवं पशुओं व आदमियों के गिर जाने का डर है ?

उत्तर

(१) जी हां । २०००) रु०

(पंचायत मंत्री)

(२) सरपंच ने १,६८१ रु० ७० पै० का हिसाब पेश किया है किन्तु ओवरसियर ने धनराशि के उपयोग में नहीं लेने की रिपोर्ट की है।

(३) कुआ ४० हाथ खोदा जाना पाया जाता है। सरपंच द्वारा दिए गये हिसाब में मजदूरी देने का कोई उल्लेख नहीं है।

(४) कुआ नहीं बनाने पर ढह जाने का डर है। पशु एवं आदमियों के गिर जाने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता।

पंचायत समिति आहोर द्वारा दिया गया ऋण एवं उसकी वसूली

३३६. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) ग्राम भैंसवाड़ा व चान्द्राई पंचायत समिति आहोर, जिला जालौर में किन-किन व्यक्तियों में पंचायत समिति का ऋण कब-कब से बकाया है ? सूची मय ब्याज के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उपरोक्त ऋण लेने वालों की जमानतें किन-किन व्यक्तियों ने किस-किस की ओर से किस-किस ऋण में दी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) उपरोक्त वसूली के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा इतने लम्बे समय तक वसूली न होने का क्या कारण हैं ?

(स्थगित किया गया)

पाटौदी ग्राम पंचायत का पुनर्गठन

३३७. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पाटौदी ग्राम पंचायत की जन संख्या और क्षेत्रफल क्या है ? क्या इस ग्राम पंचायत का सुविधाजनक पुनर्गठन आगामी पंचायत चुनाव से पहले करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

१६६१ की जन संख्या ७,८३३ है तथा क्षेत्रफल ६०,१४० एकड़ है। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

बालिया नमक उत्पादक सहकारी समिति लि. की ऑडिट रिपोर्टस्

३३८. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) नागौर जिले की डीडवाना तहसील की बालिया नमक उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड के उप-नियमों के अनुसार सदस्य की योग्यताएं क्या-क्या होती हैं ? उप-नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या बालिया नमक उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड का आज तक कोई ऑडिट हुआ है ? यदि हां, तो आडिट रिपोर्टों की नकलें सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) नागौर जिले की डीडवाना तहसील की मारवाड़ बालिया नमक उत्पादक

(सहकारिता मंत्री)

सहकारी समिति लि०, के उप-नियमों के अनुसार सदस्यों की योग्यतायें निम्न प्रकार हैं :—

"प्रत्येक व्यक्ति जिसका चाल-चलन अच्छा हो, आयु १८ साल से अधिक हो, स्वस्थचित का हो, उक्त कच्चे माल से वस्तुयें बनाता हो या तत्संबंधी कार्य करता हो। और समिति के कार्य क्षेत्र में रहता हो"।

समिति का सदस्य बना सकता है

(उप-नियमों की प्रति परिशिष्ठ "क" पर संलग्न है)।

(२) इस समिति का ऑडिट वर्ष ६७-६८ तक का हो चुका है (३० जून, ६८ तक) ऑडिट रिपोर्टस् की प्रतियां परिशिष्ठ "ख" संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

केशवरायपाटन की शुगर मिल्स में की गई नियुक्तियां

३३९. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला बून्दी की तहसील केशवरायपाटन में शुगर मिल का कार्य कब से चालू है और उसमें कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं ?

(२) इस शुगर मिल में जो भी नियुक्तियां की गई हैं उनमें तहसील पाटन व बून्दी जिले के नागरिकों को प्राथमिकता दी गई है या नहीं ?

(३) अब तक किन-किन अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्तियां किन-किन पदों पर की गईं और वे कहां-कहां के निवासी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) जिन-जिन अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई हैं उनमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के कितने हैं ? जो अधिकारी प्रथम व द्वितीय श्रेणी में आते हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) श्री केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स का निर्माण कार्य मार्च, १९६८ से प्रारम्भ हुआ और निर्माण कार्य में ३०० मजदूर कार्य कर रहे हैं।

(२) जी हां।

(३) अब तक जिन जिन अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्तियां जिन जिन पदों पर की गई है व यह जहां जहां के निवासी हैं, उसकी सूची परिशिष्ठ "क" संलग्न है।

(४) कर्मचारियों में से तीन कर्मचारी अनुसूचित व अनुसूचित जन-जाति के हैं। जो अधिकारी प्रथम व द्वितीय श्रेणी में आते हैं, उनकी सूची परिशिष्ठ "ख" संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

बांसी सहकारी समिति, जिला बून्दी के कागजात

३४०. **श्री केशरीसिंह हाडा** (हिन्डोली): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जिला बूंदी की बांसी सहकारी समिति रजिस्ट्रेशन नं० (११८/जी) के कागजात करीब दो साल पहले श्री मदन लाल इन्सपेक्टर द्वारा लाये गये थे ? यदि हां, तो क्या वे कागजात बांसी सहकारी समिति को लौटा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(२) अब तक ए. आर, बूंदी ने इस इन्सपेक्टर के खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की ?

(३) क्या सरकार को विदित है कि बांसी की समिति के कागजात इन्सपेक्टर द्वारा रखने से समिति को काफी नुकसान व असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ?

उत्तर

(१) जिला बून्दी में बांसी सहकारी समिति रजिस्ट्रेशन नं० ११८/जी पर कोई रजिस्टर्ड नहीं है ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बाड़मेर जिले की चर्म उद्योग सहकारी समितियां

३४१. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बाड़मेर जिले में चर्म उद्योग सहकारी समितियां कितनी हैं और किन किन को कब कब लोन मिला और कितना कितना ?

(२) उनमें से कितनी चर्म उद्योग सहकारी समितियों को खादी बोर्ड द्वारा अनुदान दिया गया है और कितना कितना ?

(३) बाड़मेर जिले में कितनी चर्म उद्योग सहकारी समितियां सफल रहीं और कितनी असफल ?

(४) उन चर्म उद्योग सहकारी समितियों के असफल होने के क्या कारण थे ?

उत्तर

(१) बाड़मेर जिले में चर्म उत्पादक सहकारी समितियों की संख्या ३१ है । जिन समितियों को ऋण मिला है उसका विवरण सूची (परिशिष्ठ "क") सलग्न है ।

(२) बाड़मेर जिले की १५ चर्म उत्पादक सहकारी समितियों को खादी बोर्ड से जो अनुदान मिला था, के बारे में सूचना (परिशिष्ठ "ख") संलग्न है ।

(३) बाड़मेर जिले में ५ चर्म उत्पादक सहकारी समितियां सफल रहीं और २५ असफल रहीं एवं एक समिति नई है ।

(४) चर्म उत्पादक सहकारी समितियों के असफल होने का कारण सदस्यों व प्रबन्धकों में शिक्षा का अभाव, सदस्यों का समिति के कार्य में रुचि न लेना आदि आदि हैं ।

(कृपया परिशिष्ठ ८ देखिये)

Page No 35

बन्द भांकेड़ा की लीज पर दी गई कृषि योग्य भूमि

३४२. **श्री गंगासहाय कोली** (कठूमर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बन्द भांकेड़ा की कृषि योग्य भूमि ३० साल के लिये लीज पर अलवर के श्री मदनमोहन बटवाड़ा को दी गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि ३० साल के लीज की अवधि समाप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो कब ?

(३) सरकार ने इस भूमि की अवधि समाप्त होने पर भी उक्त व्यक्ति से वापिस अभी तक क्यों नहीं ली ?

उत्तर

(१) बन्द भांकेड़ा की भूमि कृषि योग्य नहीं थी और यह ३३ वर्ष के लिये अलवर के श्री मदनमोहन बटवाड़ा को लीज पर सन् १९४१ में दी गई थी ।

(२) जी नहीं । लीज की अवधि सन् १९७४ में समाप्त होगी ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कृषि उपज मंडी समितियों के नामजद प्रतिनिधि

३४३. **श्री पृथ्वीसिंह चौहान** (बाली) : क्या कृषि मत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कृषि उप-मंडी समितियों में सरकार की ओर से कितने प्रतिनिधि नामजद किये जाते हैं ?

(२) नामजद करने का क्या आधार है और नामजदगी किस की सिफारिश पर की जाती है ? उसके लिये क्या योग्यता निर्धारित की हुई है ?

उत्तर

(१) राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम १९६१ की धारा ७(१)(५) के प्रावधानुसार यदि स्थानीय सत्ताओं (लोकल बोडीज) के प्रतिनिधि दो होते हैं तो सरकार दो व्यक्तियों को नामजद करती है और यदि स्थानीय सत्ताओं के प्रतिनिधि ३ होते हैं तो सरकारी प्रतिनिधि एक होता है ।

(२) नामजदगी साधारणतया राजकीय कर्मचारी की की जाती है । और जिलाधीश की सिफारिश पर राज्य आज्ञा क्रमांक एफ १० (११२) कृषि-५/६८ दिनांक २-१-६९ के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा ७(१)(५) के अन्तर्गत नामजदगी की कार्यवाही की जाती है ।

ब्लड़ बैंक

३४४. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में किन किन अस्पतालों में ब्लड़ बैंक हैं और इन अस्पतालों में गत दो वर्षों में कितने कितने ब्लड बैंक ट्रान्सफ्युशन्स दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) इनमें कितने सुचारु रूप से चलते हैं ?

(३) जो सुचारु रूप से नहीं चलते उनके क्या कारण हैं ?

(श्री ओमदत्त भाटी)

(४) क्या एमरजेन्सी में प्रत्येक ग्रुप के चार पांच ब्लड़ यूनिट्स उपलब्ध हो सकते हैं ?

(५) पेड डोनर्स को एक यूनिट की कितनी रकम देते हैं और किस साल से ?

(६) क्या समय के अनुसार इसमें वृद्धि करने का विचार है ?

(७) क्या यह सत्य है कि जोधपुर महात्मा गांधी अस्पताल में ब्लड़ बैंक एक नाम मात्र का बैंक है ? इस बैंक में कितना स्टाफ है और सवाई मानसिंह अस्पताल में कितना है ?

(८) इन ब्लड़ बैंकों को सुचारु रूप से चलाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ? क्या यह सही है कि केन्द्रीय हैल्थ कौंसिल ब्लड बैंक के विकास हेतु अस्सी हजार रुपया देती है ? क्या राज्य सरकार ने इसका लाभ उठाया है ?

उत्तर

(१) सूची संलग्न है।

(२) सब जगह ब्लड बैंक का कार्य सन्तोषजनक रूप से चल रहा है।

(३) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(४) जहां तक हो सकता है ऐसी सुविधा उपलब्ध की जाती है। लेकिन डोनर्स की कमी के कारण हमेशा नहीं हो पाती है।

(५) सन् १९६८ से २५) रुपये प्रति यूनिट पर डोनर्स को भुगतान करना निर्धारित किया गया है।

(६) फिलहाल ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(७) जी हां। सूची संलग्न है।

(८) स्टाफ एवं उपकरणों की कमी को योजना मद में सम्भवतः अधिकाधिक प्रावधान कर दूर करने का प्रयत्न जारी है। जी हां, कौन्सिल की सिफ़ारिश पर राज्य सरकार ने रु० ८०,०००) का प्रावधान सन् ६८-६९ में किया है, जिसका ५०% केन्द्र से अनुदान रूप में प्राप्त होगा। इसका उपयोग जोधपुर एवं अजमेर अस्पतालों में किया जायेगा।

(कृपया परिशिष्ट ९ देखिये)

बून्दी रोड स्टेशन से लाखेरी सड़क के निर्माण कार्य का ठेका

३४५. श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बूंदी रोड स्टेशन से लाखेरी जाने वाली सड़क का कार्य कब शुरू किया गया था और इसका ठेका किस किस को किस किस कार्य का और कितने में दिया गया था ? जमानत की रकम क्या जमा कराई गई थी ?

(२) क्या ठेका सीलबन्द टेन्डरों द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो सब से कम टेन्डर किसका था ? कार्य पूरा करने की अवधि क्या थी ? क्या कार्य अवधि के अन्दर पूरा कर दिया गया था ?

(३) ठेका अब तक किस किस कार्य का दिया गया था और कब कब किसको

(श्री केसरीसिंह हाडा)

और कितनी रकम का दिया गया था ? जमानत की रकम क्या जमा कराई गई थी ?

(४) अब तक इस कार्य पर कितनी रकम लग चुकी है और यह किस किस कार्य के लिये लगाई गई थी ?

(५) अब तक बोल्डर व मिट्टी का काम कितना किया गया तथा कार्य कहां से शुरू किया गया ? क्या यह सत्य है कि बीच में सड़क को कच्चा छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(६) गत १९६७-६८ और १९६८-६९ में इस सड़क का ठेका किस कार्य का किस को और कितने में दिया गया और कार्य शुरू व समाप्ति की अवधि क्या थी ?

(७) कार्य क्या अवधि में समाप्त हो गया था अथवा नहीं ?

उत्तर

(१) सूची (अ) प्रस्तुत है।

(२) जी हां। ठेकेदारों की नामावली व अवधि ठेका का ब्यौरा सूची (अ) में अंकित करदी गई है।

(३) ठेका जिन मीलों का दिया गया है उसका ब्यौरा सूची (अ) में प्रस्तुत है।

(४) ३,३७,५२७) रु० व्यय हुआ है।

(५) यह कार्य बूंदी रोड स्टेशन से आरंभ हुआ है। ४ हील मैटल्ड रोड़ बन चुकी है। आधा मील का कार्य चल रहा है। जी हां फिलहाल अर्थाभाव के कारण।

(६) वर्ष ६८-६९ में मील २५/४ से २८ का ठेका ५८९९३) रु० का श्री मदन मोहन गोयल ठेकेदार को दिया था। कार्य अवधि १०-६-६८ से ९-१०-६८ थी।

(७) कार्य चल रहा है।

(कृपया परिशिष्ट १० देखिये)

रेल्वे स्टेशन गोगामेड़ी से मेला गोगामेड़ी तक को सड़क पर निर्माण कार्य पर हुआ व्यय

३४६. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील नोहर में रेल्वे स्टेशन गोगामेड़ी से मेला गोगामेड़ी तक सड़क निर्माण पर कुल कितने रुपये खर्च होंगे ?

(२) क्या यह सही है कि सड़क निर्माण कार्य स्वय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है ?

(३) क्या यह सही है कि सड़क पर लगने वाली ईटें कस्बा मादरा से मंगाई गई हैं? यदि हां, तो किस रेट पर कितनी ईटें ?

(४) सड़क कितनी फर्लाङ्ग है और इस पर अर्थ वर्क कितने रुपयों का हुआ व अन्य सामान कितना खर्च होगा ?

(५) क्या यह सही है कि सड़क पर ईंटें नं. ३ लगाई गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) ४१,०००) रु० व्यय करने का अनुमान है।

(२) जी हां।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(३) जी हां। १००) रु० प्रति हजार के हिसाब से ३,०१,०२५ लाख इंटें खरीदी गई हैं।

(४) सड़क ७ फर्लाङ्ग ३५० फीट लम्बी है। अर्थ वर्क ६,३४६) रु० का किया गया है व ईंटें २९,४९९) रु० की खरीद की गई है। सोलींग लगाई पर १,२५१) रु० व्यय हुआ है।

(५) जी नहीं।

तख्तगढ़–चान्द्राई सड़क

३४७. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तख्तगढ़ से चान्द्राई जिला जालौर में जो सड़क बनी हुई थी उसे पक्की न बनवाकर दूसरी सड़क नहर के किनारे जो किसी दूसरे गांव से होकर नहीं जाती है नई सड़क बनाई गई है ? यदि हां, तो कब उस पर कितने रुपये खर्च हुये और पहिले वाली सड़क कब बनाई गई थी और उस पर कितने रुपये खर्च हुये थे ? पहिले वाली और अब नई बनाई गई सड़कों पर अब बीच में कौन कौन से गांव आते हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि संबंधित उप मंत्री महोदय का खुद का फार्म होने के कारण यह सड़क बनाई गई है ?

(३) उपरोक्त दोनों सड़कों की योजनाएं कब किसके द्वारा बनाई गई थीं ?

(४) इस सबंध में राज्य सरकार को कोई शिकायतें किसी की ओर से प्राप्त हुई हो तो, क्या क्या और उन पर क्या क्या कार्यवाही की गई ?

(५) इस सड़क के संबंध में पी. डब्लयू. डी. के इन्जिनियरों ने क्या रिपोर्ट दी थी ?

उत्तर

(१) नवीन सड़क निर्माण नहीं कराया गया है प्रश्न नहीं उठता। तख्तगढ़ से चान्द्राई रोड पुरानी है निर्माण वर्ष व सड़क की लागत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(२) सार्वजनिक हित में सड़क मरम्मत कराई गई है।

(३) केवल तख्तगढ़ से चान्द्राई रोड की मरम्मत कराई गई है अन्य योजना का प्रश्न नहीं उठता।

(४) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(५) वर्षा में टूटी रोड के मरम्मत हेतु धनराशि की रिपोर्ट की थी जिसकी स्वीकृति दी गई है।

बाड़मेर जिले में कुदरतन आग लगने के कारण दी गई आर्थिक सहायता

३४८. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बाड़मेर जिले में पिछले पांच सालों में कुदरतन आग लगने के कारण किन किन लोगों ने सहायता लेने बाबत कब कब दरख्वास्तें राज्य के अधिकारियों को प्रस्तुत कीं ? उनकी सूची मय पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No 39

(वृद्धिचन्द जैन)

(२) उक्त प्रभावित व्यक्तियों ने क्या क्या नुकसान के बारे में क्लेम किया और राज्य अधिकारियों ने क्या नुकसान आंका एव उन्हें कब क्या सहायता मिली ? प्रत्येक विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सत्य है कि ऐसे नुकसान से प्रभावित लोगों को समय पर पर्याप्त सहायता देने के लिये सरकार द्वारा उपयुक्त धनराशि जिलों में नहीं रखी जाती है ? अगर हां, तो अब सरकार इस बारे में क्या निर्णय ले रही है ?

(स्थगित हुआ)

तहसील जैतारण की भूमि की किस्म बदलने के कागजात

३४९. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सरहद रास तहसील जैतारण जिला पाली के खसरा नं. १०८१ रकबा १२२ बीघा ३ बिस्वा भूमि की किस्म बदलने के कागजात दिनांक २२-११-६७ को तहसील जैतारण द्वारा उप-खण्ड अधिकारी जैतारण को प्रेषित किये गये थे ?

(२) क्या यह सही है कि यह कागजात गायब हो गये और उनका आज तक कोई पता नहीं लग पाया है ?

(३) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई और उनका क्या नतीजा रहा ?

उत्तर

(१) मामला विवादास्पद पाया गया है। जांच की जा रही है।

(२) यह सत्य है कि कागजात उप-जिलाधीश कार्यालय में पहुंचना नहीं पाया जाता है।

(३) जांच के फलस्वरूप दोषी व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अजमेर जिले में राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा ९१ के तहत विचाराधीन मामले

३५०. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला अजमेर में कितने मामले राजस्थान रेवेन्यू एक्ट की धारा ९१ के तहत अभी पेन्डिग हैं।

(२) कितने केस अब तक फैसल हो चुके हैं ? और इनमें से कितनों को खातेदारी दी गई व कितनों को बेदखल किया गया ?

(३) कितनी रकम फैसल शुदा मुकदमों की हुई उसमें से कितनी रकम की जमा क़ायमी करादी गई व कितनी मौके पर वसूल की गई ?

(४) जमा कायमी के लिये क्या नियम अपनाये जा रहे हैं ?

(५) क्या यह सच है कि कई अतिक्रमणियों को हक खातेदारी होते हुए भी बेदखल किया जा रहा है ?

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

(१) सूची संलग्न है।

(२) सूची संलग्न है।

(३) सूची संलग्न है।

(४) फैसला शुदा मुकदमों के आदेशों की प्रतियें हल्का पटवारी एव तहसील राजस्व लेखाकार को भेजदी जाती है। उसमें जमा कायमी की जाकर वसूली की कार्यवाही की जाती है।

(५) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ११ देखिये)

गंगानगर जिले की गैर-मुमकिन तथा मुमकिन भूमि

३५१. हंसराज आर्य (मादरा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गंगानगर जिले के गांव या चक कुल मिलाकर कितना रकबा है ?

(२) तहसील वाइज बतलाया जावे कि किस तहसील का कुल कितना एकड़ रकबा है उसमें से गैर-मुमकिन कितनी है और मुमकिन कितनी ?

(३) सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(१) गंगानगर जिले में कुल चक व ग्राम ३,७०२ है जिनका रकबा ५०,९९,६६३ एकड़ है।

(२) सूची संलग्न है।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १२ देखिये)

भाखरा क्षेत्र की बची हुई भूमि का भूमि हीनों को अलाटमेन्ट

३५२. हंसराज आर्य (मादरा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गंगानगर जिले में भाखरा क्षेत्र में कितने ऐसे भूमिहीन किसान हैं जो राज्य सरकार द्वारा भूमिहीन प्रमाणित हैं और उन्हें आज तक भूमि अलाट नहीं की गई है ?

(२) क्या भविष्य में इनको भाखरा क्षेत्र की बची हुई भूमि अलाट की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) गंगानगर जिला के भाखरा क्षेत्र में १,७१८ भूमिहीन काश्तकारों के प्रार्थना पत्र सन् १९६४ में भाखरा क्षेत्र में भूमि आवंटन बन्द होने के बाद घोषित किये जाकर उनके प्रार्थना पत्र राजस्थान कैनाल क्षेत्र में भूमि आवंटन होने के लिये स्थानान्तरित किये गये थे उनमें १,१७९ को भूमि आवंटन की जा चुकी हैं। शेष लोगों की पत्रावलियां दाखिल दफ्तर की गई क्योंकि उन्हें बार २ सूचित करने पर भी उन्होंनें आवंटन प्राप्त नहीं किया।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

तहसील पाली मे भूमि का आवंटन

३५३. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) सन् १९६२ से आज तक पाली तहसील के ग्राम पचायत क्षेत्र डिरी, पंचायत समिति रोहट में किन किन को कितनी कितनी भूमि किस किस खसरा नं. में कब कब आवंटन की गई ? पूरी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या ये सारे एलाटमेन्ट भूतपर्व तहसीलदार ने कानून के खिलाफ किये ? अगर हां, तो क्या सरकार उनको रद्द करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) सालवार सूची संलग्न है।

(२) यह भूमि आवंटन भूतपूर्व तहसील दार पाली द्वारा किये गये हैं। यदि भूमि आवंटन नियम विरूद्ध पाये गये तो उन्हें निमानुसार रद्द करने की कार्यवाही की जायगी। जो भी ऐसे मामले नोटिस में आये हैं वे बाद जांच रद्द किये गये है। जांच जारी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)।

पंचायत समिति रोहट में भूमि का आवंटन

३५४. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् १९६२ से आज तक पाली तहसील के ग्राम पंचायत क्षेत्र वायद, पंचायत समिति रोहट में किन किन को कितनी भूमि किस किस खसरा नम्बर में कब कब आवंटन की ? उसकी पूरी सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या ये सारे एलॉटमेन्ट भूतपूर्व तहसीलदार ने कानून के खिलाफ किये हैं ? अगर हां, तो क्या सरकार उनको रद्द करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) सन् १९६२ से आज तक पाली तहसील के ग्राम पंचायत क्षेत्र वायद पंचायत समिति रोहट में जिन जिन व्यक्तियों को जितनी जितनी जिस जिस खसरा नम्बर में भूमि आवंटित की उसकी सालवार सूची संलग्न प्रेषित है।

(२) ये आवंटन भूतपूर्व तहसीलदार पाली द्वारा किये गये हैं जहां कानून के खिलाफ भूमि आवंटन का प्रश्न है उसकी जांच करने के पश्चात् ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आवंटन रद्द करने का इस Stage पर प्रश्न पैदा नहीं होता। जो भी ऐसे Cases हमारी नोटिस में आये हैं वे बाद जांच रद्द किये गये हैं और भी ऐसे Cases की जांच जारी है। जो भी गलत आवंटन साबित होगा तत्काल रद्द किया जायगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)।

भरतपुर जिले के नट जाति के लोगों को भूमि का आवंटन

३५५. श्री महेन्द्रसिंह (पीपलदा) :

Page No 42

(श्री महेन्द्रसिंह)

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले के नट जाति के लोगों ने कृषि हेतु उन्हें भूमि देने के लिये एक ज्ञापन मंत्री महोदय को दिया है ?

(२) क्या सरकार इन जन जाति के व्यक्तियों को स्थायी रोजगार की दृष्टि से कृषि हेतु भूमि आवंटन करने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(१) ज्ञापन प्राप्त होना पाया नहीं जाता है।

(२) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम १९५७ के अनुसार भूमि भूमिहीनों को आवंटित की जाती है।

चारागाह

३५६. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) केकड़ी और सरवाड़ तहसीलों के कहां कहां के चारागह कायम हो गए हैं और कहां कहां के कायम होने बाकी हैं ? गांववार क्षेत्रफल की सूचियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) जहां पर कायम नहीं हुआ है उसमें देर का क्या कारण है ? इसकी अलहदा सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) तहसील केकड़ी व सरवाड़ में क्रमश: १७२ व १०७ ग्राम है, जिनमें से तहसील केकड़ी के सारे ग्रामों में चरागाह घोषित हो चुके हैं। तहसील सरवाड़ के १०७ ग्रामों में से ९८ ग्रामों में चरागाह घोषित हो चुके हैं। जिन नौ गांवों में घोषित नहीं हुए हैं उनके नाम इस प्रकार है।

(१) बालापुरा, (२) लच्छीपुरा, (३) कालावाट, (४) चकबीलिया, (५) अहेडा, (यह उक्त पांच ग्राम गैर-आबाद हैं) (६) बरेड़ा, (७) बरोल, (८) खेड़ी, (९) प्रतापपुरा। (यह चार ग्राम आबाद हैं)

(२) तहसील सरवाड़ के नौ गांवों में से ५ गैर–आबाद हैं और ४ के मामले विचाराधीन हैं।

स्थगित प्रश्न

(१३-३-६९)

धौलपुर से मौरोली तक नई सड़क का निर्माण

१९४. श्री बनवारीलाल (धौलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि धौलपुर से मौरोली तक नई सड़क बनाने का राज्य सरकार का इरादा है ?

(२) क्या इस सड़क की सर्वे भी हो चुकी है ? यदि हां, तो कब और क्या इसका एस्टीमेट भी बन कर सरकार के

(श्री बनवारीलाल)

पास आ चुका है ? यदि हां, तो कितने रुपये का ?

(३) क्या यह सही है कि इस सड़क के निकलने से इस सड़क से लगे जंगल में छिपे हुए डाकुओं को मार भगाने में यह सड़क पुलिस के लिये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी ?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क को वित्तीय वर्ष १९६९-७० में बनवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) मौरौली नाम का स्थान नहीं है। धौलपुर से गंगापुर रोड बरोली और बिलौनी गांवों के पास होकर जाती है। अन्य कोई नई सड़क बनाने की योजना स्वीकृत नहीं है।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां।

(४) धौलपुर से गंगापुर रोड के प्रथम ४ मील का इम्प्रूवमेंट चतुर्थ योजना में प्रस्तावित है।

स्थगित प्रश्न

(१३-३-६९)

छीपा बड़ोद से स्टेशन सालपुरा एवं इकलेरा जाने वाली सड़क का निर्माण

१९६. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि छीपा बड़ोद कस्बे से ३ मील स्टेशन सालपुरा की तरफ व तीन मील इकलेरा की तरफ की सड़क की हालत बहुत खराब है ? यदि हां, तो सरकार इस सड़क को कब तक सुधारने का विचार रखती है और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

स्टेशन सालपुरा की तरफ से १ मील तथा इकलेरा की तरफ से १ मील सड़क की दशा सन्तोषप्रद नहीं है।

अर्थाभाव के कारण अवधि निश्चित किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अकाल सहायता मंत्री।

श्री हंसराज आर्य : मेरे दो अतारांकित प्रश्नों की सूची नहीं मिली है, उनके उत्तर नहीं मिले हैं।

श्री अध्यक्ष : अकाल सहायता मंत्री। जयपुर सीकर आदि जिलों में वर्षा व ओलावृष्टि से हुई हानि के सम्बन्ध में वक्तव्य।

शासकीय वक्तव्य

श्री परसराम मदेरणा (अकाल सहायता मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक १९.३.६९ को राज्य के जयपुर, सीकर आदि जिलों में जो वर्षा के साथ साथ ओलावृष्टि हुई, उससे कुछ क्षेत्रों में नुकसान हुआ है। प्रारम्भिक सूचना के अनुसार जयपुर जिले की आमेर, जयपुर, जम्वा-रामगढ़, बस्ती सांगानेर, चाकसू, फुलेरा तथा लालसोट तहसीलों के १५५ गांव एवं सीकर जिले की श्रीमाधोपुर एवं दांतारामगढ़ तहसीलों के ४३ गांव प्रभावित हुए हैं। जहां २ ओलावृष्टि से नुकसान हुआ

(श्री परसराम मदेरणा)

है, उन सब स्थानों पर विशेष गिरदावरी करवाई जा कर नुकसान का अनुमान लगाने के लिये आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं। तथा विशेष गिरदावरी प्रारम्भ हो गई है। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार कुछ गांवों में खड़ी फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है तथा पशुधन की भी हानि हुई है। जयपुर जिले में लगभग १००–१२५ पशुधन एवं सीकर जिले में ८०० भेड़ों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है।

ओलावृष्टि के साथ साथ वर्षा के कारण जयपुर जिले के तालाबों व नदी पेटे में जो फसल थी उसको भी काफी क्षति पहुंची है।

इस ओलावृष्टि एवं वर्षा से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिये राज्य सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिये हैं :

(१) जिन गांवों में ८ आने या उससे अधिक नुकसान हुआ है, वहां भू-राजस्व की वसूली स्थागित कर दी जाय।

(२) जो लोग अत्यधिक प्रभावित हुए हैं, और जिन्हें तत्काल राहत पहुंचाई जाना आवश्यक है, ऐसे लोगों को राहत पहुंचाने के लिये मुख्य मंत्री सहायता कोष से १ लाख रु० स्वीकृत किया गया है।

(३) प्रभावित लोगों को आजीविका के साधन तत्काल उपलब्ध कराने के लिये जहां कहीं आवश्यक हो, तुरन्त सहायता कार्य प्रारम्भ करने के लिये जिलाधीशों को आदेश दिये गये हैं।

(४) प्रभावित लोगों को ब्याज मुक्त तकाबी देने के लिये चालू वित्तीय वर्ष में ५ लाख रु० का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। यह तकावी इस आधार पर वितरित की जायेगी :

जहां १ बीधा तक फसल को हानि हुई है, १००) रु०; २ बीधा तक हानि हुई हो, २००) रु०; उसके बाद प्रति बीधा ५०) रु० के हिसाब से अधिकतम ५००) रु० स्वीकृत किया जा सकता है।

राज्य सरकार स्थिति के प्रति पूर्णतया सजग है, और आवश्यकतानुसार प्रभावित लोगों को सहायता देने के लिये यथासम्भव कार्यवाही कर रही है।

विधायी-कार्य

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १९६९ को वापिस लेने की अनुमति के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १९६९ को वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

श्री मथुरादास माथुर : मैं राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १९६९ को वापिस लेता हूं।

अनुदान की मांगों का प्रस्तुतिकरण एवं कटौती प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या २–वित्त मंत्री।

Page No 45

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०, राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय, को ५९.०५ ००० रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(म. पू. ११. २१.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : मांग संख्या ९—मुख्य मंत्री।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९, सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को २३,७०,००० रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : जन स्वास्थ्य मंत्री।

श्रीमती सुमित्रा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि अनुपूरक मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०, जन स्वास्थय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को ५,८१,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

उपरोक्त मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या २

श्री अभीलाल यादव (बहरोड़) :

१. मांग संख्या २ मुख्य शीर्षक १०—राजकीय आबकरी कर के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बकाया रकम ठेकेदारों से वसूल न करना व बिना ठेके पर शराब का विक्रय होने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ९

२. मांग संख्या ९, शीर्षक १९—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार व राज्य सरकार के आदेशों की समय पर पालना नहीं हो रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

३. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (Rural water supply को Priority देने और उन ग्रामों को प्राथमिकता देना जहां की जनता ने Contribution जमा कर दिया है इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर) :

४. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०—राजकीय आबकरी कर के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (इस मद में खर्च में कमी न करके दिन प्रति दिन खर्चा बढ़ता जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १७

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) :

Page No 46

(पी० के० चौधरी)

५. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम मंड, भीमसिंह, तहसील फुलेरा में जल प्रदाय योजना चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २

श्री श्री निवास शारदा (निम्बाहेड़ा) :

६. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (आबकारी विभाग द्वारा मद्य निषेद्ध हेतु खरीदी गई जीपों पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ९

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

७. मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला प्रशासन व संचिवालय प्रशासन की कमियों एवं उसके सुधार की आवश्यकता के बारे में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १७

८. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (मरूस्थल क्षेत्र में जल समस्या को हल करने में सरकार की ओर से उदासीनता रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

९. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बायतू पंचायत समिति में खारे पानी के कारण घोर जल संकट है, इस पर चर्चा के लिये) ।

१०. मांग संख्या १७ मुख्य शीर्षक ३०--जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (अंडू नलकूप से रतेऊ, शहर, खीपसा कानोड एवं बायतू तक पाइप लाइन द्वारा पानी न पहुंचाने से विषम स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २

श्री नन्दलाल बेरवा (पाटन सु.) :

११. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०--राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (मजदूर बस्तियों में वेतन के दिन खुली शराब बेचने पर उत्पन्न असुविधाओं पर चर्चा के लिये) ।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) :

१२. मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (क्योंकि गांधी शताब्दी पर भी सरकार शराबबन्दी नहीं कर रही है, इससे उत्पन्न हो रही विभिन्न बुराइयों का निराकरण होना सम्भव नहीं है, इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री अध्यक्ष : सभी कटौती प्रस्ताव एक साथ लिये जावेंगे ।

श्री रघुनाथ विश्नोई ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्षजी, राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में जो मांग आई है......

श्री हरिदेव जोशी : जरा जोर से ।

श्री दामोदर लाल व्यास : लाउड स्पीकर से काम लो ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : माननीय उपाध्यक्षजी, राजकीय आबकारी करके सम्बन्ध में जो मांग आज प्रस्तुत की गई है, उसके बारे में मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं और इसके बारे में राज्य सरकार की शराब की नीति के बारे में अपने विचार रखना चाहूंगा । कांग्रेस की यह नीति थी कि सम्पूर्ण राज्य में शराबबन्दी की जायेगी । आजादी के पहले कांग्रेस में यह प्रस्ताव लिया गया था और यह घोषित नीति थी कि जब कभी हमारा राज्य आयेगा तो सम्पूर्ण शराबबन्दी होगी । परन्तु आज हमें बड़ा दुख है कि इतने बरसों के कांग्रेस राज्य के बाद भी गैरन्टी सिस्टम के जरिये आज जगह जगह शराब इतनी बिक रही है और उसकी बिक्री इतनी बढ़ रही है कि जिस की वजह से ला एण्ड ऑर्डर कायम रखना मुश्किल हो गया है ।

माननीय उपाध्यक्षजी, आपको भली भांति मालूम है कि जिन इलाकों में शराब ज्यादा चलता है, विशेष तौर से गंगानगर जिले में शराब की बहुतायत है और इन्कम भी ज्यादा होती है, परन्तु इसके साथ साथ ला एण्ड ऑर्डर की जो विषम प्राब्लेम पैदा हो गयी है उसको कन्ट्रोल करना ही पुलिस के लिये मुश्किल हो गया है । हालांकि इसके बारे में राज्य सरकार का निर्णय है, गोआ कांग्रेस के बाद पी. सी. सी. में प्रस्ताव रखा गया था और उसको मंजूर किया है कि १९७२ तक शराब को बन्द करेंगे धीरे धीरे, परन्तु इसके साथ साथ यह जो लोगों को शराबपीने की आदत है उसको बन्द करने के लिये लोगों को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाये, और शराब पीने की प्रवृत्ति को किस तरह रोका जाये, इसके बारे में सोचने की बहुत आवश्यकता है ।

माननीय उपाध्यक्षजी, शराब ऐसी चीज है कि शुरू शुरू में आदमी कम पीते हैं, पर बाद में आदत बन जाती है । ऐसे कई केसेज हमारे सामने आते हैं, और आज कल तो यह पाया गया है कि कॉलेजिज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले लड़कों में भी यह बीमारी फैल गई है । तो इसको रोकना पड़ेगा । आज प्रशासन में भ्रष्टाचार का एक मात्र कारण शराब है । अधिकारीगण शराब पीते हैं तो उनका खर्चा बढ़ जाता है और उस खर्चे को पूरा करने के लिये उलटे सीधे तरीके से धन प्राप्त करते हैं ।

इसलिये राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उनके सर्विसेज नियमों में प्रावधान होना चाहिये कि वे प्रतिज्ञा करें कि वे शराब नहीं पीयेंगे और अगर पीते हुए पाये गये तो उनको सर्विसेज से बर्खास्त किया जाये । इस तरह का प्रावधान सर्विसेज में होना बहुत आवश्यक है । इस तरह जब सरकारी अधिकारी शराब पीना छोड़ देंगे तो उसका असर जनता पर भी पड़ेगा । महात्मा गांधी की सारे जीवन की यही नीति रही और उनके सारे जीवन का यही कार्यक्रम था कि शराबबन्दी होनी चाहिये । तो आज हमारा सर्व प्रथम यही कर्तव्य है कि उन्होंने जो शिक्षा दी उसका पालन हम करें । यह तभी हो सकता है जब हमारा राज्य प्रशासन और हमारे राज्य की नीतियों में शराब को प्रोत्साहन नहीं दिया जाये । तभी जनता पर कोई असर पड़ेगा वरना नहीं ।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

माननीय उपाध्यक्षजी, सदन में कई बार सवाल उठा है कि जहां शराब की दुकान है उसकी जो एरिया निर्धारित है वहीं पर ही शराब बेची जाये, पर होता क्या है कि आपकी गेरन्टी सिस्टम की वजह से वे लोग अपनी गेरन्टी पूरी करने के लिये ज्यादा से ज्यादा शराब बिके इसके लिये एरिया के बाहर और अनधिकृत जगहों पर भी शराब बेचते हैं और इसमें आपके सरकारी अधिकारियों द्वारा उनको प्रोत्साहन मिलता है। बगैर लाइसेंस वे शराब बेचते हैं और इस कारण से अपने नियमों की अवहेलना होती है। इसमें पुलिस भी दखलबाजी नहीं कर सकती क्योंकि आबकारी अधिकारी शराब से ज्यादा से ज्यादा इनकम हो इस कारण से इस तरह नाजायज शराब बिकने को प्रोत्साहन देते हैं। गेरन्टी सिस्टम की वजह से अजमेर और दूसरे इलाकों में आपके लाखों रुपये ठेकेदारों में बकाया हैं। ऊँची गेरन्टी निर्धारित कर दी जाती है जिसको ठेकेदार पूरा नहीं कर सकते और आपकी रकम बकाया रह जाती है। इसका एकमात्र कारण यह है कि आपका आधार गलत है, आपकी पोलिसी गलत है, और इसी वजह से आप ठेकेदारों को प्रोत्साहन देते हैं कि इल्लीगल तरीके से शराब जनता को बेचें और अपनी गैरन्टी को पूरा करें चाहे वह नियमों के खिलाफ क्यों नहीं हो। इस तरह की यह राज्य सरकार की पॉलिसी डिफेक्टिव है। पिछले तीन साल से आपने जो गैरन्टी सिस्टिम लागू कर रखा था, उससे जो ठेकेदार ज्यादा शराब नहीं बेच पाया उसकी बकाया रह गयी। गैरन्टी को पूरा करने के लिये आपने ठेकेदार को भी खुली छूट दे रखी है कि हर जगह शराब बेचे। राज्य सरकार की इसके बारे में स्पष्ट नीति होनी चाहिये कि कम से कम जहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों की बस्ती हो या जहां गरीब लोग रहते हैं वहां तो शराब की दुकान बिल्कुल नहीं होनी चाहिये। उन लोगों को जैसे ही मजदूरी के पैसे मिलते हैं, तो ठेकेदार लोग अपनी जीपें भेजकर वहां शराब बेचते हैं। इससे वे गरीब लोग आदत से लाचार हो जाते हैं और उनकी सारी वेजेज शराब में खत्म हो जाती हैं।

ऐसे स्थानों पर जहां कारखाने के मजदूर हों, जहां अकाल की कैम्पस चलती हैं, हमारे ध्यान में आया है कि जहां पेमेंट्स होती हैं १५ दिन के बाद अकाल कैम्पस में वहां ठेकेदार लोग जीप लेकर बोतलें पहुंचाते हैं और यह होता है कि वेजिज मिलते ही कुछ लोग ऐसी हालत में दारू पीते हैं और बुरी तरह से बरबाद होते हैं। इसलिए जहां हजारों की सख्या में अकाल के कैम्पस चलते हैं वहां पर जब पेमेंट होता है उस जगह सख्त हिदायत होनी चाहिए और अधिकारियों को इन्सट्रक्शन्स होनी चाहिए कि किसी भी ठेकेदार का किसी हालत में नियमों के विरुद्ध अगर ऐसा केस पकड़ा जाय तो उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ऐसे केसेज हमारे नोटिस में आते हैं, हम देखते हैं कि जो दुकानदार आसपास में पड़ते हैं, अपनी जीपें दौड़ाकर जहां पेमेंट्स होती हैं वहां कैम्पस पर पहुंच जाते हैं, और शराब बेचकर पिलाते हैं। जो गरीब लोग इस आदत के शिकार हैं, इसी के वशीभूत होकर पीते हैं तो इस चीज को खतम करना राज्य सरकार की घोषित नीति है। तो कम से कम कानून को सख्त रूप में लागू

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

करना चाहिए ताकि आज तक राज्य सरकार ने जो भी कानून बनाए हैं, उनका पूर्ण रूप से अगर पालन हुआ तो बहुत सी बीमारियां खतम हो सकती हैं। जहां प्रोहिबिशन एरिया है, सांचोर गुजरात से लगता है उसमें ठेकेदार लोग जीपें भरकर गुजरात में आसपास बॉर्डर पर भेजते हैं और अंधाधुंध आमदनी करते हैं और उसके अंदर सारे अधिकारी भी साथ में मिले रहते हैं क्योंकि जब तक मिलकर काम नहीं करें तो कोई भी ठेकेदार ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। उनको डर न होने की वजह से अंधाधुंध बिक्री करते हैं।

मैं आबकारी मंत्री का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज भी आपकी घोषित नीति रही है कि जहां प्रोहिबिशन एरिया है या गुजरात के आसपास का एरिया है, जहां अकाल कैम्पस हैं, जहां दुकानों का क्षेत्र निर्धारित किया है, उनके द्वारा जो खुली अंधाधुंध शराब की बिक्री होती है और दूसरी जगह जाकर बेचते हैं, वहां यह नहीं होना चाहिए। तो इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए वरना जो राज्य सरकार ने नीति घोषित की है कि ४ साल के अंदर हम धीरे धीरे उसको बंद करना चाहते हैं, अगर सख्ती से पालन नहीं किया गया तो बाद में कठिनाई उपस्थित होने वाली है।

इसके साथ साथ इलीसिट शराब भी बनती है उसको बनाने के लिए कई तरह से प्रोत्साहन मिलता है, उसके लिए भी सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए और ऐसे कैसेज पकड़े जाने चाहिए। लोगों की आम धारणा है कि जो चीज राज्य सरकार बन्द करती है, जैसे अफीम बन्द किया गया, तो उसके साथ साथ स्मगलिंग जोरों से चलने लगा। मध्यप्रदेश की तरफ़ और उदयपुर साइड में जीपें भरकर अफीम लाते हैं और गुजरात में जहां बन्दिश है और राजस्थान में भी बंदिश है लोग ले जाकर स्मगलिंग करते हैं और इस तरह से राज्य सरकार को आमदनी न हो और स्मगलिंग से लोग नाजायज फायदा उठाए तो सरकारी मशीनरी को टाइट करने की आवश्यकता है और ऐसी टेंडेंसी को खतम किया जाना चाहिए।

दूसरी सप्लीमेंटरी मांग है। इसमें यही रखा गया है कि परचेज के अन्दर शराब की दाम बढ़ गई तो जो रकम रखी गई है, उससे मंहगी शराब खरीदकर पिलाई जाय, लोगों का स्वास्थ्य बिगाड़ा जाय, तो इस बारे में सरकार को विचार करने की जरूरत है और हम यह आशा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आए। सरकार इस तरह जनता को शराब पिलाकर आमदनी का जरिया करना चाहती है, हालांकि देश की परिस्थिति को देखते हुए यह जरूरी भी है, लेकिन लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ जाय और दुनिया भर के झगड़े आपस में कत्ल मरडर्स, जितनी भी बुराईयां हैं उनका एक मात्र कारण शराब है। जब यह बुराई बन्द होगी लोग उसके साथ-साथ ट्रेनिंग के जरिये दृष्टिकोण भी बदलेंगे, तब यह समस्यां दूर होगीं। बच्चों में यह प्रवृत्ति न हो, उसके लिए पूरे रूप से पाबन्दी हो। लोगों की इस मनोवृत्ति को रोकने के लिए यदि नियमों में संशोधन भी करना पड़े तो इस बुराई को रोकने की कोशीश करें।

Page No 50

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

दूसरी सामान्य प्रशासन की मांग है। उस बारे में भी मैंने अपने कटौती प्रस्ताव दिए हैं और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। आज प्रशासन के अन्दर बहुत ढिलाई है। आज सचिवालय में देखें, जिला प्रशासन में देखें, वहां आज तक भी इतनी ढिलाई है और देरी होती है दरख्वास्तें घूमती फिरती हैं और सचिव, उपसचिव हैं जितने विभाग हैं, कोई पत्र छोड़ देते हैं तो वहीं गायब हो जाता है।

प्रशासन में सुधार लाने के लिए, शक्ति लाने के लिए कोई ऐसा आधार बनाया जाना चाहिए ताकि कोई कागज कहीं भी अगर जो कुछ दर्ज होना चाहिए, उसका डिस्पोजल तीन दिन के अन्दर हो। जब लोग जयपुर दूर-दूर से आते हैं अपनी समस्यायें मिटाने के लिए, तो मंत्रीगण हुक्म देते हैं लेकिन दुख होता है कि कई बार हुक्म देने के बाद भी कागज मिलते नहीं, जब वापस आकर आफिस में पता लगाते हैं तो हम से पूछा जाता है कि आउटवर्ड नम्बर लाइये। अब कहां से इन्वर्ड और आउटवर्ड नम्बर लायें। इस तरह देरी की जो भावना है, कागजों को ले बैठने की टेंडन्सी तभी दूर हो सकती है जब सीनीयर आफीसर्स सतर्कता से सारे सैक्शन्स में जाकर घूमें और तरह हर से हिदायतें दें, वार्निंग और पनिशमेंट का प्रावधान करें। जब तक शख्ती न की जायगी तब तक कागजों का डिस्पोजल नहीं होगा। महंगाई के कारण प्रशासन का खर्चा बढ़ा है और करोड़ों रुपये महंगाई भत्ते के रूप में सरकार ने दिये हैं। यह सब लोगों पर टैक्स लगाकर खर्च किया है, उसके बाद में भी अधिकारी जनता के कागज दबाकर बैठ जायं, यह जनता बरदाश्त नहीं कर सकती। गरीब जनता न्याय चाहती है, यह नहीं समझना चाहिए कि कोई गरीब आदमी गांव का आया है, उसको अन्दर न घुसने दिया जाय। इस टेंडन्सी को खत्म करना आवश्यक है। अगर जनता का प्रशासन में विश्वास नहीं होगा तो यह खतरनाक बात होगी और बाद में एनार्की पैदा होने की स्थिति पैदा हो जाती है और लोकतंत्र को बड़ा भारी खतरा पैदा हो जायेगा। जहां भी प्रशासन में इन्इफीश्येंसी हो उस अधिकारी को कम्पलसरली रिटायर किया जाय जिनके पास कागजों का डिस्पोजल नहीं होता है उनको ऐसा काम दिया जाय, जहां काम न हों। लेकिन जहां काम ज्यादा हों, लोगों की समस्यायें हों, तो वहां बहुत ईमानदार और इन्टेग्रिटी के अधिकारियों को लगाना चाहिए ताकि वे जनता को न्याय दे सकें और जो ऐसे ईमानदार अधिकारी हैं उनको हमें प्रोत्साहित और एप्रीश्येट करने की आवश्यकता है। वरना हम जनरल रूप से प्रशासन की आलोचना करेंगे तो प्रशासन में डीमारलाइजेशन पैदा होगा उसका भी असर उल्टा होता है। जो प्रशासन में अच्छा काम करता है, तो उनको प्रोमोशन और अवार्ड देना चाहिए ताकि वे अच्छी तरह काम कर सकें। आज अधिकारियों की धारणा है कि ईमानदारी को कौन पूछता है। अगर पहुंच नहीं तो पूछने वाला कोई नहीं। जो बेईमान हैं जो ज्यादा तनख्वाह लेते हैं और जिनके लिए लोगों में धारणा है कि ये बेईमान हैं तो नियमों में संशोधन करके किसी तरह से सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और अगर प्रजातन्त्र में प्रशासन में ढिलाई है तो प्रजातंत्र प्रणाली में न्याय नहीं मिलेगा और

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

जनता में असन्तोष होगा और उससे क्रांति आती है। विशुद्ध प्रशासन हो, इस बारे में राज्य सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाकर कम खर्च में न्याय मिले, ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्षजी, दूसरा मैंने कटौती प्रस्ताव जन स्वास्थ्य के बारे में दिया है। राजस्थान में पेय जल की बड़ी भारी समस्या है। उस समस्या को मिटाने के लिये कल जन स्वास्थ्य मंत्रीजी ने अपना जवाब दिया था उसमें उन्होंने बताया था कि दस करोड़ रुपया ग्रामीण पेय जल योजना में खर्च किया है, सरकार सजग है और इस पेय जल की समस्या का निवारण करने में कोई कसर नहीं उठा रखेगी। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष में शहरी जल व्यवस्था के लिये जो खर्चा किया गया है, उसके अनुपात में यदि हम ग्रामीण पेय जल योजना को देखते हैं, तो उसमें बहुत कम खर्च किया गया है। यह भावना है कि ग्रामीण लोग आन्दोलन नहीं कर सकते, वे अपने काम में लगे रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी यह समस्या नहीं है। जहां गांवों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है तो वहां पर क्रानिक डीजीजेज पैदा हो जाती हैं और कम समय में ही आदमी मर जाते हैं। क्रानिक डीजीजेज होने पर सफाखाने में भी जाते हैं तो उनको एडमिशन नहीं मिलता है। इसलिये ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था जल्दी होनी चाहिये। पश्चिमी जिले के बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर और सीकर, झुंझनू उधर भी कुछ इलाके हैं, बीकानेर, नौहर वगैरा के इलाके हैं, काफी नीचे पानी है और काफी खारा है, जहां ट्यूब-वेल्स नहीं बन सकते, ऐसे बहुत से गांव हैं और उनकी बहुत ज्यादा संख्या है, परसों मैंने प्रश्न काल में सूचना मांगी थी तो मंत्री महोदय ने बताया कि जालौर जिले में १६० ऐसे गांव हैं, जहां पानी खारा है और ट्यूब वेल्स नहीं लग सकते। उन्होंने गांवों की संख्या करेक्ट नहीं दी। दो सौ सवा दो सौ गांव ऐसे हैं जहां पर पानी नहीं है। चौथी पंचवर्षीय योजना में मैं चाहूंगा कि कहां कहां क्षेत्रीय योजना अमल में लायी जावेगी, कितनी सफल होगी और कहां कहां पर पानी उपलब्ध होगा, सरकार को इस सम्बन्ध में सेपरेट जवाब देना चाहिये। राजस्थान का ७० करोड़ का मास्टर प्लान है। कितना किसको मिलेगा यह पता नहीं है। जैसलमेर, जालौर की समस्या बहुत विषम है। दो सौ से अधिक गांव ऐसे हैं जहां पर पानी उपलब्ध नहीं इनके लिये ऐसी योजना काम में लावेंगे कि जिससे दस मील के अन्दर स्वच्छ और पेय जल लोगों को मिल सके। दस मील से ले जाने की व्यवस्था की जानी है। सांचोर में ६०-७० मील में पेय पानी उपलब्ध नहीं है ऊपरी बेरों का पानी पीने से पेट बढ़ता है। तिल्ली की बीमारी बढ़ जाती है। पहले माननीय जयनारायणजी व्यास ने दौरा किया था। वहां की हालत को देख कर उन्होंने एक मलेरिया की स्कीम बनायी थी। उससे कुछ हालत सुधरी जरूर है। लोग तिल्ली के कारण २७ वर्ष की आयु में मर जाते थे। एवरेज आयु २७ वर्ष लिखी हुई है। राज्य सरकार के इन्तजाम से कुछ तो हालत सुधरी है। पेय जल की समस्या भयंकर है। उसको सुधारने के लिये स्पेशल एलोकेशन करके ध्यान देना चाहिये

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

ताकि कम से कम पीने का मीठा पानी तो उपलब्ध हो सके वरना कहां तक मुसीबत उठानी पड़ेगी। हमारे वहां तो एक स्कीम बनी है। पन्द्रह बीस गांवों को पानी मिलने की है। वित्तमंत्रीजी ने मंजूर जरूर कर दी है और जल्दी ही काम शुरू कर देंगे। अप्रेल में जल्दी से काम शुरू हो जाना चाहिये और कोशिश करें तो महिने डेढ़ महिने में पानी उपलब्ध हो सकता है। एक होद बना कर ट्यूब वेल से उसमें पानी पहुंचा दिया जाय तो कम से कम आसपास के गांवों के लोगों को पानी तो मिल सके। माननीय वित्त मंत्रीजी ने महरबानी की। निकट भविष्य में पानी मिल सकेगा। फलौदी, शेरगढ़, जालौर का इलाका है। सैंकड़ों की संख्या में ट्यूब वेल्स बने पड़े हैं। पुख्ता स्कीम नहीं है। ट्यूब वेल्स को किस प्रकार काम करके काम में लाया जावेगा, किस काम आवेंगे कोई योजना नहीं बनायी गयी है। जिनमें अधिक पानी है उसको दूसरी जगह क्षेत्रीय योजना के जरिये ले जाकर काम में लाया जावेगा। वित्त मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि दो सौ के आसपास गांव बताये गये हैं जहां पर बिल्कुल भी पानी उपलब्ध नहीं है। उनके आसपास ट्यूब वेल्स खुदाये जायं और क्षेत्रीय योजना के जरिये पांच वर्ष में कम से कम ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि पांच वर्ष में पांच मील के रेडियस में जाकर पीने का पानी मिल जाय। पेय जल की बड़ी भयंकर समस्या है। पहले भी मैंने कई बार कहा है। समस्या गम्भीर है और धन केन्द्रीय सरकार से मंगाने की बात है। राज्य सरकार के साधन सीमित हैं। माननीय वित्तमंत्रीजी ने कहा कि चौथी पंचवर्षीय योजना में २५ करोड़ रुपया खर्च करेंगे। इससे समस्या हल होने वाली नहीं है। केन्द्रीय सरकार की ड्यूटी है कि ऐसे जो लम्बे इलाके हैं उन इलाकों में पेयजल की समस्या को हल करने के लिये केन्द्र से ज्यादा से ज्यादा धन मिले क्योंकि यह एक राष्ट्रीय समस्या भी है। पांच मील के रेडियस में पांच वर्ष में कम से कम लोगों को पेय जल तो मिल ही जाय यह व्यवस्था तो कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन।

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री यशवन्तसिंह माहर (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति के पांचवें और छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

निम्नांकित दो स्थगन प्रस्तावों को राज्य सरकारी की जान कारी प्राप्त करने हेतु पेन्डिग रखा गया था।

(१) पहले स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री गंगासहाय व श्री नन्दलाल, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई थी जिसमें यह बतलाया है कि गत ३१ जनवरी को बाड़ी के सी. ओ. ने धौलपुर के उदयभानु पत्र के सम्पादक को बाड़ी के मार्ग में बस से उतार

(श्री अध्यक्ष)

कर पीटा है, किन्तु सरकार द्वारा सी. ओ. के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

(२) दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई थी, जिसमें यह कहा गया है कि कस्बा बयाना, जिला भरतपुर, के वार्ड नं० २ में एक लकड़ी की टाल लगी हुई है । इस टाल में लगभग ४० हजार मन लकड़ी मौजूद बतलाई जाती है तथा इसमें कई व्यक्तियों की साझेदारी है । इसके अतिरिक्त कई मन और लकड़ी व कोयला भी बरामद हुआ है तथा लाखों मन लकडी व कोयला ट्रकों व ऊंटों से बाहर भेजा जा रहा है और इसमें स्थानीय वन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग आदि के अधिकारी मिले हुए हैं । उपरोक्त दोनों स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं । इन्हें सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना बेरी आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री दौलतराम सारण, श्री मुकटबिहारीलाल व श्री विजयसिंह मकराना, सदस्य विधान सभा, से प्राप्त हुई हैं, जिसमें दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने, प्रतिवेदन को ज्यों का त्यों स्वीकार न किये जाने का उल्लेख किया गया है । इस मामले में सदन में काफी वाद-विवाद हो चुका है तथा कल माननीय गृह मन्त्रीजी के वक्तव्य पर भी कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा अपने विचार व्यक्त किये जा चुके हैं । अतः इसको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री देवीदत गाड़िया, श्री श्रवणलाल, श्री गंगासाहय, श्री लक्ष्मण तानीवाल व श्री महेन्द्रसिंह, सदस्य विधान सभा, से प्राप्त हुई, जिसमें पाली नगर के बिजली घर को जब से राज्य सरकार ने अधिग्रहण किया है, बिजली की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है जिससे वहां के नागरिकों में असन्तोष है । यह मामला इतने अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर आज इस पर विचार किया जाय । अतः मैं इसको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

(विराम)

मांगों पर चर्चा ।

श्री मूलचन्द डागा...... (अनुपस्थित) ।

श्री रामनारायण चौधरी (अनुपस्थित) ।

श्री अमीलाल यादव ।

श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) : उपाध्यक्ष महोदय, जन स्वास्थ्य के बारे में मैंने एक कटोती प्रस्ताव पेश किया है । इस सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि हमारी सरकार ने जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है, उसके बाद से काफी प्रगति की है और जहां पर जल प्राप्त नहीं था, वहां पर कुओं द्वारा पानी पहुंचाया है, इसके लिये प्रयत्न किये गये हैं । लेकिन जैसी उम्मीद थी, जितनी आशाएं हम करते थे कि जब हमारी

(श्री अमीलाल यादव)

स्वयं की सरकार होगी, तो जो कठिनाइयां हम बहुत अर्से से महसूस करते आ रहे हैं, वह थोड़े समय में ही दूर हो जायेंगी। लेकिन इसके विपरीत आज भी २० सालों के बाद जो समस्याएं थीं, वे कायम हैं। कई जिलों में पानी की समस्याएं हैं और उनका कोई सोलूशन नहीं निकाला गया है। इसके बावजूद देहातों के लिए शहरों के मुकाबले में जो धनराशि रखी जाती है, वह कम रखी जाती है। मास्टर प्लान बनाया गया था। उसके बावजूद प्रायोरिटी उन गांवों को नहीं दी जाती है, बल्कि उन गांवों को दी जारही है जिनकी आबादी तीन हजार से दस हजार के बीच में है। मैं निवेदन करूंगा कि मास्टर प्लान के अनुसार उन गांवों में जिनकी आबादी तीन हजार से ऊपर हैं, और पानी की भारी समस्या है, और वहां की जनता ने अपनी कड़ी मेहनत का पैसा इकट्ठा करके सरकार के कोष में जमा करा दिया है, उसके बावजूद उन गांवों में, जनता द्वारा पैसा जमा करा देने के बाद वहां की जल योजना को स्वीकृत नहीं किया है। मिसाल के तौर पर उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि ग्राम रोड़वाल और कुतीना, तहसील बहरोड़, जिला अलवर की जनता ने जो रिक्वायर्ड धनराशि होती है, वह कन्ट्रीब्युशन जमा करा दिया है लगभग दो साल से लेकिन आज तक न तो उन ग्रामों की तरफ सरकार ने ध्यान किया है और न स्कीम का काम शुरू कराया है। इस प्रकार जहां जनता का उत्साह सरकार के साथ में है वहां पर सरकार की ढिलाई बहुत ज्यादा होती है और उनका उत्साह मारा जाता है। इस तरह की जो धनराशि जमा करायी जाती है, वहां पर उस जगह पर सबसे पहले प्रायोरीटी देनी चाहिये। इन गांवों में यह बात भी है कि वहां धनाढ्य लोग नहीं हैं इन गरीब लोगों ने खुद बखुद पैसा इक्ट्ठा करके, कन्ट्रीब्युशन करके जमा कराया है अपनी तकलीफ को दूर करने के लिये। जैसे तैसे करके उन्होंने यह रकम इक्ट्ठी करके सरकार में जमा करायी है जिससे कि उनके यहां फौरन ही पेय जल की स्कीम शुरू हो जायगी। इसके विपरीत उनकी आशाएं निराशा में परिणत हो गई और इस प्रकार विकास कार्यों में ग्राम जनता का उत्साह कम हो जाता है। इस प्रकार ये दो मिसालें ग्राम रोड़वाल और कुतीना की मैंने आपको दी हैं। वहां जनता ने पैसा जमा करा दिया है। इन गांवों का पानी भारी है और खारा है। वहां कुछ दूरी पर दो कुए हैं जहां कि पानी मीठा है। यह देख कर उन्होंने पैसा लगाने की सोची। यह धनराशि लगा देने से, सरकार को जमा करा देने से जल योजना हो जायगी। उनको पानी की वजह से काफी तकलीफ होती थी। वे तकलीफ पा रहे थे और हर साल गर्मियों मे हैजा हो जाता है। वे इससे बच सकेंगे और आराम मिलेगा, यह सोचकर उन्होंने यह धनराशि जमा कराई है लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि धनराशि जमा हो जाने के बाद भी वहां पर स्कीम का काम शुरू नहीं हुआ है। कोई काम अ ज तक शुरू नहीं किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिन जिन गांवों का पैसा जमा हो चुका है, उनको प्रायोरिटी देकर सरकार वहां काम शुरू करावे और यह देखे की वहां जल योजना की स्कीम जल्दी से जल्दी कम्पलीट हो जावे।

(श्री अमीलाल यादव)

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जहां पर जल योजना बन गयी हैं, वहां पर जो गवर्नमेन्ट की इन्स्टीट्यूशन हैं, जैसे हाई स्कूल, सरकारी औषधालय, डिस्पेंसरी, इस तरह की जगह हैं, वहां पर पाइप ल इन नहीं पहुंचायी जाती है। वहां इन्जीनियर लोग यह कहते हैं कि जहां पर सरपच कहेगा वहां पर लाइन पहुंचेगी। इस तरह की जो इन्स्टीट्यूशन होती है, वहां पानी पहुंचना बहुत आवश्यक है। इससे सब को फायदा है। वहां पर प्रायोरिटी न देकर, मनमर्जी के अनुसार पाइप लाइन डालते हैं। यह गलत है। इसलिए मेरा सुझाव है इसके लिये एक कमेटी मुकर्रर होनी चाहिये। इसमें स्थानीय सरपंच, प्रधान, वार्ड पंच उस जगह का, और उस जगह का कर्मचारी बी. डी. ओ., एस. डी. ओ. रहे, जिससे वहां की समस्या, जहां कि पाइप लाइन डालना बहुत जरूरी है, वहां पाइप लाइन डलाई जा सके। जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, दूर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो गरीब लोगों की बस्तियां हैं, हरिजनों की बस्तियां हैं, ये लोग वहां पर रहते हैं, वहां पर पाइप लाइन नहीं जाती है, और जहां पर ज्यादा असर वाले लोग रहते हैं, वे लोग अपने मोहल्ले में पाइप लाइन डलवाकर उसका उपभोग कर लेते हैं।

इसलिये जहां पर नल योजनायें चालू हैं, उनका भी प्रोपर यूज नहीं होता है। उसका सही लाभ उन लोगों को प्राप्त नहीं होता जिनको पीने के पानी की तकलीफ रहती है। आज भी हरिजनों को ऊपर से पानी दिया जाता है। टेप्स पर उनको पानी के लिये बड़ी देर तक खड़ा रहना पड़ता है। इन्तजार करते हैं। इसलिये जहां भी जल योजनायें चालू हैं, वहां हरिजन बस्तियों के लिये पाइप लाइन दी जानी चाहिये।

इसके अलावा पानी रेट्स में भी बड़ी भिन्नता है। इसके संबन्ध में बड़ा झगड़ा भी चलता है कहीं पर दस रुपया मुकर्रर हैं, कहीं पर पन्द्रह है फी कनेक्शन लिया जाता है, कहीं पर आठ है इस तरह से एक ही तहसील में भिन्न-भिन्न रेट्स हैं यह भी ठीक नहीं है। कम से कम एक तहसील में तो एक ही रेट्स रहने चाहियें। जिससे लोगों को पानी की रेट्स के बारे में मुगालता न रहे। मनमानी तरीके से जो रेट्स रिएलाइज करते हैं वह उचित नहीं है। मेरा इसलिये सुझाव है कि इसके लिये जिला स्तरीय कमेटी नियुक्त करके तहसील वाइज जहां-जहां पाइप हैं वहां के रेट्स को एक रखना चाहिये।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जो अनुपात शहरों को दिया जाता है उसके मुकाबले देहातों को नहीं दिया जाता है जब कि ८४ प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। शहरों में तो पानी छिड़कने की आवश्यकता रहती है। देहातों के अन्दर इस बात की मुसीबत है जहां हमको पानी पीने के लिये नहीं मिलता इन कठिनाइयों को मद्देनजर रखते हुए गांवों के लिये ज्यादा खर्च का प्रावधान रखना चाहिये। क्योंकि देहात के लोगों को बहुत ज्यादा कठिनाई है, देहातों के लिये ज्यादा राशि स्वीकृत की जानी चाहिये। हमारे समाज में पानी दिलाना सबसे ज्यादा धर्म है। आज हालत यह है कि हमको पानी पीने का नहीं मिलता यह अत्यंत सोचने का

विषय है और खेद का विषय है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह आपने मास्टर प्लान शहरों के लिये बनवाया है, उनमें भी प्रायोरिटी फिक्स होनी चाहिये। उसी जगह को आप प्राथमिकता दें, जिनमें ज्यादा से ज्यादा कठिनाई है, पीने को पानी नहीं है। जहां पर लोगों ने जल प्रदाय योजनाओं के लिये रुपया जमा कराया है उनको सेकण्ड प्रायोरिटी होनी चाहिये। जल प्रदाय योजना के सम्बन्ध में जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया उसके संबन्ध में मेरा यही निवेदन है।

अब मैं शराब के ठेकों के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। यह एक बीमारी है, जनरल बीमारी है। मनुष्य नहीं चाहता कि वह शराब पीए वह इसको बुरा मानता है, मनुष्य सब यह मानते हैं कि शराब पीना बुरा है फिर भी लोग पीते हैं। तमाखू, शराब और अमल ये सब नशीली चीजें हैं। इसको बुरा मानते हुए भी लोग पीते हैं। इसका प्रचार क्यों होता है जबकि इसको सब खराब मानते हैं। मैं यह मानता हूं बड़े लोगों के जरिये से छोटों में यह बीमारी फैलती है। इसलिए मेरा सुझाव है बड़े लोगों के माध्यम से इसको छोड़ा जा सकता है। जब वे लोग छोड़ देंगे छोटे लोग भी उनकी नकल करके छोड़ते जायेंगे। सरकार ने जो शराब में गारन्टी सिस्टम चालू किया है, उससे शराब खोरी ज्यादा बढ़ी है। इससे गरीब लोगों के अन्दर ज्यादा पीने की आदत बनी है। ठेकेदार लोग हैं उनकी जो निर्धारित दुकानें हैं, उसके अलावा भी अपनी एजेन्सीज जीपों के जरिये छोटी बस्तियों में ले जाते हैं। जयपुर से देहली तक के नेशनल हाईवे को ले लीजिये। इसमें दो मील का भी कोई टुकड़ा नहीं मिलेगा जिसमें लट्ठा रोप कर बोतल नजर न आये। वे जगह-जगह इस प्रकार नहीं पहुंचे बल्कि सड़क के नजदीक किसी भी जगह एक स्टाल लगा लिया, जिसमें बाहर की तरफ चाय और पीछे की तरफ शराब खुले आम पीयी जाती है। शराब का दौर चलता है, इस बारे में सरकार की ओर से जब तक सख्त कदम नहीं उठाया जायगा, शराब का पीना कतई बन्द नहीं हो सकता। इससे गरीब लोगों के अन्दर ज्यादा प्रचार हो रहा है। इससे उनके पास कम आय होते हुए भी शराब में वे जरूर खर्च करते हैं।

एक दफा की बात है एक आदमी मुझे मिला जो अक्सर शराब ज्यादा पिया करता था उसे एक दिन कोई अत्यन्त खुशी हुई, उसके पास पैसा नहीं था, वह मेरे से मांगने लगा कि मुझे दो रुपये दो, मैंने कहा क्या करोगे तो उसने कहा, आज मेरे घर बच्चा हुआ है इसलिए उसकी खुशी में शराब पीऊंगा। मैंने कहा शराब न पीकर जो प्रसूता है उसको इस रुपये से कुछ खिलाओ। मैंने कहा, शराब पीकर खुशी कैसे मनाते हो तो वह कहता है बड़े आदमी भी जब ज्यादा खुशी होती है, वे शराब पीते है इसलिये मुझे भी शराब पीनी चाहिये। ऐसी जो भावना है वह तभी लोगों की मिट सकती है जबकि बड़े लोग शराब पीना छोड़ दें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बड़े लोगों के जरिये से छुड़ाई जा सकती है।

शराब के बारे में तो यहां तक देखा गया है अगर कोई मार्शल रेस का कोई आदमी नहीं पीता है तो उसको कहा जाता है तुममें कोई एटीकेट नहीं आया है तुम शराब क्यों नहीं पीते हो। यह बात ठीक है कि जो फौज में जाते हैं उनको जोश

(श्री अमीलाल यादव)

तभी आता है जब वे शराब पीकर लड़ते हैं। भारतवर्ष में इतने तरह के आसव हैं जिनके पीने से शराब से भी ज्यादा नशा आता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जो लोग शराब का प्रचार इस तरह से करते हैं कि तुमको तो पीना ही चाहिये, ऐसे प्रचार को बन्द करने के लिये आर्डिनेन्स निकाला जाना चाहिये। इस प्रकार झूठी दलीलें देकर लोगों को प्रोत्साहन देते हैं उनके खिलाप कार्यवाही की जानी चाहिये। आज हम एज्युकेशन विभाग में भी देखते हैं अध्यापक लोग शराब पीने के आदी होते हैं, उनका असर बच्चों में आये बिना नहीं रह सकता। पचास प्रतिशत अध्यापक ऐसे हैं, जिनको शराब पीने की आदत है। इसलिये शिक्षा विभाग को चाहिये कि ऐसे अध्यापक जो शराब पीने के आदी हैं, उनको सर्विस में नहीं रखा जाना चाहिये। आज इस शराब में जो एक परिवार की आमदनी है उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा शराबखोरी में चला जाता है। उसके अभाव में बच्चों को एज्युकेशन नहीं मिल पाती। इस लिये शराब के जितने भी स्थान हैं उनमें कमी की जानी चाहिये।

आपने अब तक जो dry एरिया डिक्लेयर किया है उसको और बढ़ाना चाहिये।

मेरा निवेदन है उपाध्यक्षजी, राजस्थान में अधिकांश में गरीब हैं, उनसे ही बहुत बड़ी आमदनी सरकार को शराब से होती है। आप इस आमदनी की पूर्ति दूसरे जरिये से करिये। अन्त में यही निवेदन करता हूँ कि सरकार कम से कम शराब के बारे में सख्त कदम उठावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद शर्मा

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, आबकारी के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। जब राजस्थान बना था उस समय करीब तीन करोड़ रुपये की आबकारी की आमदनी थी, जब कि जागीरदार लोग अपनी अलग भट्टियों से शराब निकाला करते थे। जब उनकी भट्टियां बन्द हो गई तो आमदनी इसी से दुगुनी हो जानी चाहिये थी। फिर तब से अबतक इस पर आठ दस गुना कर भी अधिक बढ़ा दिया है तो काफी शराब बिकी है, उससे कई गुनी आमदनी बढ़नी चाहिए थी। पर इस पर भी आमदनी कुछ बढ़ी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि गारन्टी सिस्टम और ठेकेदारी सिस्टम से काफी इसमें घोटाला है। आमदनी की काफी चोरी इससे होती है और इस कारण सरकार की आय बढ़ती नहीं। लोग गारन्टी जितनी की करते हैं उतनी तो सरकार से खरीद लेते हैं बाकी नाजायज शराब काफी बनती है और वह वे बेचते हैं। इन कारणों से जितनी आमदनी पहले थी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ी।

आगे चलकर आपने गारन्टी सिस्टम में करोड़ों रुपया ठेकेदारों को राइट आफ किया है। ऐसा सुनने में आया है। इसके अन्दर हो सकता है राज सरकार की कुछ गल्तियां हों पर एक तरफ तो आप करोड़ों रुपया ठेकेदार सरमायेदारों को राइट आफ करदें और इधर जनता पर अनाप शनाप टैक्स लगाये जा रहे हैं। यह दो प्रकार की नीतियां चलने वाली नहीं हैं। एक तरफ तो आप उन सरमायेदार ठेकेदारों को करोड़ों रुपया माफ कर देते हैं, जिनके पास

Page No 58

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

जमीन है, जायदाद है, अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और जो मालदार हैं और दूसरी तरफ गरीब लोगों पर टैक्स लगाने के लिए नये नये कानून लाते हैं। दूसरी तरफ आबकारी विभाग में हजारों लोग हैं, हजारों की तादाद में नौकर हैं फिर भी चोरियां होती हैं। इन को रोकने के लिये आप उपाय नहीं करते। तो सबसे अच्छा तो यही है कि शराब बिलकुल बन्द कर दें। चार आना हिस्सा आप को मिलता है, बारह आने चोरी जाता है। फिर ठेकेदार से आपको वसूली करने में कठिनाई आती है, जो मालदार हैं सरमायेदार हैं, पर जिस बिचारे के बैल मर गये हों, गरीब हों, उससे तो कुर्की करके वसूल कर लेंगे। उसको आप नहीं छोड़ेंगे। यह आपकी बहुत गलत नीति है।

मैं दूसरा जन स्वास्थ्य के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। वैसे पीने के पानी का इन्तजाम जितना होना चाहिये था शहरों में और गांवों में वह नहीं हो पा रहा है।

आज आप पीने का पानी नहीं दिखा पाये हैं। आज भी रेगिस्तान के इलाकों में लोगों को दस दस पन्द्रह पन्द्रह मील से पानी लाना पड़ता है। दो दो युग बीत गये हैं हमें राज करते। और अभीतक जनता को पीने का पानी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं और टैक्स रात दिन बढ़ाते जा रहे हैं। १५ करोड़ से बढ़कर अपनी आमदनी १८० करोड़ की हो गई है। इसके बाद भी पीने का पानी नहीं दे सकते है तो मैं समझता हूं, हमने आजतक जो विकास का दावा किया है वह गलत है। हो सकता है आपने उन इलाकों में विकास का काम किया हो जहां पर सब प्रकार की सुविधाएं पहले भी थी और वहां आपने कुछ बढ़ा दीं। पर मैं तो जिस इलाके से आया हूं, वहां हमारे गांवों में आज भी पीने का पानी आसानी से नहीं मिल पा रहा है और पूरे का पूरा रेगिस्तान आज भी हर वक्त पानी पानी चिल्लाता है। हम तो विकास इसी को मान लेंगे अगर आप हमें पीने के पानी का प्रबन्ध कर दें। आज भी स्टाफ काफी लगा है, काम काफी हो रहे हैं। पर काम के नाम से काम करते हैं, जितना पैसा लगाना चाहिये उन कामों में नहीं लगता। अजमेर के लोग कुछ अधिक बोलना जानते थे, चार पांच करोड़ रुपया एक शहर के पीने के पानी के सवाल के लिये खर्च कर दिया। पर सारे रेगिस्तान में पांच सात करोड़ रुपया भी खर्च नहीं कर पाये। अगर इतना भी कर पाते तो काफी सीमा तक समस्या हल हो जाती।

इस राज्य सरकार में जो बैठते हैं, कैबिनेट में बैठने वालों में कोई अपने इलाकों के बारे में जोर से बोल लेता है तो उसका काम हो जाता है। जोधपुर के भाई जोधपुर के लिए काम करवा लेते हैं, उदयपुर के उदयपुर के लिये काम करवा लेते हैं। पर रेगिस्तानी इलाके से कोई बोलने वाला नहीं। भाई परसराम जी चुपचाप बैठे हैं। अकाल अकाल और खाद्य खाद्य कर के बैठ रहते हैं।

(म. प. १२.१५)

(श्री रामनारायण चौधरी सभापति पद पर आसीन)

अगर कुछ बोलना आता हो उनको तो काम करवाएं अपने रेगिस्तानी इलाके में।

Page No 59

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

एक छोटी सी बात निवेदन करना चाहता हूं। अण्डरग्राउन्ड ड्रेनेज वाटर वर्क्स बीकानेर द्वारा बनाया गया। १६ लाख खर्च करने की स्कीम बनाई। पी० डब्लू० डी० ने पूरी प्लान बनाकर दे दी। इससे करीब चालीस लाख गैलन पानी जाने की बात थी। और वह सारा पानी ऐसी सरकारी जमीन पर जाता, जिसमें हजारों एकड़ जमीन सिंचित होती और हजारों ही माली और गरीब किसान लोग लाभान्वित होते।

वह स्कीम जनस्वास्थ्य विभाग के पास बनकर आई तो उन्होंने कहा कि इसको हम बनावेंगे। मैं जन स्वास्थ्य मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि वह स्कीम कब आप हाथ में लेकर पूरा करने का इरादा रखते है। आपनें कहा हम १६ लाख नहीं १८॥ लाख में ही पूरा कर लेंगे। आपने बड़ा सरकार का फायदा सोचा पचास हजार का। पर इससे आपने अब क्या किया है कि वह पानी जो पहले सरकारी जमीन पर जाता अब एक सरमायेदार की जमीन में डाला जा रहा है और उसको पनपाया जा रहा है। उन हजारों गरीब मालियों के पेट पर लात मारी जा रही है। आपने यह स्कीम बदली तो क्यों बदली ? हैं नहीं यहां जन स्वास्थ्य मन्त्री जी नहीं तो उनसे पूछता।

श्रीमती सुमित्रा : मैं बैठी हूं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : तो आपको यह निवेदन कर दूं कि इसकी पहले की स्कीम को बदलकर आप एक मालदार सरमायेदार की जमीन में यह पानी क्यों डालना चाहते हैं ? आप क्यों नहीं अपनी जमीन में सरकारी जमीन में ओरिजिनल प्लान के अनुसार पानी ले जाते हैं, जिससे कि वहां के हजारों माली व अन्य गरीब लोगों को उसका लाभ मिले। और सरकार को भी अच्छी आमदनी हो। इससे एक हजार एकड़ जमीन सिंचित हो सकती है और इससे हजारों गरीबों को रोजगार मिल सकता है। यहां प्रतिनिधि मण्डल आपके इन्जीनियरों से मिला, आपके मन्त्री से मिला। और जानकारी चाही कि ओरिजिनल स्कीम को क्यों बदला जो पी० डब्लू० डी० ने दी है। एक हजार जोहड़ बीड़ में सरकारी जमीन में पानी जाता एक हजार एकड़ जमीन में। दो दो सौ रुपया भी आप उनसे लें तो बीस हजार रुपया सरकार को इससे मिल सकता है। सौ रुपया एकड़ की सिंचाई करते तो आपको भी लाभ मिलता और गरीबों को भी रोजगार मिलता। जब आप एक सरमायेदार को यह सारा लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको ठीक करना चाहिये। आप गरीबों का साथ दें। सरकारी जमीन पर पानी ले जाने दें। आपको कम से कम दस लाख सालाना की आमदनी होगी श्रीमन्तों के आदमी आकर मिल गये, आपके विभाग से हंसी खुशी से केन्टीनों में ले गये चाय पानी पर। सब जानते हैं आजकल इन केन्टीनों में क्या क्या होता है। पर इस मामले को सारा शहर समझता है। अब लोग इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह गड़बड़ी नहीं चलेगी। आप इसे ठीक करें और गांवों के पीने के पानी का इन्तजाम करें यही मुझे कहना है।

श्री सभापति : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, मेरा जन स्वास्थ्य के बारे में कटमोशन है। ग्राम मण्डा भीमसिंह में एक कुआ वाटर वर्क्स के लिए बनाने हेतु मैंने कट मोशन दिया है। सभापति महोदय, मैं इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्राम मण्डी भीमसिंह में जो पीपुल्स कन्ट्रीब्यूशन है ५ परसेन्ट इसको सन् ६६ में लोगों ने जमा करा रखा है लेकिन इसके बाद भी गवर्नमेन्ट ने दूसरी जगह तो स्कीमें मन्जूर की हैं और जिनका पैसा भी बाद में जमा हुआ है उन स्कीमों को चालू किया है लेकिन मण्डा भीमसिंह में जहां लोगों ने पीपुल्स कन्ट्रीब्यूशन को जमा किया है और गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है और उसके बाद में भी उस गांव में आज तक नल योजना का काम चालू नहीं किया गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बात सही है कि जब भी पीने का पानी का सवाल आता है तो सरकार का ध्यान स्केयरसिटी एरिया की तरफ आकर्षित हो जाता है या वेस्टर्न राजस्थान की तरफ आकर्षित होता है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां भी ऐसे गांव हैं जहां पानी का कष्ट है। जैसे मेरे खुद की तहसील में ऐसे ऐसे गांव हैं, जहां लोग दो-दो और तीन-तीन मील दूर से पानी लाते हैं बल्कि उन गांवों में गर्मी के दिनों में पीने का पानी भी नहीं रहता है जैसे सिनोदिया, साइपुरा है इनमें दो-दो और तीन-तीन मील दूरी से पानी लाते हैं। वहां मीठे पानी के भी कुए नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि कम से कम गवर्नमेन्ट की निगाह में जहां तक जल कष्ट का सवाल है वह सिर्फ डेजर्ट एरिया में है ऐसा नहीं है बल्कि दूसरी जगहों पर भी जल कष्ट होता है वहां सरकार कुछ व्यवस्था करे, यह भी मैं निवेदन करना चाहूंगा।

दूसरी बात सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम जिन गांवों में दो तीन हजार की आबादी है, उन गांवों में कम से कम वाटर वर्क्स होना चाहिए। कम से कम वहां पर पब्लिक स्टेण्ड प्रोवाइड कर दिया टंकी करके और जन सहयोग का लोग पैसा जमा कराते हैं वहां तो वह जरूर होना चाहिए। मेरी तहसील में शायद पांच छः गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी दो, तीन हजार से ज्यादा की है और वहां पर लोग चाहते हैं कि वाटर वर्क्स हो और नल योजना हो और लोग पैसा जमा कराने के लिए तैयार हैं। इस सिलसिले में एक बात कहना चाहूंगा कि प्लानिंग मिनिस्टर ने कह दिया था कि जोबनेर का काम शुरू हो जायगा लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है जब कि जोबनेर के वाटर वर्क्स का शिलान्यास जनवरी ६७ में जो असेम्बली के भूतपूर्व स्पीकर थे श्री रामनिवास जी मिर्धा उनके करकमलों द्वारा उसका हमने उद्घाटन कराया था लेकिन प्लानिंग मिनिस्टर के आश्वासन देने के बाद भी आज तक वहां काम चालू नहीं हुआ है......

श्री मथुरादास माथुर : जोबनेर का काम नेक्स्ट फाइनेन्शल ईयर में हो जायेगा। वी आर टेकिंग दिस स्कीम'।

श्री पी० के० चौधरी : मैं मानकर चलता हूं कि नेक्स्ट फाइनेन्शल ईयर में उसका काम चालू हो जायेगा और जहां तक मण्डा भीमसिंह का सवाल है उसका पीपुल्स कन्ट्रीब्यूशन का सितम्बर ६६ से पैसा जमा है, लेकिन ऐसे बहुत से केसेज़ हैं जहां लोगों ने १९६६ के बाद में पैसा जमा कराया और वहां काम शुरू कर दिया और मैं चाहूंगा

(श्री पी० के० चौधरी)

कि मण्डा भीमसिंह का काम भी जल्दी शुरू करें।

एक सवाल यह है कि दो, तीन हजार की आबादी के गांव हैं वहां रूरल वाटर वर्क्स की कुछ न कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे राजस्थान में पांच छः हजार की आबादी पर नगरपालिका है और हमारे यहां कुछ गांव तीन-चार हजार की आबादी के हैं उनका करेक्टर भी नगरपालिकाओं से कम नहीं है और वहां जब बिजली पहुंच जाती है तो लोग यह महसूस करते हैं कि वहां वाटर वर्क्स भी होना चाहिए। मेरा सुझाव है कि दो, तीन हजार से अधिक की आबादी वाले जितने गांव हैं 'विदाउट एक्सैप्शन' इन सब गावों में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।

सभापति महोदय, दूसरी बात आबकारी के संबंध में कहना चाहूंगा। इसका ठेका किसी स्थान विशेष के लिए दिया जाता है। मेरी कान्सटीटुएन्सी में सभापती महोदय, जोबनेर में ठेका है लेकिन जोबनेर का ठेके वाला इसकी ब्रांच अलग अलग जगह जाकर थड़ी लगाकर शराब की बिक्री करता है। मैं चाहूंगा कि जहां जहां ठेका है वहीं पर खुल सके और ब्रांच का नाम लेकर दूसरी जगह नहीं बेचे......

श्री मथुरादास माथुर : कोई नहीं बेचता है।

श्री पी० के० चौधरी : मैंने खुद ने देखा है।

श्री मथुरादास माथुर : तो उसे पकड़ा दो।

श्री पी० के० चौधरी : भुजपुरा पंचायत समिति की जमीन पर जाकर वह थड़ी लगाकर शराब बेचता है। वहां का सरपंच कहता है कि हमारी जमीन पर ठेका लगाता है, पहले तो लगाना ही नहीं चाहिए और अगर लगाता है तो फिर किराया तो दे। लेकिन वह किराया भी नहीं देता है और जोबनेर ब्रांच का नाम लेकर ठेका चलाता है। इसलिए जहां का ठेका है वहीं बेच सके और अपनी ब्रांच के नाम से नहीं बेच सके यह कम से कम होना चाहिए।

श्री सभापति : श्रीनिवास शारदा।

श्री श्रीनिवास शारदा : (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदय, मेरा एक छोटा सा कट-मोशन आबकारी के सिलसिले में है। मैं दारूबन्दी का हामी हूं और मैं समझता हूं कि प्रत्येक कांग्रेसमैन को इस दिशा में अग्रसर होना चाहिए। कांग्रेसमैन आखिर गांधीवादी कहलाता है और गांधीजी से प्रेरणा लेता है और यदि मैं यह कह दूं कि बहुत से तो उन्हीं के नाम से काम चलाते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आजादी से पहले का इतिहास अगर हम देखें तो गांधीजी के जहां समाज सुधार के कई कार्यक्रम थे नमक कर का विरोध, खादी का काम, साथ ही साथ दारूबन्दी और नशीली वस्तुओं का विरोध अर्थात दारूबन्दी पर उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रैस किया था। आखिर दारू का प्रचलन समाज के लिए एक कलंक है और समाज इससे कलुषित है। मैं समझता हूं हिन्दुस्तान की आजादी के बाद दारूबंदी की दिशा में जो हम पर जिम्मेदारी थी उस प्रोग्राम को पूरा करने की हमने ईमानदारी से उसको निभाने में गुरेज किया है, किनारा किया है। कोरा यह सोचकर, यह समझकर,

Page No 62

(श्री श्रीनिवास शारदा)

यह कह कर कि राज्य की आमद का यह भी एक स्रोत है, एक जरिया है और आर्थिक कठिनाइयों और कमियों की पूर्ति के कारण सरकार इस दिशा में कदम उठाने के लिए विवश हैं अब तक यही तो हम कहते चले आ रहे हैं। मैं समझता हूं सभापति महोदय यदि वास्तव में सोचा जाये तो हमारे सामाजिक उत्थान में इस दारू का जो प्रचलन बढ़ता जा रहा है, वह अशोभनीय है और प्रत्येक समझदार आदमी के लिए बरदाश्त करने के लायक नहीं है। हर एक के मन में यह टीस होनी चाहिए कि हम इस बुराई से समाज को कब निजात दिला सकें, छुटकारा दिला सकें। फिर हमारे राजस्थान में दारूबन्दी की बात तो अलग रही हमने अपनी आय को बढ़ाने के लिए कुछ साल पहले एक गारन्टी सिस्टम इन्ट्रोड्यूस किया। गारन्टी सिस्टम को चाहे किसी प्रकार की परिभाषा दी जाये, लेकिन निश्चित ही हम में से प्रत्येक माननीय सदस्य की यह धारणा है कि इस गारन्टी सिस्टम से ठेकेदारों को ऑफिशियल्स अथवा नान-ऑफिशियल्स को दारू के काम में और इस काम को चलाने में किसी न किसी तरह हिस्सेदार हैं उनकी निजी आय बढ़ी है और वह तभी सम्भव हो सकता था कि दारू का प्रचार और प्रसार तेजी के साथ होता और वह हुआ भी। गारन्टी सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि जिसमें गारन्टी की गई है डोअर टू डोअर सप्लाई की माननीय सदस्य खूब अच्छे तरीके से जानते हैं कि दारू के लिए जब से आपने गारन्टी सिस्टम को इन्ट्रोड्यूस किया है, तब से ठेकेदारों ने जीपें खरीद दी हैं और उन जीपों के जरिये दारू का वितरण आरम्भ किया गया, घर-घर उसका वितरण किया गया, और यहां तक किया गया कि बड़े खेद की बात है सभापति महोदय, कि पिछली बार जब मैं अपनी कान्स्टीटुएन्सी में गया और मैंने एक आदिवासी से प्रश्न किया पीलीखेड़ा करके एक पंचायत है छोटी सादड़ी तहसील में वहां के सरपंच साहब के सामने एक आदिवासी से प्रश्न किया कि भाई, आप लोगों ने दारू पीना बन्द किया या नहीं ? उससे जो मुझे उत्तर उपलब्ध हुआ वह इस प्रकार था कि हम दारू नहीं पीना चाहते, लेकिन ठेकेदार हमको जबरदस्ती दारू पिलाना चाहता है। मैंने उससे दूसरा सवाल किया कि पीते तो तुम अपने हाथ में लेकर हो और अपने मुंह में तो फिर ठेकेदार तुम्हें जबरदस्ती क्यों पिलाने लगा ? तो उसने उदाहरण दिया कि यदि मैं दारू नहीं पीऊं तो फर्जी चालान दारू खींचने के मेरे बारे में रखकर गिरफ्तार कराने की धौंस देता है, इसलिए मजबूरी से दारू पीनी पड़ती है। तो आपके इस गारन्टी सिस्टम से समाज का इस प्रकार पतन हुआ, इस प्रकार समाज त्रस्त हुआ बड़ी निन्दनीय एवं शोचनीय अवस्था है।

दारू जहां, सभापति महोदय, दवा होना चाहिए थी, मैं समझता हूं, आज वह खुराक बन चुकी है, और निरन्तर खुराक बनती जा रही है। दारू दवा के काम में आना चाहिए। मुझे इससे इन्कार नहीं है। दारू नष्ट नहीं हो सकती। दुनिया में दारू रहेगी और रहना चाहिए, लेकिन दवा के लिए न कि खुराक के लिए। खुराक के लिए तो आबोहवा और अन्न आवश्यक है, दारू नहीं। लेकिन आज जन-जीवन में दारू का इतना प्रचार और प्रसार हो रहा है कि वह खुराक बनती जा रही है। मैं समझता हूं

(श्री श्रीनिवास शारदा)

चाहे वह आमदनी के खातिर हो या पोर्टफोलियो के खातिर मंत्री महोदय दारू को चलाते हैं और दारू का प्रचार करते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका कटौती प्रस्ताव तो आबकारी विभाग द्वारा मद्य-निषेध हेतु खरीदी गई जीपों पर चर्चा के लिए है।

श्री श्रीनिवास शारदा : वह इससे कवर होता है। मैं कहता हूं कि दारू के प्रचार और प्रसार के लिए जीपें खरीदने की क्या आवश्यकता है? दारू के लिये जीपें क्यों खरीदी जायं? जीपें खरीदी जायें विकास के काम के लिए तो न्यायोचित है। दारू और जीप का क्या सम्बन्ध है? वस्तु स्थिति सभापति महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि दारू जहां दवा रहना चाहिए वहां खुराक बन रही है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समय रहते आप इस दारू को खुराक की परिभाषा से बन्द कर दें। खुराक की सीमा बन्दी कर दें और दारू को दवा पर ले आयें। यह एकमन का मोह है कि गुजरात में नशाबन्दी हुई, तो उसका क्या परिणाम हुआ गोआ में जाकर पीते थे राजस्थान में आकर पीते थे, नाजायज ले जाते थे होटल में चोरी से आता था। यह कोई दलील नहीं है। सही तो यह है कि आप अपनी आमदनी को छोड़ना नहीं चाहते चाहे समाज का उससे चार गुना या आठ गुना नुकसान होता हो। समाज यदि दुर्बल होता गया तो सरकार निश्चित दुर्बल रहेगी समाज यदि सबल रहे तो वही सरकार की सबलता का प्रतीक है। तो दूसरे आस्पेक्ट को हमें नजरअन्दाज नहीं करना चाहिए। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

दारू से, सभापति महोदय, हरेक अपना दिल टटोलकर दिल और दिमाग से सोचे तो चाहे राज्य की आय कितनी ही होती हो, लेकिन मैं समझता हूं कि इन्डिविजुअल की इनकम किसी सूरत में कम नहीं होती है। जैसा कि मैं इससे पहले निवेदन कर चुका हूं कि चाहे आँफिशियल्स या नान-आँफिशियल्स हों, ठेकेदार हों, अधिकारी हों, एक स्रोत आमद का बन्द हो जाता है। यही कारण है कि विभाग से भी आपके पास इसको काटने के, इसको कम करने के सुझाव नहीं आ रहे हैं। नक्शा सीधा एक सामने आता है कि इतने करोड़ की आमदनी कम हो जायगी। उसके लिए नये टैक्स लगाने पड़ेंगे। कोई हर्ज नहीं है अगर नये टैक्स लगाने पड़ेंगे तो। आपने दारू बन्दी का कुछ प्रयास किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन दारू का अन्त आप कब तक करना चाहते हैं? कभी कहते हैं कि हफ्ते में एक दिन बन्द कर देंगे…

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, समय की पाबन्दी है क्या?

एक माननीय सदस्य : नहीं है।

श्री सभापति : बोलिये आप।

श्री श्री निवास शारदा : दूसरी बात आप कहते हैं कि अगले साल से एक हफ्ता में दो दिन बन्द कर देंगे, कभी आप कहते हैं कि हफ्ते में तीन दिन बन्द कर देंगे। गरज कि आपकी एक पंचवर्षीय योजना है दारूबन्दी के लिए। इसकी ओर मैं निवेदन करना चाहता हूं और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि फराकदिली के साथ इस पर विचार किया जाय कि दारूबन्दी के लिए

(श्री श्रीनिवास शारदा)

हम सब जिम्मेदार हैं। जहां हम वह कहते हैं कि दारूबन्दी करेंगे तो यह होगा, वह होगा, पर मैं कहता हूं कि उसके लिए तरीका है। दारू को किस तरीके से क्या कर सकते हैं और उन तरीकों को हमें अख्त्यार करना पड़ेगा आप लाइसेन्स सिस्टम लगा दीजिये। जितने दारू पीने वाले हैं, उनको एक एक लाइसेन्स दिया जाय। बिना लाइसेन्स के दारू पीता हुआ मिले तो पुलिस के अन्दर भेज दें, उसका चालान कर दिया जाय। डोअर टू ओवर सप्लाई होती है उसको चैक करें......

श्री मथुरादास माथुर : क्या पीने वालों से आपका मतलब है कि जो पीना चाहे वह लाइसेन्स ले ? तो राजस्थान की दो करोड़ जनता में से ५-१० लाख को लाइसेन्स देना पड़ेगा हरेक को या दारू के सेल करने का लाइसेन्स दें। पीने वाले भी लाइसेन्स लेगें क्या ?

श्री श्रीनिवास शारदा : बिल्कुल, मेरी तो यही राय है ताकि गिनती हो जायगी कि कितने ड्रन्कार्डस हैं। बिना लाइसेन्स लिए कोई दारू पीता हुआ पकड़ा जाय तो उनको पनिश किया जाय। एक ला बना दें रजिस्ट्रेशन का उसमें क्या दिक्कत है। एक जमाना था कि लोग अफीम खाते थे। अफीम खाने का रिवाज अब पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा है, लेकिन मैं अपने इलाके की बात करता हूं कि मेरे इलाके में उस वक्त, सभापति महोदय, हरेक किसान, हरेक व्यापारी अफीम उस एरिया में पैदा होती थी तो हरेक अफीम खाता था। लेकिन आज जब बन्धिश है, उस इलाके के अन्दर जहां कि अफीम पैदा होती है तो उस इलाके में अफीम खाने वालों की संख्या बहुत कम है, बिल्कुल नगण्य सी हो गई है। गांजा बन्द हो गया है नजर नहीं आता है। चरस बन्द हो गई तो लोगों ने पीना छोड़ दिया है। चन्डू छोड़ दिया है। दारू बन्दी करने के लिए आप उसको बन्द करें और उस इलाके में जो छिपकर पीयेंगे तो उसका इलाज करिये।

श्री मथुरादास माथुर : आज भी अफीम खाने वालों को लाइसेन्स नहीं है।

श्री श्रीनिवास शारदा : लाइसेन्स नहीं है तो मैं यह कहता हूँ कि यह कौन सी आवश्यकता है जन-जीवन के लिए कि जिस पर आपको इतना तरस आ रहा है कि उसको अनलाइसेन्स्ड रखें ? उसका लाइसेन्स कर दिया जाय। यह कह कर हम छुट्टी नहीं पा सकते। (विराम) मैं निवेदन कर रहा था कि अफीम, गांजा चरस, और चण्डू आदि हैं, जिनका किसी जमाने में फ्री ट्रेड था। इन पदार्थों पर कोई लाइसेंस नहीं था। उस जमाने में मादक पदार्थों का सेवन करने वालों की सख्या बहुत थी। आज उनकी संख्या नगण्य होती जा रही है। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि दारू के बारे में प्रोग्रेसिव स्टेप्स लेंगे। मैं कहता हूं आप हफ्ते में एक दिन बन्द करें। दो दिन बन्द करें। जिनकी इकोनामिक कण्डीशन खराब है मसलन पहाड़ी इलाका जितना है, उस सारे के सारे इलाके में बन्द कर दो। वहां लोग छोड़ना चाहते हैं। by fair or foul means उन्हें पीनी पड़ रही है आज जहां जहां आय बढ़ी है, गलत रास्ते से पैसा आया है, उसी प्रकार से वहां शराब बढ़ी है। ill got ill spent उनकी आदतें डेवलप होती जा रही है। आज

(श्री श्रीनिवास शारदा)

शिड्यूलड कास्ट और शिड्यूड ट्राइब्स दारू छोड़ते जाते हैं। सरकार को भी प्रयत्न करना होगा। यह नहीं कि हम कोई स्टेप्स न लें। (विराम) साथ ही साथ सभापति महोदय, जो व्यक्ति दारू पीकर दुकान से निकलता है, उसका चित्र देखा जाये। तो समाज और सरकार का उसकी अवस्था की ओर निगाह दौड़ाना भी स्वाभाविक सा है। दारूखाने के अन्दर उसको बुरी तरह से दारू पिला देते हैं। ठीक दारू की दूकान के दरवाजे के सामने उसे धक्का देकर निकालते हैं। सड़क पर पड़ा होता है। कुत्ता मुंह में पेशाब करता है। उसे यह भान नहीं होता है कि पत्नी से बत कर रहा हूं या लड़की से बात कर रहा हूं। पता नहीं होता है कि गुड़ खा रहा हूं या गोबर खा रहा हूं मैं यह कहना चाहता हूं कि जब उनका ३४ में चालान होता है तो ठेकेदार का साथ में चालान क्यों नहीं होता है। जो उसको इतनी ज्यादा पिलाता है। जो आदमी उसकी खरी कमाई का पैसा नोचने के लिए उसको ओवर ड्रिन्केन करके भेजता है। एक समाजवादी सरकार कहलाने का जस्टीफिकेशन तभी हो सकता है। ठेकेदार ऐसा क्यों करता है। उस पर रेस्ट्रीक्शन लगा देंगे, तो जो पैमाना है, उससे ज्यादा वह नहीं देगा। ज्यादा लेने से शराबी होश खो बैठता है। होश खोने पर ठेकेदार के जो सर्विस में मिस्चिफ मांगर्स नौकर रखे हुए है, उस गरीब को धक्के मार कर निकालते हैं। और पैसा छीन लेते हैं। वह बेचारा शर्म के मारे पुलिस में रिपोर्ट करने के लिए नहीं जाता है। (विराम) दारू से निश्चित ही हम तो समझते है, कुबुद्धि उत्पन्न होती है। उसका नाम शर्र-ए-आब है। यह पर्शियन का शब्द है। यानी जिसके पीने से शेर पैदा हो जाये। हमारे यहां दारू दवा के नाम पर है। आप जो बना रहे हैं, वह दवा के तौर पर रखें। तो मैं समझूंगा कि आपने सही दिशा की ओर कदम उठाया है। एक निवेदन और करूं, माननीय वित्तमन्त्री महोदय, अगर मामूली सी बात समझ में आ जाये। मैं समझता हूं कि किसी कांग्रेसी को आबकारी का पोर्टफोलियो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। भले ही यह किसी दूसरे आदमी को दे दिया जाये। मैं समझता हूं कि कांग्रेस मैन और शराब का पोर्टफोलियो रखे यह उचित नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं चाहता हूं कि हमारे वित्तमन्त्री जी दारू के बारे में कुछ प्रोग्रेसिव स्टेप्स लेंगे। और रिफार्मस के बारे में कदम उठावेंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री सभापती : श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सभापति महोदय, सामान्य प्रशासन और जनस्वास्थ्य के बारे में मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है। मैं उनके बारे में अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। पहले पहल मैं आबकारी पर आता हूं। महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं उन्होंने कहा है—"मदिरा पान चोरी और वेश्यागमन से ज्यादा निन्दनीय है।" यह उन्हीं के शब्द हैं "जो राष्ट्र मदिरा पान का शिकार है उनके सामने विनाश के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है।"

श्री श्री निवास शारदा : बिल्कुल ठीक कहा है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता थे जिन्होंने देश को संगठित करने के लिए सारा जीवन लगा दिया था उन्होंने हमारे लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारी जनता के लिए यह सन्देश दिया था। आज हम उनके क़दमों पर किस प्रकार चल रहे हैं ? आज हमने मदिरा को हमारे राज्य की एक आय का बड़ा साधन बना दिया है और हम यह दिनों दिन कोशिश किये जा रहे हैं दिनों दिन कि इस मदिरा की आय से, इस साधन से, हम अपने देश की प्रगति करें। देश का विकास करें। मुझे समझ में नहीं आता है कि इस तरह से लोगों के चरित्र का पतन करें। नैतिकता का ह्रास करें। उनकी आर्थिक स्थिति को गिराकर, गरीबों की आर्थिक स्थिति को गिराकर, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनकी आर्थिक स्थिति को गिराकर हम हमारे राष्ट्र का किस प्रकार विकास करना चाहते हैं ? अगर हम हमारे देश की उन्नति करना चाहते हैं, अगर हम अपने देश की तरक्की करना चाहते हैं, तो हमें मूलभूत सिद्धान्तों पर चलना होगा। हम को मूलभूत सिद्धान्तों को अपनाना पड़ेगा। और इसलिए हमें इसके बारे में जो कदम उठाना चाहिए था २० साल पहले, आजादी के बाद, स्वतन्त्रता प्राप्त करने के दिन से १५ अगस्त, १९४७ से। मैं कहना चाहता हूं कि १५ अगस्त, १९४७ को सबसे पहले यही डिक्लेरेशन करना चाहिए था। पहले पहले यह डिक्लेरेशन करना था। महात्मा गांधी जी को बहुत ही यह चीज पसन्द आती। परन्तु महात्मा गांधी जी जब जीवित भी थे, उस समय यह निर्णय नहीं लिया। उसके बाद में भी निर्णय नहीं लिया। अब भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि जो निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, मैं उससे कतई भी संतुष्ट नहीं हूं—दो रोज के लिए बन्द करना, फिर चार रोज के लिए बन्द करना, फिर छः रोज के लिए बन्द करना फिर पूरा बन्द करना। दो रोज के लिए अगर बन्द करेंगे तब क्या आपके विचारों से दो रोज में बिल्कुल नहीं खरीदेंगे ? अगर नहीं खरीदेंगे तो दूसरे दिनों में खरीद कर शराब का अपना काम चला लेंगे। इसलिए इस सिस्टम से कोई शराबबन्द होने वाली नहीं है। कम से कम हम १९७२ के चुनाओं के पहले पहले शराब बन्दी कर देते हैं तब तो हमारी कांग्रेस सरकार की लक्ष्य प्राप्ति होती, कोई उपलब्धि होती परन्तु हमने यह भी निर्णय नहीं लिया है और कहते हैं कि १९७३-७४ तक शराबबन्दी करेंगे। आखिर यह प्रजातंत्र है, क्या पता उस समय किस की गवर्नमेंट बने। वैसे हमारी गवर्नमेंट बनेगी, इसका मुझे विश्वास है परन्तु क्या हम हमारे निर्णय में आगे बढ़ रहे हैं ? हमें यह कोशिश करनी चाहिए, मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा, आबकारी मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस निर्णय में कुछ परिवर्तन करें और प्रगतिशील कदम उठा कर कम से कम यह निर्णय लें कि १९७२ तक जो चुनाव आने वाले हैं उससे पहले पहले हम शराब बन्दी करेंगे।

गारन्टी सिस्टम के बारे में मैं विशेष तौर पर कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि मेरे मित्रों ने इस बारे में विशेष तौर से कह दिया है। गारन्टी सिस्टम से राज्य सरकार ने कोशिश की है कि अधिक से

(वृदिचन्द जैन)

अधिक शराब का प्रचार प्रसार हो और इससे अधिक प्रचार और प्रसार शराब का किया है । मैं देख रहा हूं कि इन पांच छः वर्ष में जितना शराब का प्रचार और प्रसार हुआ है उतना कभी नहीं हुआ, अंग्रेजों के राज्य में भी नहीं, जितना पिछले पांच वर्षों में शराब का प्रचार और प्रसार किया है । हम अंग्रेजों के राज्य को कोसते थे, वैसे हमारा कोसना सही था क्योंकि हम गुलाम नहीं रहना चाहते थे लेकिन अंग्रेजों के राज्य के बाद भी हमने शराब का ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया है, प्रसार किया है और हमने शराब के प्रचार और प्रसार से जनता को बहुत कमजोर किया है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर किया है और नैतिक स्तर भी हमने गिराया है । मैं यह चाहता हूं कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी कदम उठाये । राजस्थान सरकार यह कह सकती है कि दूसरे प्रॉविन्सेज ने कदम नहीं उठाया है, इसलिये हम क्यों उठाये ? लेकिन मद्रास ने उठाया है जहां कि कांग्रेस सरकार नहीं है । इसके अलावा गुजरात ने उठाया है । वैसे अगर दूसरी सरकारों ने कदम नहीं उठाया है तो वह त्रुटी पर हैं, वह सही कदम नहीं उठाती हैं । मतलब यह नहीं है कि हम सही कदम नहीं उठायें ।

दूसरी चीज जो है वह विशेष तौर से आती है सामान्य प्रशासन के बारे में । सामान्य प्रशासन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा देश गरीब है । यह हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश की आय, प्रति व्यक्ति बहुत कम है । लोहिया जी ने तीन आना, दो आना आय बताई है परन्तु छः आना, आठ आना से ज्यादा प्रति व्यक्ति किसी भी तरह की हमारी आय नहीं है । प्रति व्यक्ति आय आठ आना, दस आना और बारह आना से ज्यादा हमारी जनरल ९९ पर्सेन्ट जनता की आय नहीं है । जब हम इस प्रकार के गरीब देश हैं तो हमारी शान शौकत को बढ़ाने के लिए हमने जितना भी खर्च किया है, हमने जितनी सर्विसेज की तनख्वाह बढ़ाई हैं, हम मंत्रियों पर कितना खर्च करते रहे हैं--इसके बारे में हम कतई गौर नहीं करते हैं । हम यह कहते हैं कि हम कोई योजना लें, तो इसलिए नहीं ले सकते कि धनाभाव के कारण हम आगे नहीं बढ़ सकते । परन्तु जहां खर्च कम करना चाहिए वहां हम कमी नहीं करते हैं । महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारा जीवन सादा और पवित्र होना चाहिये । हम चरित्रवान बनें और सादगी हमारे जीवन में आये । परन्तु सादगी के बारे में हम कतई मान्यता नहीं देते हैं । मैं यह देखता हूं कि इस प्रकार की स्थिति हो गई है कि सादा जीवन व्यतीत करने वाले को हम समझते हैं, यह मूर्ख है, यह पागल है, यह अव्यवहारिक है । इस प्रकार की चीजें हमारे दिमाग में चल रही हैं । मैं चाहता हूं, यह स्थिति नहीं हो । जब हमारा गरीब देश है और आर्थिक स्थिति के अन्दर देश कमजोर है, उस दृष्टिकोण को सामने रख कर जो हम सर्विसेज को तनख्वाहें ज्यादा दे रहे हैं, उन तनख्वाहों को कम करना चाहिए । मंत्रि-मण्डल के लिए मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं । मैं स्थिति देख रहा हूं मंत्रि-मण्डल के बारे में कि सभी मंत्री बनना चाहते हैं । इससे प्रजातंत्र को काफी धक्का

Page No 68

(श्री बृदिचन्द जैन)

पहुंचा है, यह इस इसलिए पहुंचा है कि आज हर सदस्य यह चाह रहा है कि मैं मंत्री क्यों न बनूं, मैं उससे ज्यादा योग्य हूं इसलिए मैं मंत्री क्यों न बनूं । यह चीज आज एक कम्पटीशन की चल रही है, सारे देश के अन्दर चल रही है । सभी मंत्री बनना चाहते हैं । मैं यह मानता हूं कि जब हमारा देश गरीब है और हमारी आर्थिक स्थिति खराब है तो हमें यह चाहिए कि एम०एल०ए; डिप्टी मिनिस्टर और मिनिस्टर के वेतन में फर्क नहीं हो । मैं कहना चाहूंगा कि बंगाल ने एक उदाहरण उपस्थित किया है, वह कम्युनिस्टों ने किया है, लेकिन उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है और उसका हमको भी पालन करना चाहिये । मंत्रियों का वेतन पांच सौ रुपये होना चाहिये और चीफ मिनिस्टर का वेतन साढ़े सात सौ रुपये होना चाहिये । यह स्थिति पैदा होगी तो अधिक मंत्री कोई बनने की कोशिश नहीं करेगा और जितना इससे प्रजातंत्र को खतरा पैदा हो रहा है जो दल बदलुओं की समस्या भयंकर रूप धारण कर रही है यह समस्या भी काफी अंश तक दूर हो जायेगी । मेरा खास तौर से निवेदन है कि हम कहते हैं और यह हमेशा सेन्टर की ओर रुख रखते है कि हम पिछड़े हैं, हमारा प्रान्त पिछड़ा हुआ है, जिस कारण जो पानी की भयंकर समस्या को भी हम हल नहीं कर सकते हैं । हम जब यह प्रश्न रखते हैं कि हम पिछड़े हैं और हमारी आर्थिक स्थिति खराब है तो हमें चाहिए कि हम कुछ सेक्रिफाइस करें । जब तक मनुष्य अपने आप सेक्रिफाइस नहीं करता है तब तक त्याग करने की शक्ति की बात दूसरों को नहीं कह सकता है । मैं मानता हूं कि आज हमको अपना एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करना है । आज जब बात होती है तो गवर्नमेंट सर्वेन्टस कहते हैं कि आज मंत्रियों पर कितना खर्चा होता है । आज बड़े बड़े गवर्नमेंट सर्वेन्ट इस प्रकार की बात करते हैं । हमको यह बात सोचनी चाहिए कि जब जनता के प्रतिनिधि यह बात कहते हैं, पब्लिक यह बात कहती है, पब्लिक ओपिनियन आज इस प्रकार की है, तो यदि आपको प्रजातंत्र की रक्षा करनी है, प्रजातंत्र को बचाना है तो यह कदम उठाना पड़ेगा । मैंने आपको पहले भी कहा था कि हीरालाल शास्त्री की जो गवर्नमेंट थी, उसने यह प्रतिबन्ध कर दिया था बिजली के बारे में अमुक रुपये से ज्यादा बिजली कोई खर्च करता है तो वह उसके घरेलू खर्च में शुमार की जायगी इसी तरह से उन्होंने पानी के बारे में भी प्रतिबन्ध किया था, इसी तरह से टेलीफोन के बारे में भी प्रतिबन्ध किया था । जिस समय हीरालाल शास्त्री की गवर्नमेंट पहली गवर्नमेंट बनी थी, उस समय कांग्रेसमैन, हम भी उनको चाहते नहीं थे, क्योंकि उनका बहुमत नहीं था और एक प्रकार से दबा कर उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया था । फिर भी उनके माफिक भी हम चलते नहीं हैं । इसलिए हमें विशेष तौर से यह कोशिश करनी है कि इस प्रकार के हमारे जो खर्च हैं उनमें हम कमी करें ।

आज जीप का हम दुरुपयोग करते हैं । ऐसा कोई मैंने ऑफिसर, ऐसा कोई मंत्री नहीं देखा है जो सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग नहीं करता हो । आज प्रधान को जीप मिली है, प्रमुख को जीप मिली है तो उन्होंने भी जीप का दुरुपयोग करने की कोशिश की है । यह स्थिति भयानक है ।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

ऐसी स्थिति में हमें कोशिश करनी चाहिये कि हम टूअर करें तो वह करें कुछ प्रयोजन के लिए, कार्य के लिए। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय जो टूअर करें तो सदन के सामने उनका विवरण आना चाहिए कि इतने मैंने टूअर किये हैं और मैंने यह कार्य किया है। आखिर वह सदन के प्रति जिम्मेदार हैं। जब सदन के प्रति जिम्मेदार हैं तो हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो टूअर किये है, तो उन्होंने क्या कार्य किया है, क्या प्रान्त के लिए कार्य किया है, क्या जिले की प्रगति के लिए कार्य किया है। अगर इस प्रकार का कदम नहीं उठाया, अगर ईमानदारी और सच्चाई से काम नहीं किया, जीवन को सच्चाई की तरफ नहीं ढाला तो प्रजातंत्र अवश्य ही खतरे में पड़ने वाला है।

अब मैं खास तौर से प्रेसीडेंट मेडल के बारे में प्रकाशन डालने की कोशिश करूंगा। मैंने यह देखा है कि यह प्रेसीडेंट मेडल एक ऐसा मेडल है, जो महत्वपूर्ण आदमी है, जो ईमानदार आदमी है, जो बहुत प्रतिष्ठित आदमी है और जिन्होंने बहुत ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम किया है, लगन के साथ काम है, देश की सेवा में हाथ बटाया है ऐसे व्यक्तियों को प्रेसीडेंट मेडल मिलना चाहिए परन्तु मैं यह देख रहा हूं कि ऐसे व्यक्तियों को प्रेसिडेन्ट मेडल मिलता है, जो कि भ्रष्ट से भ्रष्ट हैं, उनका चरित्र विनाश की तरफ गया हुआ है और उनको प्रेसिडेन्ट मैडल, राष्ट्रपति पदक मिल रहा है.........

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट के लिये, माननीय सदस्य ने प्रेसिडेन्ट मेडल को कहा, किन किन ऐसे ऑफीसर्स को प्रेसिडेन्ट मेडल मिलता है ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : प्रेसिडेन्ट मेडल मिलता है मेरिट के तौर पर एस. पी. को, पुलिस ऑफीसर्स को, कान्स्टेबल्स को और हैड कान्स्टेबल्स को अगर बहादुरी से काम करें तो उनको मिलता है।

श्री सभापति : किस अधिकारी का नाम लेकर बताने का कह रहे हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : प्रसिडेन्ट मेडल किन अधिकारियों को मिला ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अधिकारियों का नाम पूछा तो मैं अभी सब बता रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं नाम नहीं पूछ रहा हूं, आप जनरल बात कर रहे हैं इसलिये जानकारी प्राप्त करना चाहता था कि किन किन अधिकारियों को मिलता है ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं जानकारी दे रहा हूं। हम सभी जानते हैं कि इसका दुरुपयोग होता है, इसके लिए सुझाव देना चाहता हूं कि प्रेसिडेन्ट मेडल के लिये एक कमेटी फोर्म करें, जिसका चेयरमैन हाई कोर्ट का जज हो और दूसरे ऑनेस्ट, इम्पार्शियल मेम्बर्स उस कमेटी में रहें, वे प्रेसिडेन्ट मेडल के बारे में सिफारिश करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हाईकोर्ट के जज का सारा समय इसी काम में लग जायगा, वह दूसरा कोई काम ही नहीं कर सकेगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : दुनियां में हाई कोर्ट के जज के अलावा और कोई ईमानदार होते ही नही हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं इसके लिये इतना पर्टिक्यूलर नहीं हूँ, I am not emphasesing on this I am not so particular about this. मैं तो यही कहता हूं कि प्रेसीडेन्ट मेडल सही आदमियों को दिये जाने चाहिए। इसलिए इस बात पर विशेष तौर पर जोर दिया है।

अब मैं सामान्य प्रशासन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सामान्य प्रशासन के बारे में यह कहना चाहता हूँ कि आज जितने कार्य होते हैं, चाहें वे कई भी हों, चाहे सेक्रेटेरियेट में हों, जब तक पीछा नहीं करें, पर्स्यू नहीं करें तब तक वे कार्य नहीं होते हैं, हर कार्य को पर्स्यू करना पड़ता है। रैड टेपिज्मा इतना फैला हुआ है, कि जिसकी कोई हद नहीं। राणावत आयोग के आधार पर सर्विसेज की तनख्वाहें बढ़ा दी और उस कारण हमारा सालाना खर्चा साढ़े तीन करोड़ रुपया बढ़ गया, पर क्या हमने कभी इस बात की कोशीश की है कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट की कार्यक्षमता बढ़े, वे इमानदारी से काम करें ? मैं तो कहता हूं कि पेपर्स के बारे में रूल्स बना दिये जाने चाहिये कि इस प्रकार का पेपर ७ दिन में डिस्पोज आफ हो जाना चाहिये, इस प्रकार का कागज ३ दिन में डिस्पोज आफ हो जाना चाहिये, आज इस प्रकार की इन्स्ट्रक्शन्स देनी होगी। जो कम्प्लायेन्स नहीं करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा करेंगे तभी पोजीशन ठीक होगी।

आज भ्रष्टाचार दिन दिन बढ़ रहा है, आज एम. एल. एज., मिनिस्टर्स, बड़े बड़े अधिकारी, आई. ए. एस. हैं ये किसी तरह का भ्रष्टाचार करें तो उनको फंसाना बहुत मुश्किल है। लोक आयुक्त, लोकपालों की नियुक्तियां दूसरे प्रान्तों में हो रही हैं, तो हमें भी इस प्रकार की नियुक्तियां करनी चाहिये, यह कहते हैं कि सैन्ट्रल गवर्नमेंट इस सम्बन्ध में निर्णय करेगी तब करेंगे। इसके लिये हमें इन्तजार नहीं करना चाहिए पर हमें जल्दी से जल्दी इस प्रकार की व्यवस्था हमारे यहां करनी चाहिये।

मैं बार बार सदन के समक्ष यह कहता आ रहा हूं कि हमारे यहां रेगिस्तानी क्षेत्रों की उपेक्षा की गई हैं, मैं बार बार यहां यह कहता आया हूं कि नगरों और शहरों के मुकाबले में गांवों की उपेक्षा की गई है और उसका नतीजा आज हमारे सामने यह हुआ है कि जो भयंकर अकाल पड़ रहे हैं, जो कष्ट हमारे सामने आ रहे हैं, उनकी इतनी भयकर रूपरेखा नहीं होती, अगर हमने जल की समस्या को हल करने के लिये पहले ही कदम उठाये होते। हमने योजनाओं में ५०७ करोड़ रुपया खर्च किया। मैंने पहले भी कहा और अब भी ध्यान में लाना चाहता हूं कि नगरीय योजनाओं के लिये ११,४६,५३,००० रुपया योजनाओं में खर्च किया और ग्रामीण योजनाओं में ६४ करोड़ ७,९६ हजार रुपया खर्च किया, जबकि १,६७ लाख की आबादी हमारे

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

राजस्थान की गांवों में बसती है। और ३३ लाख आबादी नगरों और शहरों में बसती है। हमने इस प्रकार की विषमता पैदा कर के ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित नहीं होने दिया और मैं बताना चाहता हूं कि पर केपिटा एक्स्पेन्डीचर हमने बाढ़मेर, जैसलमेर, जालौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम किया है, और इस प्रकार जो अविकसित क्षेत्र थे उनको अविकसित ही रखा है। अब जो करने जा रहे हैं उसमें कुछ आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में २५ करोड की योजना बनाई है, यह राजस्थान सरकार का सराहनीय कदम है। पाइप लाइन स्कीम्स की योजना ऊंडू टू बायतू के बारे में गवर्नमेंट कदम उठा रही है। मैंने पहले भी अर्ज किया था और फिर कहना चाहता हूं कि टैंकों के निर्माण के बारे में भी हमें निर्णय लेना चाहिये। सार्वजनिक टैंक नहीं होने के कारण पानी को कैसे स्टोर करें। ट्यूब वैल्स से पानी निकाल कर ट्रकों द्वारा पहुंचाये पर वह पानी डालें कहां पर ? इसके लिये सार्वजनिक टैंक होने चाहिये। इसके लिये मैंने विशेष तौर से कहा था कि १५ हजार का टैंक होना चाहिये, इससे बरसात नहीं होगी तो भी पानी का स्टोरेज हो जायेगा और बरसात हो जायगी तब तो बहुत ही मीठा पानी लोगों को पीने को उपलब्ध हो जायगा। सार्वजनिक टैंकों के बनाने से बरसात होने पर भी और बरसात नहीं होने पर भी लाभ होगा। इस साल बजट लाया गया है इसमें यह प्रबन्ध नहीं रखा है। मैंने ७५ लाख रुपया इस प्रकार के सार्वजनिक टैंकों के निर्माण के लिये रखने का निवेदन किया था। आज अनुसूचित जाति व जनजाति को चौधरी और मुखिया लोगों पर पानी के लिए मुनस्सर रहना पड़ता है। मैंने बहुत सी जगहों पर इस प्रकार देखा है कि चौधरियों और मुखिया लोगों के पानी ले लेने के बाद उनका झूठा पानी दूसरे लोगों को पीने को मिलता है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से यह व्यवस्था है कि २ हजार रुपया एक कुआ बनाने के लिये दिया जाता है। दो हजार रुपयों में क्या बाड़मेर जिले में कुआ बन सकता है, दो हजार रुपये में वहां कुआ नहीं बन सकता। अगर वहां कुआ बनवाना चाहते हैं तो १० हजार रुपया और १५ हजार रुपया एक कुआ बनाने के लिए दीजिये क्योंकि वहां एक कुआ बनाने में १५ हजार रुपया खर्च होता है। यदि समाज कल्याण विभाग वास्तव में अनुसूचित जाति और जन जातियों के लोगों का कल्याण करना चाहता है तो हमारे उस क्षेत्र में एक कुए को बनाने के लिये १५ हजार रुपये देने चाहिये। और इन्डिविज्युअल्स को भी कुआ बनाने के लिये लोन दें तो १० हजार या १५ हजार रुपये का लोन देना चाहिये। इसके अलावा टैंक बनाने के लिये individual को १५०० रुपया दें तो टैंकों से उस क्षेत्र में लोगों को बहुत अधिक लाभ हो सकता है पन्द्रह सौ में एक टैंक बन जाता है १० किश्तों में आप यह रुपया वसूल कर सकते हैं इसमे घर घर में टैंक बन सकते हैं और लोग पानी का सदुपयोग कर सकते हैं। हमारे क्षेत्र में पानी का भयंकर संकट है, उसके लिए विशेष तौर से कहना चाहता हूं। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि ऊंडू से बायतू की पाइप लाइन स्कीम होनी चाहिये। इसके लिए गवर्नमेंट निर्णय ले रही है, इससे शीघ्र अमल में लाया जाना चाहिये।

Page No 72

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

बाड़मेर नगर पाइप लाइन के लिये मैंने निवेदन किया था और राज्य सरकार ने बाड़मेर नगर के लिये कदम उठाया है, दूसरी पाइप लाइन बनाई जा रही है जिससे बाड़-मेर की समस्या हल होगी ऐसी मुझे आशा है। इसी प्रकार दूसरे गांवों में पानी का संकट है, वहां कम से कम ऐसा प्रबन्ध तो करिये कि जिससे हर गांव के आदमी को कम से कम पांच मील से तो मीठा पानी उपलब्ध हो सके, इस प्रकार की पाइप लाइन स्कीम बनाने से मीमड़ा के अन्दर ट्यूबवेल बनने से मुझे आशा है कि वह सफल होगी। वहां से कावास पाइप लाइन बन सकती है मैं चाहता हूं कि कपूटड़ी से माद-तेश पानी पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

अब मैं विशेष रूप से अनुसूचित जाति व जन जातियों के लिए कहना चाहता हूं। एक तो अनुसूचित जाति के लोगों को मुश्किल से चपरासी की पोस्ट मिलती है, कोशिश तो यह कि जाती है की किसी तरीके से वह चपरासी न बनाया जाय और अगर वह किसी तरह बन जाता है तो उसके हाथ से पानी सरकारी कर्मचारी नहीं पीते। मुझे विशेष तौर से दुःख है और उसके साथ में घृणा करते हैं। और ऐसे कर्मचारी अपने लिए अलग पानी की व्यवस्था करते हैं, उन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कदम उठाने चाहिए। तो इस प्रकार हम क्रांतिकारी कदम उठाकर जनता की उन्नति कर सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी

(अनुपस्थित)

श्री रतनलाल (अनुपस्थित)।

श्री नाथूभाई।

श्री नाथूराम (बागीदौरा) : सभापति महोदय, आबकारी के बारे में माननीय सदस्यों ने काफी प्रकाश डाला है। मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। वैसे तो हमारी सरकार ने गत वर्ष बांसवाड़ा और उदयपुर आदिवासी क्षेत्रों में शराब पर प्रतिबंध लगाया, उसके लिए मैं सरकार का स्वागत करता हूं। साथ ही यह भी निवेदन कर सकता हूं कि सरकार जो कानून बनाती है उनका पालन नहीं होता है शराबबन्दी का कानून तो बनाया लेकिन जो शराब नहीं पीते हैं, उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग शराब पीते हैं वे बांसवाड़ा और डूंगरपुर में मैं देखता हूं मध्यप्रदेश से शराब मंगाकर पीते रहते हैं। सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उन लोगों के खिलाफ मुकदमे बनाकर चालान किया जाय। सरकार जो कानून बनाए उसका सख्ती से पालन करना चाहिए नहीं तो वह कानून किताबों में ही रहता है। गांवों में उसके अनुसार पालन नहीं होता तो गरीबों को कोई फायदा नहीं। वैसे आदिवासी लोगों ने सामाजिक सुधारों के कारण और धार्मिक दृष्टि के कारण शराब पीना छोड़ दिया है, लेकिन जो लोग पीते हैं चुपके से पीते हैं, इसलिए मन्त्री महोदय को चाहिए कि जब तक इसके लिए सख्त कदम नहीं उठायेंगे, तब तक शराब पीते रहेंगे। इसके साथ मैं निवेदन करता हूं कि वहां लोग देशी शराब

Page No 73

(श्री नाथूराम)

बनाकार काम में लेते हैं और अगर किसी को पकड़ लिया तो पैसा खाकर छोड़ देते हैं। इसलिए इस कानून का सख्ती से पालन करना चाहिए।

हमारे यहां महुए के वृक्ष होते हैं, उनके फल होते हैं। दुश्काल में गरीब, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग इस महुए को फलों को खाते हैं। हमारे यहां ब्राह्मण, पटेल वगैरह हैं जो आदिवासियों के अलावा कृषक हैं वे महुए के फलों को खाते हैं। इसलिए आप जो कानून बनायें वह ऐसे नहीं बनायें कि महुए के फलों पर भी प्रतिबंध लग जाय। जब पानी बरसता है तो खेती में आदिवासी लोग महुए के फलों को खाते हैं। खेती करने के लिए बैलों को महुओं के फल खिलाते हैं। बरसात जोरों से होती है, तो उस समय उनको खाद नहीं मिले तो वे कमजोर रहते हैं......

(१. १५. म. प)

(श्री उपाध्यक्ष पदासीन)

तो आप जो महुए का कानून बनायें तो उसमें बहुत ध्यान देना चाहिए ताकि महुए के फल पर कानून में रुकावट नहीं आए। अगर प्रतिबंध लग गया तो गरीब लोगों पर असर होगा और दुश्काल में जब आप मजदूरी नहीं दिला पाते हैं, हालांकि आपने कार्य खोल रखे हैं लेकिन उसकी भी लिमिट है कि २५,००० से ज्यादा संख्या न बढ़े। जो गरीब लोग हैं वे चने और महुआ अधिकतर खाते हैं, इसलिए ऐसे कानून का लोग विरोध करेंगे। इसलिए मन्त्री महोदय कृपया नोट करें।

संविधान में प्रावधान है कि आदिवासी क्षेत्र जो शिड्यूल्ड एरिया है, उसमें कोई भी कानून बने तो उस क्षेत्र का ज्यादातर ध्यान रखा जाना चाहिए, अधिकतर यह नहीं किया जाता है। इसलिए जो कानून बनाएं उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

अब मैं प्रशासन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। प्रशासन दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है। हमारे यहां सामान्य प्रशासन के बारे में पहले भी निवेदन किया गया और फिर निवेदन करना चाहता हूं कि दिनों दिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और खर्चा बढ़ता जा रहा है। महंगाई में जो वेतन बढ़ाए जाते हैं, या भत्ते बढ़ाए जाते हैं बड़ी बड़ी तनख्वाएं हैं जिनको अधिक मिलती है उनको अधिक पैसे बढ़ जाते हैं और जो छोटे छोटे बाबू लोग छोटी तनख्वा वाले हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता इसलिए छोटे कर्मचारियों की तनख्वा नहीं बढ़ायेंगे तो वे काम में दिलचस्पी नहीं लेंगे। छोटे कर्मचारियों की तनख्वा नहीं बढ़ेगी तो वे भ्रष्टाचार की ओर दिमाग लड़ायेंगे, गरीबों से रिश्वत लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए छोटे कर्मचारियों को आवश्यक वेतन और महंगाई मिलनी चाहिए।

आज जो उत्पादन के लिए योजनायें बनाई जाती हैं उनमें अधिकतर गाड़ियों और पेट्रोल पर खर्चा किया जाता है। माही बांध पर २ करोड़ रुपया बंगाले बनाने पर खर्च किया। इतने में भी अच्छी सिंचाई हो सकती थी और बांध कुछ बन सकता था। प्रशासन में कई गड़बड़ियां ऐसी हैं, अगर उसमें सुधार नहीं होगा तो हमारी योजनायें सफल नहीं होंगी और उत्पादन पर बहुत बुरा असर होगा। इसके साथ साथ यह भी निवेदन करूंगा कि दफ्तरों का खर्चा अधिक बढ़ता जाता है जैसे डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर, सेक्रेटरी,

(श्री नाथूराम)

डिप्टी सेक्रेटरी, इन पर खर्च कम करना चाहिए। राजस्थान में २५ जिलों में दुष्काल है ऐसी हालत में मन्त्रिमंडल की संख्या जो बढ़ाई है, उस पर जो खर्चा होता है उसको कम करना चाहिए। एक तरफ दुष्काल मिटाने के लिए हम योजनायें बनाते हैं और कहते हैं खर्चा घटायें, लेकिन जब तक बड़ी बड़ी तनख्वाहें और मन्त्री मण्डल का खर्चा कम नहीं किया जायगा, तब तक हमारा खर्चा बढ़ता ही जायगा।

फिजूलखर्ची को घटाकर उत्पादन कार्य पर ज्यादा जोर देना चाहिए। अगर यह नहीं किया गया तो योजना सफल नहीं होगी। आज होता क्या है? समाज कल्याण विभाग की तरफ से पिछड़े वर्गों के लिये जो पैसा मिलता है वह अधिकतर गाड़ियों और पेट्रोल में खर्चा होता है। इसलिए गाड़ियों, पेट्रोल व दफ्तरों पर खर्च कम करना चाहिए ताकि उत्पादन पर ज्यादा खर्च करके उत्पादन बढ़ाया जा सके।

पेय जल के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार पैसा जरूर खर्च कर रही है लेकिन स्थायी रूप से पेय जल योजना नहीं बनी है और बनी है तो पालन नहीं हुआ है। रेगिस्तानी इलाकों में पेय जल की व्यवस्था के लिये बार-बार सदस्य महानुभाव कहते हैं। लेकिन वहां के लिये कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। बाड़मेर, जैसमेर, जालौर वहां पानी का बिलकुल अभाव है। वहां पर स्थायी रूप से पेय जल की व्यवस्था की जानी चाहिये। समाज कल्याण विभाग की ओर से हरिजनों और आदिवासियों के लिये जो रकम रखी जाती है उसका दुरुपयोग होता है। पेय जल के लिये अधिकतर पैसा शहरों में खर्च होता है। शहरों में पानी का अधिक दुरुपयोग होता है। जयपुर शहर की ही बात ले लीजिये। यहां पर अन्धाधुन्ध पानी सड़कों पर बहता रहता है, एक तरफ तो पानी के बिना लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ पानी इस प्रकार बेकार जाता है। दो करोड़ से भी अधिक जनता गांवों में बसती है। उनके लिये पेय जल की व्यवस्था होनी चाहिये। गांव के लोग कीचड़ मिला पानी पीते हैं, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे नारू की बीमारी होती है। और भी कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। पिछड़े वर्ग के लोग अस्वस्थ रहते हैं उनके लिये आश्वासन होते हुए भी उनको काल का शिकार होता रहना पड़ेगा। आपको चाहिये कि आश्वासन को पूरा करें और गांवों के लिये आप विशेष ध्यान दें।

डूंगरपुर, बांसवाड़ा शिड्युल्ड एरिया है। आदिवासियों और हरिजनों के कुओं के लिये रकम मिलती है लेकिन वह रकम उनके परिवार तक नहीं पहुंचती है। व्यवस्था में ही वह सारी खर्च हो जाती है। कुएं अधूरे रह जाते हैं। इससे न तो उनके यहां पानी की व्यवस्था हो पाती है और न ही काम। रकम का भी दुरुपयोग हो जाता है। इसलिये इस व्यवस्था में सुधार होना चाहिये और पानी की समस्या को हल करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नंदलाल।

श्री नंदलाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव आबकारी के सम्बन्ध में है। शराब के लिये

(श्री नन्दलाल बैरवा)

सरकार ने गारन्टी सिस्टम शुरू कर रखा है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। गारन्टी सिस्टम के अनुसार जो भी ठेकेदार गांवों या शहरों में ठेका लेगा, वह सरकार को भुगतान किया है उससे अधिक लाभ कमाने की कोशिश करेगा। जब तक उनका माल नहीं बिकेगा, शराब नहीं बिकेगी तो छोटी-छोटी बस्तियों में, काश्तकारों और आदिवासियों की बस्तियों में जाकर एजेन्ट बनायेगा और उनको उधार देने की कोशिश करेगा। उधार देने से अधिक रकम लेने की कोशिश करेगा, मान लीजिये गारन्टी सिस्टम से पहले सौ रुपये की वस्तु है, वह सवा सौ रुपये लेने की कोशिश करेगा। २५ परसेन्ट ज्यादा कीमत। इसलिये मैं मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि गारन्टी सिस्टम जो सरकार ने चालू कर रखा है, उसको तुरन्त बन्द कर देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया आपस में बात न करें।

श्री नन्दलाल बैरवा : दूसरा हरिजन आदिवासी और मजदूर बस्तियां जहां पर हैं वहां पर खुले आम शराब बिकती है। राज्य सरकार की ओर से नियम होते हैं कि कितने बजे दुकान खुलनी चाहिये और कितने बजे बन्द होनी चाहिये। शहर में ९ बजे खुलेगी और ९ बजे शाम को बन्द हो जावेगी। लेकिन शराब की दुकानें हैं वह चौबीसों घंटे खुली रहती है। चाहे रात के १२ बजे हो या सुबह छः बजे हो जब भी जाओ शराब बिकती है। इसलिये शराब की दुकानों का भी समय निश्चित होना चाहिये। यह मेरा राज्य सरकार से निवेदन है। अगर यह समय निश्चित हो जावेगा, तो मुझे यह महसूस होगा कि मन चाहे समय उनको शराब नहीं मिलेगी और जेब का पैसा भी बचेगा।

साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि लाखेरी सीमेन्ट फैक्टरी में गारन्टी सिस्टम लागू कर रखा है। जनता की ओर से शिकायतें थीं। आबकारी मंत्रीजी को प्रार्थना पत्र भी दिया गया लेकिन आज तक जवाब नहीं मिला। गारन्टी लेने वाले जो व्यापारी हैं, वे परेशान करते हैं। एक दुकान से शराब खरीद कर ली, ठेकेदार क्या करेगा कि तुम दूसरे जिले में आये हो यह इन्द्रगढ़ जिले की है, जबकि राज्य सरकार की ओर से कोई पाबन्दी नहीं है। घर-घर में दुकानें होने से छोटी-छोटी बस्ती में बीस-बीस परिवारों में शराब मिलेगी। काफी आन्दोलन किया लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। सम्बन्धित इन्स्पेक्टर और अधिकारी को मिला लेते हैं इसलिये शिकायतें करने पर भी वह कोई परवाह नहीं करते। नाजायज शराब बनाई जाती है। सरकार को जितनी आय नहीं होती है उतनी आय अधिकारी लोगों को होती है। अवैध शराब के लिये क्या करते हैं कि किसी प्रकार वहां ये लोग खबर पहुंचा देते हैं कि हम आ रहे हैं। कुछ पकड़ लिया और मामले को रफा दफा कर दिया और हजारों रुपया रिश्वत का ले लिया। अधिकारी लोग इस प्रकार ध्यान नहीं देते। इस ओर ध्यान दिलाने का मुख्य कारण मेरा यह है कि मजदूर एरिया में सप्ताह में एक दिन तो शराब की दुकान बन्द रहनी ही चाहिये। राज्य सरकार ने घोषणा जरूर की है। लेकिन मैं मजदूर बस्ती में रहता हूं। वहां पर एक भी दिन बन्द नहीं होती है। न ही कोई आदेश पहुँचे हैं। एक जगह गारन्टी सिस्टम होता है तो कई दुकानें खोल दी जाती है। हम

(श्री नन्दलाल बैरवा)

कहते हैं तो कोई चिन्ता नहीं करते हैं। राज्य सरकार की ओर से आदेश हो या न हो, उसकी वे अधिकारी लोग परवाह नहीं करते। राज्य सरकार शराब बन्दी कानून व नियम बनाने जा रही है। एक सुझाव देता हूं। हिन्दू धर्म हो या कोई धर्म हो, शादी विवाह, सगाई वगैरा पार्टी समारोह होते हैं वहां पर किसी भी प्रकार से शराब नहीं बिकनी चाहिये और न मिलनी चाहिये। आदिवासी और हरिजनों के क्षेत्रों में शराब बन्दी लागू की वह हो गई लेकिन शादी विवाह इत्यादि के अवसरों पर शराब उनको न मिल, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिये। इसके लिये नियम लागू कर देने चाहिये। इससे वे गरीब लोग जो मेहनत करके पैसा कमाते हैं, वे शाम को जाकर शराब पी कर दिन भर की कमाई खतम कर देते हैं। इसी प्रकार जो आदिवासी और परिगणित जातियों के लिये छात्रावास हैं, जिनको कि समाज कल्याण विभाग चलाता है, उनकी व्यवस्था के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां के जो सुपरिन्टेन्डेटस हैं वे खुद शराब पीते हैं। प्रमाण के तौर पर आप चाहें तो जानकारी कर लें कि जितने होस्टल हैं, जिनके अन्दर व्यवस्थापक महोदय शराब पीते हैं या नहीं ? मैं कहूंगा कि ऐसे अधिकांशत: व्यवस्थापक शराब पीने वाले होंगे। ऐसे सुपरिन्टेन्डेंट्स के भरोसे, जो शराब पीते हैं, लड़कों को छोड़ दिया जाता है। इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इसकी जांच करें कि ऐसे कौन-कौन से होस्टल्स हैं, जहां के सुपरिन्टेन्डेन्टस शराब पीते हैं और फिर भी उनके ऊपर लड़कों को छोड़ रखा है। आप शराब बंदी करना चाहते हैं। बड़े-बड़े लोग शराब पीते हैं, उनके रोकने का पहले प्रबन्ध करना चाहिये। केवल इसी से शराब बंदी नहीं होगी। कानून को सख्ती से लागू किया जाना चाहिये। राज्य सरकार दो साल में, धीरे-धीरे शराब बंदी करेगी। इसका मुख्य कारण यह है कि जो आय होती है, उसको आप धीरे धीरे छोड़ना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि जो शराब से आय होती है, उतना टैक्स आप आम जनता पर लगा सकते है। जनता यह टैक्स देने को तैयार है। इसलिये राज्य सरकार इसके लिये शीघ्र और सख्त कदम उठावे।

तीसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो बड़े-बड़े शहर हैं, वहां इंग्लिश शराब की दुकानें खोली जाती है। इसके लिये मैं यह कहूंगा कि जो बड़े-बड़े शहर हैं, यहां जो इंग्लिश शराब की दुकानें हैं, उन पर सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है जबकि एक शहर में एक दुकान को रायल्टी सिस्टम दिया जाता है। आप देखलें दस दुकानों के बाद में एक अंग्रेजी शराब की दुकान मिलेगी। मैं कहूंगा क्या यह जरुरी है कि दस दुकानों के पीछे एक अंग्रेजी शराब की दुकान हो। तब ही लाइसेन्स दिया जाना चाहिये, जब कि उस शहर की पचास हजार, एक लाख की आबादी हो। परन्तु यहां तो हर दस दुकान के पीछे एक दुकान आपको देखने को मिल जायेगी। सरकार ने शराब के मामले में जो कदम उठाया है, उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। मैं निवेदन करूंगा कि जो नियम रखा है सप्ताह में एक, दो, तीन दिन सूखे रखने का, तो यह अतिशीघ्र कदम उठाया जाय, ताकि आम जनता और खासतौर से आदिवासी जनता को लाभ मिले।

Page No 77

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल!

श्री शंकरलाल जाट (कपासन) : उपाध्यक्ष महोदय, जन स्वास्थय विभाग के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। वैसे राजस्थान में वाटर वर्क्स के लिहाज से काफी प्रगति हुई है परन्तु हमारे यहां कुछ नहीं हुआ है। फिर भी रूरल वाटर सप्लाई में बहुत खामियां नजर आ रही हैं। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान चित्तौड़ जिले की ओर आर्कषित करूंगा। कनेरा वाटर सप्लाई स्कीम का शिलान्यास माननीय हरिदेवजी जोशी के कर कमलों द्वारा किया गया था। इसको दो साल हो गये, किन्तु कोई काम प्रारम्भ नहीं हुआ है। बड़ी सादड़ी में माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा वाटर वर्क्स का शिलान्यास किया था। उसका भी काम अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है। इसके अलावा राशमी ने दस हजार की राशि जमा करा दी है लेकिन अभी तक वहां योजना स्वीकृत नहीं की गई है और इसके अलावा डूंगला, आकोला, रिताबा, बम्बोरी आदि की जनता ने भी अपना भागांश, जमा करा दिया है, या जमा कराने को तैयार है। रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत इनको भी लाभ मिलना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि वह इन योजनाओं को हाथ में लेकर शीघ्रातिशीघ्र इनकी स्वीकृति प्रदान की जाय।

माननीय उपाध्यक्ष जी, कपासन में जल प्रदाय योजना पहले ही लागू है और क्रियान्वित हो चुकी है लेकिन गांव से स्टेशन तक पाइप लाइन नहीं गई है। इससे स्टेशन की आबादी वालों को लाभ नहीं मिल पा रहा हैं। इस विषय में वहां के लोग कई बार मिल चुके हैं, प्रार्थना पत्र दिये जा चुके हैं। अत: अब फिर आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कपासन कस्बे से स्टेशन तक पाइप लाइन जल्दी से जल्दी प्रारम्भ की जाये।

माननीय उपाध्यक्षजी, प्राईमरी हैल्थ सेन्टर मड़किया, कनेरा में अभी तक नहीं चल पा रहा है। जितने भी सब सेन्टरस् हैं, वहां स्टाफ की भारी कमी है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जरा जोर से बोलें।

श्री शंकरलाल : मैं कामराज नहीं हूं···

श्री सभापति : सुनाई नहीं दे रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। यह उनके हाथ में थोड़े ही है।

श्री शंकरलाल : प्राईमरी हैल्थ सेन्टर मड़किया में कोई डाक्टर्स नहीं है। इसके अतिरिक्त सावा वगैरह में जो सब सेन्टर्स हैं, वहां पर स्टाफ की भारी कमी है। चिकित्सा की दृष्टि से वहां जनता इससे वंचित रहती है। उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इस ओर आर्कषित करूंगा। ये सब जन स्वास्थ्य की मांगें हैं। इसलिये वहां पर स्टाफ को शीघ्र भिजवाया जावे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शराब का सवाल है। जहां भी देखते हैं, सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक रास्तों पर शराब की दुकानें होती हैं। चित्तौड़ से जब बड़ी सादड़ी जाते हैं, तो रास्ते में आम्बी माता का स्थान पड़ता है। वहां हजारों आदमी आते हैं। वहां शराब की दुकान है। कृपा करके इसको

(श्री शंकरलाल)

पुलिस स्टेशन से अटैच कर दीजिये ताकि थोड़ा तालमेल बैठ जाय। सार्वजनिक स्थानों पर और सार्वजनिक रास्तों पर से इनको हटा लें। शराब पी पी कर लोग गालियां देते हैं। महिलाए इधर उधर आ जा नहीं सकती। इस प्रकार की परिस्थितियों में सार्वजनिक रास्तों और स्थानों से शराब की दुकानें हटा लेने की कृपा करें। शराब बंदी आप करें या न करें पहले इनको हटा लें। जहां तक पूर्ण शराब बन्दी का सवाल है, वह ठीक है। सरकार ने यह तय कर दिया है कि दो-चार दिन बन्द करेंगे। जहां तक पालिसी का सवाल है, वह ठीक है। इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते, यह आपकी पालिसी है। परन्तु ऐसे स्थानों से जो सार्वजनिक हैं, महिलाएं आती जाती हैं, वहां से इनको अवश्य हटा लें तो बहुत अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हंमराज आर्य।

साढ़े तीन बजे मुख बंदी का प्रयोग किया जायेगा।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान में और सारे विश्व मे महापुरुष महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी का जोर है और दूसरी तरफ हमारे वित्त मंत्रीजी की कृपा से ३२ हजार २४७ गांवों में शराब का शोर है। एक ओर यह दृश्य है—

घनघोर घटायें छाई हैं,
रुत बदली जाय जमाने की।
पी और पिलाना जा शाखी
हो खैर तेरे मयखाने की।।

जबकि दूसरी ओर इस प्रकार का दृश्य है—

आभे उड़ती बादली मरुधर कानी जोय।
थोड़ी सी बूंदा नाखदें, तो भला मानुं तोय।।

एक तरफ राजस्थान का मानव पानी के लिये प्यासा है, हा हा-कार कर रहा है दूसरी ओर हमारी सरकार पानी के मुकाबले शराब का दरिया बहा रही है। चाहिये तो यह था उपाध्यक्ष महोदय कि गांधी शताब्दी से पूर्व राजस्थान से पूर्णरूपेण शराब बन्दी न हो सके तो आंशिक रूप से अधिक न सही एक-दो महिने के लिये पाबन्दी लगाई जाती। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे ठेकेदारों को खुली छूट हैं और उनके पास जीपें हैं और इन जीपों के द्वारा रात, दिन चौबीसों घण्टे शराब वितरित की जाती है। शराब बोल बोल कर हरेक गांव में, गली गली में पहुँचायी जाती है चाहे उसके पास शराब का लाइसेन्स हो या न हो, कोई इसको पूछता नहीं है। आज स्वच्छन्द रूप से शराब बेची जा रही है और हरेक गांव में हरेक जनता को आवाज लगाई जा रही है—शराब लो, सस्ती लो, शुद्ध लो और शीघ्र लो। जिस तरह से बाजारों के अन्दर फेरी वाला आवाज लगाता है तोरी लो, भिण्डी लो, आलू लो इस तरह से आज आवाज लगा लगाकर शराब बेची जा रही है, सभी तरफ शराब की आवाज सुनाई दे रही है।

बड़े दुख की बात है कि जब हम गांधी शताब्दी मनाने जा रहे हैं, तो इसमें होना यह चाहिये था कि जनता को सुधार की ओर ले जावें। गांधीजी के सिद्धान्तों को पहचानना चाहिये, उनके अनुरूप अमल करना चाहिये ताकि हरेक मानव इस गांधी शताब्दी के दिनों में गांधीजी के सिद्धान्तों पर चलने का प्रयास करें।

(श्री हंसराज आर्य)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि इस बात में क्या बुराई है जहां एक ओर शराब पीने की आवाज आ रही है, आप दूसरी तरफ जनता के पास यह सन्देशा पहुंचायें कि कोई शराब न पीये, जो पीते हैं वे छोड़ें। शराब के बारे में सरकार यह कहती है कि इससे हमको आठ नौ करोड़ रुपये की आय है। इसके साथ साथ कम से कम यह तो कहना चाहिये था कि माननीय सदस्यों को अपने अपने क्षेत्र में जाकर यह जनता को कहना चाहिये कि वे शराब पीना बन्द करें। मैंने बार-बार प्रार्थना की है। सरकार ने इसके बारे में निश्चय किया है कि हम सन् १९७० में जाकर एक दिन शराब देना बन्द करेंगे १९७२ में जाकर दो दिन बन्द करेंगे, १९७३ में तीन दिन बन्द करेंगे और १९७४ में पूर्ण रूप से शराब बन्दी करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, क्या पता है १९७४ में शराब बन्दी यह सरकार कर पायेगी क्या, क्योंकि इस बीच एक चुनाव होने वाला है। शराब किसके हाथ से बन्द होगी, उस चुनाव में कौन आयेगा यह कह नहीं सकते। हमारी मौजूदा सरकार अपने हाथ से इस शराब बन्दी को लागू कर देती तो यह श्रेय इस सरकार को मिल सकता था और हम यह श्रेय ले सकते थे।

उपाध्यक्ष महोदय, गांधीजी की आत्मा स्वर्ग में बैठकर देख रही है कि मैं राजस्थान को आजादी दिलाकर आया था और यह आशा लेकर आया था कि मेरे जाने के बाद मैंने सबसे पहला सन्देश हिन्दुस्तान के साढ़े पांच लाख गांवों में रहने वाले ५५ करोड़ आदमियों को सरकारी संदेश मिलेगा वे शराब छोड़ देंगे। यह काम सरकार नहीं कर सकी शराब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा, क्या आप इस तथ्य को भूल तो नहीं गये। गांधी शताब्दी वर्ष में आप अगर शराब बन्दी का एलान कर देंगे तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपकी आर्थिक हानि को पूरा करने में जनता सहमत हो जायगी। आप उसके लिये सरचार्ज लगाइये मन्जूर कर लेंगे, सेस लगायेंगे मन्जूर कर लेंगे, बेटरमेन्ट टैक्स लगायेंगे मन्जूर कर लेंगे और भी कुछ टैक्स आप बढ़ाना चाहें बढ़ा दीजिये हम सहर्ष देने को तैयार हो जायेंगे लेकिन इसके पहले आप एलान तो कर दीजिये कि अगले साल एक भी शराब का ठेका राजस्थान में नहीं रहने देंगे। आप एक तरफ बराबर ठेका बढ़ाते आ रहे हैं और बढ़ाते जायेंगे लेकिन शराब बन्द नहीं होगी यह हमारे लिये शोभा की बात नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, शराब के विषय में मैंने पहले भी निवेदन किया था। हमारे कालेज और हाई स्कूल जाने वाले लड़के भी आज शराब पी रहे हैं। छोटे छोटे गांवों में रहने वाले किसानों के लड़के जब उनके मां बाप खेत में चले जाते है, उनके बच्चे पीछे से घर में से धान निकाल कर शरणार्थियों की दुकानों पर बेच देते हैं और उससे रुपया दो रुपया जो भी आता है, उसको लेकर के गांव में जो शराब की दुकान है, उससे जाकर शराब ले आते हैं और पीते है फिर वे स्कूल जाते हुए बातें करते हैं मेरे सिर के बाल खड़े हो गये, मेरे कानों में सरसर हो रहा है इस तरह की बातें करते हुए बच्चे स्कूल को जाते हैं।

शराब के बारे में तो आप पुलिस रेकार्ड से मालूम कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कह

Page No 80

सकता हूं ६० प्रतिशत जो केसेज होते है वें शराब के पीने के बाद होते है। अमुक ने चोरी कर ली, अमुक डाकू ने डाका डाला, अमुक ने फलां की हत्या कर दी अमुक आदमी ने कत्ल कर दिया आदि सब शराब पीये हुए होते है यह सब शराब की महरबानी है लेकिन इतना होते हुए भी मंत्रियों के कानों पर जूं नहीं रेंगती, आज सब जगह शराब का दौर दौरा हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर शराब भविष्य में बन्द नहीं हुई तो उसका बदनामी का टीका कांग्रेस सरकार ले जायगी। शराब बन्दी देश में होगी और होकर रहेगी, आप नहीं तो आपके बाद आने वाली सरकार करेगी। दुख हमें इस बात का रहेगा कि शराब हमारी कांग्रेस सरकार बन्द नहीं कर पा रही है। आज लोग शराब से तंग आचुके हैं। मैं आप लोगों से निवेनन करूं कि एक ऐसे आदमी को बता सकता हूं जिसका चित्र मेरे पास है, जिसने अपनी जिन्दगी में रोजना दो दो बोतल ब्रान्डी की शराब पी है, जिसकी कीमत उन दिनों पहले सत्तर अस्सी रुपया पर बोतल थी। वह व्यक्ति एक एक दिन में दो दा बोतले पी जाया करता था उसको समझाया गया समझाने पर उसने शराब को छोड दिया। उसके साथ तमाखू भी पीना छोड़ दिया। यह मैं एक नमूना पेश करना चाहता हूं। यह मादरा तहसील का एक ऐसा आदमी है जो ला ग्रेजूएट है जो ३।। लाख की शराब पी गया उसको समझाया गया और उसने समझने से शराब को छोड़ दिया, साथ में तमाखू पीना भी छोड़ दिया। जिसके १२ मुरब्बा जमीन गंग केनाल में है। जिसका नाम ठाकुर लक्ष्मणसिंह जी गांव मेमिया है आज यदि सरकार इस बारे में प्रयत्न करे तो जनता से छुडवा सकते है लेकिन सरकार कोशिश नही कर रही है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह फोटो तो सदन की मेज पर रखवा लिया जाय।

श्री हंसराज आर्य : शराब वह नशा है जो एक दूसरे के देखा देखी चढ़ता है। शराब को मनुहार के तौर पर पिलायी जाती हो। ऐसे नशे से दूर रहना जरूरी है। आज जिस प्रकार से शराब का दौर दौरा चल रहा है कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जो शराब न पीता हा। ऐसा भी हो सकता है कहीं औरतें भी शराब पीना शुरू न कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय, कितने ही गरीब किसान मजदूर गांवों में ऐसे है जो आशा लगाये बैठे रहते है कि हमारे घर के लोग कारखानों से आयेंगे हमारे लिये रुपया दो रुपया लायेंगे। लेकिन होता क्या है वे लोग ज्योंही पैसा मिलता है सीधे शराब के ठेके पर जाते हैं शराब पी कर रात भर वहीं पड़े रहते है जिन पर कुत्ते पेशाब करते रहते हैं उनके घरों में बच्चे रोटी के लिये बिल बिलाकर रोते हैं यह सब शराब की महरबानी है। एक ओर तो हमारी सरकार उन किसानों पर यह कह कर टेक्स लगाती जा रही है कि राजस्थान की योजनायें अधूरी हैं उनको पूरा करना है इस कारण किसानों पर अधिक से अधिक टैक्स लगाया जाय। और लगाते जा रहे है और टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरी ओर शराब के ठेकेदारों में लाखों रुपया बकाया पड़ा हुआ है जिसको वसूल नहीं कर उस बकाया को बट्टे खाते डाल दिया जाता है। दूसरी तरफ

(श्री हंसराज आर्य)

एक किसान में यदि लगान का दस बीस रुपया भी बाकी है, तो उसके लिये कुर्की की जाती है। आज आकाल के बादल घिरे हुये हैं, अन्न की पैदावार नहीं हो रही है उस पर टैक्स लगा रहे हैं। शराब के ठेकेदारों में लाखों रुपया बकाया पड़ा है, उसका कोई ध्यान नहीं।

पिछली बार जो शराब ठेकेदारों को दी गई थी दूसरी बार बोली के लगाये बिना ही उसी रेट पर शराब उन्हीं ठेकेदारों को दे दिया गया है इसमें क्या रहस्य है मैं समझता हूं कि अगर बोली लगाई जाती तो सरकार को और अधिक लाभ होता।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं पीने के पानी के बारे में प्रार्थना करूंगा कि जहां शराब का दौर दौरा है वहां पानी के लिये राजस्थान का मानव आज प्यासा है। आज राजस्थान में गंगानगर, चुरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर इन आठ नौ जिलों में रहने वाले किसानों के पास वहां के निवासियों के पास पीने के लिये एक बूंद पानी नहीं है। उस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। पर इस ओर जरूर है कि शराब के ठेके कितने बढ़ाये जावें। तो मैं उपाध्यक्षजी, आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं सरकार से इस ओर ध्यान दें, केवल मात्र पीने का पानी दे दें। मानव को क्या, प्राणी मात्र को सबसे पहले पानी चाहिये। पानी है तो प्राण है और पानी नहीं है तो किसी के प्राण नहीं बच सकते हैं। तो प्राणों के लिये सबसे आवश्यक वस्तु पानी है। और वह पानी तक इन आजादी के बीस वरसों के शासन काल में लोगों को आप नहीं दे सके, यह बड़े दुख की बात है। आज राजस्थान में जो पानी की हालत है, वह हिन्दुस्तान के किसी कोने में नहीं होगी। जब मरुधरा का किसान चार कोस दूर से पानी लाने की तैयारी करता है और दूसरी ओर से बादली उठती है उस मान में और उस बादली को देखकर, वह रुक जाता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद यह बादली कुछ पानी की बूंदें यहीं डाल दे तो चार कोस का उसका जो आना जाना है वह टल जावे। वह आकाश की ओर अपना सिर उठाकर बादली से प्रार्थना करता है और यह कहता है :

आमे उडती बादली, मरूधर कानी जोय।
थोडी सी बूंदां नाख दे, तो भल मानूं तोय।।

थोडी सी भी बूंदें गिरा दे, तो रात भर की परेशानी मिट जावेगी, इतना लम्बा रास्ता नहीं काटना पड़ेगा। पर बूंदें नहीं बरसीं और निराश किसान अपने रास्ते पर चल देता है।

आज राजस्थान अकाल की छाया से घिरा हुआ है। पीने के पानी की बडी भारी परेशानी है। पानी के सम्बन्ध में इस सदन में इस ओर से और उस ओर दोनों ओर से बार बार प्रश्न आया है कि पानी के अभाव में लोग प्यासे मर रहे हैं, मवेशी मर रहे हैं। भूख और प्यास के मारे सैंकडों मवेशी मर गये हैं फिर भी यह सरकार पानी की ओर ध्यान नहीं दे रही है। पिछली बार बजट पास हुआ था तो जो रकम पानी के लिये उसमे रखी गई, उसके लिये निवेदन किया था कि इतने बडे रेगिस्तानी इलाके के लिये जहां पानी का बहुत वडा अभाव है उसके

(श्री हंसराज आर्य)

लिये एक दो करोड दे रहे है। गांव वालों के साथ मखौल है। अबकी बार बजट में आगे बढे तो कुल मिलाकर तीन करोड़ रक्खे है जो नहीं के बराबर है।

यह कहा गया कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पीने के पानी की समस्या के लिये २५ करोड रखा है। पांच साल के लिये पचीस करोड़ रुपया है। इसका अर्थ है एक साल के अन्दर पांच करोड़ रुपया खर्च किया जावेगा। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की ३२ हजार गांवों की दो करोड़ जनता के पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये आप योजना के एक साल में पांच करोड़ रखते है और दूसरी ओर में मिसाल के तौर पर मैं बता सकता हूं कि एक अजमेर जैसे शहर पर, जिसकी आबादी दो लाख है, तीन करोड़ रुपया पानी पर खर्च करते हैं। बीस करोड़ खर्च करें, मुझे खुशी होगी, मैं कोई इसलिये नहीं कह रहा हूं कि वहां क्यों खर्च किया, पर गांव वालों को भी पानी दें, लेकिन दूसरी ओर दो करोड़ नागरिकों के लिये दो करोड़ दें तो यह न्याय नहीं तथा समस्या का समाधान नहीं मैंने निवेदन किया था पहले भी कि आज शहरों में समस्या है पानी की। वहां पानी कुओं से लाना पड़ता है यह समस्या है, वह पानी कैसे घर में आवे, यह समस्या है, पानी आंगन में जाना चाहिये, यह समस्या है, रसोईघर में पानी जाना चाहिये, छत पर जरूरत है उनके लिये तो वह छत पर जाना चाहिये यह समस्या है। एक तरफ यह समस्या है शहरों में जहां दूसरी ओर गांवों में किसान के सामने यह समस्या है कि पानी तो है, पर आठ आठ दस दस मील की दूरी पर है। पन्द्रह पन्द्रह मील की दूरी पर है। सोलह मील पर है। वहां से वही किसान लाता है जिसके पास लाने के लिये ऊंट और बैल घर के हैं। पर जिसके पास ऊंट और बैल नहीं हैं आज उस किसान की क्या हालत है? बाल्टी लेकर गांव में भीख मांगता है पानी की, कहता है एक लौटा पानी दो, एक गिलास पानी मिल जावे तो घर में बालबच्चों के होठ गीले हो जाए। जैसे शहरों में भिखारी रोटी के टुकडों के लिये दर दर की भीख मांगना है वैसे वह एक एक गिलास पानी के लिये भीख मांगता है। और अगर कोई बडी दया करें और एक घडा पानी का दे दे तो एक घडे पानी के बदले में बिना पैसे टके के तीन दिन तक काम करने को वह तैयार है। यह पानी की समस्या है वहां पर। पर यह हमारी सरकार है जिसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती यह सब कुछ देख सुन कर भी।

हमने तो यहां तक निवेदन किया कि भविष्य में हमारे स्कूल कालेज सब बन्द कर दो, आयुर्वेदिक औषधालय वगैरह सब बन्द कर दो, हमें ये सब कुछ बन्द कर दो, पर हमें पानी दो पहले, केवल पानी दो, मीठा पानी दो पीने के लिये, दो पीने के लिए पानी दो, मनुष्य और मवेशी के लिये पीने को पानी दो, खेतों के लिये नहीं, पेट के लिये दो।

श्री शंकरलाल : एक्साइज मिनिस्टर सुनते सुनते चले गये। वे सदन की उपेक्षा कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : एक एक पोइन्ट मैं नोट कर रहा हूं।

श्री हंसराज आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, गांव में रहने वाला इन्सान आज पीने के पानी के लिये मांग कर रहा है और कह रहा है। पानी तीन प्रकार का है :

नहांवण पाणी और है, पीवण पाणी और।
घन धामणां ने और है, वाह रे नन्द किशोर।

तीन प्रकार का पानी है, एक गरमी के दिनों में जब कि चारों तरफ लूएं चल रही थी एक मृग और एक मृगी पानी के चारों तरफ भटक रहे थे? बादली इसी बीच आई। थोडी बूंदा बांदी हुई, और रास्ते में एक छोटे से गंढे में पानी इकट्ठा हुआ मृग और मृगी उसे देखते देखते दौड़कर वहां आये। पर पानी इतना नहीं था कि वे दोनों पीकर अपनी प्यास बुझा सकते। तो प्रेम के वश होकर मृग मृगी को कहता है : तू पी इसे। मृगी मृग से कहती है नहीं, तुम पीओ। एक दूसरे के प्रति मोह इतना प्रबल था कि वे एक दूसरे के लिये कहते रहे कि तू पी तू पी। और इस तरह कहते कहते किसी ने नहीं पिया और वे दोनों प्यास के मारे मर गये। उधर से एक दम्पति आ रहे थे। उन्होंने उनको मरा हुआ देखा तो नर नारी से बोला यह मृग मर कैसे गया। शिकारी कोई पास में नहीं दिखाई देता, कोई शस्त्र भी इसको नहीं लगा है फिर यह कैसे मर गयो, वजह क्या है। तो : नर ने कहा

खड़्यो न दीखे पारधी, लग्यो न दीखे तीर।
मैं थने बुझुं ए सखी आं किया विध तज्यो शरीर।

नारी ने उत्तर दिया :

नीर थोडो नेह घणो, लग्यो प्रेम रो बाण,
तू पी, तू पी करता दोन्यू तज्यो प्राण।

यह हमारे यहां की दुर्दशा है। हम बार बार पुकारते हैं सरकार से प्रार्थना करते हैं कि हमें पीने भर का पानी का प्रबन्ध कर दो। आज के विज्ञान ने आपको बहुत साधन दिये हैं, अब तो यह कष्ट हमारा सदियों का दूर कर दो। पर सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी।

श्री उपाध्यक्ष : एक और भी तो है।

ऊंचो टीबो, सिर पर घडो पटजे पूरे माश
नारी सिचे वर पीवे तनै बालू रे बुचावास

श्री हंसराज आर्य : उपाध्यक्षजी, आज की घड़ियों में अगर आप वहां के कुओं का हाल देखें जाकर तो मालूम हो कि उनकी क्या हालत है :

नीर थोडा कठ घणां
जठे तिसाया जीव
ल्यांता ल्यांता नीवडे
बरतां जल ब्यूं घीव।

पानी को घी की तरह बरतते हैं, पर फिर भी घड़ा खाली हो जाता है। बच्चे ये बोल बोलते है। तो ऐसी हमारी स्थिति है। पर सरकार सोच नहीं रही है।

राजस्थान में और खासकर उस रेगिस्तान इलाके में पानी की कमी है। राजस्थान से बाहर के एक महमान आये। उसे पानी नहीं मिला। घरवाली से पूछा तुम्हारे यहां पानी का अभाव क्यों है? कमी क्यों है? घरवाली ने उत्तर दिया :

"राजस्थान में पानी रहा नहीं।"
"कहां चला गया?" मेहमानें ने फिर पूछा।

(श्री हंसराज आर्य)

उसने कहा :

संत तपस्या सती झल्यां शरण गई जलधर।
नरां तुरां और नारियां निपजे पाणी धार ।।

सन्तोंने तपस्या की, वह सूखने लगे, तो कुछ पानी वहां सन्तों को बचाने चला गया। फिर राजस्थान में सतियों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, जौहर में उत्सर्ग हो गई, सती हुई हैं, उनकी चिताएं जलने लगीं तो कुछ पानी वहां पहुंच गया, उनके जौहर को ठंडा किया, इसलिये राजस्थान का कुछ पानी वहां उधर चला गया उनके पास।

"तो फिर राजस्थान जिन्दा कैसे है ?" उसने प्रश्न किया।

उसने उत्तर दिया कि राजस्थानी जीते इसलिये हैं कि

नरों तुरों और नारियों में निपजे पाणीधार । यहां के नरों में नारियों में और घोड़ो में पानी है । तीनों में पानी है इसलिये जिन्दा है। वरना तो राजस्थान का पानी चला गया था।

तो उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पीने के पानी की स्थिति बड़ी गम्भीर है। मैंने अपने जिले के १६ कुओं का पानी इकट्ठा किया है और बोतलों में पड़ा है और तस्दीक कराली है वहां के सरकारी अधिकारियों से, कि उनमें फलां फलां कुए का पानी है। बोतले वे हम यहां ला रहे है और फिर सरकार से कहेंगे कि वे किसी एक्सपर्ट डाक्टर से इस पानी की जांच करावे कि क्या इस पानी को पीकर मनुष्य या मवेशी जी सकता है। यदि डाक्टर कह दे कि जी सकता है तो ठीक है, नहीं तो सरकार को सोचना चाहिये अगर सरकार यह हमारी नहीं सुनेगी तो डेपूटेशन दिल्ली में जावेगा। प्रधान मन्त्री से मिलेंगे और उनसे भी कहेंगे कि राजस्थान में और सब कुछ आप बन्द कर दीजिये, पहले केवल मनुष्य और मवेशीयों को पीने के लिये पानी दीजिये। मीठा पानी दीजिये।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी सदस्य के किसी माननीय सदस्य को न देखकर बात कहने का मजा नहीं आता लेकिन जो इस संबंध में मुझे कुछ कहना है सामान्य प्रशासन के संबंध में, जनस्वास्थ्य के संबंध में और आबकारी के सम्बन्ध में भी, वह मैं आपके समक्ष निवेदन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र के अन्दर सामान्य प्रशासन एक मात्र ऐसा साधन है जिसके जरिये आम जनता को इस बात का विश्वास होता है कि उन्हें उनकी बात कहने का मौका मिलता है और उनकी बात सुनी जाती है। सामान्य प्रशासन जैसा हमारे मौजूदा सैट-अप में हम देखते हैं कि ऊपर के लेवल पर वैसे चुने हुए मंत्रीगण होते हैं लेकिन काम हमारा सारा सरकारी मशीनरी के जरिये चाहे सेक्रेटेरियट के जरिये, चाहे कलेक्टोरेट के जरिये, चाहे तहसीलदार के जरिये और चाहे पटवारी के जरिये—गांवों में पटवारी से लेकर ऊपर सेक्रेटरी तक जो प्रशासन की मशीनरी है उसी से आम जनता का वास्ता पड़ता है। हर छोटे-छोटे मुद्दे

(श्री शंकरलाल)

पर चुने हुए मंत्री निर्णय नहीं करते, इसलिए और सामान्य प्रशासन की मशीनरी ठीक होती है. और आम जनता को इसका विश्वास हो जाता है कि उनकी बात सुनी जाती है और उन्हें सस्ता न्याय मिलता है, उनके काम में देरी नहीं होती है और वह यह अनुभव करने लग जाये कि वास्तव में उनका अपना राज्य है. तो मैं समझता हूं कि सामान्य प्रशासन आज के युग में उसी उदाहरण के रूप में अपने राजस्थान में भी ठीक उतरेगा। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि मशीनरी है, उस मशीनरी से आम जनता को संतोष नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके कई कारण हैं। इसका कारण यह है कि इस मशीनरी के अन्दर कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं लाया गय । हमारा जो पुराना काम करने का तरीका है और पुराने प्रशासन में जो मशीनरी बनी हुई है वह मशीनरी उसी प्रकार की आज भी काम कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आम जनता की तरफ से इस बात की मांग होती है कि उनकी सुनाई नहीं होती है। मैं यह कहता हूं कि मैं इसके लिए सुझाव देना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र के अन्दर समाजवादी सरकार को एक इस प्रकार का कोई कार्यालय मुकर्रर करना चाहिए, जहां कोई आदमी जिसको यह जानकारी नहीं हो कि अमुक बात की सुनवाई कहां होती है । हम नहीं चाहते हमारे जो गरीब आदमी हैं वह छोटी सी बात को लेकर भी सलाह लेने के लिए किसी वकील के पास जायें या उसको यह मालुम करना पड़े कि उसकी बात की कहां सुनवाई होगी। उसका एक कार्यालय होना चाहिए जहां जाकर आदमी अपनी बात कहे, चाहे उसके पास दरख्वास्त लिखाने का पैसा नहीं हो, अगर वह गरीब है और पसा नहीं है तो केवल गरीब होने की वजह से, उसके पास पढ़ाई नहीं होने की वजह से, उसकी सुनवाई नहीं है तो यह नहीं होना चाहिए। क्योंकि वह भी एक मतदाता है और वह भी सरकार को चुनने वाला मतदाता है. जिसके वोट से सरकार चुनकर आती है। तो ऐसा कार्यालय होना चाहिए, जहां जाकर बिना पैसे भी बिना मालूम हुए कि किस दफ्तर में उसकी सुनवाई होगी वह वहां जाये और कहे कि मुझे यह शिकायत है और ऐसा जो सैल है वह लिखकर दे कि तुम फलां दफ्तर में चले जाओ वहां पर तुम्हारी सुनवाई होगी और वहां पर उसको फौरन कॉन्टेक्ट किया जाये कि ऐसा-ऐसा व्यक्ति आया है उसकी सुनवाई होनी चाहिए। यह नहीं हो कि वह आदमी फुटबाल की तरह भटकता फिरे। इसलिए मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर सरकार को इस प्रकार का एक कार्यालय मुकर्रर करना चाहिए, जहां जाकर आदमी अपनी बात को कह सके और वहां से उसको ऐसा डाइरेक्शन मिल सके कि उसको कहां जाना है और क्या करना है। इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय यह बात सही है कि शिड्युल्ड कास्ट्स के मामले में सरकार ने कुछ ऐसा प्रोवीजन रखा है कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं या अनुसूचित जन जाति के लोग हैं, जिनको पैरवी करने के लिए पैसा नहीं है तो सरकार की तरफ से उनको मदद दी जाती है मुझे खेद है कि हालांकि उसका भी पूरा उपयोग नहीं होता और उसके लिए ऐसा प्रोसीजर रखा है कि वह जाकर तहसीलदार को रिपोर्ट करे, समाज कल्याण विभाग को रिपोर्ट करे और उसका मुकदमा सही है या झूंठा है फिर जाकर

(श्री शंकरलाल)

उसका वकील मुकर्रर होता है। उपाध्यक्ष महोदय, शिड्युल्ड कास्ट्स और शिड्युल्ड ट्राइब्स के लिए जो प्रोवीजन रखा गया है उसको तो पूरा फायदा होना ही चाहिए। यह जो प्रोसीजर रखा है उसके अन्दर सुगमता होनी चाहिए लेकिन साथ ही साथ उस आदमी के लिए भी जो चाहे शिड्युल्ड कास्ट का नहीं हो, चाहे शिड्युल्ड ट्राइब्स का नहीं हो, लेकिन इस राज्य के अन्दर रहने वाला गरीब व्यक्ति है, अगर वह न्याय लेना चाहता है, चाहे शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब्स का नहीं हो, उसके लिए सरकार को ऐसे वकील नियुक्त करने चाहिए जो कि उस आदमी की पैरवी करें। वह यह महसूस नहीं करे कि क्योंकि वह गरीब है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि उसके पास पढ़ाई नहीं है इसलिए उसको सामान्य प्रशासन से काम करने का उसके पास कोई साधन नहीं है। ऐसा उसको महसूस नहीं होना चाहिए। इसलिए इस प्रकार के कार्यालय होने चाहिए और इस प्रकार जिस प्रकार कि हमारे सर्वोदयी नेता श्री विनोबा भावे ने कहा था कि वकीलों को बुद्धिदान करना चाहिए और सरकार की तरफ से ऐसे वकील मुकर्रर होने चाहिए जो कि बुद्धिदान के रूप में उनकी पैरवी करें, उनको न्याय दिलायें और उनसे पैसा नहीं लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : इससे वकीलों का दिमाग काम ही नहीं करेगा।

श्री शंकरलाल : जो पैसे वाला है वह तो अपने आप करेगा और सरकार के पास तो वह जायेगा जिसके पास पैसा नहीं है। हमारे राजस्थान में लोग ऐसे हैं कि जिनके पास पैसा होता है वह सरकार के पास मदद के लिए कभी नहीं जाते हैं। आप देखेंगे कि इसके लिए जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो बजट रखा गया था, वह भी कन्ज्यूम नहीं हुआ और वह भी आज वकीलों के पास पैसा देकर जाते हैं। लेकिन ऐसा वातावरण बनेगा और ऐसे लोगों में प्रचार होगा जन सम्पर्क विभाग के द्वारा इसका प्रचार भी होना चाहिए। यह नहीं कि आपने सैल तो मुकर्रर कर दिया और वकीलों को मुकर्रर कर दिया और लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं हो। यह जो जन सम्पर्क विभाग है यह प्रशासन का एक अंग है। उसका केवल काम मिनिस्टरों के काम में जाकर उनकी फोटो लेना और भाषण को लेना ही है वह नहीं होना चाहिए बल्कि जन सम्पर्क का काम यह है कि जनता को सामान्य प्रशासन से और जो इस लोकतंत्र के अन्दर अलग-अलग परिपत्र निकलते हैं, अलग-अलग कानून निकलते हैं और जनता उससे कैसे लाभ उठा सकती है, उसका वह प्रचार करे, जन सम्पर्क विभाग का यह काम है। यह नहीं है कि किसी मिनिस्टर को खुश करने के लिए उनके साथ गाड़ी लेकर चले गए और फोटो खींचकर पेपर में दे दे। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि यहां का जो जन सम्पर्क विभाग है और इसकी जो एक्टीवीटीज हैं उनको मैंने यहीं तक सीमित देखा है। तो सामान्य प्रशासन से लाभ लेने के लिए आम जनता को सुविधा और आम जनता की सुविधाओं का प्रचार जन सम्पर्क विभाग के द्वारा होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि डिलेज

(श्री शंकरलाल)

बहुत होती हैं। हमारे यहां सामान्य प्रशासन के अन्दर हर एक काम में बहुत देरी होती है और वह देरी वहां होती है जिसको हम रैड टेपिज्म कहते हैं। इसको यह पहले भी कहते थे वह रैड टेपिज्म कोई कम नहीं हुई है मुझे जहां तक याद पड़ता है कि एक दफा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा परिपत्र निकाला था कि सामान्य प्रशासन के अन्दर जो भी सेक्रेटरी और जो भी आफिसर्स काम करते हैं उनको पेपर्स के डिसपोजल की एक डेट देना चाहिए, लेकिन अभी तक वह डेट नहीं दी जाती है। आपके पास, कोई मंत्री महोदय के पास एक दरख्वास्त आ गई तो मंत्री महोदय लिखेंगे आफिस टू रिपोर्ट, कार्यालय टिप्पणी प्रस्तुत करे। तब कार्यालय टिप्पणी प्रस्तुत करे चाहे महीना भर में, चाहे दो महीने में, चाहे ६ महिने में न करे। उपाध्यक्ष महोदय, उसके लिए कोई समय नहीं है। उसके लिए कोई निश्चित सैल नहीं है। मंत्री महोदय को चाहिए कि उसमें लिखें कि कार्यालय टिप्पणी प्रस्तुत करें तो एक सप्ताह में प्रस्तुत करें, फलां तारीख तक प्रस्तुत करे, और जो आदमी दरख्वास्त लेकर आता है उस दरख्वास्त देने वाले को कहें कि फलां तारीख तक उसकी शिकायत का जवाब दे देंगे। लेकिन आपने आफिस टू नोट कर दिया, कार्यालय टिप्पणी प्रस्तुत करे। तो कार्यालय में सेक्रेटरी से डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाती है, उससे असिस्टेन्ट सेक्रेटरी के पास जाती है, फिर कोई कमिश्नर हो तो उसके पास जायेगी और फिर कलेक्टर के पास जायगी, वह एस. डी. ओ. से रिपोर्ट मांगेगा, एस. डी. ओ. तहसीलदार से मांगेगा और फिर वही पटवारी के पास आयेगी। उपाध्यक्ष महोदय, एक लोकतन्त्र में वोट देने वाला व्यक्ति लोकतन्त्र में सामान्य प्रशासन से सस्ता न्याय चाहता है, मगर आज भी उसके दिमाग में यह बात आती है कि जयपुर आया और मंत्रीजी के दरवाजे खटखटाये उसके बाद भी दरख्वास्त ६ महीने तक फिर फिरा कर पटवारी के पास जाती है और पटवारी उससे पूछता है कि तूने रिपोर्ट की थी वह मेरे पास आई है, तू क्या कहना चाहता है, यह हम सुनना चाहते हैं। यह कोई ठीक व्यवस्था नहीं है।

यह जो डिलेज होती हैं तो मैंने कहा कि यदि सैल हो और साथ-साथ जो पेपर्स करने की सर्टेन डेट हो, तो वह नहीं हो सकती है। मंत्री महोदय द्वारा डेट दी जाय, आफिसरों द्वारा डेट दी जाय, सेक्रेटरीज द्वारा डेट दी जाय, यह नहीं कि आफिस टू रिपोट। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने पहले एक सिलसिला चलाया था, एक सर्क्यूर जारी किया था सेक्रेटेरियेट में, लेकिन उसकी पालना नहीं हुई और यदि नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है? इस बात में कड़ाई की जाय कि डिलेज नहीं हों और डिलेज नहीं होने के लिए निश्चित तारीख में कागज का डिसपोजल होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से आफिस में नोट बनाते हैं यह आप जाकर सेक्रेटेरियेट में फाइल को देखिये कि दखास्त एक होगी उसके ऊपर आफिस नोट सेक्रेटरी का क्या है, आफिस सुप्रिन्टेन्डेंट का क्या है. अहलकार का क्या है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि जो भी सेक्रेटरी

(श्री शंकरलाल)

काम करते हैं. मुझे इस बात का खेद होता है कि कई दफा उनको खुद को कानून की जानकारी नहीं होती है। कई ऐसी चीजें हैं जिनके नीचे जाने की जरूरत नहीं है वे खुद डिसपोज आफ कर सकते हों लेकिन उनका एक ढर्रा बना हुआ है कि चाहें वे डिसपोज आफ कर सकते हों लेकिन अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते। वे कहते हैं कि हम जिम्मेवारी क्यों लें ? अहलकार के माथे मढ़ना चाहते हैं। कई बार आफिसर बाबू को बुलाकर कहते हैं कि ऐसा नोट बनाकर पेश कर दो। बड़े खेद की बात है कि आफिसर उसके बाबू से कहे कि ऐसा नोट बना दो। हम चाहते हैं कि इस प्रकार का डिसपोजल होना चाहिए तो खुद कलम से अपना नोट लिखें। आप नियम को जानते हैं, कानून को जानते हैं तो क्यों बाबू को बुलाकर उसके सामने अपने दीमाग को ऐसा बताते हैं ? मैं, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा शब्द काम में नहीं लेना चाहता कि वास्तव में उसमें सूझ-बूझ नहीं हैं, जिसके कारण वे अपने एक मातहत से इस प्रकार कहें कि इस तरह का नोट बना लाओ, इसका इस तरह से डिसपोजल हो। उपाध्यक्ष महोदय, यह सामान्य प्रशासन तब सुधरेगा जब कि हरेक आदमी अपनी जिम्मेवारी को समझेगा, इस बात का सिस्टम रखेगा कि जो बात सही हों उस प्रकार का नोट लगायें। आप नोट लगा सकते हैं लेकिन आप कहते हैं कि फलां आदमी ऐसा कहेगा, फलां जगह से टेलिफोन ऐसा आगया है, फलां आदमी इसमें इन्ट्रेस्टेड है। उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या बात है ? टेलिफोन बिजीनेस कम होना चाहिए और अगर है तो टेलिफोन को उसमें रिपोर्ट करें। लेकिन लोगों को न्याय मिलना चाहिए चाहे किसी पार्टी की सरकार हो। लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि उनकी बात की सुनवाई होगी, समान्य प्रशासन उनके साथ न्याय करेगा, और उनके काम में देरी नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना नहीं, मै उदाहरण के तौर पर बताऊं कि एक डिपाटमेंट का दुसरे डिपाटमेंट से कोआर्डिनेशन नहीं है। अलग अलग जो डिपाटमेंट है उनमें कोआर्डिनेशन नहीं है। मैं अकाल का ही एक उदाहरण बताऊं कि अकाल में जाकर कहते हैं फैमीन मिनिस्टर सहाब को कि यह काम होना चाहिए और वह सेक्शन कर देंगे। सेक्शन करने के बाद कलेक्टर के पास जायगी। कलेक्टर उसको पी. डब्लू. डी. को रेफर करेगा कि यह सड़क बननी चाहिए। पी० डब्लू० डी० वाले एक्स० ई० एन० को कहेंगे और एक्स० इ० एन० ए० ई० एन० को कहेना और ए० ई० एन० ओवरसियर को कहेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपको इस बात से ताज्जुब होगा कि मन्जूरी होने के बाद महीने भर-बाद काम शुरू किया गया है इस अकाल के अन्दर। यह क्या तमाशा है ? यह क्या आपका प्रशासन है ? यह क्या आपके डिपाटमेंट का कोआर्डिनेशन हैं ? मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि पाली जिले के अन्दर रानी से चाचरिया खवाड़ की सड़क की मन्जूरी हुई। जिस समय कि फेमीन मिनिस्टर सहाब पाली आये थे उन्होंने सेगशन दी, लेकिन सेगशन होने के बाद आज दिन तक वह काम शुरू नहीं हुआ। उस बात को एक महीना से ज्यादा होगया, उपाध्यक्ष महोदय। फुलडी–जैतारण–देवरिया की सड़क की मन्जूरी हुए कितने ही

(श्री शंकर लाल)

दिन हो गये पर वह भी शुरू नहीं हुआ। झावांखेड़ी से बल्लीपुर की सड़क की मन्जूरी हुए कितने दिन हो गये, लेकिन उसका काम शुरू नहीं हुआ।

इतना ही नहीं, इन लोगों को यह भी चिन्ता नहीं है कि जो मजदूर आज काम पर लगे हुए है, अगर काम समाप्त हो जायगा तो उस काम के आगे कौन सा दूसरा काम लेंगे ? उपाध्यक्ष महोदय, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मेरासिया खुर्द की सड़क पर काम चालू किया गया। वहां तीन हजार के करीब मजदूर काम कर रहे हैं। मुझे जब यह मालूम हो गया कि चार लाख के करीब की मन्जूरी है और यह काम ६ हजार मजदूर कर रहे हैं तो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, तो मैंने २० दिन पहले ही कलेक्टर महोदय को और फेमीन मिनिस्टर साहब सब को कहा कि इन मजदूरों को काम समाप्त होने के बाद आप इनको किस जगह पर लगायेंगे, यह प्लान अभी से आपका होना चाहिए। उसके लिए मैंने सुझाव दिया कि यह जो चांद की सड़क है इसको स्टेशन तक ले जाया जा सकता है और बिराजिया की सड़क है उसको गिरी तक ले जाया जा सकता है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, २० दिन के बाद जब फेमीन कमेटी की मीटिंग में जाता हूं, तब हमारे सामने यह बात आती है कि मजदूर बेकार बैठे हैं और इनका काम कल खत्म होने वाला है तो मैंने कलेक्टर महोदय से कहा कि मैंने आपको २० दिन पहले ही कहा था तो कलेक्टर महोदय से कहते हैं जो एक एस्टेशन सड़क का आपने बताया है उसका एस्टीमेट नहीं बना। इसको कौन बनायेगा ? क्या एस्टीमेट मैं बनाऊंगा ? एस्टीमेट तो पी० डब्लू० डी० की मशीनरी बनायेगी। लेकिन पी० डब्लू० डी. की मशीनरी ऐसी होती है कि जहां उनको काम करना होता है वहां तो बिना मन्जूरी भी काम करा देते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि रायपुर के अन्दर रायपुर से भूठा एक गांव हैं और भूठा से बचरियाखेड़ी जो तीन मील का टुकड़ा है उसके लिए कोई मन्जूरी नहीं थीं, कोई मांग नहीं थी वहां के लोगों की, लेकिन वहां के एक सेठ अपने लोगों को बताना चाहते हैं तो उन्होंने पी० डब्लू० डी० से मिलकर घूपल सेन्शन में काम शुरू करा दिया। कहते हैं कि जहां पर सेन्शन नहीं होती है तो यह घूपल सेन्शन हो जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, उस सड़क के अन्दर क्या हुआ कि बीच के अन्दर किसानों के खेत आये और किसानों के खेतों के अन्दर फसलें खड़ी हुई और उनके खेतों के अन्दर सड़कें ले जा रहे हैं तो किसानों ने तार दिया। मुझे टेलिफोन किया। मैंने जगह पर जाकर देखा और उनसे पूछा कि यह सड़क कैसे हो रही है और माननीय उपमन्त्रीजी से कहा तो माननीय उपमन्त्रीजी ने कहा कि हमारे यहां से कोई सेन्शन नहीं हुई फिर काम कैसे चालू हो रहा है ? तो एक तरफ तो बिना एस्टीमेट और बिना सेन्शन काम शुरू हो जाय और दूसरी तरफ ६ हजार मजदूर बेकार होते हैं, जिसके लिए २० दिन पहले कहते हैं तो कलेक्टर महोदय यह कह देते हैं कि पी० डब्लू० डी० वालों ने एस्टीमेट नहीं बनाया। खोहड़ की सडंक के लिए मैंने पूछा कि क्या बात हुई पी० डब्लू० डी० ने एस्टीमेट बना दिया फिर भी सड़क पर काम क्यों नहीं चालू हुआ तो कहते हैं कि मजदूर नहीं

(श्री शंकर लाल)

आते हैं। इस तरह से सफेद झूठ बोलते हैं। मजदूर ले आये तो कहते हैं कि औजार नहीं आये। काम शुरू करने के लिए औजार चाहिए स्टीमेट चाहिए, काम शुरू करने के लिए एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पर दोष डालता है। फेमीन के काम में महीने महीने भर की ढिले चलती रहे तो यह क्या रेड टेपिज्म हैं, किस प्रकार का प्रशासन है? यह प्रशासन अकाल राहत के काम तक के लिए इतनी डिले करता है, तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जहां एक तरफ तो यह घोषणा की गई माननीय मुख्य मन्त्रीजी, अकाल राहत कार्य मन्त्रीजी द्वारा और वित्त मन्त्रीजी ने भी कई जगह घोषणा की अकाल राहत कार्य वार फुटिंग की इमरजेन्सी से करेंगे, जिस प्रकार वार में इमरजेन्सी से काम करते हैं उसी तरह से करेंगे, लेकिन मैंने उदाहरण बताये हैं कि आज यह इमरजेन्सी तमाम चली जा रही है।

इसको आप अमरजेंसी कहते हैं? सामान्य प्रशासन में तो विदाउट अमरजेंसी में सामान्य प्रशासन में क्या होता होगा। जहां ५–६ महीने काम नही होता है। इस प्रकार की डिलेज बहुत खतरनाक है और सामान्य प्रशासन को ठीक करने वाले नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा बहुत अदब से, जो सर्विसेज में लोग हैं, आज सभी कहते है कि सर्विसेज का आउटलुक चेंज नहीं हुआ है। उन्हें यह पता नहीं हैं कि हम डेमोक्रेसी में काम कर रहे हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि सरकार विधान सभा के प्रति जिम्मेदार है। यह बात जरूरी हैं। आज अगर मिनिस्टर का टेलीफोन आएगा तो वह जरूर ध्यान देंगे। लेकिन अगर गरीब आदमी उनके यहां चला गया तो सुबह से शाम तक मिलने को मौका नहीं मिलता है। उनकी चिट चपरासी लेजाकर अन्दर नहीं देता है। अगर चपरासी ले जाता है तो कहते हैं कि हमें समय नहीं। जब तक उपाध्यक्ष महोदय, लोगों का आउटलुक चेंज नहीं होगा, तब तक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुधरेगा। मैं जानता हूं कि मुख्यमन्त्री जी नहीं है। लेकिन वित्तमन्त्री जी गम्भीरता से सुनेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, चाहे वह कैसा ही शासन हो जैसा किसी जमाने में होता था, लोग गुप्त रूप से पता लगाया करते थे। शासन में क्या कमियां हैं, कहां क्या हो रहा है? इसका पता लगाया करते थे। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि वह साधारण किसान और मजदूर बनकर पटवारी, तहसीलदार के पास जायें तो उनको मालूम होगा कि ग्राम जनता और किसानों की सुनाई किस तरह होती है। जब तक यह तरीका नहीं होगा तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता। आज रेवेन्यू बोर्ड में क्या होता है। चैयरमैन साहब का इन्स्पेक्शन होने वाला है। रात रात भर बिजली जलती है। काम होता है। पूछो बिजली क्यों जल रही है तो बतायेंगे कि चैयरमैन सहाब का इन्सपेक्शन होने वाला है। अगर इन्सपेक्शन नहीं है तो उनको परवाह नहीं है। अगर इन्सपेक्शन होने वाला होगा तो जो कागज डिलेज हो रहे हैं तो उनको बताया नहीं जाएगा। टिपटाप फाइल उनके सामने रखेंगे। अच्छी अच्छी बातें और अच्छे अच्छे काम उनके सामने रखेंगे। इससे सामान्य प्रशासन का, उपाध्यक्षमहोदय, पता नहीं चल सकता है। सामान्य प्रशासन के काम का तभी पता चल सकता है जब आप

Page No 91

(श्री शंकरलाल)

भेष बदलकर जायेंगे ? तो उनको पता लगेगा। मैंने स्वयं महसूस किया हैं। उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि अभी दो दिन पहले, परसों की बात है मैं यहां से सिटी बस में जा रहा था तो एक श्रीमान् जी पुलिस ऑफिसर थे। सिक्युरिटी फार्स में यह हैं। शायद विधान सभा में यहीं हैं। मैंने कल देखा है। उन्होंने चलती हुई बस को रोका। एक आदमी ने जब यह कहाकि चलती हुई बस को रोका टिकट नहीं ली तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं, वह पुलिस वाला आदमी उचक कर उस आदमी के ऊपर आ गया। तो मैंने कहा, आप यह क्या करते हैं ? यह आपको शोभा नहीं देता है। तो वह कहता है कि ये ऐसी बात करते है। तो पास के आदमी ने उसे बताया कि ये एम० एल० ए० हैं। जब एम०एल०ए० बताया तो वह चुप हो गया। वह एम० एल० ए० और मिनिस्टर की परवाह कर सकते हैं। अगर वह मामला नहीं होता तो वह आदमी के पकड़ कर गले से थप्पड़ भी मारता। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी मशीनरी कितनी परवाह करती है। हमारे यहां हमें गरीब मजदूर की परवाह करनी होगी। छोटे से छोटे अहलकार के पास चले जाइये तो आप को पता चल जाएगा। यह धारणा सामान्य प्रशासन से निकालनी होगी। आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। मेरे साथी जो मन्त्रिमंडल में बैठे हुए हैं सब को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी जिम्मेदारी हैं। आप हमारे साथी हैं। आप हमारी बातों को सुनिये और गम्भीरता से विचार कीजिए। उन पर एक्शन लीजिए। कभी साफा बांध कर भेष बदल कर किसी डिपार्टमेंट के सामने जायें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि अगर सामान्य प्रशासन को ठीक करना है तो वाद-विवाद और तर्क को अपनाना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोआर्डिनेशन की बात कर रहा था। हमारी पाली तहसील में कई गांवों में पानी नहीं होता है तो जवाई कैनाल से पानी छोड़ा जाता है। पाली के एक्स०ई०एन० जोधपुर के एक्स०ई०एन० के लिए कहते हैं। और जोधपुर के एक्स०ई०एन० पाली वालों के लिए कहते हैं। जवाई के एक्स०ई०एन० कहते हैं पाली का एक्स०ई०एन० जानता है। पाली का एक्स०ई०एन० कहता है कि जोधपुर का एक्स०ई०एन० हैं जानता है इस त्रिकोण संघर्ष में क्या होगा ? मैं समझता हूं कि राज्यमन्त्रीजी हमारे भाषण को ध्यान से नहीं सुन रही हैं। जबकि यह उन्हीं के विभाग की बात है। जवाई बांध का पानी छोड़ने के लिए दो विभागों का भी आपस में कोआर्डिनेशन नहीं है। पानी देने के लिए यह कहते हैं। समस्या यह है कि म्याऊं का मुंह कौन पकड़ेगा। यह किस की जिम्मेदारी है ? आनन्दपुरा के अन्दर कुवें खुदे हुए पड़े हैं। काम अधूरा पड़ा हुआ है। वह कहते हैं कि हमारे पास मशीन नहीं है। सारी मशीनरी अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड में चली गई है। उनको लिखा तो वह कहते हैं कि हम फाइनेंस मिनिस्टर के बिना किसी को मशीन नहीं देते। उपाध्यक्ष महोदय, किसके पास जायें। प्रस्ताव पास करके भेज देते हैं तो अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड वाले कहते हैं कि हम को फाइनेंस मिनिस्टर की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। परिणाम यह हुआ कि आज दो साल के बाद भी कुएं अधूरे पड़े हैं। कितनी आपकी योजनाएं हैं। आप कारण ढूंढिये। जब हरिश्चन्द्र जी एम० पी० थे तब काम हुआ था।

(श्री शंकरलाल)

लेकिन आज शास्त्री जी का स्वर्गवास हो गया और कितना अर्सा उसके बाद में बीत गया, लेकिन वह स्कीम अधूरी पड़ी है। मैं समझता हूं, न जाने कब पूरी होगी। मुझे तो उसकी उम्मीद नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पब्लिक हैल्थ की स्कीम उतनी ही हाथ में लें जितनी कि आप पूरी कर सकते हैं। आपको स्कीमें केवल मात्र यह बताने के लिए कि आपने इतनी स्कीमें तैयार कर दीं हैं इस विचार से स्कीमों के आंकड़े और संख्या नहीं जोड़नी चाहिए। हम चाहते हैं कि जितनी स्कीमें आप लें, उनको पूरा करें। लोगों को आपने विश्वास दिलाया कि नल से पानी मिलेगा लेकिन वह भी आपने नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, जो गांवों के अन्दर पानी की समस्या है, वह बहुत ही सुन्दर तरीके से, कवितामय ढंग से मेरे पूर्व वक्ता माननीय सदस्य ने बताई है, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह बात वास्तव में सही है कि गांवों के अन्दर जो कुए थे, जिनकी तीन तीन साल मे खुदाई हो रही है लेकिन वह आज भी अधूरे पड़े हैं। उनके अन्दर पानी नहीं निकला है। एक चावंडिया का कूआ है जैतारण तहसील में, एक बिकोनिया का कूआ है, जिस पर १८ हजार रुपये खर्च हो चुके हैं लेकिन फिर भी उसके अन्दर अभी पानी नहीं निकला है। ऐसे कई कूए हैं। फिर इसका कारण क्या है? आज कई काम हैं जो पब्लिक हैल्थ के काम हैं, लेकिन डिपार्टमेंटल रेड टेपिज्म में पड़े हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपको इस बात की जानकारी है, और इस सदन के कई माननीय सदस्यों को जानकारी है, जहां तक मुझे याद है, राजस्थान के अन्दर १६६५ के अन्दर और उसके आस पास, १६६५ नहीं, १६५५ में और उसके आस पास एक जल बोर्ड कायम हुआ था, राजस्थान ग्रामीण पेयजल बोर्ड, उसके अन्तर्गत जितना काम हुआ, पानी की समस्या का जितना निराकरण हुआ, मैं समझता हूं कि उतना उसके बाद आज दिन तक किसी वर्ष नहीं हुआ इसका कारण यह था कि नान ऑफिशियल मशीनरी थी, जिसको पैसा सरकार देती थी, लेकिन वह मशीनरी अपना खर्च राज्य से नहीं लेती थी, वह चन्दे के द्वारा इधर उधर से बड़े बड़े आदमियों से लेती थी और उस रुपये का जल्दी और अच्छी तरह से उपयोग किया जाता था। उपाध्यक्ष महोदय, पेय बोर्ड के टाइम के अन्दर दस लाख रुपये पाली जिले में खर्च हुए हैं और सौ ड़ेढ़ सौ स्कीमों के द्वारा कुए और टाकें बनाये गये। उसके बाद पेय जल की समस्या का निराकरण नहीं हुआ। यह कहने के लिए कह सकते हैं मिनिस्टर महोदय कि मास्टर प्लान बनाया गया है, सत्तर करोड़ रुपये का मास्टर प्लान बना, उसके बाद इतने करोड़ सालाना योजना में रखा, लेकिन पेय जल की समस्या जब तक हल नहीं हो सकती जब तक कि स्वीकृत धन राशि के एक्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए नान-आफिसियल मशीनरी, जल बोर्ड जैसी मशीनरी से न करवायें और यह जब बोर्ड हो उसके अन्दर ग्यारह नान-आफिसियल मेम्बर हों और चेअरमैन हो और उसके द्वारा एक्जीक्यूशन का एक टार्जेट हो कि इतने कुए बनेंगे, इतना काम होगा तब जाकर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। इसलिए पेय जल की समस्या को सुधारने के लिए मेरा सुझाव है कि इसके लिए जल बोर्ड कायम किया जाय। एक निवेदन और करना चाहूंगा, अधिक नहीं। वह भी केवल एक्साइज के विषय में। एक्साइज के विषय

Page No 93

(श्री शंकर लाल)

में बहुत सारी बातें कहीं गई । मुझे उपाध्यक्ष महोदय, यह बात अभी तक समझ में नहीं आई कि जो आक्शन सिस्टम था शराब से ठेके का, उसको हटा कर आपने आफर सिस्टम क्यों लागू किया । क्या आप यह शराब के ठेकेदारों को खुश करने लिए करना चाहते हैं, क्योंकि पहले जो आमदनी थी वह अब गिर गई है । मैं कहता हूं कि प्रोहिबिशन होना चाहिए, और कम्प्लीट प्रोहिबिशन होना चाहिए । अगर नहीं करते हैं तो फिर आपको आक्शन करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं आप आफर सिस्टम से ठेकेदारों को दें तो इसमें घोटाला होने की बहुत आशकता होती है, इससे लोगों को सन्देह होता है और साथ ही राज्य की आमदनी भी मारी जाती है । उपाध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर सवाल था, इसलिए हमें इसका जवाब चाहिए कि क्या इससे आमदनी कम हुई है या नहीं । मै निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आक्शन होता तो राज्य सरकार को ज्यादा आमदनी होती । जो यहां पर प्रोहिबिशन की बात कही गई है, मैं उसके साथ हूं, जो गांधीजी का स्वप्न था उसके अनुसार गांधी शताब्दी में कम्प्लीट प्रोहिबिशन होना चाहिए । अगर यह नहीं होता है तो आक्शन सिस्टम को बन्द करके अफार सिस्टम लागू करने से राज्य के खजाने को नुकसान हुआ है । इसलिए मैं समझता हूं कि यह एक गम्भीर मसला है, हमें इससे संतोष नहीं है । यह सिस्टम क्यों इन्ट्राड्यूज किया गया है ? यह इस स्टेज पर कहा है कि हम प्राहिबिशन लागू करेंगे, ठीक है, हमें इससे खुशी होती है । यह बात जरूरी भी है । वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि शराब जितनी मंहगी आती है उतना ही सरूर ज्यादा होता है । अब यदि आप दो दिन बिक्री बन्द कर देंगे तो दूसरे दिनों में बिक्री ज्यादा हो जायगी । इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है चाहे आप एक दिन बन्द कर दें, चाहे दो दिन बन्द कर दें । आप एक सुझाव मान लीजिये, कि कम से कम जो हिली एरियाज है, राजस्थान में रावत बैनाड़ा का इलाका है, इस इलाके में दौरा करके देखते है तो दुःख होता है । अकाल में मजदूरी जो मिलती है वह रावत बैनाड़ा के इलाके में मजदूरी का पैसा ठेकों में चला जाता है । वहां पर ठेकेदार मालामाल हो रहे है । जो छः हजार मजदूर काम करते हैं, उनको जो मजदूरी मिलती है वह सब ठेकेदारों के पास जाती है वहां पर शराब बेचने की मनाही नहीं है । हम कहते हैं तो सुनवाई नहीं होती है । जो हिली एरियाज हैं जहां पर शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं, बेकवर्ड क्लासेज के लोग रहते है, आप उस एरिया में दुकानें बन्द कर दीजिये । जहां पर मजदूरों के केम्प लगे हुए हैं वहां पर दुकानें नहीं होंगी तो मैं समझता हूं कि वह दूसरी जगह, पांच दस मील से शराब लेने नहीं जायेंगे, वैसे भी मजदूरी सुबह से शाम तक चलती है । इसलिए ऐसे एरियाज में महरबानी करके, गरीब लोगों के ऊपर रहम खाकर, राज्य की आमदनी की परवाह नहीं करके दुकानों को बन्द कर दीजिये । अगर आपको आमदनी बढ़ानी है तो आक्शन सिस्टम को लागू कीजिये और आफर सिस्टम को तोड़िये । मैं कहना चाहता हूं कि एक्सा-इज के मामले में संजीदगी से काम लेना पड़ेगा, जिससे कि लोगों को विश्वास हो कि कांग्रेस की जो रीति नीति है उसके अनुसार ही इसके अन्दर काम हो रहा है ।

Page No 94

(श्री शंकर लाल)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभानेत्री, पदासीन)

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा) : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने अनुपूरक अनुदान के सम्बन्ध में प्रदान योजना के लिए अपने जो कटौती के प्रस्ताव रखे हैं मैं उन सबकी आभारी हूं क्योंकि मैं ऐसा महसूस करती हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने जल प्रदाय योजना के बारे में अपने तरह तरह के विचार यहां पर प्रगट किये हैं, शायद अपनी ओर से राज्य सरकार को वह याद दिलाया है कि यह एक कल्याणकारी राज्य है और किसी भी कल्याणकारी राज्य के लिए जल प्रदान सबसे आवश्यक चीज है और इसलिए कई लोगों को, माननीय सदस्यों को इस बात का बड़ा रोष था, बडी व्यग्रता थी, जो कि मैं समजती हूं कोई गलत नहीं थी, क्योंकि पानी का जीवन से जो सम्बन्ध है और पानी का जो महत्व है, वह बतलाने की आवश्यकता मैं नहीं समझती। इस महत्व को समझते हुए माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार से विचार प्रकट किये है मैं उनके लिए बड़ी आभारी हूं।

कुछ माननीय सदस्यों का इस अनुपूरक अनुदान के अतिक्ति खर्चे के बारे में यह ख्याल था और उस ख्याल के अनुसार उन्होने विचार भी प्रकट किये हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इसका कारण १९६८-६९ के अन्दर इस प्रकार की नौ जल प्रदाय योजना थीं, जिनका बजट में प्रावधान नहीं होने के कारण मेन्टेनेन्स का खर्चा आया क्योंकि उनका कमीशन हो चुका था इसलिये पांच लाख की अधिक राशि लेनी पड़ी है। यहां पर बोलने वाले माननीय सदस्य कई जगह से आते हैं। उनमें ज्यादातर का यह ख्याल था कि जल प्रदाय योजना, हमारे शहरों और ग्रामों, दोनों क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जल प्रदान की सुविधा है उसमें भारी अन्तर है। और बजट में काफी अन्तर है। एक माननीय सदस्य, जो बाड़मेर से आते हैं उन माननीय सदस्य ने यह बात उठाई, कि राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र की एक करोड़ अड़सठ लाख जनता के लिए छः करोड़ का अब तक बजट प्रावधान है और दूसरी ओर केवल बत्तीस लाख जनता के लिए ग्यारह करोड़ रुपये का प्रावधान है जो कि अनुचित है........ लेकिन मैं माननीय सदस्यों को इतना बतला देना चाहती हूं कि जो उन्होंने ग्रामीण जल प्रदान योजनाओं के लिये ६ करोड़ का प्रावधान बताया, वह ६५ लाख का प्रावधान तीन योजनाओं में रखा गया था उसके अलावा ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लिये ६७ में खर्च किया, ६८ में खर्च किया और ६९ में खर्च किया वह पूरा मिला कर ८५.२ लाख हो जाता है, इसके साथ ही मैं उन्हें यह याद दिलाना भी अपना कर्तव्य समझती हूं कि अनुसूचित जाती और जनजाति के लिये, गांवों के लोगों को पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिये समाज कल्याण की ओर से, जल बोर्ड की ओर से जो धनराशि खर्च की वह क्या ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत खर्च किया हुआ नहीं माना जायगा ?

श्री रोशनलाल (सलूम्बर) : आप यह बताइये तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लिये कितना रुपया दिया गया और नगरीय जल प्रदाय

(श्री रोशन लाल)

योजना के लिये कितना रुपया दिया गया। जो नगरीय जल प्रदाय योजनाओं के लिये खर्च किया गया उसके मुकाबले ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिये कितना खर्च किया गया ? जयपुर, अजमेर और उदयपुर नगरों के लिये कितना खर्च किया गया यह बताइये। यह नहीं कि आप इधर से दौड़कर उधर चली गयीं. गांवों के प्रश्न को नहीं भूलें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्रीमती सुमित्रा : मैं यह भी बतलाऊंगी। मैं यह बतला रही थी कि नागरीय जल प्रदाय योजनाओं में जो राजस्थान सरकार ने उपलब्धि प्राप्त की है वह एशिया के ही नहीं बल्कि दुनियां के किसी दूसरे मुल्क ने उपलब्धि नहीं की है, एशिया के किसी दूसरे मुल्क ने ११० मील की दूरी से पनी नहीं पहुंचाया है। तो नगरीय जल प्रदाय योजनाओं में हमारी उपलब्धि सराहनीय है। पर यह भी निवेदन करना चाहती हूँ कि तीन पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिये जो धनराशि खर्च की गई है, उसके अलवा खास तौर से पाकिस्तान की सीमा से जो हमारा बोर्डर लगता है, ७ रेगिस्तानी जिले जो दो करोड़ ८ लाख रु० खर्चा किया गया है वह क्या ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत नहीं आता है ? । मैं यह निवेदन करना चाहती थी कि ऐसी बात नहीं है कि ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लिये सरकार उदासीन है या जगरूक नहीं है, सरकार ने उसके लिये कदम उठाये हैं। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे यहां पानी की समस्या है, बड़ी जटिल समस्या है और हमारे साधन सीमित हैं। इस जटिल समस्या को देखते हुए आप अहसास करें कि ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लिये २ करोड़ रुपया ई० टी० ओ० द्वारा २५० ट्यूब वैल्स खुदवाने के लिये खर्चा किया गया, वह क्या ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लिये किये गये खर्चा में शामिल नहीं करेंगे ?

इसके अलावा देश की आजादी के बाद समाज कल्याण द्वारा ग्राम्य जल प्रदाय योजना के लिये जो इन २१ वर्षों में खर्च किया गया उसे क्या इसके अन्तर्गत नहीं गिनेंगे ?

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : सभापति महोदया यह समस्या का पूर्ण समाधान नहीं है, यह मानते हैं कि पैसा खर्च किया है पर हम तो आज भी प्यासे हैं।

श्री रोशनलाल : गांवों में इसके लिये कितना खर्च किया और शहरों में कितना खर्च किया, यह बता दो और गांवों में इसकी आवश्यकता है या नहीं ?

श्री हंसराज आर्य : ३० लाख शहरी जनता के लिये कितना खर्च किया और २ करोड़ ग्रामीण जनता के लिए तीन योजनाओं में कितना खर्च किया है ?

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सदस्य इस तरह बीच बीच में बोलेंगे तो मैं उनका पूरी तरह समाधान नहीं कर पाऊंगी। पहले मेरे को सुन ले, उसके बाद कोई शंका हो तो प्रश्न पूछ लें।

तो मैं निवेदन कर रही थी कि ई० टी० ओ० द्वारा २५० ट्यूब वैल्स खुदवाने के लिये जो २ करोड़ रुपया खर्च किया गया है वह क्या ग्रामीण जल प्रदाय योजना के

(श्रीमती सुमित्रा)

लिये किये गये खर्चे में नहीं जोड़ेंगे ? समाज कल्याण बोर्ड द्वारा आये दिन अनुसूचित जाति और जन जातियों के लोगों के लिये पीने के पानी हेतू कुओं के लिये खर्चा किया जाता है, वह धन राशि करोड़ों से ऊपर पहुंची है, क्या उस धनराशि को ग्रामीण जल प्रदाय योजना में किये गये खर्चे के अन्दर नहीं जोड़ेंगे ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आकड़े तो बताओ। आंकड़े तो आपके पास ही हैं, हमारे पास तो नहीं ।

श्री रोशनलाल : शहरों में कितना खर्चा किया है और गांवों में कितना खर्चा किया है यह बताओ ।

श्रीमती सुमित्रा : आंकड़े हैं पर बोलने दें तब बताऊं ।

श्रीमती सभानेत्री : आप तसल्ली रखें, सब बता देंगी ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कब बता देंगी ?

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सदस्यों में बड़ी व्यग्रता है, बड़ी व्याकुलता है मैं समझती हूं न्यायोचित है, क्योंकि एक तरफ ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लिये तो कुल मिलाकर १२ करोड़ रुपया खर्च किया गया और शहरी जल प्रदाय योजना के लिये ११ करोड़ और कुछ खर्चा हुआ है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ज्यादा हुआ है ।

श्रीमती सुमित्रा : यह व्यग्रता उचित है । इस २१ साल के अर्से में जैसा जन स्वास्थय की मांग पर मन्त्री महोदय ने कहा था ११ ऐसी नगरपालिकाएं रह गई हैं, जहां हमें जल प्रदाय योजना का काम प्रारम्भ करना है । बाकी सब पूरी करली हैं । वित्त मंत्री महोदय का हमें आभारी होना चाहिये, उनके भाषण के समय आपने ने सुना होगा, मैं अपको फिर याद दिलाना चाहती हूं । उन्होने इस बात को महसूस किया ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लिये जिस तत्परता से, मुस्तैदी से आगे कदम लिया जायेगा होगा उस विषय में संकेत दिया है कि २५ करोड़ रुपया का प्रावधान फोर्थ प्लान के लिये कर के प्लानिंग कमिशन को भेजा है, वह राशि मिलेगी तो दो तीन वर्षों में गांवों के लिये पेय जल की समस्या हल कर सकेंगे । मैं माननीय सदस्यों को इतना याद दिलाना अपना कर्त्तव्य समझती हूं कि राजस्थान एक अलग प्रकार का प्रान्त है, हिन्दुस्तान के और प्रान्तों में जहां कल कल करती नदियां बहती हैं, वहां राजस्थान का दो तिहाई से ज्यादा हिस्सा रेगिस्तान है, जहां न केवल एक तरह की समस्या है, बल्कि पानी की ही कई तरह की समस्याएं हैं । कहीं पानी मिलता नहीं है, कहीं बहुत गहरा है, कहीं पानी है तो अस्वास्थ्यकर है, कहीं पानी खारा है । इन समस्याओं को देखते हुए आप अहसास करें कि राजस्थान की सरकार ने जो कुछ किया है और आगे जो कुछ करने का सकल्प है वह सराहनीय है । यह सही है कि जिस तरह इस बात को महसूस कर रहे हैं ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लिये, गांवों में रहने वालों को आज किस प्रकार का संकट हैं, पेय जल की परेशानी उठानी पड़ती है । खास तौर से उन रेगिस्तानी इलाकों में जहां पानी की

(श्रीमती सुमित्रा)

वजह से लोगों को अपनी जगह, अपना अपना स्थान छोड़ कर जाना पड़ता है, वह परिस्थिति आगे नहीं आये ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। अगले वर्ष में वित्त मंत्रीजी ने ११५ लाख की बजाय ग्रामीण जल प्रदाय योजना को २६५ लाख का बना दिया है, इससे भी पानी की समस्या के समाधान में काफी सहायता मिलेगी।

इसके अलावा माननीय सदस्यों ने कई तरह की अलग अलग जगहों की बातें रखी थीं, माननीय सदस्य जो बीकानेर से आने वाले हैं, उन्होंने ड्रेनेज के बारे में शिकायत की कि क्यों बनी। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि वह पी. डब्लू. डी. नहीं बनाती, जन स्वास्थ्य विभाग बनाता है। वह बनाई उसमें म्युनिसिपैलिटी को नुकसान की बात कही कि एक लाख का घाटा हुआ। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि किसी प्रकार के घाटे का सवाल पैदा नहीं होता। ७–८ मील की दूरी पर जाकर सीवेज की लाइन डाली हैं, शहर की सीमाओं के अन्दर सीवेज लाइन नहीं डाली जाती, शहर से ७–८ मील दूर जाकर डाली है और जहां पानी डाला जा रहा है वह नजूल लैंड है, म्युनिसिपैलिटी की सीमा में नहीं आती, इसलिये म्युनिसिपैलिटी के नफे नुकसान का सवाल ही नहीं आता। उनकी रखी बात को मैंने एग्जामिन करवाया तुलना ली। मेरी जानकारी में उनका ख्याल ठीक नहीं था।

बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी ग्रामीण जल प्रदाय योजना के बारे में कहा। उनको भी रोष था, उन्होंने कहा कि गांवों और शहरों में भारी अन्तर है। उन्होंने कुतीना गांव की समस्या रखी, कुतीना गांव में पानी की उनकी समस्या है। यह सही है कि ५ परसेंट जन सहयोग का पैसा उसमें जमा करा दिया है पर इससे ही काम सारा नहीं हो जाता, सबसे बड़ी समस्या धनाभाव की है, उसके आधार पर ही नई स्कीम्स ली जायेंगी। क्योंकि इस समय बजट के प्रावधान हैं, जितनी हमारी योजनाओं पर काम चल रहे हैं, उन पर खर्च करने में ही सारा बजट खर्च हो जायगा। और बजट का प्रावधान हो, यह वित्त मंत्रीजी के और इस सदन के देखने की बात हैं, इस विभाग को और पैसा दिलायें तो पीने के पानी की समस्या को यह विभाग हल कर सकता है। कुतीना की स्कीम अभी सेंक्शन नहीं हुई है, इसलिये उस पर काम नहीं किया है।

फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने दो तीन ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के बारे में कहा और जोबनेर के बारे में में प्रश्न उठाया उस समय कहा कि भूतपूर्व स्पीकर साहब ने उसका शिलान्यास किया था और काम प्रारम्भ नहीं हुआ। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि पहले विलेज वाटर सप्लाई स्कीम के अन्दर काम की स्वीकृति प्रदान की गई थी पर उस समय कृषि कालेज जोबनेर ने मांग की कि हमें २० हजार गैलन वाटर सप्लाई कर रहे हैं वह काफी नहीं है, हमें ७० हजार गैलन पानी दिया जाय।

७० हजार गैलन पानी देने के लिए २ लाख की स्कीम को रिवाइज किया गया। इसलिए स्कीम को रिवाइज करके इस वर्ष हमने एल० आई० सी० लोन के लिए भी

(श्रीमती सुमित्रा)

नाम भेज दिया है और समझती हूं १९६९-७० में जोवनेर वाटर सप्लाई का काम प्रारम्भ किया जायगा।

यहां और दो तीन जिलों की बात कहीं गई और जन सहयोग की बात कही गई लेकिन यह सब धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है और सही लाभ तब मिल सकता है जब सारी की सारी इस समय जो निर्माणाधीन योजनायें हैं, उनका काम प्रारम्भ हो। इसलिए कब तक यह काम प्रारम्भ किया जायगा यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते।

बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि जो रेगिस्तानी इलाका है खास तौर से खारे पानी की जो पट्टी है, बाड़मेर और जैसलमेर की वहां टांकों का निर्माण किया जाय। यह सुझाव अच्छा है और मान्य है। इसके लिए अगले साल के बजट में जितना उन्होंने बताया १५ हजार टांकों के लिए, इतना तो नहीं कर पायेंगे फिर भी उनका सुझाव अच्छा है। १५ हजार की धन राशि एक टांके के निर्माण में लग जाती है जिसमें वर्षा का मीठा पानी संचित कर लें और बाद में पीते रहें तो इसके लिए २ लाख रुपए का प्रावधान किया जायगा।

इसके अलावा और माननीय सदस्यों ने भी अपनी अपनी बात कहीं। अन्त में मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस समय जैसा कि मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में कहा था, १८० ग्रामीण जल योजनाओं पर काम पूरा किया गया है, १३६ पर इस समय काम चल रहा है। पहले और अब में अब एक अन्तर इतना कर दिया गया कि दो हजार से ऊपर वाटर सप्लाई स्कीम देते थे जल योजना में और अब उसमें संशोधन किया गया है और २ हजार से हजार की जो स्कीम है, उनको पंम्पस और टैंक्स में रखते हैं क्योंकि वाटर सप्लाई नलों के द्वारा घरों तक पहुंचाने, एक एक स्कीम पर बड़ा खर्च पड़ता था और पम्प और टैंक यह जो स्कीम है जहां पर कुओं पर पम्प सेट्स लगाकर रिजरवायर बनाकर और इकट्ठा करके करेंगे, वहां पर २०-२५ नल लगा दिए जांय तो निरन्तर रहता है। इसलिए दो हजार से ५ हजार की आबादी के लिए ऐसा किया गया है। पहले जितना हमारा बजट प्रोवीजन था उसका ज्यादातर हिस्सा जो बड़ी बड़ी योजनायें थीं वहीं पर लग जाता था।

जो अब तक काम किए गए हैं, उनसे हो सकता है कि कुछ माननीय सदस्यों को संतोष नहीं हो लेकिन जैसे आगे आने वाली योजनायें हैं, उनके अन्दर पूरा खर्चा जल प्रदाय योजना के लिए, गांवों में मीठा पानी और पूरी मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए २५ करोड़ का प्रावधान है। मैं समझती हूं कि उसकी मन्जूरी प्लानिंग कमीशन से आ जायगी तो आज जिस तरीके का माननीय सदस्यों के अन्दर रोष और व्याकुलता है, वह संतोष में बदल जायेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ यह उम्मीद करूंगी कि १६५) करोड़ रुपये का ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लिए जो बजट प्रावधान है और दूसरा जो हर

(श्रीमती सुमित्रा)

नगरीय जल प्रदाय योजना के लिए रखा है, यही इस बात का द्यौतक है कि आप माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार इस सदन में रोष व्यक्त किया था, भावनायें व्यक्त की थीं, उन्हीं भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए इस वर्ष का ग्रामीण जल प्रदाय योजना का बजट नगरीय जल प्रदाय योजना से कहीं ज्यादा है। इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करूंगी कि आप अनुपूरक मांगों को पास करें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपने जो जालोर जिले की सूची मुझे दी थी कि १९० गांवों में पानी नहीं है तो उस बारे में आप क्या सोच रहे हैं?

श्रीमती सुमित्रा : जालोर के लिए १३ रीजनल स्कीम्स ऐसी हैं, जिनको पूरा करने पर सारे के सारे गांवों का काम पूरा हो सकता है और इसके लिए १३–१४ करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

श्री हंसराज आर्य : अमुक जिले में दो लाख रख दिया, ४ लाख रख दिया, इससे संतोष नहीं राजस्थान में जो पानी की समस्या है उसके मूल समाधान के लिए सरकार के पास क्या योजना है? यह कम से कम ६०–७० करोड़ का मसला है। भारत सरकार से मिलकर युद्ध स्तर पर इस समस्या का समाधान नहीं किया जायेगा तब तक छोटी मोटी रकम से काम चलने वाला नहीं।

श्रीमती सुमित्रा : चौथी योजना में २५ करोड़ प्रवाधान के लिए योजना आयोग को लिखा गया है। इसके अलावा राज्य सरकार का बजट होगा। मैं समझती हूं और सरकार कोशिश करेगी कि इससे ज्यादातर गांवों की समस्या चौथी योजना तक पूरी हो सके।

श्री हंसराज आर्य : एक साल में ५ करोड़ खर्च करने से समस्या का समाधान होने वाला नहीं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैंने अपने भाषण में जो फिगर्स दी, उस बारे में यह बताया गया कि वे फिगर्स गलत हैं। मैंने पहली, दूसरी और तीसरी योजनाओं के पूरी तरह से आंकड़े देकर, १९६६–६७, १९६७–६८ सब आंकड़े देकर बताया।

श्रीमती सुमित्रा : मैं आपको बताती हूं:

पहली योजना में	१४३ लाख।
दूसरी योजना में	१८०.२५ ,,
तीसरी योजना	२८९.०२ ,,
१९६६–६७	७७.४० ,,
१९६७–६८	९२.९० ,,
१९६८–६९	७०.०० लाख।
सब मिलाकर	८५२ लाख होते हैं।

ई०टी०ओ० की स्कीम २.८ करोड़ की है। एक करोड़ से ऊपर समाज कल्याण के मारफत जल प्रदाय योजनाओं के लिये खर्च किया है और उसके साथ यदि यह करें कि जो पैसा हर साल हर दिन पचपदरा और लूणकरणसर जैसी जगहों पर रोजाना रेल से पानी पहुंचाना पड़ता है, उसको एड करने के बाद फिगर १२ करोड़ से ऊपर पहुंच जाता है।

Page No 100

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैंने योजनाओं के अन्तर्गत बात कहीं है। इसलिए मैंने सही आंकड़े दिये थे। आंकड़े मान लिए जायं तो शहरों की आबादी १६६७ की ३३ लाख है और गांवों की आबादी १.६८ करोड़। इस प्रकार ८० प्रतिशत लोग गांवों में बसते हैं। इस फिगर को मान लें तो बहुत कम खर्चा गांवों के लिए किया गया है।

टांकों के बारे में निवेदन करूं कि एक टांके पर सिर्फ १५ हजार का कार्य हो जायगा। मैंने कहा ५०० टांकों के लिए ७५ लाख का प्रावधान होना चाहिए, ५०० टांकों की व्यवस्था होनी चाहिए। एक टांके से क्या होगा ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं मानती हूं कि एक टांके से कुछ नहीं होगा, बाड़मेर जिले के लिए २१ करोड़ पानी की समस्या के हल के लिए······खर्च हो तो समस्या का समाधान हो।

श्री रोशनलाल : शहरों का पानी कम करके गांवों को अधिक पैसा देने का विचार सरकार रखती है या नहीं। जल प्रदाय योजना इसका नाम रखा है और आपने बताया १२ करोड़ अभी तक शहरों में खर्च हुआ और ११ करोड़ गांवों में खर्च हुआ। जनसंख्या की दृष्टि से गांवों के अन्दर जो जल की समस्या आप नहीं मानती कि गांवों में जो रुपया खर्च किया गया है वह बहुत कम है और समस्या जटिल है ?

श्रीमती सुमित्रा : आप इस बात को याद रखें कि शहरों के अन्दर जल प्रदाय योजना के लिए जो रुपया दिया जाता है वह सारे का सारा लोन होता है, नगरपालिकाओं पर लोन होता है, नगरपालिकायें रीये करती हैं, और गांवों के अन्दर जो ६५ प्रतिशत पैसा है, वह सबिसडी के रूप में दिया जाता है, आप इस बात को क्यों भूल गए हैं ?

श्री रोशनलाल : नगरपालिकाओं ने जो अपना रुपया जल प्रदाय योजना के लिये खर्च किया कौन कौन सी नगरपालिकाओं ने रीपे किया सरकार को ? हम जानते हैं राजस्थान में जो रुपया नगरपालिकाओं ने दिया है। अभी तक जो रुपया दिया गया हैं, उसमें से कुछ नहीं मिला है और अधिकतर पैसा सरकार ने राइट आफ भी कर दिया है और आज भी आप कह रही हैं कि नगरपालिकायें पे कर रही हैं, आप बतायें कितना रुपया उनको दिया और कितना उन्होंने वापस किया ?

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सदस्य इसको शहरी और ग्रामीण कह कर आप सी भावना को न उभाडें तो अच्छा है।

श्री रोशनलाल शर्मा : भावना का प्रश्न नहीं है।

श्री शंकरलाल : माननीय मंत्रीजी यह भावना का प्रश्न नहीं हैं। शहरों में खूब पानी बहे और गांवों में दस-दस मील से पानी लाना पड़े यह नहीं हो सकता। दोनों जगह की जनता तो एक ही है। आपको एक ही मानना पड़ेगा।

श्रीमती सुमित्रा : यो तो माननीय सदस्य आप हम किसानों के प्रतिनिधि हैं। क्यों नहीं धूप में जाकर किसानों के साथ खड़े रह कर फावड़ा चलायें ?

श्री रोशनलाल : उधर बैठ जाने से आपकी भावना चैन्ज हो गयी है।

श्रीमती सुमित्रा : मेरी भावना नहीं बदली है अब भी वैसी ही है माननीय सदस्य मुझे गलत न समझें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मंत्री नहीं थीं तो क्या भाषण देती थी।

श्रीमती सुमित्रा : जितना पैसा शहरों पर खर्च हो रहा है एल. आई. सी. से लोन के रूप में आता है और म्युनिसिपैलिटी को वापिस देना पड़ता है।

श्री रोशनलाल : कितना आया ? कितना रुपया वापिस पे हुआ यह बता दीजिये ?

श्रीमती सुमित्रा : म्युनिसिपैलिटी को दिया हुआ लोन माफ नहीं होता है। शायद माननीय सदस्यों को भ्रम हो रहा है कि पैसा माफ हो जाता है। राइट ऑफ नहीं किया है। एल. आई. सी. का दिया हुआ है लोन के रूप में।

श्री रोशनलाल : एल. आई. सी. गवर्नमेंट को देती है या म्युनिसिपैलिटी को ?

श्रीमती सुमित्रा : गवर्नमेन्ट की गारन्टी पर नगरपालिका को देती है।

श्री रोशनलाल : गवर्नमेन्ट को रुपया दिया जाता है। गवर्नमेन्ट जल परियोजना पर खर्च करती। म्युनिसिपैलिटी का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा : जी नहीं, जीवन बीमा निगम सरकार को नहीं बल्कि नगरपालिकाओं को ही सरकार की गारण्टी पर लोन स्वीकृत करता है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा सिर्फ दो हजार रुपये का कुओं के लिये प्रोविजन है। क्या दो हजार रुपये में रेगिस्तान में कुआ खुद सकता है। क्या उसको बढाने की कोशिश करेंगे ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या बाडमेर और जैसलमेर में दो हजार रुपये में कुआ बन जाता है ?

श्रीमती सभानेत्री : काफी प्रश्न पूछे जा चुके हैं।

श्री रोशनलाल : एक-एक का उत्तर दिला दीजिये।

श्रीमती सभानेत्री : उत्तर भी काफी दिये गये हैं।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या १७

श्री रोशनलाल : हमारा जवाब तो दिया ही नहीं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : वित्त मंत्रीजी का जवाब होना है।

श्रीमती सभानेत्री : आप महिला मंत्रीजी के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं।

श्री रोशनलाल : सभानेत्रीजी हम भी अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं।

श्री शंकरलाल : जवाब तो आना चाहिये।

Page No 102

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या १७ मुख्य शीर्षक ३० जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,८१,०००) रु० तक की धनराशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृति)

अनुपूरक मांग स्वीकार की गई ।

माननीय वित्त मंत्रीजी उत्तर देंगे ।

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : सभानेत्री महोदया, आबकारी मांग को लेकर सदन में मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि माननीय सदस्यों ने मेरे इस विभाग में बहुत दिलचस्पी ली और अपने विचार रखे । कटोती प्रस्तावों के जरिये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया, उन सब मुद्दों पर थोड़े समय में सदन के सामने पूरी बातें नहीं रख सकूंगा मगर कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार जो सदन में रखे उनके बारे में राज्य सरकार की नीति और उनके सुझावों के ऊपर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया सदन में रखने की कोशिश करूंगा ।

सभानेत्री महोदया, एक बहुत खुशी का मौका है कि हमारे माननीय सदस्यों ने एक अवाज से नशाबन्दी राजस्थान में तुरन्त की जाय यह मांग की । आज मुझे इस बात का दुःख नहीं होगा कि विरोधी दल के माननीय सदस्य सदन में मौजूद नहीं हैं, क्योंकि इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने अपना पूरा फर्ज अन्जाम दिया । राज्य सरकार की नीति का निर्धारण करना, इस

(करतल ध्वनि)

ओर सदन में बैठने वाले माननीय सदस्यों का काम है और जो नीति वे निर्धारण करते हैं उस नीति पर राज्य सरकार कार्य करती है । गांधी शताब्दी के अवसर पर सब माननीय सदस्यों के दिल और दिमाग में, हृदय और दिमाग का परिवर्तन होकर जो यह मांग रखी गई है कि तुरन्त नशा बन्दी कर देनी चाहिये राज्य सरकार इसका स्वागत करती है । दो तीन वर्ष से जब से यह नयी सरकार कायम हुई है तब से राज्य सरकार बराबर नशा बन्दी की मंज़िल पर पहुंचने के लिये माननीय सदस्यों के साथ हर कदम होकर आगे बढने को कोशिश कर रही है । भारत के अन्दर इस वक्त, सभानेत्रीजी, आपको भी ज्ञान होगा कि नये चुनावों के बाद में हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ प्रान्तों में जो नशा बन्दी की नीति उन्होंने मंजूर की थी, उनमें से एक दो को छोड़ कर सभी ने उस नीति में मुंह मोड़ लिया है । राजस्थान सरकार ही एक ऐसी सरकार ने और गर्व के साथ मेरी कहने की आदत नहीं है, लेकिन मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि हमने इस बदले हुए वातावरण में भी जो सयासी तौर पर बदला है और नशाबन्दी की धारणायें बदली हैं, जैसे बम्बई और महाराष्ट्र ने नशाबन्दी को रिलेक्स किया, मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस सरकार थी इस नशाबन्दी के कानून को उसने वापिस लिया, पंजाब, हरियाना, मैसूर में इसको वापिस ले लिया, मैसूर के चीफ मिनिस्टर थे जो मौजूदा कांग्रेस के सदस्य हैं, वहां भी उसको वापिस ले लिया, आन्ध्र ने वापिस ले लिया लेकिन राजस्थान में नशाबन्दी न होते हुए भी, ऐतिहासिक कारण है सामन्ती शासन भी नशीली चीजों

(श्री मथुरादास माथुर)

का प्रचार करने का एक माध्यम रहा है और उसके होते हुए भी राजस्थान सरकार ने हर बजट का उत्तर देते समय इस ओर कदम बढ़ाया है। इसका इस ओर के माननीय सदस्यों ने ही स्वागत नहीं किया था किन्तु उस ओर के माननीय सदस्यों ने, जिनका कुछ ही का नशा बन्दी में विश्वास है, उन्होंने भी इसका स्वागत किया था।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के गोवा अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुआ था और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी सभी सूबों में कांग्रेसी हुकुमतों को यह आदेश दिया कि सात साल के अन्दर नशाबन्दी पूरी हो जानी चाहिये। राज-सरकार की वित्तीय स्थिति सीमित होते हुए भी इतने बड़े आमदनी के जरिये को सामने रखते हुए राज्य सरकार ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उस प्रस्ताव की शरण नहीं ली और राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने गोवा के अन्दर उस प्रस्ताव के पास होने के बाद तुरन्त एलान किया हमने जो नीति निर्धारित की है, वह यह है कि हम राजस्थान के अन्दर तीन, चार साल के अन्दर पूर्ण नशाबन्दी कर देंगे। इसको हमने दोहराया है। इससे साफ जाहिर होता है कि हिन्दुस्तान की कांग्रेस कमेटी का रूख एक तरफ है, उसके बावजूद राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मातहत चलने वाली कांग्रेसी सरकार इस मामले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की नीति से आगे चलना चाहती है। बावजूद इसके अगर यह कहा जाये कि कांग्रेसी हुकूमत द्वारा नशाबंदी का कार्यक्रम हाथ मे नहीं लिया जाता है तो इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों से खासतौर से निवेदन करूंगा कि वे यह देखें। यह कांग्रेस की नीति है। मैं जानता हूं कि अगर राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति जो आज बनी हुई है, वह नहीं होती तो राजस्थान सरकार इसमें सबसे पहले पहल करती कि शराब को पूर्ण तौर से, कानूनी जिसे आप कहते हैं, खतम कर देती। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कानून से ही यह बंद नहीं होगी। माननीय सदस्यों ने बड़े जोर से भाषण में कहा—मैं उनसे निवेदन करूंगा वे आम-अवाम में काम करे और शराबी को शराब छोड़ने के लिये राजी करें, कोशिश करें और खासतौर से गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य श्री हंसराज जी आर्य ने शेर और शायरी के साथ इस सदन में एक्साइज की कम्पोनेंट डालने की कोशिश की। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे गगानगर जिले में या अपनी कान्स्टी-ट्यून्सी में ही काम करें। राज्य सरकार किसी को जबरदस्ती जाकर शराब नहीं पिलाती। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों में जाकर बैठें शराब बंदी के लिये। गांधीजी का नाम रखना है, तो गांधी शताब्दी ही आखिरी मंजिल नहीं है। गांधी शताब्दी के बाद भी शराबबन्दी का काम करना चाहिये। शराब केवल कानून बना देने से ही बन्द नहीं होगी। डूंगरपुर, बांस-वाड़ा, सिरोही जिलों में पूर्ण नशाबन्दी है। उसका नतीजा क्या निकला है, यह वहां से आने वाले माननीय सदस्यों से आप पूछ सकते हैं। राज्य सरकार की तरफ गैर-कानूनी ढंग से बनाई जाने वाली शराब को पकड़ने के लिये कितनी ही व्यवस्था की गई है। इसके लिये हमें पुलिस व अन्य अमलों की नियुक्ति करनी पड़ी है। शराब सिर्फ कानून से ही बन्द हो, तो नशाबंदी नहीं हो

(श्री मथुरादास माथुर)

सकेगी। इसके लिये सोशल वर्करस् को जाकर जनता को समझाना चाहिये तब जाकर पूर्ण रूप से शराब बंदी हो सकेगी। इससे सरकार की आमदनी चली जायेगी और पूर्ण शराब बन्दी भी नहीं होगी। लोग तो वैसे ही शराब पीते हैं। महुवे की दरख्त खड़े हैं। एक छोटा सा मकान डूंगरी पर है। उसके आस पास में कोई आबादी नहीं है। वहां महुवे का पेड़ है, उसके फूल गिरते हैं, बरसात भी होती है। सावन की मनुहार भी होती है। वे वहां दिन में महुवे को लेकर उसको वहां डिस्टल करके पी जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। ऐसी शिकायत डूंगरपुर, बांसवाड़ा से हजारों की तादाद में मेरे पास आती हैं। ऐसी स्थिति में मैं यह कर सकता हूं महुवे के पेड़ को ऊगने न दूं। परन्तु कई माननीय सदस्य यह कहेंगे कि लोग महुवे के फूल को खाते हैं, यह उनकी खुराक है। तब समस्या ज्यों की त्यों रह जाती है। सिर्फ गांधीजी के नाम पर आदिवासियों से जाकर कहें तो समस्या का हल नहीं होगी। इस मामले में हमें खास तौर से प्रेगमेटिक व्यू लेकर काम करना चाहिये। पूर्ण शराब बन्दी का जामा पहनाना है, राजस्थान के अन्दर तो मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करुंगा कि राज्य सरकार ने जो फेज्ड प्रोग्राम रखा है, उसके ऊपर आम अवाम में भावना पैदा करे और जनता में इसका प्रचार करें। हर एक को रचनात्मक दृष्टि से इस काम में लगना चाहिये। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां तक कहा कि स्कूलें बन्द कर दो, अस्पताल बंद कर दो।

श्री सभानेत्री : आगे मत कहें।

श्री मथुरादास माथुर : आपने यह मत व्यक्त किया कि कुछ मत करो, शराब बन्दी कर दो। यह सब सदस्य कहें तो हो सकता है। विकास का कार्य रुक जायेगा। १०-१२ करोड़ जो रुपया आता हैं, वह सारा रुपया रुक जायेगा। इस सदन में बैठकर हमें प्रेगमेटिक तरीका, कन्स्ट्रक्टिव तरीका अपनाना होगा। राज्य सरकार की नीति यह है कि हम शराब को प्रोत्साहन नहीं देते हैं। यह हमारी नीति है। बजट को आपने देखा है। हर साल आप देखते हैं। इस मद में दो करोड़ का घाटा है, इस साल दो करोड की क्वान्टीटी कम वितरित की जायेगी। दो दिन बन्द कर देने से यह फर्क होगा। इस तरह हमने इस पर कन्ट्रोल कर दिया है। आमदनी कम कर दी है। इस तहर डाइरेक्टली दो करोड़ की शराब कम बेची जायेगी। अगले साल चार दिन कर देंगे और तीसरे साल ६ दिन कर देंगे आखिर में पूरे साल बन्द कर देंगे। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, सभानेत्रीजी, अगले चुनावों के बाद भी शराब बन्दी हम करेंगे, कांग्रेस करेगी, कांग्रेस की हुकुमत करेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। कांग्रेस सरकार इधर उधर के झटकों से नहीं हटेगी, हमने काफी ऊंच नीच देखी है, सामंतशाही का झटका देख लिया है, उससे यह सरकार नहीं हटी और न हटेगी। अच्छा काम हमारे द्वारा होगा, इसकी आप तसल्ली रखें।

कुछ शिकायतें हमारे पास आई हैं। मैं उनके बारे में निवेदन कर देना चाहता हूं। मैं पहले भी, गत वर्ष भी, यह कह चुका हूं कि अगर कोई भी शराब की दुकान, जिसे आप यह समझते हों कि अच्छी जगह नहीं है, तो हमारा कानून बना हुआ है, वह वहां

(श्री मथुरादास माथुर)

से हटा दी जायेगी। मन्त्री क्या करते हैं, इसके लिये कानून बनाते हैं। इस कानून की अवहेलना को रोकना चाहिये। कोई मेम्बर मुझे शिकायत करता हैं, तो मैं ऐसी दुकान को वहां से वह हटा देता हूं। स्कूल अस्पताल, या किसी मन्दिर के पास ऐसी दुकान होगी तो वहां से हटा दी जायगी। मन्दिर शिव, कृष्ण का होना चाहिये। देवी के मन्दिर के पास से तो शराब की दुकान नहीं हटेगी। आमेर की केला देवी के मन्दिर में शराब को चरणा मत के रूप में चढ़ाया जाता है। जहां पर मजहबी ठेस पहुंचाती है, वहां से यह हटायी जायेगी। मैंने माननीय सदस्यों से निवेदन किया है कि मुझे इसकी सूचना मिल जाय, में तुरन्त कार्यवाही करूंगा।

एक माननीय सदस्य : देवी देवताओं के स्थान से भी हटा दें।

श्री मथुरादास माथुर : मेरे पास में गत वर्ष में दस, पन्द्रह माननीय सदस्यों को का लिखा हुआ आने पर मैंने तुरन्त कार्यवाही कर दी है। मन्त्री महोदय हर गली, हर कूचे के मयखाने में नहीं जाते। दुकानें कहां है, यह मन्त्री महोदय को मालूम नहीं। जो माननीय सदस्य जाते हों और उनको मालूम है तो उनके कहने पर मैं उस दुकान को हटा दूंगा। नेशनल हाईवे पर दुकानों के बारे में, मोहल्ले की दुकानों के बारे में आप कहेंगे, बतावेंगे तो मैं जांच करूंगा और उन दुकानों को हटाऊंगा। दुकानों के लोकेशन के बारे में हमारा लाइसेन्स में कमीटमेंट, एग्रीमेंट होता है। उस लोकेशन से हम उसको एग्रीमेंट के पहले हटाते हैं तो कम्पेनसेशन देना पड़ता है। यह मैं नहीं करूंगा।

श्री रोशनलाल शर्मा : ऐसे कौन कौन से माननीय सदस्य हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो आम अवाम की बात कर रहा हूं। मैं किसी सदस्य के लिये नहीं कह रहा हूं। जिन स्कूलों, मदरसों के पास में दुकानें हैं, वे यदि पुरानी हैं और बीच में वहां स्कूल खुल जाता है और आप कहें कि इसको हटा दें तो हमारी मुश्किल है। लाइसेन्स के एग्रीमेंट के अनुसार पहले हटाने पर वह कम्पेन्सेशन चाहता है, वह मैं नहीं दे सकता हूं। गोकुलभाई भट्ट ने मुझे कई शिकायतें भेजी है, आप भी लिखीये, मैं उनकी बराबर लिस्ट मांडता रहूंगा और समय पर कार्यवाही कर दूंगा।

दूसरी बात यहां माननीय सदस्यों ने यह कहीं है कि शराब जीपों के अन्दर, तांगे ठेले के अन्दर लेकर बेची जाती है। गंगानगर में दूध मिलता नहीं, शराब मिलती है, ऐसी बात यहां कही गई है। इसका मुझे दुःख है। यह गैर कानूनी है। मैं इसको रोकना चाहता हूं। इसके लिये मैं बहुत ही सख्त कदम उठाऊंगा कि यह रुक सके। मगर कोई जीप में लेकर चला जाय, फेमीन के केम्पस के अन्दर कोई भी शराब की दुकान नहीं खोली जासकती। कोई शराब लेकर जीप में, ठेले में, तांगे में या सिर पर लादकर भी नहीं ले जा सकता। उस क्षेत्र में कोई दुकान नहीं खोली जायगी। फिर भी हमारे सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, ऐसा होता है तो वे मुझे जगह बता दें, ठेकेदार का नाम बता दें मैं इस मामले में बहुत रिस्ट्रक्ट हूं, और मामलों में भी हूं

(श्री मथुरादास माथुर)

लेकिन फेमिन के केम्पस में कोई शराब की दुकान खोलता है और वहां शराब बिकती है, उसमें मजदूर अपनी कमाई का पैसा लगादे इस मुसीबत के अन्दर, तो मैं इसको अच्छी चीज नहीं मानता। ऐसा मेरे पास एक भी माननीय सदस्य ने अभी तक नहीं कहा था। अगर माननीय सदस्य वह स्थान बता दें तो मैं सख्त से सख्त कदम उठाने में और जरूरत पडी तो उस ठेकेदार का लाइसेन्स तक जप्त करने में नहीं हिचकिचाउंगा।

एरियर्स के बारे में कहा जाता है एक्साइज के एरियर्स ज्यादा नहीं है। एरियर्स की परिभाषा गलत समझ कर कहते हैं। यह सवाल बार बार सदन में आता है। मैं इसका खुलासा करना चाहूंगा। जिन ठेकेदारों के साथ दो दो लाख रुपये की शराब का हमारा एग्रीमेंट है, उसमें यह है कि उतनी शराब उनको मिलनी चाहिये, उतनी हम सप्लाई करेंगे। क्योंकि इस समय केवल राज्य सरकार डिस्लिीशन का कार्य कर रहीं है अगर हम उतनी कीमत की शराब नहीं दे सके वे बराबर हमें लिखते रहते शराब दीजिये। और इधर हमारे पास भारत सरकार द्वारा गुड से शराब बनाने के आदेश रद्द कर देने से ६७, ६८ का जिक्र कर रहा हूं जब कि हिन्दुस्तान के अन्तर शुगरकेन की क्रोप फेल होने से मोलेसेस और मेथेलिटेड स्पिरिट के न मिलने से जो राजस्थान को अलोकेट किया जाता है, वह नहीं मिली इसलिये शराब हम नहीं बना पाये। गंगानगर फेक्टरी में शराब बनता है, उसको उपरोक्त माल नहीं मिला नतीजा यह हुआ कि शराब कम सप्लाई हुई। जो दो लाख रुपये का व्यापार करना चाहता है और उसको एक लाख रुपये का ही माल मिले, वेयर हाउस में शराब न होने के कारण तो फिर क्या किया जा सकता है? वे लोग रिप्रेजेन्ट करते हैं बार बार उसके लिये हम कमेटी बैठाते हैं कि वे जांच करे कि इनका इन्डेन्ट वेअरहाउस को कब आया या नहीं आया उसको एग्जामिन करने बाद लाइसेन्स की जो टर्म है कि हम इतनी शराब देंगे वह पूरी नहीं दे पाने के कारण वह हमारे पर आ जाता है। जो डिफाल्टर्स होते है उनको हमने पेनेल्टी भी लगाई है। ऐसी हालत में जब हम उनको माल पूरी सप्लाई नहीं कर पाते, तो ऐसी हालत में सात आठ करोड़ में से ३१ मार्च तक केवल ६ करोड़ का ही सेल कर पाते हैं तो बाकी के दो करोड़ के एरियर्स बन गये। जिनको हम शराब नहीं दे सके तो हमने किसी को रेमीसन्स को राइट आफ नहीं किया। बिना केबीनेट की मन्जूरी के किसी रकम को राइट आफ नहीं किया जाता। हम एक एक पाई का हिसाब रखते है। राइट आफ करना किसी के हाथ की बात नहीं। राज्य में जो पैसा आता है वह हरेक का पैसा है। इस बारे में श्री मुकर्जी की अध्यक्षता में कमेटी बिठायी थी जिनको हम सप्लाई नहीं कर सकते जिसमें गर्वमेन्ट डिफाल्टर रही है वैसी हालत से क्या किया जाय। राजस्थान में कुल मिलाकर ६७ लाख के एरियर्स हैं। इसमें से कम से कम दस बारह लाख का एरिया तो प्रीमर्जर है। स्टेट के समय का है जिन ठेकेदार का पता नहीं न बाप का पता है न कोई ठिकाना है। साठ लाख रुपया एरिया राजस्थान के समय का है। इसके लिये हम बार बार कदम उठाते रहे है टेकनिकली यह एरियर्स नहीं है डिमान्ड रिवाइज करने की बात है।

Page No 107

(श्री मथुरादास माथुर)

सभापति महोदया, आफ सिस्टम और आक्शन सिस्टम के बारे में भी कहा गया। यह आफर सिस्टम क्या है नीलाम करने के बारे में तो मुझे डर था कि आमदनी गिर जायगी। जयपुर शहर इसका सबसे बड़ा कन्जूमर है। जहां ४० लाख ५७ हजार रुपया आता था जब इसका आक्शन कराया केवल तीस लाख रुपया ही आया। फिर आबकारी कमिश्नर बीडर पर जोर डालकर ३७ लाख की बोली लगाकर कार्यवाही की। जहां तक आफर सिस्टम की बात है, उसमें रैवेन्यू फाल हो जाता है। मगर अब हमने इस पर सेल्स टैक्स भी लगा दिया, जो पहले नहीं था। राजस्थान जब बना था इससे दो करोड़ की आमदनी थी अब दस करोड़ हो गया है। यह तो हमारी जितनी केपेसिटी है उतनी ही हम कर सकते हैं। शराब बन्दी में ज्यादा विश्वास करते हैं। शराब न पीने का प्रचार करने के लिये हमने एक लाख रुपया भी रखा था लेकिन किसी एक की भी अरजी मेरे पास नहीं आयी।

श्री शंकरलाल : आपने प्रोसीजर ही ले डाउन नहीं किया ?

श्री मथुरादास माथुर : सामाजिक कार्यकर्ता इस बारे में आकर सहायता मांगते तो तो उनके लिये यह रुपया रखा हुआ था। सरकार का प्रोसीजर है आप लेने वाले और हम देने वाले।

एक सदस्य : अब हम बनायेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : जो लोग सोशल काम करते हैं वे योजना बनाकर लायें उनको सरकार ग्रान्ट इन एड देगी। यह तो होता नहीं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा अपने इलाके के अन्दर ऐसी कोई संस्था हो जो इस प्रकार का काम करती हो उनको सरकार ग्रान्ट इन एड देगी उनका राज्य सरकार बड़ा आभार मानेगी।

सब बातें जो यहां कही गई, उस बारे में मैंने स्पष्टीकरण कर दिया। आशा है आप इस मांग को मन्जूर करेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह जो एरियर है क्या शराब दिये जाने के वजह से पैसा नहीं आया वही है ?

श्री मथुरादास माथुर : ९० प्रतिशत एरियर्स ऐसे हैं जिनको शराब सप्लाई करने की जिम्मेदारी सरकार की थी और वह सप्लाई नहीं कर पायी ?

श्रीमती सभानेत्री: प्रश्न यह है अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या १० राजकीय आबकारी के सम्बन्ध में ३१ मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६९ लाख ५ हजार तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय चैयरमेन महोदया, सामान्य प्रशासन के संबन्ध में जो अनुपूरक मांग पेश की गई उस संबन्ध में यहां पर माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला। अच्छा होता इस सदन में बजट के वाद विवाद के समय विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य उपस्थित रहकर इसमें हिस्सा लेते। और हिस्सा लेकर अपने विचारों से हमको लाभान्वित

Page No 108

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

करते। जिस बात को लेकर अनशन धरना या सदन का बहिष्कार करने का फैसला किया है। कल भी मैंने इस बारे में कहा था कि बैरी कमीशन की रिपोर्ट को हम गम्भीरतापूर्वक सारे पहलुओं पर विचार कर रहे हैं और हम आशा करते थे कि वे हमारी मुश्किलातों को एप्रीशियेट करते।

माननीय चेयरमेन महोदया, कल यहां पर भाषण के दौरान इस बात का जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने जिक्र किया सेक्शन २२ का जिसके अन्दर प्रोवीजन है जिसके अनुसार इसके बारे में आगे रेफरेन्स किया जा सकता है।

सेक्शन २२ की क्या भाषा है, रूले का वह कौनसा हिस्सा है, इन सारी बातों का अध्ययन करने के लिये भी हमने अधिकारियों से कहा है। लेकिन उसका अवसर इस वक्त पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि हम स्वयं इस रिपोर्ट का अध्यन करने में लगे हुए हैं। और जैसा मैंने निवेदन किया था कल कि यू. पी. सरकार से भी इसके बारे में प्रतिक्रिया मालूम हो जावे उसके बाद आगे क्या किया जा सकता है, उसका निर्णय करना होगा।

मैं समझता था कि यह प्रश्न इस प्रकार का था कि जिसके सारे पहलुओं पर हम गम्भीरता के साथ चिन्तन करके किसी निर्णय पर पहुंचते मैं अब भी आशा करता हूं कि माननीय विरोधी दलों के सदस्य इस प्रश्न पर विचार करेंगे और इस सदन में उपस्थित होकर सरकार को लाभान्वित करेंगे।

माननीय चेयरमेन महोदया, यहां पर वाद-विवाद के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने एडमिनिस्ट्रेशन में देरी होती है, उसके सम्बन्ध में काफी कहा। यह सही बात है कि कुछ मामलों में देरी होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन इन सारे पहलुओं पर विचार कर रहा है। दर असल में हमारे देश में एक प्रकार से जो एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा बना है वह चैक्स, काउन्टर-चैक्स को लेकर बना है। इस प्रकार का है। मैं स्वयं भी कई बार इस बात को अनुभव करता हूं कि क्या इतने चैक्स और काउन्टर चैक्स की जरूरत है। पर जब तक गम्भीरतापूर्वक चिन्तन करके और जब तक इसकी एल्टनेटिव स्पष्ट तौर से सामने न आवे किसी एक जगह परिवर्तन करना भी मुश्किल होता है। फाइनेन्स के रूल्स और ए० जी० के सिस्टम कई चीजें ऐसी हैं कि जिनका एक दूसरे से मेल है और उसका एक अखिल भारतीय आधार पर ही विचार करके निर्णय लिया जा सकता है।

दूसरे कई बार इस वजह से भी देर हो जाती है कि निर्णय लेने में अलग अलग अधिकारियों का एक तरह से काम करने का अलग अलग तरीका भी होता है और उसके अनुसार भी निर्णय करने से एक व्यक्ति तुरन्त और इनीशियेटिव लेकर निर्णय कर लेता है। कुछ निर्णय करने में झिझकते हैं और इसकी वजह से भी देर लग जाती है।

और माननीय चेयरमेन महोदया, बहुत सी बार यह अनुभव होता है कि बहुत सा वाद-विवाद और कई चीजें सदन में जो होती हैं कई एक्शन के बारे में चैलेन्ज

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

और मोटिव वाली बात भी आती है, तो इससे भी झिझक पैदा होती है । मैं आज तो कुछ नहीं कह सकता, पर भविष्य कहूंगा कि बहुत से इसके सम्बन्ध में जो आज लोक आयुक्त और कई चीजों का निर्माण हो रहा है, उनके होने के बाद काम में गति आवेगी या फिर रुकावटें पैदा करने की चीजें अधिक आ जावेंगी और फैसला करने में लोग और झिझकेंगे और एक दूसरे के ऊपर यह मामला डालना चाहेंगे तो यह प्रश्न एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और गम्भीर है । तो जैसे कहा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की रिफारिशें आने के बाद निर्णय किया जावेगा ।

इस सदन में यह भी कहा गया कि बंगाल में पांच सौ रुपया मिनिस्टर को और ७५० रुपया चीफ मिनिस्टर को देने का फैसला हुआ है । मैं समझता हूं कि बंगाल के मिनिस्टरों का फैसला उन्होंने किया, उनके बारे में मैं कुछ कहूं, यह वाजिब नहीं होगा । पर कांग्रेस ने कराची में आजादी से पहले कांग्रेस के अधिवेशन में पांच सौ रुपयों की बात कही थी कि कांग्रेस मिनिस्टर मिनिस्टरी में जावेंगे तो पांच सौ रुपया तनाखवा लेंगे । उस वक्त के रुपये की वेल्यू और आज के रुपये की वेल्यू अगर आंकी जावे तो आज जो मिल रहा है, वह उस वक्त के पांच सौ रुपयों से कम ही मिल रहा है ।

यह बात ठिक है कि कम खरचा हो । टेलीफोन पर यात्रा व्यय पर । इसके बारे में जितनी कमी की जा सके, की जानी चाहिये इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो कहा है उसकी तरफ ध्यान से जल्दी करके चलेंगे । यह मैं कह सकता हूं ।

बहुत सी बातें जो कही गई लोक आयुक्त और दूसरों के बारे में, इस बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिते ।

सर्विसेज पर खर्चा होने वाली बात कही गई, ज्यादा खर्चा है, ज्यादा खर्चा वाले मामले में जो खर्चा आज किया जा रहा है, उसमें कोशिश यह की गई है कि कम खर्चा हो, लेकिन अगर माननीय सदस्य स्वयं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के व्यय का विश्लेषण करेंगे तो शायद अनुभव करेंगे कि आज से दस पन्द्रह साल पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर जो काम का वजन था, जिस प्रकार के प्रश्न थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जो मामले आते थे उस जमाने में, उसके मुकाबले में आज काम का वजन काफी बढ़ गया है । कई बार तो मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि डिस्ट्रिक्ट में जितनी हमने व्यवस्था की है और जितना स्टाफ दिया है, शायद उसमें बढोतरी करने की आवश्यकता न पड़ जावे । आज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से आये दिन हाईकोर्ट की तरफ से जूडिसियर में पोस्टें बढ़ाने की बात आती है, क्योंकि एरियर्स बढ़ गये हैं । मजिस्ट्रेटों के बारे में सवाल आता है कि उनके पास एरियर्स बढ़ते जा रहे हैं । हम चाहते हैं कि इनके डिस्पोजल्स शीघ्र हों । फिर कानून की व्यवस्थाएं हैं । आये दिन इनका सवाल खड़ा होता है कि इसके बारे में आगे कैसे बढ़ना चाहिये । सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पहले भी वित्तमंत्री जी जब बजट पर वादविवाद हो रहा था

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

तो आंकडों से बताया था कि हमारे यहां पर एरिया और दूसरी सारी बातों को देखते हुए जो प्रशासन पर खर्चा हो रहा है वह दूसरी स्टेटों के मुकाबले में हमारी क्या स्थिति है।

पुलिस वालों को जो मैडल और दूसरी चीजें दी जाती हैं, उसके लिये बताया गया कि हाई कोर्ट के जज की कमेटी बनानी चाहिये, जो मैडल्स के बारे में फैसला करें। मैं समझता हूं कि कोई भी आदमी पुलिस में रहने वाले आदमी वक्त पर डाकुओं से चोरों से मुकाबला करतेसमय और दूसरी रहत की हालतों में रखते हुए काम करते है तो इसमें किस प्रकार से किसने क्या काम किया इसकी जानकारी इमिजिएट अफसर को ज्यादा होती है और अगर इस मामले में केवल मात्रा इस बात को रेफर किया जावे कि किसको देना किसको नहीं देना तो यह उपयुक्त नहीं होगा। सारे हिन्दुस्तान भर में इस बात को सामने रखकर चलते हैं।

प्रोमोशन के बारे में मैरिट के आधार पर हो, इसको कहा गया। मैंने पिछली बार निवेदन किया था कि हम प्रोमोशन्स के रूल्स में तबदीली करने जा रहे हैं और वह, जो आल इण्डिया का आज सर्विस रूल्स है सर्विसेज के, उसके आधार पर ही उनको बनाना चाहते हैं। इसमें पूरा मैरिट का कम्पोनेन्ट आ जाता है यह मैं नहीं मानता फिर भी काफी गुंजाइश है, जिससे यह चीज ज्यादा सिम्पलीफाई हो सकती है।

तो मैं और ज्यादा न कहकर माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस छोटी सी मांग को आप स्वीकार करेंगे।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि अनुपूर्वक मांग संख्या ६ मुख्य शीर्षक १६ सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को २३,७०,०००) तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

माननीय सदस्य, मुखबन्द का प्रयोग किया जावेगा।

प्रश्न यह कि अनुपूरक मांग संख्या १ मुख्य शीर्षक ६-भू राजस्व के सम्बन्ध में ३१ मार्च १६६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को रु ३२,०००) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ३ मुख्य शीर्षक ११ गाडियों पर कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४१,०००) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या संख्या ४ मुख्य शीर्षक १२ बिक्री कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के

(श्रीमती सभानेत्री)

निमित्त राज्यपाल महोदय, को ५,२०,०००) रुपये तक कि राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ५, मुख्य शीर्षक १३–अन्य कर और महसूल के संबंध में ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ९८,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गई)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १४–स्टाम्प्स के संबंध में ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १९,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ८, मुख्य शीर्षक १८–संसद, राज्य। संघ राज्य क्षेत्र विधान सभायें के संबंध में ३१ मार्च १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३९,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२--कारागार के संबंध में ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,७१,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६--विविध विभाग के संबंध में ३१ मार्च १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २७,५४,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग के संबंध में ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा के संबंध में ३१ मार्च १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,५७,४८,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

(श्रीमती सभानेत्री)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९--चिकित्सा के संबंध में ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ११,२७,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३--पशु पालन के संबंध में ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३५,९,७०००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या २०, शीर्षक ३४--सहकारिता के संबंध में ३१ मार्च १९६९ को समाप्त होने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २९,३७,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५--उद्योग के संबंध में ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७--सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य से संबंध में ३१ मार्च १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,१३,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के संबंध में ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २२,९०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२—बहु प्रयोजन नदी योजनायें के संबंध में ३१ मार्च १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २९,३२,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

(श्रीमती सभानेत्री)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक), ४४—सिंचन, नौचालन तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक), ४४—सिंचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर सयन्त्र पर व्यय के संबंध में ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २६,०७,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४—दुर्भिक्ष सहायता के संबंध में ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १८,५०,००,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ६५—निवृत्ति वेतन और अन्य निवृत्ति लाभ, ७२—निवृत्ति वेतनों का संराशिकरण के संबंध में ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३४,०७,००० रु० तक की राशि औब प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गई)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ६७—भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के संबंध में ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८—लेखन सामग्री तथा मुद्रण के संबंध में ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,००,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७१—विविध संबंध में ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १३,२६,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गई)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७६—अन्य विविध, क्षति-पूर्ति और अभिहस्तांकन के संबंध में ३१ मार्च, १९६९ को सहाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल

(श्रीमती सभानेत्री)

महोदय को ५०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३९, मुख्य शीर्षक ९५—कृषि उन्नत्ति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६८,०८,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९६—औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५२ हजार, सारी, ५२ लाख तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक माग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९८—बहु-प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत; ९९—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक), एवं १००—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल-निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) के संबंध में ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १२,०७,३३,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५०,५०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक ११४—सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ४५, मुख्य शीर्षक १२०—निवृत्ति वेतनों के सारांशिकृत मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १२,००,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्रीमती सभानेत्री)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के संबध में ३१ मार्च, १६६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १६६६ पुर:स्थापन विचारार्थ एवं पारित

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : सभापति महोदया, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १६६६ को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि इसकी आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदया, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १६६६, को पुर:स्थापित करता हूं।

सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १६६६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह हैं कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

श्री पी. के. चौधरी : सभापति महोदया, इस पर कुछ कहना चाहूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : बोलिये।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदया, एप्रोप्रियेशन बिल में सप्लीमेंट्री ग्रान्ट्स हैं। जो पब्लिक डेट से सम्बन्धित हैं उनको नहीं लेता हूं फिर भी रेवेन्यू एकाउन्ट में २४, २५ करोड़ का सप्लीमेन्ट्री और कैपिटल एकाउन्ट में करीब १५ करोड़ का सप्लीमेन्ट्री बजट अगर वित्त मंत्री महोदय ने असेम्बली में भेजा तो मैं समझता हूँ कि यह कोई तारीफ की बात नहीं है। हमारा बजट पहले करीब १५० या २०० करोड़ का बजट मानता हूं। अब उसमें करीब ४० करोड़ की सप्लीमेंट्री ग्रान्ट्स लेकर आते हैं, तो बजट में २० पर्सेन्ट का वेरियेशन होता है वह क्रेडिटेबल नहीं है, यह कहकर मैं चलना चाहता हूँ।

दूसरी बात, सभापति महोदया, यह मैं कहना चाहता हूं कि आखिर में बजट कितना भी हो, सरकार कितना भी खर्च करे, हमें उसमें आपत्ति नहीं है. लोगों को उस पर आपत्ति नहीं होती है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि लोगों को यह महसूस भी होना चाहिए कि सरकार की तरफ से यह जो खर्च किया जा रहा है वह वाजिब है, जायज है, ऐसा मानकर चलना चाहिये। मैं इस सम्बन्ध में, सभापति महोदया, एक बात कहना चाहूंगा कि आम लोगों में एक धारणा है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेन्डीचर है, उसमें वेस्टेज काफी होता है। गवर्नमेंट कहेगी बिल्कुल नहीं, गलत बात है। हम जो खर्च करते हैं बिल्कुल

(श्री पी० के० चौधरी)

वाजिब खर्च करते हैं। यह गवर्नमेंट की तरफ से वित्त मंत्रीजी कहेंगे, मुख्य मंत्रीजी कहेंगे। लेकिन लोगों की धारणा है। जब लोगों की धारणा रहती है तो जरूर उसके पीछे तथ्य होता है। इस तरह से करप्शन कमेटी ने कहा था कि कोई आफिसर अच्छा है या बुरा है उसकी जांच करने के लिए और वह करप्ट है या नहीं है उसकी जांच करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसके खिलाफ करप्शन के स्पेसिफिक चार्ज साबित हों, लेकिन उसका रैप्यूटेशन अच्छा नहीं है तो यह मानकर चलना चाहिए कि उसके पीछे कोई वजह है, जिससे कि लोगों में उसकी रेप्यूटेशन अच्छी नहीं है। इसका मतलब यह है कि स्पेसिफिक चार्ज एस्टेब्लिश नहीं होने से भी हमें मानना चाहिए कि वह आफिसर जो है वह ठीक इन्टेग्रिटी का नहीं है। इसी प्रकार हमारे खर्च के लिए सरकार जो खर्चा करती है, उसके लिए पब्लिक की ऐसी धारणा रहती है, जनता में ऐसी भावना रहती है कि सरकार अनाप-शनाप खर्च करती है। आप कितना भी कहें कि आपका वेस्टेज नहीं होता है, खर्च जायज होता है और हम एक-एक पैसे का हिसाब लेते हैं, फिर भी यह मानकर चलते हैं कि उसी प्रिन्सीपल के आधार पर कोई न कोई तथ्य उसमें है। मैं खुद मानता हूँ, सभापति महोदया, कि गवर्नमेंट के खर्चे में वेस्टेज होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्रीजी यह वेस्टेज नहीं होने दें। मिसाल के तौर पर एक बात मानकर चलता हूँ कि बजट का एक प्रिन्सीपल होता है कि जहां पर जिस डिपार्टमेंट ने एक साल में जितना खर्च किया है तो नेक्स्ट इअर का बजट प्रोवाइड करके यह देखा जाता है और उसी आधार पर प्रोवाइड किया जाता है। जो खर्च नहीं कर सकता, उसके पहले साल में परफार्मेन्स कम है इसलिए इतना पैसा नहीं देना चाहिए, लेकिन हम इस साल के बजट में देखते हैं कि पिछले साल खर्च नहीं कर सके उनको भी पैसा दिया गया है। मैं कहना चाहूँगा कि वेस्टेबल एक्सपेन्डीचर को रोकने के लिए कोशिश करनी चाहिए और जो खर्चा अनाप-शनाप होता है उसको रोकना चाहिए।

इस सम्बन्ध में, सभापति महोदया, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के सारी बातें कहते हैं कि इनएफिशियेन्ट है, डिले करता है और करप्ट है। मैं यह मानकर चलता हूँ कि सब बातों का जवाब जो है वह यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन में आप रेस्पान्सिबिलिटी फिक्स करने को तैयार हों। कई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमेटी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन बैठे हैं, लेकिन सरकार के पास आज तक इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि किसी को रेस्पान्सिबिल ठहराया जाय किसी काम के लिए। कोई भी एक्शन होता है, आज एक पुल बनता है, एक डैम बनता है उसमें ब्रीचेज पड़ गई और टूट गया तो किस पर रैस्पान्सिबिलिटी फिक्स की जाय? Who is responsible for it ? गवर्नमेंट को कितना नुकसान होता है ? एक बिल्डिंग बनाते हैं। उसमें क्रेक हो जाते हैं और नेक्स्ट मानसून आता है तो उसमें से पानी गिरता है तो आज तक क्या किसी पर रेस्पान्सिबिलिटी फिक्स हुई ? कोई नहीं हुई। यह गवर्नमेंट की साफ कमजोरी इस इस बात की है यह मैं मानकर चलता हूँ। मुख्य मंत्रीजी इस चीज को करदें कि

(श्री पी० के० चौधरी)

रेस्पान्सिबिलिटी फिक्स करेंगे हर एक लेवल पर, छोटे से छोटे आफिसर यानी तहसीलदार की यह रेस्पान्सिबिलिटी होनी चाहिए, एस० डी० और कलेक्टर की रेस्पान्सिबिलिटी फिक्स होना चाहिए, और ओवरसियर से लेकर चीफ इन्जीनियर तक की सबकी रेस्पान्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए तब तो एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशियेन्सी आ सकती है। आप सब जानते हैं और गवर्नमेंट इस बात को जानती है कि किसी ने काम बिगाड़ा है तो आज तक चैलेन्ज देकर कह सकता हूं कि रेस्पान्सिबिलिटी फिक्स नहीं की गई।

आज जो कुछ होता है, नीचे के आदमी से एक्सप्लेनेशन काल किया जाता है। यही काम होता है, छोटे से छोटे आदमी का एक्सप्लेनेशन काल किया जाता है। मैं यह मानकर चलता हूँ। इसके लिए मुख्यमन्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमेटी का सुझाव दिया। यह सुझाव से नहीं हो सकता है। आज जो सिस्टम है। वह सिस्टम चलता है। आप रिस्पोंसिबिलटी फिक्स कर दो। इरिगेशन में गलती होगी, इर्रिगेशन मिनिस्टर की रिस्पोंसिबिलटी है। लेकिन वह बात गवर्नमेंट में नहीं है। मैंने यह बात देखी है, सभापति महोदया, मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है। जहां कहीं एफीसियेंसी गिरती है और केसेज में डिले होती है, उसको सुधारने के लिए किसी न किसी नतीजे पर आना चाहिये। माननीय वित्त मन्त्री और मुख्यमन्त्री मिसाल बनायें। आप ने अब तक रेस्पोंसिबिलटी फिक्स की है। आपने कमाण्ड एरिया डिक्लेयर किया है। इतने एकड़ या बीघे होंगे। लेकिन जब एक्जीक्यूट करने के बाद कहते हैं, इतना पानी आयगा लेकिन आधा आता है। आधा पानी आता है। दूसरी मिसाल ले लीजिए। कहते हैं इतना पानी आयेगा। उतना नहीं आता है तो कमाण्ड ऐरिया में कमी हो जाती है। आप ने बांध बनाया जिसका एस्टीमेंट से ओवर एक्सपेंडीचर हो गया है। आप कहते हैं परसेंटेज बढ़ गया है। ओरिजिनल एस्टीमेंट नहीं है। परसेंटेज २०-२०-५० परसेंटेज बढ़ा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्लानिंग लेबिल पर एक्जीक्यूशन की लेबिल हो। आप को रिस्पोंसिबिलटी फिक्स करनी चाहिए। Right from Minister to Chaprasi. कमेटी से यह काम नहीं होगा। रिफार्म्स नहीं होगा ऐसा मान लीजिए। अभी अखबारों में निकला था है, मिनिस्टर हाउस में नहीं था इसलिए एक्शन ले लिया। नतीजा क्या क्या हुआ, सारे मिनिस्टर चौकन्ने हो गये। If he fails in his duty try to take action like this. तो चपरासी तक चौकन्ना रहेगा। मैं तो कहता हूँ रिस्पोंसिबिलटी तो फिक्स करो। कोई पुल या ब्रिज बनकर टूट जाना है, लीकेज होता है, सीपेज होता है। कौन रिस्पोंसिबिल है। कोई एक तरीका अपनाइये कि यह रिस्पोंसिबिल होगा। पी० डब्ल्यू० डी० की बिल्डिंग बनाते हैं। बर्षा होती है, पानी आता है। ऐसा मालूम होता है कि छत है ही नहीं। अगर पोलिसी में गलती हो तो नवाब साहब should be hanged. अगर एक्जीक्यूशन में गलती है तो चीफ इन्जीनियर या एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर या somebody should be held responsible सजा दो। यह जब तक नहीं करेंगे एफीसिएन्सी सुधर नहीं

(श्री पी. के. चोधरी)

सकती है। एक बार ऐसा कर दो। आप कह दो आप की टेबिल पर कोई कागज आने के बाद तीन दिन से ज्यादा नहीं रह सकता है। १५-१५ दिन कागज पड़े रहते हैं। हम कहते हैं बहुत छोटी सी बात है। वेरी स्माल। एक दफा आप करेंगे तो जैसे सभी मिनिस्टर चौकन्ना हो गया, ऐसे सब हो जायेंगे। ट्राई टू पुल अप। एक्शन लीजिए फिर देखिये, डिले खत्म हो जाएगा। डिले कम होगा। तो काम ठीक होगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। रुपया १४६ करोड़ नहीं २०० करोड़ लीजिए। लेकिन पब्लिक में यह भावना तो हो जानी चाहिए कि जो वेग्टेज होता है, उस पर एक्शन लिया जाता है। यह भावना पैदा करने के लिए कार्यवाही करें। एफीसिएन्सी नहीं रहेगी। हमारा आफीसर भला है, यह कहने का क्या मतलब है। भलाई इज नाट क्राइटेरिया। बहुत भला है, राम का भजन करता है। भजन करना काम नहीं दे सकता है। वह हमारे काम का नहीं है। एफीसियेन्सी से काम होना चाहिए। सरकार का कोई काम तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि रिस्पोंसिबिलटी फिक्स की जाये। जोधपुर जिले में अकाल राहत का काम नहीं होता। कलेक्टर ने आदमी को भेजा। उसने आकर रिपोर्ट दे दी कि हम को आदमी नहीं मिला। इसलिए काम नहीं हुआ। हमने कहा, झूठी रिपोर्ट दे दी। मैंने पूछा जहां अकाल नहीं है, वहां गया था या जहां अकाल है वहां गया था। झूठी रिपोर्ट दे दी। आप रिस्पोंसिबिलटी फिक्स करें। रुपया आप जितना चाहें हम मंजूर करने के लिए तैयार हैं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सभानेत्री महोदया, एप्रोप्रियेशन बिल नं० १ मांग संख्या १६९ के बारे में चर्चा होने जा रही है। मेरे पूर्व वक्ता ने कुछ बातें उठाई हैं। आंकड़े प्रस्तुत किये गये थे। अनुपूरक के अनुदान की मांगों की ३८ करोड़ की पेश की गई।

(४. ६ म. प.)

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कुछ बातें ऐसी थीं कि राज्य सरकार कल्पना भी नहीं कर पाती थी। जैसा कि १८ करोड़ ५० लाख का दुर्भिक्ष का बजट है इसके अलावा जो मांगें हैं केवल विकास कार्यों के लिए हैं। यदि इन विकास की मांगों में इस बात का अन्तर है कि ठेकेदारों को ठेका दिया गया, उनके भाव बढ़ गये। चीजों के भाव बढ़ गये। तो यह व्यवस्था में कलंक होगा। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इन खर्चों में (विराम) पहला खर्चा आता है अकाल का। उसके बाद सिंचाई का। १२ करोड़ से अधिक की मांग मांगी गई है। पांचवां खर्च उद्योग पर है। इन तीन मांगों के सम्बन्ध में बहस हो चुकी है। सिंचाई के सम्बन्ध में मेरे पूर्व वक्ता ने इस सदन के सामने कहा है, जब सामान्य प्रशासन पर बोल रहा था तो हमारे यहां का जो वर्किंग सिस्टम है, मैंने यह भी निवेदन किया था कि उसमें सजा देने का भी प्रावधान रखा गया है। लेकिन यह सब होने के बाद भी जैसा मेरे पूर्ववक्ता ने ध्यान आकर्षित किया है कि धन का

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

प्रावधान होते हुए भी बहुत कम केसेज देखने में आये हैं, जिनका प्रावधन रखा गया है।

मैंने उस समय एक बात और सदन के सामने रखी थी। अभी कुछ दिनों पहले हमारे उप-मंत्री, नियुक्ति विभाग ने यहां के सचिवालय की केन्टीन में जाकर देखा था, तो समय के अतिरिक्त, लंच टाइम के अतिरिक्त कई आदमी केन्टीन में बैठे थे। वह उसके सम्बन्ध में एक सरक्यूलर निकाल कर रह गये, और दण्ड के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया, यद्यपि नियमों में दण्ड का प्रावधान है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के जो सरक्यूलर हैं, जो नार्म्स और प्रोफार्मा बने हुए हैं, उनके एन्फोर्समेंट का पूरा प्रबन्ध किया जाय और उनको सख्ती से एन्फोर्स किया जाय। इसी प्रकार सारे डिपार्टमेंट्स में नार्म्स एण्ड प्रोफार्मा हो, सिंचाई विभाग में पी डब्ल्यू. डी. में, कृषि विभाग में नार्म्स इस सम्बन्ध में तय किये जायं कि इतना काम है, इतना हो जाना चाहिए और उनके साथ साथ दण्ड प्रावधान भी होना चाहिए।

शिक्षा के सम्बन्ध में थोड़ी सी बात निवेदन करना चाहता हूं। हमारे कान्स्टीट्यूशन के आर्टिकल चालीस में प्रावधान है और वह यह है कि दस वर्ष के अन्दर, पचास के बाद साठ के अन्दर चौदह वर्ष के बच्चों के लिए राज्य सरकार यह प्रयत्न करेंगी कि सबको शिक्षा मिले। लेकिन उसके बाद बीस वर्ष निकल चुके हैं, और जो फिगर्स हमारे पास हैं, उनके आधार पर मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि राजस्थान ने इस सम्बन्ध में कोई तरक्की नहीं की है। मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि राजस्थान ने इस शिक्षा के मुद्दे पर कोई अभाव रखा है हमारे जितने सीमित साधन हैं और जितने सीमित स्रोत हैं, उनके आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से संख्या में वृद्धि हुई है। मैं कुछ आंकड़े इस सदन के सामने प्रस्तुत करूंगा, यह दो तरह के आंकड़े हैं, पहले आंकड़े इस प्रकार के हैं, ६ से ११ वर्ष के बच्चों के लिए हमारे यहां पर गत वर्ष में ५४.५ के लिये शिक्षा का प्रबन्ध कर पाये, तो ११ वर्ष से १४ वर्ष के बच्चों के लिए २३.३ पर्सेन्ट शिक्षा का प्रबन्ध कर पाये। इसी तरह से १४ से १७ वर्ष के लिए ११ परसेन्ट बच्चों का प्रबन्ध कर पाये। जिस तरह पोपूलेशन का एकस्प्लोजन हो रहा है, उसको आधार मानते हुए मैं समझता हूं कि १६६० तक, मुझे नहीं मालूम पड़ता कि सबके लिये कम्पलसरी प्राइमरी एजूकेशन कर पायेंगे। इसलिए हमारे सीमित साधनों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार से शिक्षा के लिए काफी बड़े बजट की मांग हमें करनी चाहिए, ताकि कम से कम शिक्षा के लिये आर्टिकल ४० के अन्दर जो प्रावधान है, जिसके लिए धारा ३७ कहता है कि जो डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स की सूची दी गई फन्डामेंटल राइट्स के लिये जो प्रावधान है वही प्रावधान डाइरेक्टिव प्रिन्सीपल्स के लिये होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा के सम्बन्ध में राज्य सरकार की जो विस्तार की नीति है, उस विस्तार की नीति में जितना खर्च हो रहा है वह उपयुक्त है लेकिन इससे उसकी पूर्ति नहीं कर पायेंगे जो आर्टिकल ४० में दिया हुआ है।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, शिक्षा की नीति के सम्बन्ध में,

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

टीचर और टोट के सम्बन्ध में। हमारे यहां अब तक शिक्षा के विस्तार के मामले में कई सेमीनार, कई वर्कशाप, और कान्फ्रेंस होती रही है। लैटेस्ट अभी आबू में एक हमारे यहां की एजूकेशन पर एक व्हाइट पेपर का निर्माण किया गया था। उससे मेरे ख्याल से एक नई दिशा, एक नया निर्देश राजस्थान की एजूकेशन के सम्बन्ध में मिला है, उसको जितना जल्दी कार्यान्वित किया जाय, वह शायद हमारे देश के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। मैं बताना चाहता हूं कि सारे ससार की तुलना में शिक्षा का प्रसार हमारे यहां बहुत व्यापक नहीं हो रहा है लेकिन इस सम्बन्ध में सदन में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मेरा निवेदन है कि शिक्षा के जो भारतीय पुराने तरीके थे उनको अपनाना चाहिये।

शिक्षक और शिष्य के सम्बन्ध में कुछ बातों की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैं धवड़े यूनिवर्सिटी के प्रो० वाटदेड़ की पुस्तक पढ़ रहा था, वह एक नोबल प्राइज विनर हैं, उसमें शिक्षक और शिक्षार्थी के सम्बन्ध में उनके विचार मेरे सामने आये हैं। साथ ही नोबल प्राइज विनर पेस्टर बाक का इस सम्बन्ध में कथन पर्याप्त है:-

"I think if the beast who sleeps in a man could be held downby throts then the highest emubhum of humanity would be the dion tame of the circus with the whip not by the self sacrificing teacher."

मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारे यहां पर ट्रेड यूनियनिज्म का डवलपमेंट हुआ है, उसका शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रभाव आया है। आज शिक्षा को इस स्तर पर हम लेकर इस तरह आगे बढ़ रहे हैं जैसे कि कपड़े की नाप-तौल के आधार पर कीमत अदा की जाय।

एक निवेदन और कर देना चाहता हूं कि हमें विद्यार्थियों की शक्ति को समझना चाहिये। आज डवलपिंग कन्ट्रीज में विद्यार्थियों की शक्ति ऐसी शक्ति है, जो हमारे सामने आई है, इण्डोनेसिया की, वर्मा की, दूसरे कन्ट्रीज की, पाकिस्तान की। इसलिये मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस वक्त हमें बच्चों में डिसीप्लेन और साहस स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में शिक्षा की नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए।

मैं इसके अतिरिक्त एक निवेदन और करना चाहता हूं। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। उसमें ६८ लाख कृषि के लिए प्रावधान है और सिंचाई के लिए बारह करोड़ का प्रावधान है। मैं मानता हूं कि बारह करोड़ का प्रावधान बहुत बड़ा है। सिंचाई के बिना खेती में क्रांति नहीं हो सकती है। बिजली का भी हमारे यहां विस्तार हो रहा है, गांव गांव में बिजली लगा रहे हैं। खेती के लिए जो कुए हैं, उनकी संख्या सदन में रखकर मैं सदन का समय बरबाद नहीं करूंगा। लेकिन कुछ किसानों के सामने कठिनाईयां हैं उनके बारे में मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा जिनके ऊपर वह अपनी तरफ से विचार करें। पहला निवेदन करना चाहूंगा कि जो कृषि चार्जेज हैं उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के अलग हैं। नार्मल होल्डिंग पांच बीघा,

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

दस बीघा के बीच हैं। अब कुए में पांच हार्स पावर का इंजन पम्पिंग सेट लगाते हैं तो उसके अन्दर काफी खर्च होता है लेकिन फिर भी वह महिने में अठारह दिन खाली पड़ा रहता है। इन दिनों में उसका इन्डस्ट्री में उपयोग हो। एनर्जी का इस प्रकार उपयोग हो—इसका टेरीफ में प्रावधान होना चाहिये अत: ग्रामीण कृषि उद्योग और सिंचाई में बिजली का वही रेट होना चाहिए।

दूसरा निवेदन यह कर देना चाहता हूं कि हमारे यहां माइनिंग का बहुत बड़ा भण्डार है। राजस्थान में कृषि के बाद अगर किसी क्षेत्र में डवलपमेंट सम्भव है तो वह माइनिंग के आधार पर है, माइनिंग के आधार और बेसिक इन्डस्ट्रीज के आधार पर है। लेकिन फिर भी इस बजट के अन्दर अनुसंधान के सम्बन्ध में, लेबोरेट्री के सम्बन्ध में कि मिनरल का क्या उपयोग किया जाय, कौनसी इन्डस्ट्री को डवलप किया जाय, इसके सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैं मानता हूं कि इस प्रकार की लेबोरेट्री का प्रबन्ध करने से माइनिंग के ऊपर बेस्ड इन्डस्ट्रीज का डेवलपमेंट किया जा सकता है और आम जनता के द्वारा स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कैसे पनपें, इसके सम्बन्ध में सहयोग दिया जा सकता है।

अन्त में मेरा निवेदन है, यह जितना बजट है, २८ करोड़ रुपये के खर्च का और जितना ऋण का बजट है, जिसको सदन ने पास किया है, उसके एप्रोप्रियेशन बिल को स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल व्यास।

श्री रोशनलाल : किसको टाइम दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वाद-विवाद में काफी दिनों से टाइम नहीं मिला है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : एप्रोप्रियेशन बिल जो यहां पर प्रस्तुत हुआ है, उसमें मुख्य मांग हैं, जो माननीय सदस्य ने अभी बताई हैं, और वह रुपया जिस प्रकार से जिन कार्यों में खर्च हुआ है, उसके सम्बन्ध में मैं भी निवेदन करना चाहता हूं। सबसे बड़ी रकम जो इसमें खर्च की गई है वह फेमिन……

श्री उपाध्यक्ष : वह सब पढ़कर आये हैं माननीय सदस्य !

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या फर्माया ?

श्री उपाध्यक्ष : कार्य सूची में वह विवरण बता दिया गया है, वह पढ़कर आये हैं। आप अपनी बात चर्चा के सम्बन्ध में कहें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उसके बारे में ही निवेदन कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फेमिन के सम्बन्ध में जिस प्रकार राज्य सरकार ने इन दिनों में कार्य किया है और जो पांच जिले खास तौर पर बताये हैं—जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर इन पांच जिलों में भयंकर अकाल है। अकाल की वजह से जितना काम राज्य सरकार ने वहां के लोगों को रोजगार देने के लिए किया है प्रशंसनीय है और उसकी तारीफ किये बिना मैं नहीं रह सकता……

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

क्योंकि जो राज्य सरकार अपने यहां के रहने वाले लोगों के लिये यह प्रबन्ध नहीं कर सके, रोटी रोजी और पानी की व्यवस्था नहीं कर सके, वह सरकार निकम्मी है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : क्या पानी की वहां सम्पूर्ण व्यवस्था है ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय गोकुल प्रसादजी आप बैठें, मैं यह कहना चाहता हूं, कि पानी की बराबर व्यवस्था सरकार कर रही है चाहे ट्रकों से करें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सब जगह है ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : ५ जिलों के रहने वाले लोग हैं, उनको किसी प्रकार, जीवित रखा जा रहा है, जब कि वहां पानी का अभाव है। यह बात सही है कि ट्यूब वेल योजना से जिस प्रकार की पूरी व्यवस्था होनी चाहिये वह नहीं है। हमारा फर्ज है कि जो सरकार यहां काम करती है, उसको रोटी, रोजी और पानी की व्यवस्था करनी चाहिये और यह काम सरकार ने पूरी तरह से निभाया है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। इन १८॥ करोड़ में जो फेमीन पर पैसा खर्च किया है, ११-१२ लाख लोगों को रोजगार दिया है, जिन लोगों को घर छोड़ कर बाहर जाना पड़ता, वे लोग अपने घर पर ही रह कर अपने घर के कामों की देख रेख भी कर रहे हैं और अपना जीवन निर्वाह भी कर रहे हैं।

हां, कमियां भी हो सकती हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि फैमीन के काम कई जगह नहीं चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जहां लोगों ने मांग की है, वहां सरकार ने काम देने का प्रयास किया है। और उसमें सरकार को काफी सफलता प्राप्त हुई है।

इसमें दो तीन बातें और हैं, अकाल राहत के साथ साथ दूसरे काम भी सरकार ने किये हैं और कर रही है, सरकार ने शिक्षा में, सिंचाई योजना में काफी पैसा खर्च किया है। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का पूरा पानी रोक कर किसानों की चप्पा चप्पा जमीन पर पानी पहुंचाया जाय। इसमें राजस्थान सरकार ने १२ करोड़ रुपया खर्च किया है ज्यादा, खास जिसके लिये मांग पेश की है। मैं तो कहता हूं कि बजट का ४० परसेंट किसानों की तरक्की के लिये, बहबूदी के लिये खर्च करें तो वह ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाने की तरफ तवज्जोह नहीं देंगे तब तक इस देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती और जो हम परकेपिटा इन्कम लोगों की बढ़ाना चाहते हैं वह नहीं बढ़ेगी। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिये, एग्रीकल्चर से सम्बन्धित जितनी आवश्यक वस्तुएं हैं, चाहे बिजली हो, चाहे खाद हो, चाहे सिंचाई के साधन हों, इन साधनों को किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुहैय्या करने के लिये जितना ज्यादा से ज्यादा खर्चा किया जायगा उतना ही हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बेकारी, बेरोजगारी और गरीबी मिटेगी और हमारा देश खुशहाल होगा। मैंने पहले भी कहा कि एग्रीकल्चर पर अगर हम हमारे बजट का ४० परसेंट भी खर्चा करते हैं तो इससे राजस्थान का लाभ होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि हर

Page No 123

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

कुंए पर बिजली पहुंचाई जाय, तालाबों से, कुंओं से, नहरों से जिस किसी प्रकार से खेतों में पानी पहुंचाने की जिस प्रकार की भी व्यवस्था कर सकें वह करें, अगर इस तरह किसानों के खेतों पर पानी पहुंचाया जाता है, तो हमारी पर केपिटा इन्कम बढ़ेगी, गरीबी मिटेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारी काफी समस्याएं हल हो जायेगी । इसलिये हमें एग्रीकल्चर पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिये, क्यों कि यही हमारी मुख्य चीज है, इस पर अगर हम ध्यान नहीं देते है तो हम पीछे पड़ जायेंगे । शिक्षा वगैरह भी आवश्यक है पर सबसे अधिक आवश्यक आज एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर से हम देश को आर्थिक तौर पर सबल बना सकते हैं। ट्यूब वैल्स की हमारे यहां राजस्थान में काफी गुंजाइश है, पर हमारा वाटर बोर्ड ऐसा है कि जिसके पास पूरे साधन नहीं हैं कि जहां तहां ट्यूब वैल्स खोद सके। जहां ट्यूब वैल्स खुद सकते हैं वहां पर ट्यूब वैल्स खोदे जाने चाहिये और इसके लिये ट्यूब वैल ओर्गनाइजेशन, जिसको अन्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड कहते हैं, उसको पूरी तरह से सबल बनाया जाना चाहिये ताकि ज्यादा से ज्यादा कुएं हमारे यहां खुदें। राजस्थान क्योंकि डेजर्ट एरिया है, इसलिये भारत सरकार पर जोर डाल कर अर्थ और साधन उपलब्ध करके किसानों को ज्यादा से ज्यादा पानी दे सकें तो हमारा राजस्थान एक खुशहाल एरिया हो जायगा और सारे हिन्दुस्तान के लिये ऐसा स्थान बन जायगा कि यहां अधिक खाद्यान्नों का उत्पादन करके दूसरे प्रान्तों को खिलाने में समर्थ हो सकेगा। इसलिये आज आवश्यकता है कि ट्यूब वैल्स की पूरी व्यवस्था करें, ऐसी स्कीम्स जो संभव हैं, उनको हाथ में ले कर पूरी करने का प्रयास करेंगे तभी ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह स्कीम है जिस पर ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिये। अच्छा बीज और आधुनिक रासायनिक खाद देकर उत्पादन को बढ़ाने का हमने प्रयास किया है पर उसमें हमें अभी ज्यादा सफलता नहीं मिल सकी है। यहां अगर पानी की पूरी व्यवस्था कर दी जाय तो हमारे यहां खाद्यान्नों का ज्यादा उत्पादन हो सकता है।

ट्यूब वैल्स की स्कीम्स बन कर आई, उनके सम्बन्ध में मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपींद में आपने जांच करवाई थी। खारी नदी के सहारे सहारे ट्यूब वैल्स खोदने की संभावना बताई गई थी। वहां ट्यूब वैल्स खोदें जाय तो उत्पादन बढ़ सकता है और जगहों पर भी जहां जहां ट्यूब वैल्स खोदे जा सकते हैं, वहां पर ट्यूब वैल्स खुदवावें तो हम लाभान्वित होंगे और हमारे यहां खाद्यान्न ज्यादा पैदा हो सकेगा।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि के सम्बन्ध में जितने प्रोग्राम्स हैं, उन सब प्रोग्राम्स को वार फूटिंग्स पर हमें आज करना चाहिये, चाहे वह प्रोग्राम्स खाद के सम्बन्ध में हों, चाहे बिजली के सम्बन्ध में हों, चाहे सिंचाई के साधनों को बढ़ाने के सम्बन्ध में हों, इन सब प्रोग्राम्स को मुस्तैदी के साथ पूरा करने के लिये वार फूटिंग्स पर काम करना चाहिये। आज हमारे कर्मचारी पूरी तरह से काम नहीं करते हैं इसलिये इन प्रोग्राम्स में हमें जितनी सफलता

Page No 124

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

मिलनी चाहिये वह नहीं मिली है, इस लिये यह आवश्यक है कि जो प्रोग्राम्स हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने रखे हैं, उन प्रोग्राम्स को पूरा करने के लिये हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ज्यादा सतर्क हो कर मुस्तैदी के साथ काम करेगा तो काश्तकार जो कि हमारे देश की रीड की हड्डी हैं, क्योंकि हमारे यहां ८० प्रतिशत काश्तकार रहते हैं, उनको लाभ मिलेगा और हमारा देश मजबूत होगा।

अब मैं को-ओपरेटिव के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा को-ओपरेटिव प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे हम हमारे देश का ढांचा ही बदल सकते हैं इसलिये आज आज आवश्यकता है कि को-ओपरेटिव मूवमेंट को ज्यादा से ज्यादा सबल बनाया जाय, जिससे कि काश्तकारों को समय पर पैसा मिल सके और वे देश में खाद्यान्नों के उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ा कर हमारे देश को खुशहाल बना सकें। इस तरह का इन्तजाम किया जाय तो निश्चित रूप से हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। हम समाजवाद में विश्वास करते हैं और समाजवाद में कोओपरेटिव मूवमेंट एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है।

मैं राजस्थान कैनाल के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़े दिनों पहले काफी बातचीत हुई कि राजस्थान कैनाल को जल्दी से जल्दी पूरा करने की। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर ऐसे जिले हैं, जिनमें पानी पहुंचा देते हैं तो लखों बीघा जमीन उससे पीवल होगी और वहां खाद्यान्नों की पैदावार बढ़ेगी। और इस देश के संपूर्ण बनने में ज्यादा से ज्यादा योगदान होगा इसी प्रकार हमारे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा तरक्की करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ इस प्रकार के पहलू हैं राजस्व विभाग के सम्बन्ध में, हमारे यहां पर दो प्रकार की बातें हैं जिनको हमें खास तौर से तवज्जू देनी चाहिए। एक जागीरदारों के संबंध में। हमने जागीरदारों को मुआवजा देकर काफी पैसा सरकारी खजाने से दिया है। मगर उसका उपयोग सही तरीके से नहीं हो रहा है। बल्कि इस राज्य ने जो समाजवादी व्यवस्था अपनाने की कोशिश की है, उसके विपरीत ये लोग देश में जा रहे हैं। अगर हम इनको मुआवजा देकर संपन्न बनाने की कोशिश करें तो यह हमारी समाजवादी व्यवस्था में फिट नहीं बैठता। राज्यों को जो प्रिवी पर्सिज देते हैं, वह समाजवादी व्यवस्था में फिट नहीं बैठता है। हम जो रकम उनको दे रहे हैं उसको समाप्त कर उसके संबंध में हमें कुछ न कुछ आवश्यक निर्णय लेने चाहिए और वह पैसा ऐसी योजनाओं में खर्च करें, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके, धंधा मिल सके और अपने काम में ज्यदा संपन्न बन सकें।

हमारे क्षेत्र में डेजर्ट के बारे में बातचीत हुई है। यहां पर मरु प्रदेश है। इसमें ज्यादातर डेजर्ट्स हैं। यह इतनी बड़ी योजना है कि भारत सरकार को कई वर्ष लगेंगे साधन जुटाने में उसको हटाने के लिए। इस ओर हमें पूरी तरह तवज्जुह देनी चाहिए, नहीं तो आये साल अकाल आएगा और आए साल करोड़ों रुपए खर्च करने होंगे और वह बेकार हो जाता है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार से बातचीत करके इस योजना को क्रियान्वित करें तो हम इस प्रदेश से जल्दी से जल्दी डेजर्ट को भगा

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

सकेंगे और जितने डेजर्ट एरियाज हैं, उनमें हरीभरी खेती लहराएगी।

शिक्षा के सम्बन्ध में मैं बराबर कहता आया हूं और राज्य सरकार अभी भी उस सम्बन्ध में कोई विशेष तवज नहीं देती है। शिक्षा के मामले में सभी लोगों से समानता का व्यवाहार हो। मगर कुछ पब्लिक स्कूल इस प्रकार चलते हैं जिनमें बड़े बड़े लोगों के लड़के बड़ी बड़ी फीस देकर पढ़ते हैं। तो जब इन स्कूलों के और दूसरे स्कूलों के गरीबों के लड़के काम्पटीशन में बैठते हैं तो दोनों में फर्क होता हैं और दृष्टिकोण में भी फर्क होता है। पब्लिक स्कूलों में अंग्रेजी सभ्यता है और दूसरे स्कूलों में हिन्दुस्तानी लोग हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे स्कूलों में यह राज्य सरकार एड देती है उसको कम से कम बंद किया जाय ताकि इस प्रकार का भेदभाव मिटे और सभी के बच्चे समान स्तर पर बढ़कर आएं वरना मतभेद रहता है और पब्लिक स्कूल वाले हिंदुस्तान के गरीब बच्चों को हमेशा नफरत की दृष्टि से देखते हैं। वे हिंदुस्तान के लिए अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझते और अपने आप को अलग तरीके का आदमी समझते हैं। अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रपति ने भी कहा था कि इस फर्क को मिटाना चाहिए और ऐसे पब्लिक स्कूल्स जो मिशनरीज द्वारा चलाए जाते हैं जो रात दिन इंकलाब कहते रहे हैं, उनको वे इस तरह ही चलते रहेंगे जब तक हम ऐसे स्कूलों को बंद नहीं करेंगे। एक तरफ हम अस्पृश्यता मिटाना चाहते हैं, हम चाहते हैं सब समलाकर साथ बैठे रहें, दूसरी तरफ इस प्रकार के स्कूल जो ज्यादा फीस दे सकते हैं उन लोगों को भर्ती करें, इस चीज को जल्दी से जल्दी खतम किया जाना चाहिए। वरना यह भेदभाव नहीं मिट सकता। वह तब्का है जिनको गरीबों के साथ कोई सहानुभूति नहीं हो पाती है। इसलिए इन चीजों को जब तक समाप्त नहीं करेंगे तब तक यह व्यवस्था ठीक नहीं बैठ पाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : नोट बुक पूरी भरी हुई है क्या ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : नहीं नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : सिर्फ बिल के सिद्धांतों पर कह सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : चिकित्सा विभाग का जहां तक सम्बन्ध है, हमारे यहां पर जो दवाइयों की व्यवस्था है, हालांकि हम काफी खर्च करते हैं, ६ करोड़ की कल ही हमने मागें पेश की हैं। अगर ६ करोड़ का परसेंटेज लगाया जाय, तो दिवाईयों पर कितना खर्च होता है और प्रशासन पर कितना होता है। यह बात एक माननीय सदस्य ने कल भी कही लेकिन गांवों में छोटे छोटे स्थानों पर दवाइयों का प्रबंध होना चाहिए। हमें यह भी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिन डाक्टरों को अस्पताल में रखते हैं, उनकी प्राइवेट प्रेक्टिस बंद करदें। वरना सुबह को डाक्टरों के घरों पर लाइन लगी रहती है और जो लोग घर पर फीज दे पाते हैं उनको अस्पताल में एडमिट किया जाता है, नहीं तो दखिला भी मुश्किल से मिलता है इसके अलावा डाक्टरों के लिए हजार दो हजार की जनसंख्या मुकर्रर करनी चाहिए कि इतने आदमियों को वह देखेगा, जैसे रूस में होता है। वहां डाक्टर को २०० या १०० घर बांट देते हैं और वह उसकी जिम्मेदारी होती है कि उनके

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

उपचार की देखभाल करें। इस प्रकार की व्यवस्था जब तक नहीं होगी तब तक गरीब लोगों को उपचार ठीक प्रकार से नहीं मिलेगा, सस्ता नहीं मिलेगा, इसलिए इन कामों को हम जल्दी से जल्दी करें तो समाजवाद को आगे बढ़ाते हैं।

दूसरे, सीलिंग का कानून जल्दी से जल्दी लागू हो और दूसरी प्रकार की जो समाजवादी व्यवस्थायें हैं, उनको भी जल्दी लागू करें, हालांकि हमारी सरकार ने तारीख मुकर्रर की है लेकिन अब तक लागू नहीं की है। क्योंकि उपाध्यक्ष ने मुझे कहा है, मैं जल्दी खतम करूंगा।

मेरा निवेदन है कि अपने क्षेत्र को विकसित करने के लिए सिंचाई और बिजली की योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा पैसा देकर जल्दी क्रियान्वित करें तो यह राज्य फलेगा फूलेगा और जो पैसा लगाया है वह सफल होगा वरना जितना एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर खर्च करेंगे उसका उपयोग नहीं होगा। हमारे जैसे प्रांत के जहां प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है दूसरे राज्यों के मुकाबले में, वह बढ़ेगी और हमारे रिसोर्सिज ज्यादा से ज्यादा बढ़ पायेंगे और हम इस देश को खुशहाल बनाने में योगदान दे सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन।

यह द्वितीय वाचन है इस विधेयक का। ऐसे अवसर पर केवल विधेयक के सिद्धांतों पर ही कुछ कहा जा सकता। पहले समय की थोड़ी छूट रखी थी।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैं कुछ जरूरी विषयों पर प्रकाश डालूंगा। पहले तो मैं यह चाहता हूं कि बजट में जो प्रोवीजन कर दिया जाता है जैसे १९६८-६९ में जो भाषण वित्तमंत्री ने दिया था, उस भाषण के अंदर विशेष तौर से उल्लेख था कि १९६८-६९ में शिव और शिदरी पंचायत समितियों में हाई स्कूल खोले जायेंगे और अभी जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ है, उसके अंदर यह है कि जिन पंचायत समितियों में हाई स्कूल नहीं थे वहां खोल दिए गए हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि शिव और शिदरी पंचायत समितियां, जिनके लिए आपने १९६८-६९ में कमिट किया और भारी जिम्मेवारी ली थी और राज्यपाल महोदय के भाषण में व्यक्त कर दिया कि यह कार्य संपन्न हो चुका है, हाई स्कूल खोल दिए हैं तो मैं चाहता हूं कि जिन पंचायत समितियों में स्कूल नहीं खोले गए हैं शिव और शिदरी पंचायत समितियों और यूं तो बाड़मेर टाउन है वह पंचायत समिति का पार्ट नहीं हैं। वहां खोले जाय बाड़मेर पंचायत समिति में किसी भी गांव में हाई स्कूल नहीं खोला गया है तो मैं चाहता हूं कि जो कमिटमेंट किया है १९६८-६९ के बजट भाषण में या राज्यपाल के अभिभाषण में कि जिन पंचायत समितियों में हाई स्कूल नहीं थे, वहां खोल दिए गए हैं, यह कमिटमेंट किया है इसकी पूर्ति करें, जिससे हम में विश्वास पैदा हो।

प्रिविलेजिज और प्रिवी पर्सिज के बारे में मेरा निवेदन है कि यह नीति का सवाल है और कांग्रेस ने समाजवादी नीति अपनाने का निर्णय ले लिया है और जब यह निर्णय ले लिया है तो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसमें हमें कठिनाइयां आयेंगी परन्तु

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

उनका मुकाबला करने के लिए समाजवादी दृष्टिकोण अपनाकर उन निर्णयों को क्रियान्वित करना पड़ेगा और इसलिए मैं चाहता हूं विशेष तौर से प्रिवी पर्सिज का मसला है वह प्रभावित करता है राजस्थान और उड़ीसा को। दो राज्यों को प्रभावित करता है। सामंतवाद हमारा समाप्त हो गया, परन्तु जब तक प्रिवी पर्सिज समाप्त नहीं होते हैं, जब तक राजाओं को प्रिविलेजिज दिए गए हैं, ये समाप्त नहीं होते तब तक हम समाजवाद की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। राजाओं के टाइटल्स और प्रिविलेजज और महारानियों के टाइटल्स आज भी कायम हैं, यह टाइटल हम पसंद नहीं कर सकते। पहले जो बिजली की सुविधायें दी गई थीं वे उठाई गई। इस प्रकार जो सुविधायें दी जाती हैं, दृष्टिकोण को बदलना चाहिए और जो प्रिविलेजिज हैं कानून के अन्दर उनमें कोई रुकावट नहीं, सरकार चाहे तो बन्द कर सकती है।

अकाल के संबंध में कहना चाहता हूं ग्रेविल के बारे में कहता हूं कि पहले भी २०२३ में अकाल के समय सड़कें नहीं हुई। इस वर्ष १८ करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। यह न हो कि जो ग्रेविल का कलेक्शन किया हुआ हो और अर्थवर्क......

श्री परसराम मदेरणा : यह खर्च हो चुका है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : ग्रेविल बिछाकर ये सड़कें काम आ जाय......

श्री परसराम मदेरणा : वित्तमंत्री ने अगले साल के बजट में प्रावधान किया है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मेटल रोड्स शुरू करने के कदम उठाए हैं यह तो सराहनीय है लेकिन ऐसा न हो कि वहां पत्थर पड़े रहें और जैसे जैसे मेटल रोड्स का काम करें तो वे मेटल रोड्स संपूर्ण हों, यह व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कार्य करें उसको संपूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार प्रस्तुत करता हूं।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंटरी डिमांड्स के लिए सदन के सामने १४६ करोड़ के लगभग मागें प्रस्तुत हुई हैं। माननीय सदस्यों ने खास तौर से फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि मैंने जो एस्टीमेट्स बना दी हैं और जो एस्टीमेट्स पेश करता हूं, उनमें बहुत फर्क है उन्होंने इस बात को स्वीकर कर लिया कि उसमें करीब १०७ लाख ४० हजार रुपए पब्लिक डेबिट हैं और इनमें से ७५ करोड़ रुपए जो रिजर्व बैंक से लिए हुए थे, वह सिर्फ बुक एजस्मेंट है और ३३:३४ करोड़ रुपए भारत सरकार से जो हमें वेज एण्ड मीन्स में कर्जा मिला था और वापस अदा कर दिया, इसलिए वह रुपया वापस पेमेंट हो गया, वह बुक्स से लेना पड़ा है। इसलिए इस रकम को निकाल दें तो मेरे अनुमान और इन एस्टीमेट्स में कोई फर्क नहीं है। अब उसके बाद में जो ३८ करोड़ रुपए का जिक्र किया, इन ३८ करोड़ में से साढ़े अठारह करोड़ रुपए की व्यवस्था के लिए जिस समय सदन में बजट पेश हुआ था, उस समय अकाल स्थिति नहीं थी, न कोई जानता था। १८-१.२ करोड़ इसमें खर्च हुआ। उसके साथ साथ सेंट्रली स्पांसर्ड स्कीम्स के अंदर रुपया हमें ज्यादा मिला। भाखरा और बियास के अंदर जो रुपया

(श्री मथुरादास माथुर)

हमने बजट में दिखाया था, उसके बाद में भारत सरकार ने भाखरा और बियास में करीब ७.३६ करोड़, राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में प्लान में न बढ़ाकर एडीशनल प्लान में दिया, इसलिए १८—१२ करोड़ रुपया अकाल से निकाले जायं। साढ़े सात और एडीशनल प्लान में मिला था, राजस्थान कैनाल, भाखरा और बियास के पूरे २६ करोड़ निकल जाते हैं, १०७-१०८ वह निकल जाते हैं तो आखिर में जाकर ८-१० करोड़ का सप्लीमेंटरी डिमांड सही माइने में है और उसमें भी महंगाई भत्ता है, क्योंकि राज्य सरकार की घोषणा है कि मूल्य सूचक अंक में पांइंट्स बढ़ने से महंगाई भत्ता बढ़े। उस समय हम एन्टीसिपेट नहीं कर सकते थे यह इंडेक्स बढ़ जायगा तो करोड़ डेढ़ करोड़ उसमें देना पड़ा। बाकी स्कीम्स पर कहीं ५-५ १०-१० लाख अलग अलग बिभागों में खर्च हुए। इसलिए जो सप्लीमेंटरी डिमांड्स रखी गई हैं, उनके अंदर और ओरिजिनल बजेट एस्टीमेंट्स के अंदर बहुत बड़े वैरिएशन नहीं हैं। एक दो परसेंट के अंदर पूरा काम हो जाता है। ऐसी हालत में यह भ्रम माननीय सदस्यों के दिमाग में हो कि मैंने गलत एस्टीमेट्स दिए हैं, तो यह सही नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहस के दौरान में आपने ठीक ही कहा था कि अप्रोप्रिएशन बिल के सेकेन्ड स्टेज पर जब बहस होती है तो पोलिसिज के ऊपर चर्चा हो सकती है। मगर यहां अलग अलग डिमाण्डस् को लेकर, बहस की गई है, उसका जवाब प्रत्येक विभाग के मन्त्री अपने अपने विभाग की डिमाण्ड्स के बहस के वक्त जवाब देंगे मगर, जो नीति का प्रश्न है, उस के मुत्तलिक कोई मुद्दा उठाया है, तो मैं चंद मिनिटों में जवाब देना चाहूंगा। माननीय सदस्य जो डीडवाना से आये हैं, उन्होंने शिक्षा को लेकर नीति विषयक बात कही है कि ६ से ११ वर्ष की उम्र के बच्चों का जो ग्रुप है, उनकी शिक्षा का संविधान के अनुसार सेंट-पेर्सेन्ट इन्तजाम हो जाना चाहिये, जिस टारगेटस् पर पहुंच जाना चाहिये, नहीं पहुंचे हैं। मैं इसे स्वीकार करता हूं। सिर्फ राजस्थान के अन्दर यह टारगेट नहीं प्राप्त किया जा सका, बल्कि भारत के किसी भी प्रान्त में यहां टारगेट पूरा नहीं हो पाया है। भारत के संविधन के जो डाइरेक्टिव प्रिन्सीपल हैं, वह काम पूरे नहीं कर पा रहे हैं, इसलिये भारत सरकार राज्य सरकार को तवज्जह दिलाती है, ध्यान दिलाती है। ६ से ११ वर्ष के बच्चों के ग्रुप का अनुपात ५५ प्रतिशत है। हमारे राजस्थान का जो ड्रा बैक है, रिसोर्सेज है, सोशल बैकवर्डनेस है, उसको देखते हुए इसे ठीक ही कहा जासकता है। इन पेर्सेन्टेज में से लड़कियों को निकाल दिया जाये तो लड़कों का प्रतिशत ७५ से ८५ प्रतिशत तक हो जाता है। लड़कियों का स्कूल जाने का रिवाज बहुत कम है। राजस्थान के लोगों की जो नेचर है, उसके अनुसार वे लड़कियों को बहुत कम भेजते हैं। देहातों में जो स्कूल्स हैं, उनमें बालिकाओं की संख्या बहुत कम है, लड़कों के अनुपात में। लड़कियां वहां स्कूल नहीं जाती हैं। ६ से ११ वर्ष की बहुत कम जाती हैं। लड़कियों को मिला कर यह टारगेट ५५ प्रतिशत तक जाता है। लड़कियों को अलग करदें तो ७५ से ८५ के बीच में यह प्रतिशत यह कहना कि राज्य सरकार कोशिश नहीं

(श्री मथुरादास माथुर)

करती, यह गलत है । शिक्षा के डिमाण्ड पर यहां बहुत लम्बी बहस हो चुकी है। आजादी के पहले दो करोड़ का शिक्षा का बजट था, वह ३६ करोड़ तक पहुंच गया है। ये सब आंकड़े आपने बजट के अन्दर देखे हैं। ऐसी सूरत में भी जो आंकड़े हैं, मैं मानता हूं कि वे हमारे संविधान के डाइरेक्टिव प्रिन्सीपल्स को पूरा नहीं करते हैं परन्तु फिर भी राज्य सरकार के एफर्टस् इस सम्बन्ध में पर्याप्त हैं। वित्तीय साधनों की कमी के कारण हम इसे पूरा नहीं कर पा रहे हों, ऐसा नहीं हैं बल्कि हमारी जो सोशल बैकवर्डनेस है, लड़कियों के स्कूल जाने का जो रिवाज नहीं हैं, वह इसके लिये जवाबदार है।

फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कई अच्छे सुझाव दिये हैं, मैं इसका स्वागत करता हूँ। राज्य सरकार इसके बारे में बराबर सोचेंगी। यह कहना उचित नहीं है कि राज्य सरकार ने कभी भी किसी आफिसर का परफारमेन्स खराब रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती है। हमारे यहां परफारमेंस के ऊपर सरकारी नौकरों की सर्विस का वर्गीकरण, स्टेन्डर्डाइजेशन हैं। वह उतना नहीं है कि जितना दूसरों मुल्कों में है। हमने डेमोक्रेटिक पैटर्न माना है, उसके आधार पर हम चलते हैं। जब कभी खराब काम हो जाता है तब संबंधित आफिसरों के खिलाफ एक्शन लेते हैं। हमने बांध खराब हो जाने के कारण इन्जीनियर्स को बरखास्त किया हैं। इसी तरह से गंगापुर हाई स्कूल की बिल्डिंग खराब हो जाने पर, वहां के एक्स. ई. एन. को सस्पेंड किया। उसकी जांच हुई, ऐसा हर मामले में होता है। माननीय सदस्य ने कहा जो ठीक है परन्तु ऐसा भी नहीं है कि राज्य सरकार ऐसे मामले से अनभिज्ञ हों और वह कार्यवाही नहीं करती है, ऐसी बात नहीं है।

भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां कहा कि उद्योगों के अन्दर रुपया कम रखा है और सिंचाई पर ज्यादा रख दिया हैं। उद्योगों के लिये जो इन्डस्ट्रीयल प्लान बनाते हैं, उसमें स्टेट की तरफ प्रोमोशनल, रिसर्च और डवेलपमेंट आफ इन्डस्ट्रीयल एस्टेट होता है, उसके लिये इसमें धनराशि रखी जाती हैं। बाकी प्राइवेट सेक्टर अपना इनवेस्टमेंट स्वयं करते हैं। इर्रीगेशन में कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है। जो बांध बनते हैं, छोटे, माइनर और मेजर, इसके लिये सारा खर्चा राज्य सरकार को करना पड़ता है। इस देश के इकनोमी डेवलप करने के लिये, जब तक हमारी एग्रीकल्चर इकोनोमी में सरप्लस नहीं होगा, देश में एक सेल्फ सफीशियेन्ट इकोनोमी आप नहीं ला सकेंगे। इन्डस्ट्रीज ओ ओसिस (नखलिस्तान) है। जब तक एग्रीकल्चर सेक्टर के अन्दर सेल्फ सफीशियेन्ट होकर सरप्लस क्रियेशन करेंगे तब तक सेल्फ जेनेरेटिंग इकोनोमी डवेलप नहीं हो सकेगी। इसलिये राजस्थान सरकार इस ओर तवज्जुह दे रही है। इसीलिए प्लान के अन्दर हमने इर्रीगेशन को ज्यादा महत्व दिया है ताकि एग्रीकल्चर डवेलप हो सके। अध्यक्ष महोदय मैं······

एक माननीय सदस्य : समय बढ़ायेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : जहां तक बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने हाईस्कूल का जिक्र किया, मैंने बजट भाषण में कहा था कि हरेक पंचायत समिति क्षेत्र में

(श्री मथुरादास माथुर)

एक हाईस्कूल खोला जायेगा। परन्तु उनके यहां की पंचायत समिति में प्राईमरी, मिडिल स्कूल नहीं हैं तो मैं हाईस्कूल कहां से खोलूं। यह स्थित है। अगर मिडिल में लड़के ५ ही हों तो मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूं। यह राज्य सरकार की नीति है कि हरेक पंचायत समिति में हाईस्कूल, हायर सेकेन्डरी स्कूल होना चाहिये। दो, तीन पंचायत समितियों को छोड़कर हरेक पंचायत समिति क्षेत्र में हाईस्कूल, हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं। अगर किसी पंचायत समिति क्षेत्र में लड़के उपलब्ध न हों तो कैसे हायर सेकेन्डरी स्कूल खोला जा सकता है, इसलिये वहां नहीं खोली गयी होगी। शिव, भौगा के मिडिल स्कूल में कितने लड़के हैं? मैं एजयुकेशन डिपार्टमेन्ट को कहूंगा। वे इसे देखकर वहां की रिपोर्ट मुझे देंगे। वह हमारी नीति है कि हरेक पंचायत समिति में कम से कम एक हाईस्कूल अवश्य हो। परन्तु जहां मिडिल स्कूल न हो, वहां के लोगों की डिमाण्ड न हो तो मैं कैसे हाईस्कूल खोल सकता हूं। फिर भी मैं इसके लिये एज्युकेशन डिपार्टमेन्ट को कहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। फेमिन के बारे में यहां कई माननीय सदस्यों ने कहा है। फेमिन विभाग के जो मन्त्री महोदय हैं, इसके बारे में उन्होंने तफसील से आपको कह दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो एप्रोपिएशन बिल है, उसको पास कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया। विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग संख्या—१ विधेयक, १९६९ को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही २४ मार्च, १९६९ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की कार्यवाही सायं ५-०० बजे दिनांक २४ मार्च, ६९ के प्रात: ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)।

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्न सं० ४७८ की सूची)

फेरिस्त सामान पर्विजात श्री रामकुमार शास्त्री महमशर की चोरी के बाद सारकान रास्ते में डाल गये जो बतौर बने सबूत कब्जा पुलिस में लिया गया।

१. १ चादरा रंग मजिठीया गर्म इस्तेमाली लाल ईमरती की छाप लगी हुई।
२. १ अरन्डी (मुगेला चद्दर) रंग हल्का पीला इस्तेमाली।
३. १ धोती मर्दानी सफेद इस्तेमाली बारीक लाल किनार।
४. १ धोती कोरी नई मरदानी नीली किनारी जिस पर एफ. आई. एम. ई. एम. एम. ५१।
५. १ धोती मरदानी कोरी नई हरी किनारी।
६. १ रूमाल रंग केसरानी।
७. १ साड़ी जनानी छापल इस्तेमाली।
८. १ धोती जनानी पुरानी पुरानी किनार लाल फटी हुई।
९. १ चुंदड़ी पुरानी इस्तेमाली।
१०. १ पीला काले पल्ले का सफेद गोटा लगा हुआ।
११. १ ओडना रंग गुलाबी पीला गोटा लगा हुआ।
१२. १ ओडना रंग लाल बुन्दी की छाप तारे लगे हुए।
१३. १ पीला महाजनी छाप किनारी पर।
१४. १ कब्जा रेशमी हल्का लाल रंग।
१५. १ कब्जा रंग कबूतरी इस्तेमाली।
१६. १ कब्जा मखमली रंग मोर की गर्दन।
१७. १ चोली हरी पोपलीन इस्तेमाली।
१८. कांचली रंगबिरंगी ६ गोटा लगी हुई-है-।

उपरोक्त माल हस्बुत हुकम नं० १६६ तारीख १८-२-६६ सिविल जज सहाब झुन्झनू श्री रामकुमार शास्त्री की दरख्वास्त पर सपुर्दगी नामे पर श्री रामकुमार शास्त्री महमशर को दिया जा चुका है।

एस. डी. महमुद खां एस. एच. ओ. मण्डावा ९-३-६९।

राजस्थान विधान सभा प्रश्न २४

तालिका (ख)

५ बीघा में हुई मेक्सीगन गेहूं की पैदावार पर

खर्च		आमदनी	
सिंचाई	१५४)००	गेहूं १० क्वि० १ किलो की बिक्री	१००१)००
हंकाई जुताई	१४)००	भूसा १५ क्वि०	१४४)००
			११४५)००
बुवाई खर्च	१८)००		
बीज कीमत	१२२)५०		
बी० एच० सी०	६)००		
सी० ए० एन०	४२)००		
सुपरफासफेट	१८)००		
कटाई	२८)००		
थ्रेसिंग (गहरी)	३५)००		
श्रौसान	४८)५०		
अन्य	१५)००		
कुल योग	५०१)००	शुद्ध लाभ रु० ६४४)००	

परिशिष्ट २

(तारांकित प्रश्न संख्या ४८३ की सूची)

पंचायत समिति उनियारा को वर्ष १९६६-६७ से १९६८-६९ तक दिए गए ऋण की सूची :—

वर्ष	ऋण राशि
१९६६-६७	१,२८,७८९.७९
१९६८-६९	३३,२००.००
	रु० १,६१,९८९.७९

उपरोक्त वितरित ऋण की वसूली योग्य राशि तथा वसूली का विवरण :—

विवरण	राशि जो वसूल हुई	
रुपये	१९६६-६७	१९६८-६९
१,६८,३९८.४१ पै०	१२,३१३.५० पै०	वसूली अप्रेल ६९ से आरम्भ होगी।
बाकी रु०	५६,०८४.९१ पै०	

परिशिष्ट ३

(तारांकित प्रश्न संख्या ४८७ की सूची)

तारांकित प्रश्न संख्या २४-तालिका (क)

मल्हारसिंह बाग का सालवार खर्चा

क्र. सं.	मद	१९६३-६४	१९६४-६५	१९६५-६६	१९६६-६७	१९६७-६८
१.	वेतन कर्मचारी	२१८३)००	२१९५)००	२४०६)००	३८३३)००	७३६०)००
२.	महंगाई भत्ता	२१६०)००	२७५५)००	३१८०)००	३७३८)००	४३७६)००
३.	यात्रा भत्ता	९६१)००	१२४)००	१७९)००	३१)००	१४९)००
४.	चिकित्सा व्यय	—	१३)००	५)००	—	२८)००
५.	चारा घास	९९५)००	४८५)००	४०५)००	५१८)००	६२०)००
६.	खाद व उर्वरक	१२००)००	९९७)००	१५००)००	१५१७)००	२४५)००
७.	अस्थायी मजदूर	१००२)००	९९६)००	९९८)००	१००२)००	९७३)००
८.	बीज व पौधे	१००)००	१९९)००	४११)००	१२८)००	३६५)००
९.	यंत्र व औजार	९९)००	१२०)००	१७०)००	९७)००	—
१०.	अन्य	२०३)००	४९९)००	५१३)००	५३६)००	५१२)००
११.	बैल	—	—	—	८०)००	—
१२.	ट्रान्सपोरटेशन	२७)००	११३)००	७२)००	—	—
१३.	सिंचाई	६५१)००	—	२२२९)००	१५००)००	१२८०)००
१४.	नाली निर्माण	—	—	९८९)००	१०३८)००	—
१५	पशु गृह निर्माण	९७५)००	—	—	—	—
१६.	फेंसिंग	—	—	२८५०)००	४९०)००	—
१७.	अंगूर की खेती	—	—	१०४७)००	—	—
		९६९१)००	८४०६)००	१६९८५)००	१४४३६)००	१६००८)००

आमदनी बाग मल्हारसिंह

क्र. सं.	मद	१९६३-६४	१९६४-६५	१९६५-६६	१९६६-६७	१९६७-६८
१.	फलों का ठेका	४१२३)८०	५२३४)७३	१४७२)००	१६७१)००	१९०४)५०
२.	पौधों की बिक्री	४२२)५०	३१७)६५	१२७)००	१९०)००	५७२)५५
३.	चारे की बिक्री	३०७)७०	३५०)००	४०)५०	५६५)००	—
४.	अन्य	१५२)००	२३७)६२	४४८)५०	३२०)००	४९०)००
		५००६)००	६१४०)००	२०८८)००	२७४६)००	२९६८)००

राजस्थान विधान सभा प्रश्न २४

तालिका (ग)

सन् १९६३-६४ से १९६७-६८ तक मल्हारसिंह बाग के फलदार पेड़ों के ठेके का ब्यौरा

पेड़ किस्म	१९६३-६४		१९६४-६५		१९६५-६६		१९६६-६७		१९६७-६८	
	संख्या	ठेके की कीमत	संख्या	कीमत	संख्या	ठेके की कीमत	संख्या	ठेके की कीमत	संख्या	ठेके की कीमत
१. जामुन	७	२०)००	—	—	—	—	—	—	—	—
२. शहतूत	१२	३१५)००	—	—	—	—	१७	१३५)००	—	१३०)००
३. आम	४	३०)००	२९	१४६१)००	४	७७)००	—	८३७)१२	—	१२१)००
४. निबू	६२	१४०)००	६०	३६०)००	७६	३३६)००	—	४१)००	—	ठेका नहीं हुआ
५. अमरूद	—	—	३०	८०)००	—	—	—	३५)००	—	—
६. नारंगी,मौसमी	२३७	१८००)००	१५५	२७२६)००	१४८	३७५)००	—	३५०)००	—	१२३१)००
७. फूलवाद	—	१०१)००	—	१५७)००	—	१६०)००	—	५५)००	—	८९)००
		२४१६)००		४७८४)००		९४८)००		१४३३)१२		१५७१)००

परिशिष्ट ४

(तारांकित प्रश्न संख्या ११७ की सूची)

(सूची अ)

तारांकित प्रश्न संख्या २९ आ० जि० मं० दिनांक ३१-१-६९

अलवर खंड के अधीनस्थ सड़कों पर निर्माण व मरम्मत कार्यों पर सन् ६६-६७ व ६७-६८ में पंचायत समितिवार खर्चे की सूची :—

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	खर्चा सन् ६६-६७	खर्चा सन् ६७-६८
१.	उमरैन	६४४३०	८०४००
२.	रामगढ़	७३५०१	६६२९९
३.	राजगढ़	६३०२३	८४८६३
४.	रैणी	५८९७०	६०८००
५.	गोविन्दगढ़	५६१७६	५४०३८
६.	कठूमर	७६१५६	७९०३१
७.	बहरोड़	९१९३०	६४०२०
८.	नेमराना	७१३२३	६९०५०
९.	तिजारा	८०५२४	७०६५९
१०.	कोटकासिम	५०११०	६०१०५
११.	थानागांजी	८००३८	८०८०५
१२.	मंडावर	६००८६	५०८०३
१३.	किशनगढ़	५२४१६	८८९०१
१४.	बानसूर	७३३६७	९०९२१
	योग	९,४२,०००	१०,०९,९८३

परिशिष्ट ५

(अतारांकित प्रश्न सं० ३२८ की सूची)

नाम तहसील	तालाब कार्य	स्वीकृत राशि
बामनवास	बादरा	५,०००)
नादोती	बरयाला	५,०००)
	रायसाना	५,०००)
	केमला	५,०००)
	तिमावा	५,०००)
	ढहरिया	५,०००)
करौली	लखस्की	५,०००)
सपोटरा	चौड का कलां	७,०००)
	खिजूरा	१४,०००)
	बहादुरपुर	५,०००)

सूची सड़क कार्य

लक

सवाई माधोपुर	पचाला–चौथ का बरवाड़ा
बौली	१. माडोती–नोली
गंगापुर	२. दत्तवास से बोरदा, मिचपुरा, उदगांव, घाटा, नेनवाड़ी होती हुई रिपलाई, मच्छीपुरा, बुचोलिया होती हुई नारायणपुर, टटवाड़ा,
बामनवास	लिवाली, बामनवास ।
नादोती	नादोती, सलावत, गढ़खेड़ा, रायसना होती हुई गढ़मोरा और वहां से लालसर ।
करौली	धाम की चौकी–चन्देलीपुरा
	लोहरा से कर्णपुरा

नोट :—उक्त सड़कों पर आवश्यकतानुसार प्रावधान दिया जायेगा ।

परिशिष्ट ६

(अतारांकित प्रश्न संख्या ३३३ की सूची)

शिक्षा कर की आय का विवरण

संवत्	मांग बकाया	चालू मांग	योग	वसूली
२०२२	—	३५२२	३५२२	३५२२
२०२३	—	१६२१०	१६२१०	१६०००
२०२४	२१०	१९८९०	२०१००	१२१५३
	२१०	३९६२२	३९८३२	३१६७५

शिक्षा कर के व्यय का विवरण

नाम पंचायत	प्रवृति	रकम
छीपाबड़ोद	स्कूल भवन व्यवस्था	८०७-२८
हरनावदाशाहजी	स्कूल भवन निर्माण एवं व्यवस्था हेतु	६४२-२६
कचनारिया कला	,,	४६१-२८
दीगादखालसा	,,	२२५-२८
कंजारी	,,	१०००-००
दी गांदजागीर	,,	१७६-२८
कलेमोदिया	,,	७००-००
सारथल	स्कूल भवन की फर्शी हेतु नेहरू	१८८-२८
	स्मारक हेतु	७५-००
टांचा	स्कूल भवन निर्माण एवं स्कूल व्यवस्था	५१३-२८
संतकालू	,,	४७९-२८
देवरीजोघ	,,	६६५-२८
ढोलम	,,	७५५-२८

वमारीहाटा	स्कूल भवन निर्माण एवं स्कूल व्यवस्था	४६६-२८
कुलबडौदा	,,	८३३-५६
अजतावर	,,	३५१-२८
भोखमपुरा	,,	८३३-२८
झेझनी	,,	२८३-२८
गोरधनपुरा	,,	६६-२८
बिलेडी	,,	३५१-२८
गंगवाना	,,	३७३-२८
मावपुरा	,,	१०००-००
राई	,,	२५६-६८

प्रति पंचायत से स्कूल छात्रों को ऐतिहासिक स्थानों की भ्रमण हेतु २८३५-८६
१२३-३० प्रत्येक पंचायत द्वारा क्रीडा प्रतियोगिता की ५ केन्द्र
पंचायतों २३००-००
१००) रु० का वर्ष ६७-६८ में केन्द्र पं० ६ वर्ष ६७-६६ २३००-००

कुल योग १६३०६-१४

Page No 140

परिशिष्ट ७

(अतारांकित प्रश्न संख्या ३३४ की सूची)

पंचायत समिति छीपाबड़ोद द्वारा खरीदे गये बीजू बकरों का विवरण

क्र. सं.	नस्ल बकरों की	खरीद का महीना	बकरों की संख्या	खरीद रकम
१.	जमनापारी नस्ल	जनवरी ६७	१४	४६७५) रु०

Page No 141

परिशिष्ट ८

(अतारांकित प्रश्न संख्या ३४१ की सूची)

सूची परिशिष्ट 'क'

क्र. सं.	नाम सहकारी समिति	वर्ष	ऋण जो मिला
१.	जटिया चर्म उत्पादित सहकारी समिति	५९-६०	११०००)
२.	सर्वोदय चर्म उत्पादक सहकारी समिति	६३-६४	३०००)
३.	सिवदरी चर्म उत्पादक सहकारी समिति	६३-६४	५५००)
४.	मेघवाल चर्म उत्पादक सहकारी समिति	५८-५९	५०००)
५.	रेगरान चर्म उत्पादक सहकारी समिति	५८-५९	५०००)
६.	जटिया चर्म उत्पादक सहकारी समिति	५८-५९	५०००)
७.	माचमर सुवाड़ा चर्म उत्पादक सहकारी समिति	६३-६४	१८३८)
८.	लीलासर चर्म उत्पादक सहकारी समिति	६३-६४	१४००)
९.	बाड़मेर चर्म रंगाई उत्पादक सहकारी समिति	५७-५८	९७५०)
		६०-६१	१५००)
		६०-६१	१९०००)
		६२-६३	१००००)
		५६ ५७	६०००)
१०.	मेघवाल चर्म उत्पादक सहकारी समिति	५८-५९	३०००)
११.	बिठुजा मेघवाल चर्म उत्पादक सहकारी समिति	६३-६४	३०००)
१२.	कोरणा चर्म उत्पादक सहकारी समिति	६०-६१	११३७)
१३.	चोहटन चर्म उत्पादक सहकारी समिति	५८-५९	१३८७५)
		५९-६०	१५००)
१४.	नगर चर्म उत्पादक सहकारी समिति	६३-६४	९७३८)
१५.	बामनोर चर्म उत्पादक सहकारी समिति	६३-६४	११३७)५०
१६.	राणासर चर्म उत्पादक सहकारी समिति	६३-६४	१८००)
१७.	गढ़रा रोड़ चर्म उत्पादक सहकारी समिति	६३-६४	१४००)

सूची परिशिष्ट 'ख'

सूची चर्म उत्पादक सहकारी समितियां जिनको खादी बोर्ड से अनुदान प्राप्त हुआ । जिला बाड़मेर ।

क. सं.	नाम समिति	अनुदान जिस वर्ष में दिया गया ।	राशि
१.	बाड़मेर चर्म रंगाई उत्पादक सहकारी समिति	१९५७-५८	८२५०)
		,,	३७५०)
		१९६०-६१	
		१९६०-६१	
२.	जटिया चर्म उत्पादक सहकारी समिति	१९५९-६०	
३.	सर्वोदय चर्म उत्पादक सहकारी समिति	१९६३-६४	
४.	नगर चर्म उत्पादक सहकारी समिति	,,	
५.	मेघवाल चर्म उत्पादक सहकारी समिति बालोतरा	१९६१-६२	
६.	मेघवाल चर्म उत्पादक सहकारी समिति ,,	१९६३-६४	८७०)
७.	चौहटन चर्म उत्पादक सहकारी समिति बालोतरा	१९५८-५९	५५००)
८.	जटिया चर्म उत्पादक सहकारी समिति बालोतरा	६०-६१	१६००)
९.	रेगरान चर्म उत्पादक सहकारी समिति बालोतरा	,,	१६००)
१०.	करमावास चर्म उत्पादक सहकारी समिति ,,	६१-६२	१०००)
११.	जटिया चर्म उत्पादक सहकारी समिति घोरीमना	,,	१०००)
१२.	बामनोर चर्म उत्पादक सहकारी समिति	६३-६४	१०००)
१३.	सिवदरी चर्म उत्पादक सहकारी समिति	,,	५५००)
१४.	गडरारोड़ चर्म उत्पादक सहकारी समिति	,,	१०००)
१५.	सिघासवा लूणवा चर्म उत्पादक सहकारी समिति	६०-६१	१६००)

परिशिष्ट ९

(अतारांकित प्रश्न संख्या ३४४ की सूची)

प्रश्न के भाग १ की सूची

राजस्थान के अस्पतालों के नाम जहां ब्लड बैंक हैं :—

क्र. सं.	अस्पताल का नाम	गत दो वर्षों में ब्लड बैंक ट्रान्सफ्यूजन दिये गये ।	
		१९६७	१९६८
१.	जे० एल० एन० अस्पताल, अजमेर	८४१	१२०५
२.	पी० बी० एम० मेन्स होस्पिटल, बीकानेर	११२८	१६०९
३.	महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर	३७६	६२४
४.	जनरल अस्पताल, उदयपुर	१८८१	१९२२
५.	सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर	३५१९	३१०८
६.	जनरल अस्पताल, भरतपुर	१९१	१२८
७.	महाराव भीमसिंह अस्पताल, कोटा	३६०	४२०

प्रश्न के भाग ७ की सूची

जोधपुर महात्मा गांधी अस्पताल व सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के ब्लड बैंक में स्वीकृत स्टाफ का ब्योरा :—

क्र. सं.	अस्पताल के नाम	सी० ए० एस० एवं क्लीनिक ट्यूटर	टैक्नीशियन	जूनियर टैक्नीशियन	ड्राईवर	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
१.	सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर	१	१	—	—	—
२.	महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर	१	—	२	१	२

इसके अतिरिक्त सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए दो डाक्टर सी. ए. एस. एवं ३ कम्पाउन्डर्स व एक वार्ड ब्वाय को अस्पताल के स्वीकृत पद से लगाया है।

परिशिष्ट १०

(अतारांकित प्रश्न संख्या ३४५ की सूची)

सूची (अ) तारांकित प्रश्न संख्या ११३

नाम ठेकेदार	मील	कार्य देने की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	ठेके की धन राशी
श्री सुखलाल	१ से ४	४-११-६५	३-८-६६	९७१३३) रु०
श्री गुरू बचनसिंह	५ से ८	१८-१-६५	१७-१०-६५	९६८९५) रु०
भारत सेवक समाज	९ से १२	७-१-६५	६-१०-६५	८७७५१) रु०

नोट :—मील १० से १३ पुनः आमंत्रित किये गये हैं जो स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

भारत सेवक समाज मील १३।० से १६

भारत सेवक समाज	मील १३।० से १६	२०-४-६५	१९-१-६६	९६३) रु०
श्री अचरजलाल बोहरा	२५।४ से २८	५-१२-६०	४-८-६४	कार्य अधूरा छोड़ने के कारण ठेका परित्याग किया गया।
श्री मदनमोहन गोयल	२५।४ से २८	२९-५-६८	८-१०-६८	५८९९३) रु०

नोट :—मान्यता प्राप्त एवं अधिकृत ठेकेदारों से जमानत लिये जाने का प्रावधान नहीं है तथा भारत सेवक समाज के आदेशानुसार सिक्योरीटी आवश्यक नहीं है।

परिशिष्ट ११

(अतारांकित प्रश्न संख्या ३५० की सूची)

विधान सभा प्रश्न अतारांकित प्रश्न २६० रा० म० द्वारा श्री देवीलाल बुरासिया के प्रश्नों के उत्तर। जिला अजमेर।

क. सं.	नाम तहसील	धारा ९१ के तहत मामलों की सं०	फैसल शुदी केसेज को सं०	केसेज जिनमें खातेदारी दी गई की सं०	बेदखली केसेज की सं०	फैसल शुदा मुकदमों की रकमें	रकम जमा कायमी की गई	मौके पर वसूल की गई रकमें
१.	अजमेर	६४७५	४३३८९	१३२६३	३०१२६	८७६७४४	३९५२७८	
२.	ब्यावर	२५७०	७९८०	३२७१	४१४३	४५३७	३१६९	
३.	केकडी	५९००	४५०१	५८४	३९१७	१६३३४	१६३३४	१००० लगभग
४.	किशनगढ़	५५४१	९३६६	३४२०	५९४६	२९४१२८	२४४५६	१०७०९ लगभग
५.	सरवाड़	४०९३	४०६४	२१२२	२३७४	३१७७९९.९४	१३७२९	
योग		२४५७९	६९३००	२२६६०	४६५०६	१५०९५४२.९४	४५२९६६	

नोट :—तहसील सरवाड़ में ३०४०७०.९४ की जमा कायमी कार्यवाही जारी है।

हरिलाल शर्मा,
अतिरिक्त जिलाधीश,
अजमेर

Page No 147

परिशिष्ट १२

(अतारांकित प्रश्न संख्या ३५१ की सूची)

जिला गंगानगर के तहसील वाइज ग्राम एवं रकबे की सूची

क्र. सं.	नाम तहसील	कुल चक	गांव	योग	मुमकिन	गैर मुमकिन	योग एकड़ों में
१.	श्री गंगानगर	३१०	—	३००	२२५७१६	१७६६६	२४३३८२
२.	करनपुर	२३९	—	२३९	१८८२२७	१४१२३	२०२३५०
३.	पदमपुर	२४१	—	२४१	१९४४०३	१३१४८	२०८३५१
४.	रायसिंहनगर	३६१	—	३६१	१०८६८४	१७८१५	३२६४९९
५.	सूरतगढ़	४७६	—	४७६	९१०४२७	३१३८४	९४१८११
६.	सादुलशहर	२११	—	२११	१७७३०२	१२३४३	१८९६४५
७.	हनुमानगढ़	३५१	—	३५१	२६५९८१	३१७३६	२९७७१७
८.	टीबी	२२७	—	२२७	१७१०९९	१२३३६	१८३४२८
९.	संगरिया	१९८	—	१९८	१५९७८१	१०१५६	१७०७४५
१०.	मादरा	२१५	—	२१५	४१०५२१	१८०६६	४२८५८७
११.	नौहर	५०१	—	५०१	१०३९८२२	३४८९६	१०७४७१८
१२.	अनूपगढ़	३७२	--	३७२	८१४८१०	१७६२०	८३२४३०
	योग	३७०२	—	३७०२	४८६६७७४	२३२८८९	५०९९६६३

शुद्धि-पत्र

शनिवार, दिनांक २२ मार्च, १९६९

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
७	२	प्रशिक्षणार्थियो	प्रशिक्षणार्थियों
९	३	उम्मदिवाो	उम्मीदवारों
१०	२	सर्व्रिस	सर्विस
१२	१	सर्विस	सर्व्रिस
२३	शीर्षक	माच	मार्च
२५	५	(जायाल)	जायल
२८	७	धमंचन्द	धर्मचन्द
३२	३	सानोदिया	सालोदिया
३८	३	कमचारी	कर्मचारी
४४	१६	युविधा	सुविधा
४६	१४	ि या	किया
५४	अन्तिम से ५	आथिक	आर्थिक
८४	अन्तिम से ९	वनवारालाल	वनवारीलाल
९४	६	कालेजिज	कालेजेज
,,	१७	सर्विसेज	सर्विसेज
९५	५,६ व १७	गेसन्टी	गारन्टी
९६	१४	ध्यन	ध्यान

१	२	३	४
९९	११	सधार	सुधार
,,	अन्तिम से ८	वार्निग	वार्निंग
१००	११	इन्इफीश्येंसी	इन्एफीशियेसीं
,,	अन्तिम से १५	रू—।	रूप
१०१	१०	मत्रीजी	मंत्रीजी
१०४	१	पंचवर्षीय	पंचवर्षीय
१०९	३	इन्स्टीट्युशन	इन्स्टीट्यूशन
११२	५	पीयी	पी
११३	७	आर्डिनेन्स	आर्डिनेन्स
,,	अन्तिम से ९	एग्यिा	एरिया
११६	१	अपने	आपने
,,	६	मिल	मिल
११८	५	हजागें	हजारों
११९	६	आकर्षित	आकर्षित
१२०	२०	करमकलों	करकमलों
१२१	१	श्री पी के चौधरी	श्री पी. के. चौधरी
१२२	१८	काग्रे समैन	कांग्रेसमैन
१२३	१७	गारन्टीसिस्म	गारन्टीसिस्टम
१२४	११	टेकेदारो	ठेकेदारों
१२५	१०	प्रसर	प्रसार
१२९	अन्तिम से ७	मिस्चिफ	मिस्चिव

१	२	३	४
३०	१	पर्शियन	पर्शियन
१३०	अन्तिम से १२	जनस्वास्थ्य	जनस्वास्थ्य
१३१	१७	आर्थिक	आर्थिक
१३	१४	आर्थिक	आर्थिक
१३४	अन्तिम से ८	आर्थिक	आर्थिक
१३६	३	सर्वेन्टस	सर्वेन्टस
१३८	६	गेरिट	मेरिट
१३९	१	श्री गिरधारीलाल भार्गव	श्री गिरधारीलाल व्यास
,,	२४	सर्विसेज	सर्विसेज
१४१	१	रजस्थान	राजस्थान
,,	९	उण्मे	उसमें
१४७	१७	इसनिए	इसलिए
१४८	१२	वीचड	कीचड़
१५३	२१	गिताबा	रिताबा
१५७	३	वुगई	बुराई
१५८	४	शतब्दी	शताब्दी
१७०	३	गगेब	गरीब
१७६	९ व २६	कोआर्डिनेशन	कोआर्डिनेशन
१७९	अन्तिम से ८	सर्विसेज	सर्विसेज
१८१	६	ओफियर	ऑफिसर
८२	२१	कोआर्डिनेशन	कोआर्डिनेशन

१	२	३	४
१६२	१	श्रीमती समित्र	श्रीमती सुमित्रा
१६५	अन्तिम से १०	जा े	जारी
२०१	११	ितना	कितना
,,	१३	ग्युनिसिपैलिटी	म्युनिसिपैलिटी
२०३	१६	आकषित	आकर्षित
२०७	१०	मनुइर	मनुहार
२०८	१८	सल	साल
११५	पेज नम्बर	११५	२१५
२१५	१	अनशान	अनशन
२१७	२६	तनखवा	तनख्वाह
२२६	अन्तिम से १०	वी	की
२३३	१	श्री पी के चीधरी	श्री पी के चौधरी
२३४	अन्तिम से १४	रिस्पोसिबिलटी	रिस्पोंसिबिलटी
२३५	१४	वेग्टेज	वेस्टेज
२३७	१	श्री यशयन्तसिंह नाहग	श्री यशवन्तसिंह नाहर
२४६	१५	आकषित	आकर्षित
२५३		पिवी पर्सिज	प्रिवीपर्सेज